राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

ग्रंक 5] षष्टम विधान सभा के पंचम सत्र का पांचवा दिवस [संख्या 5

शुक्रवार

दिनांक, 2 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री मूलचन्द सामरिया।

राज्य में सीमेंट की कमी

71. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में सीमेंट की भारी कमी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस कमी को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री बिरदमल सिंघवी) : केन्द्र सरकार से राज्य की आवश्यकतानुसार सीमेंट का आवंटन प्राप्त न होने के कारण राज्य में सीमेंट की कमी है। कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को अधिकारी स्तर, मंत्री स्तर एवं मुख्य मंत्री स्तर से अ.शा. पत्र लिखे गये परन्तु सीमेंट की देश व्यापी कमी के कारण आवश्यकतानुसार सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) अब तक क्या प्रयत्न किये हैं ? आपने पत्र ही लिखे हैं या कभी देहली जाकर भी बात की है ?

श्री बिरदमल सिंघवी : पत्र भी लिखे हैं और भी प्रयास किये हैं। पिछली बार 1 लाख 41 हजार टन का कोटा अलाट हुआ था जनवरी से मार्च की अवधि के लिये। इस वर्ष अप्रेल से जून की अवधि के लिए हमें 1 लाख 55 हजार टन का कोटा अलाट हुआ है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सीमेंट के अभाव में राजस्थान के अन्दर कई डवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। जब किसान फसल में लग जायेगा, तब आप सीमेंट देंगे तो उसका क्या उपयोग होगा ?

श्री नूरा (मसूदा) : जो कोटा दिया गया है, वह पर्याप्त है या और भी जरूरत पड़ेगी ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : 1,55,000 टन के अन्दर राजस्थान नहर

(2)

(श्री रामकृष्णदासगुप्ता)
परियोजना में जो सीमेंट काम में आता है वह भी शामिल है क्या? वह तो एक राष्ट्रीय योजना है। दूसरा, क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही अनुपात से सीमेंट दिया जाता है, या शहरी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : राजस्थान के पड़ोसी प्रांत गुजरात में कोई सीमेंट की कमी नहीं है। बोर्डर के जिले हैं, सिरोही और जालौर, मुझे मालूम है, गुजरात में सीमेंट खुली मिलती है। आपने जो अभी कोटा बताया उससे राजस्थान का गुजारा नहीं होने वाला है। कम से कम ढाई लाख टन सीमेंट हो तो काम चल सकता है। राज्य सरकार इसके लिए क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत झुंझुनूं और सीकर जिले में जो काम चल रहे हैं, वह भी सीमेंट न मिलने के कारण सफर कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सारे राजस्थान में यही हालत है।

श्री नवरंग सिंह : मैं पूछना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह काम नहीं रुके? इसके लिए माननीय मन्त्री को तत्काल व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : सीमेंट की कमी उसी वक्त होती है जिस समय किसान को आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि आज भी सीमेंट ब्लेक में तो चाहे जितनी मिल जाती है। कमी तो केवल निर्धारित दर पर मिलने की है। क्या सरकार का इस ओर ध्यान है? यदि ध्यान है तो इसको रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर आने दीजिये। क्या राजस्थान और गुजरात के कोटा में अन्तर है? राजस्थान में जो सीमेंट वितरण की व्यवस्था है, वह क्या गुजरात के बराबर नहीं है? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : वह मोरारजी भाई का प्रांत है, अध्यक्ष महोदय। प्रधानमन्त्री का प्रांत है।

श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : डूंगरपुर जिले में पी.डब्ल्यू.डी. और सिंचाई विभाग के काम सीमेंट की कमी के कारण रुके हुए हैं। क्या आप उनकी सीमेंट की जरूरत पूरी करेंगे?

श्री बिरदमल सिंघवी : सीमेंट का इतना कोटा मिलने के बाद भी सीमेन्ट की कमी रहेगी। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं, राजस्थान को जितनी सीमेंट मिलनी चाहिये, उतनी नहीं मिल पा रही है। वैसे तो सीमेंट की कमी देशव्यापी है और अकेले राजस्थान की बात नहीं है। पिछली बार फूड और सप्लाइज मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें सभी मन्त्रियों ने सीमेंट की कमी की शिकायत की थी। यह भी सही है कि हमारी काम के बदले अनाज की योजनाएं और डवलपमेंट के कार्य सीमेंट की कमी के कारण सफर कर रहे हैं, लेकिन यह कमी देशव्यापी है, इसको पूरा करने में हम समर्थ नहीं हैं। जितना हमको कोटा प्राप्त होता है वह परमिट प्रणाली से दे रहे है। कुछ शिकायतें कम भी हुई हैं। अब अधिक कठिनाई नहीं रही है। जो कुछ भी कोटा

(श्री बिरदमल सिंघवी)
प्राप्त हुआ है वह अच्छी तरह वितरित कर रहे हैं। राज्य सरकार और भी प्रयत्न कर रही है, और भरसक प्रयत्न कर रही है कि अधिक से अधिक सीमेंट मिले।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान कैनाल में जो सीमेंट काम में आ रही है, वह भी इस कोटा में शामिल है क्या या वह अलग है? राजस्थान नहर परियोजना तो एक राष्ट्रीय परियोजना है। उसमें हजारों टन सीमेंट खर्च होती है। अगर वह शामिल है तो उसको आप अलग करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास : गुजरात में सीमेंट खुली मिलता है और खूब मिलती है, लेकिन राजस्थान में नहीं मिलती। गुजरात और राजस्थान में अन्तर है। गुजरात की तुलना में राजस्थान को भी मिले, इसके लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण दास गुप्ता और माननीय रघुनन्दन व्यास के सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का मन्त्री महोदय उचित समझें तो उत्तर दें।

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुजरात का प्रश्न उठाया गया है वितरण व्यवस्था मे किसी प्रकार की कमी नहीं है। गुजरात में एडीशनल सीमेंट केवल बोर्डर पर दी जाती है इसलिए आपको ऐसा लगता है। बाकी मैं समझता हूं गुजरात में भी कमी है और स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान कैनाल के लिए सीमेंट की कमी नहीं आ रही है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय शहरी कोटे को 6 माह के लिए बन्द करके सम्पूर्ण कोटा गांवों में वितरण करेंगे और उसे फूड फार वर्क के काम में लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बिरदमल सिंघवी : यह सम्भव नहीं होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : आप कटौती कर दीजिए, अध्यक्ष महोदय, नहीं तो गांवों में स्कूलों के फर्श, औषधालयों के फर्श, नालियों का काम कैसे होगा। गांवों में फूड फार वर्क में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं ....

(व्यवधान)

हमने पहले कभी कटौती के लिए नहीं कहा। 30 साल बाद गांवों में अब काम शुरू हुआ सो क्या वे काम अधूरे रह जायेंगे? उसकी पूर्ति कौन करेगा, कैसे होगी ?

श्री एच. एन. शर्मा (केगू) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कटौती करना सम्भव नहीं है। शहरों में सब काम सरकार करा रही है, सड़कों पर सड़कें, नालियों पर नालियां, लेकिन गांवों में जरूरत है वहां सरकार करने को तैयार नहीं है तो फिर गांवों का विकास किस तरह संभव होगा ? यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम आधे से अधिक काम सीमेंट के अभाव में अधूरे पड़े हैं। क्या मन्त्री महोदय कृपा करेंगे कि वहां भी सीमेंट उपलब्ध कराई जायेगी ?

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देहाती और शहरी क्षेत्र में सीमेंट के अलाटमेंट का क्या आधार है। यह भी बताने की कृपा करें कि क्या काले बाजार में सीमेंट काफी मात्रा में उपलब्ध है?

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो कमी सीमेंट की अपने प्रदेश में चली आ रही है, उस कमी की पूर्ति करने के लिए क्या सरकार ने निजी सीमेंट प्लान्ट की कोई योजना बनाई है?

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सीमेन्ट आपकी कन्ट्रोल प्राइस पर नहीं मिलती। दूसरे वही सीमेंट ब्लेक में चाहे जितनी लो। वह कहां से आ जाती है? जो सीमेंट के डीलर हैं वे 5-7 किलो सीमेंट कम कर देते हैं। तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो आपने पत्र-व्यवहार किया है वह किस भाषा में है? किसान और गरीब आदमियों के कामों को अधूरा छोड़ दिया, क्या यह भावना आपके पत्रों में आई है? क्या आपने उसी तरह इसको डील किया है? आज कितनी परेशानी गरीब लोगों को है। इसी तरह करोड़ों रुपयों का अनाज काम के बदले अनाज योजना में दिया जा रहा है। वह काम भी सीमेन्ट के अभाव में बेकार हो रहे हैं। इससे तो सारी योजना ही खतम हो जायेगी। इस बात को सदन में क्यों नहीं बताना चाहते हैं? मैं चाहता हूं सदन के हर सदस्य को यह जानकारी मिल जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष ; भाषण नहीं दें।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : मै माननीय मत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, सीमेंट का अलाटमेंट फैक्ट्रियों की क्षमता के अनुसार किया जाता है या नहीं? आपको मालूम है ब्यावर में सबसे ज्यादा सीमेन्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज हैं। सीमेंट उनकी क्षमता के अनुसार नहीं दी जा कर केवल 25 प्रतिशत ही दी जाती हैं, इससे साल भर में चार महीने फैक्ट्रियां चलती है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने स्पेशल कोटा एक हजार टन का अलॉट करने के लिये विभाग को लिखा था लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है।

श्री अयूब खाँ (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, आज चीनी पर से कन्ट्रोल हटाने से चीनी बाजार में उचित कीमत पर मिल रही है। इसी तरह मेरा निवेदन है, सीमेंट पर से भी कन्ट्रोल हटा लें तो यह भी बाजार में उचित कीमत पर मिलने लग जायगी।

श्री बिरद मल सिंघवी : माननीय सदस्य यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हम जिलों के अनुसार सीमेंट का वितरण कर देते हैं और जिलाधीश महोदय को उसी अनुसार निर्देश भेज देते हैं।

(व्यवधान)

यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सीमेंट पहले कम मिलती थी लेकिन अब आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का कोटा भी बढाया गया है। अब गांवों में सीमेंट पहले से अधिक मिलती है। और भी प्रयास करेंगे कि अधिक मिले। लेकिन यह बात

(श्री बिरद मल सिंघवी)
सही है कि सीमेंट की मांग सब जगह से है। शहर वाले कहते हैं, हमें धर्मशालायें बनवानी हैं। हमें स्कूल और औषधालय बनवाने हैं। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया कि सीमेंट की वास्तव में कमी है। उसी कमी के कारण कठिनाई आ रही है। मात्रा हमने जो पत्र में लिखी है........

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : आपने अभी फर्माया कि ग्रामीण क्षेत्रों को सीमेंट अधिक दी जा रही है तो क्या आपने 50 प्रतिशत देने के कोई निर्देश दिये हैं ?

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 50 प्रतिशत की बात कही। मैं कहता हूं जनसंख्या के हिसाब से अलाट कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। यह क्या बात हुई ? यह सीमेंट का अलाटमेंट जनसंख्या के आधार पर किया जाय। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वे मिट्टी में बैठते हैं—बिना फर्श के। उन बच्चों के बैठने के लिये फर्श नहीं बनवा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जनसंख्या के आधार पर अलाटमेंट करने की घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में। आज गांवों की जब मांग भी ज्यादा बढ़ी हुई है तो क्यों नहीं जनसंख्या के आधार पर सीमेंट का वितरण किया जाता है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री बाल कृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां नमक रिण में खोदे जाने वाले हजारों कुओं के लिए सीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां सीमेंट क्यों नहीं दी जाती है ? इस बारे में मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी तहसील में कार्यरत हजारों नमक कुओं पर जनता ने करीब 20 करोड़ रुपयों की निजी पूंजी लगा रखी है। सरकार की ओर से रिण अनुदान नहीं मिला है। मगर हमारे क्षेत्र के एक मात्र इस नमक उद्योग के लिए सरकार ने अभी तक औद्योगिक सीमेंट का कोटा तक निर्धारित करने का कष्ट नहीं किया है। अतः कृपया इसके लिए जल्द से जल्द औद्योगिक सीमेंट कोटा निर्धारित करने की अनुकम्पा करें ताकि सीमेंट के अभाव में नये नमक कुवे बनवाने और उनके माध्यम से नमक उत्पादन में होने वाली अभिवृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न आये।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने कार्य विकास अधिकारियों के मार्फत जिलाधीशों की जानकारी में ला दिये हैं। जिलाधीशों की जानकारी है कि किस सरपंच को, किस ग्राम पंचायत को कितनी सीमेंट की आवश्यकता है। जिलाधीशों से मंत्री महोदय जानकारी कर लें कि जिन गांवों में काम के बदले अनाज योजना चल रही है उनमें कितनी सीमेंट चाहिए। उनको जो सीमेंट चाहिए उसका अलाटमेंट करने के बारे में सरकार विचार रखती है ? क्या कार्यवाही करने जा रही है, इसको कृपा करके स्पष्ट करें। जिलाधीशों को जानकारी है, विकास अधि-

(श्री एच. एन. शर्मा)
कारियों को जानकारी है। क्या मैं यह मान कर चलूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जिलाधीशों के माध्यम से जानकारी करने में असफल हो रही है? और जानकारी करने में सफल नहीं हो रही है तो क्यों, मंत्री महोदय यह बतावें?

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण न दें।

(व्यवधान)

अब बहुत अदब के साथ, माननीय मंत्री महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछूंगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि राजस्थान में करोड़ों करोड़ो रुपयों का ब्लेक मार्केट सीमेंट के व्यापार में चल रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपयों का सीमेंट अण्डर ग्राउण्ड जा चुका है? करोड़ों रुपयों के सीमेंट को बाहर निकालने के लिए सरकार के हाथ कितने लम्बे हैं? क्या सरकार सक्षम नहीं है?

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा........

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि सीमेंट की कमी है। जहां तक ब्लेक मार्केट की बात, है, मैं नहीं जानता कि यह मसला कितना गहरा है। जब स्पेसिफिक कोई इस प्रकार की बात आती है........

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो फिर क्या मसला बाकी रह जाता है? आसन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया गया फिर कौन सा मसला रह जाता है.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि सीमेंट की क्या हालत हो रही है........

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : मंत्री महोदय गोलमाल जवाब देकर प्रश्न के सही उत्तर को टालना चाहते हैं। आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि वह सीधा जवाब दें। हम सीधा जवाब चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सरकार की विवशतायें हैं तो मैं क्या करूं?

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने उत्तर फर्मा दिया वह तो मंजूर है लेकिन मंत्री महोदय जनसंख्या के आधार पर अलाटमेंट करने में आनाकानी क्यों करते हैं? क्या यह जानने का हमारा हक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : जब तक एम. एल. ए. रहते हैं तब तक तो इनको पता रहता है और मंत्री बनते ही भूल जाते हैं, इनको जानकारी नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। 25 मिनट हो गए हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : 25 मिनट क्या एक घण्टा पूरा हो जावे। यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसका समाधान होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 25 करोड़ के काम धूल में मिल जायेंगे। उनको धूल में मिलने से रोकने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : सारी समस्या पर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : गृह मन्त्री जवाब देना चाहते हैं।

(श्री सम्पत राम) गृहमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की यह भावना काफी महत्व रखती है कि हमारे गांवों में जनसंख्या के आधार पर और विकास के जो काम हो रहे हैं उनके लिए सीमेंट का आंवटन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सरकार इस भावना पर विचार करेगी और कुछ न कुछ कोटा बढ़ा कर आवश्यकता को देखते हुए इसको पूरा करेगी।

जहां तक ब्लेक मार्केट में सीमेंट मिलने का मामला है, सीमेंट में ब्लेक काफी वर्षों से चल रहा है.......

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : इसीलिए इस वक्त भी चालू रखना जरूरी है। ब्लेक की सेहत ठीक रहे इसलिए इसको चालू रखना जरूरी है ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : ब्लेक को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाया है ?

श्री रतनलाल वर्मा : पूरा बोलने तो दीजिए।

श्री सम्पतराम : इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कुछ दिनों पहले जो व्यवस्था थी सीमेंट वितरण की उसको राज्य सरकार ने बदल कर यह कोशिश की थी कि हमारे गांवों में सीमेंट का वितरण हमारी सहकारी समितियों के माध्यम से हो। उस निर्णय के खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के निर्णय के कारण गवर्नमेंट की नीति पर पूर्ण रूप से अमल नहीं हो सका। सरकार फिर कोशिश करेगी कि हमारी सहकारी समितियों के माध्यम से सीमेंट का वितरण हो। सरकार की मान्यता है कि सीमेंट का ब्लेक मार्केटिंग तभी कम होगा जब इसके वितरण की व्यवस्था सरकार के हाथ में हो या सहकारी समितियों के माध्यम से हो....

(व्यवधान)

मंत्री, संसदीय कार्य (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : जवाब तो पहले पूरा सुन लो।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अलाटमेंट करने में क्या दिक्कत है ? जनसंख्या के आधार पर अलाटमेंट करने की बात क्यों नहीं मानते ? विचाराधीन का प्रश्न नहीं है। स्पष्ट नीति है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री ईश्वर चन्द्र।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि आज बड़े-बड़े सीमेंट के उद्योगपतियों ने स्टाकिस्ट अपोइन्ट किए हुए हैं। वे स्टाकिस्ट ब्लेक मार्केटिंग करते हैं जब कि सरकार द्वारा उनको हटाने का कानून में प्रावधान है। अगर ब्लेक मार्केटिंग हटाना है तो जब तक बड़े उद्योगों के ऊपर नियन्त्रण नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे कि यह जो स्टाकिस्ट हैं, नीचे कस्बे के लेवल तक इन पर नियंत्रण नहीं हो तब तक ब्लेक मार्केटिंग बन्द नहीं होगा। इसलिए कृपया खाद्य मन्त्री महोदय जवाब दें कि इस बारे में सरकार सोचती भी है या नहीं ?

श्री बहादुरसिंह : माननीय गृह मन्त्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं है इसलिए मैं एक प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूँ। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि देहातों को कितना कोटा दिया जाएगा और शहरों को कितना कोटा दिया जाएगा ? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि कुछ न कुछ बढ़ाया जाएगा। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उनकी नीयत क्या है ? कितना कोटा देहातों का बढ़ाना चाहते हैं ? सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि कितना कोटा देहात को और कितना शहर को दिया जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : जैसा आपने बताया........

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में और चर्चा नहीं होगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : आपकी आज्ञा से एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई सवाल नहीं। श्री गुरुशरण छाबड़ा।

आसन पैरों पर है। No more discussion now.

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से जानकारी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा।

राज्य में बिक्री कर

72. **श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या प्रदेश में बिक्री कर समाप्त कर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का राज्य सरकार का इरादा है ? क्या इस सम्बन्ध में किसी कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विचार चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक सभा में

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)
घोषणा की थी कि सैल्स टैक्स माफ करने का मामला राज्यों का है। राजस्थान सरकार सैल्स टैक्स माफ करने को तैयार है लेकिन अन्य कांग्रेस सरकार वाले स्टेट्स तैयार नहीं हैं। यदि आप तैयार हैं तो आपने इस सम्बन्ध में किसी कमेटी का गठन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्यों नहीं किया ?

श्री कौशल किशोर जैन : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या दो साल का समय पर्याप्त नहीं है विचार करने के लिए ? अगर विचार ही चल रहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह विचार कब तक पूरा होगा ? क्या जनता पार्टी की सरकार के पांच साल विचार करने में ही निकल जायेंगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : बदल दीजिए इनको।

श्री भंवरलाल ऐरन : जनता पार्टी की यह घोषित नीति है कि बिक्री कर बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। क्या जनता सरकार इस पर अभी भी दृढ़ है ? स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, बिक्रीकर समाप्त करने के बजाय एक पर्सेंट और बढ़ा दिया गया है। यह क्या नीति है, मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय नशाबन्दी पर जितना जोर देते हैं अगर उतना जोर सैल्स टैक्स समाप्त करने पर देते तो राजस्थान की जनता इनकी बहुत ही सराहना करती। आपने जो कमेटी बनाई है वह किस काम के लिए बनाई है ? जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ। कमेटी को जो रेफरेन्स दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि सैल्स टैक्स को समाप्त करने के बारे में हम ने कमेटी बनाई है। वित्त मन्त्री जी कृपया स्पष्ट करें कि वह कमेटी किस काम के लिए बनाई गई है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह नकली कमेटी है जिसके आप सदस्य हैं।

श्री नूरा : यह आपकी राय जानने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी की घोषणा मुख्य मन्त्री ने की थी।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी यह प्रश्न किया था। सैल्स टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में आपने यह फर्माया था कि इसके लिए गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने एक भा कमेटी नियुक्त की है। वह कमेटी इस सारे मामले पर विचार करके रिपोर्ट देगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भा कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है ?

मन्त्री महोदय, जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी।

दूसरी बात यह पूछना चाहता हूँ कि जो अभी वित्त मन्त्री महोदयों की कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें राज्य सरकार ने सैल्स टैक्स को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं या नहीं दिए हैं ? यह बता दीजिए तो राज्य सरकार की सैल्स टैक्स समाप्त करने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
की मंशा है या नहीं, इस सम्बन्ध में उसकी नीयत साफ हो जाएगी। आपने वहां पर क्या सुझाव रखे ? आपने केन्द्रीय सरकार को सैल्स टैक्स समाप्त करने के लिए अपनी सहमति दे दी है या नहीं दी है ? उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, इस बारे में बता दीजिए ?

श्री बालकृष्ण थानवी : हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कई दफा यह सार्वजनिक घोषणा की है कि हमने हमारे चुनाव घोषणा-पत्र की रोशनी में राज्य से सैल्स टैक्स हटाने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेज दी है अतः कृपया यह बतायें कि सैल्स टैक्स को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने क्या सिफारिश भारत सरकार को की है ? चूंकि आप मन्त्रिमण्डल में वित्त मन्त्री हैं, आपको इसकी अवश्य जानकारी होगी। अगर यह झूंठी बात है-तो क्यों कही गयी ? यह बताने की कृपा करें।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सैल्स टैक्स को समाप्त करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। यह एक बार नहीं, अनेक बार सवाल आया है। यह ठीक है, जनता पार्टी ने चुनाव के समय चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि यदि हमारी राज्य और केन्द्र में सरकारें बनती हैं तो हम सैल्स टैक्स को समाप्त करेंगे। इसके बाद केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को लिखा गया था और राज्य सरकार ने केन्द्र के ऊपर सब बात छोड़ दी थीं, क्योंकि यह मामला एक राज्य का नहीं था यह पूरे देश का मामला था। यह भी ठीक है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था लेकिन वह कमेटी सैल्स टैक्स बंद करने के लिए नहीं बनाई गई थी....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने यह सदन में कहा था।

श्री आदित्येन्द्र : सुन लीजिए। वह कमेटी इनडाइरेक्ट टैक्सेशन एडवाइजरी कमेटी थी। वह कमेटी इस पार्टी की सरकार बनने के पहले ही बना दी गई थी। उसके बाद इस कमेटी ने अक्टूबर, 77 में अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन उस कमेटी ने कोई कम्पलीट या वैकल्पिक सिफारिश नहीं की है। यह नहीं कहा कि सैल्स टैक्स को खतम कर दिया जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था कर दी जाए। ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी। वह सिफारिश केन्द्रीय सरकार को पेश हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को इस कमेटी की रिपोर्ट भेजी और हरएक राज्य ने अपने अपने विचार उस सम्बन्ध में प्रकट किए। हमारी राज्य सरकार ने भी उस पर विचार किया और यह केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी है। इसलिए केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया। जहां पर जनता पार्टी की सरकारें नहीं थीं, वहां से काफी एतराजात किये गए। उनके एतराज करने के बाद अभी तक केन्द्रीय सरकार कुछ भी इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले पाई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सिर्फ दो प्रान्त, आन्ध्र और कर्नाटक, में सरकारें हैं बाकी सभी जगह जनता पार्टी की सरकारें हैं। वेस्ट बंगाल और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मद्रास में आपकी सरकारें नहीं हैं। सब जगह आपका बहुमत है। केन्द्र में भी जनता पार्टी की सरकार है। फिर क्या कारण है कि आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकारें दो जगह हैं। सी. पी. एम और सी. पी. आई की सरकारें दो जगह हैं। आप सैल्स टैक्स को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। आपने यह स्पष्ट घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में आपने झूठा वायदा किया था। आप सैल्स टैक्स को समाप्त करने वाले नहीं हैं

श्री नूरा : आपने यह वायदा किया था कि जनता पार्टी का शासन आ जाएगा तो सैल्स टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। अब आप इस वायदे से हट रहे हैं। जहां-जहां जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर आपको क्या दिक्कत है? आपने अपने घोषणा पत्र में यह क्यों कहा?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जनता पार्टी की सरकार सैल्स टैक्स समाप्त करना नहीं चाहती है। केवल जनता को गुमराह कर रही है। आपने यह झूंठा वायदा क्यों किया?

श्री गुरु शरण छाबड़ा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी कमेटी का आपने वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए गठन नहीं किया है तो माननीय भटनागर किस कमेटी के सदस्य हैं? इस कमेटी का गठन क्यों हुआ? क्या यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि वह कौनसी कमेटी थी? यदि इस सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कोई कमेटी नहीं बनाई गई तो क्या अब ऐसी कमेटी का गठन करने का इरादा सरकार रखती है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उल्टा एक पर्सेंट सैल्स टैक्स बढ़ा दिया है। शर्म नहीं आती गलत बात कहते हुए।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि वह कौनसी कमेटी है जिस कमेटी के सदस्य माननीय भटनागर साहब हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस कमेटी का नाम सैल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी है। वह कमेटी सैल्स टैक्स को समाप्त करने के लिए नहीं बनाई गई है।....

कई माननीय सदस्य : वह सैल्स टैक्स बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या भटनागर साहब ने सैल्स टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है?

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : क्या मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार से नशाबन्दी के लिए स्टेटमेन्ट दिया है, उसी प्रकार सैल्स टैक्स को समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे....

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या राज्य सरकार का सैल्स टैक्स को समाप्त करने का इरादा है?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या माननीय भटनागर साहब ने सैल्स टैक्स बढ़ाने की बात कही है, सिफारिश की है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : जिस कमेटी का गठन किया गया था....

श्री अध्यक्ष : वह तो एडवाइजरी कमेटी थी।

श्री ईश्वरचन्द्र : उस कमेटी की एडवाइस यह भी है कि सैल्स टैक्स समाप्त किया जाए, सैल्स टैक्स का सरलीकरण किया जाय, और छोटी-छोटी दुकान वालों को तुरन्त ही इससे मुक्त किया जाए। यह हमारी कमेटी ने कहा है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि सैल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी बनी थी उसके द्वारा अभी जो सैल्स टैक्स लगाया गया है उस सम्बन्ध में क्या राय दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष : एडवाइजरी कमेटी की राय सरकार स्वीकार करे ही, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है।

नैक्स्ट। श्री माधोसिंह

73. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में गटर लाइन का निर्माण कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है ? अगर हां, तो कितनी धन राशि किस-किस प्रकार ऋण आदि के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग को दी जा चुकी है और भविष्य में किस प्रकार दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कथित गटर लाइन की योजना नगरपालिका क्षेत्र के लिए क्या है ? योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जोधपुर नगरपालिका के वर्तमान वार्ड 5,6,7 में गटर लाइन का निर्माण कब होगा ? यदि आगामी दो वर्षों में नहीं होगा, तो क्यों ?

(4) महामन्दिर, जालिमसिंहजी का हत्था, आकाशवाणी क्षेत्र (लाल मैदान) और खेजड़ला हाउस क्षेत्र में गटर लाइन का निर्माण कब होगा ? यदि आगामी दो वर्षों में नहीं होगा, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हाँ, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) गटर लाइन योजना जोधपुर भाग प्रथम की तकनीकी स्वीकृति कुल 133 लाख की दी गई है। स्वीकृत योजना में लिए गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में गटर लाइन डालने की एक वृहद् योजना बनाई गई है जिसमें सभी वार्डों में गटर लाइनें डालने का प्रावधान है। स्वीकृत प्रथम भाग में मुख्य मुख्य गटर लाइनें डालने का प्रावधान है।

(4) क्योंकि यह क्षेत्र स्वीकृत योजना में शामिल नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पूरी योजना मांगी है तो एक कागज, जो काम स्वीकृत किये गये हैं उनका पन्ना मुझे क्यों दिया गया है ? क्या योजना पूरे नगरपालिका क्षेत्र में है या आधे में है ? अगर पूरे में है तो प्रश्न (4) में मैंने जो वार्ड नं. दिये हैं और क्षेत्र बताये हैं वह क्षेत्र योजना का जो प्रथम भाग है उसमें क्यों नहीं लिये गये और दूसरा भाग कहां है ? सारी योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गई ? क्या योजना में कोई तकनीकी खामियां हैं ? क्या इसी कारण सदन की मेज पर योजना की प्रति रखने के लिए डिपार्टमेंट अपने आपको पीछे छिपा रहा है ? मैं चाहूंगा कि योजना की पूरी प्रतिलिपि सदन की बैठक का समय समाप्त होने तक सदन की मेज पर रखें। दूसरे, यह जो वार्ड नं. 5,6,7 हैं और यह जो महामन्दिर का क्षेत्र, आकाशवाणी, पावटा, जालिमसिंह जी के हत्थे का क्षेत्र है इनमें क्या योजना प्रथम भाग में स्वीकृत की जा सकती है ? क्या दो साल में काम हाथ में लिया जा सकता है ? अगर नहीं लिया जा सकता है, तो क्यों ?

श्री महबूब अली : जोधपुर नगरपालिका की एक बड़ी योजना गटर लाइन की 7½ करोड़ की लागत की बनाई गई है। इस योजना का प्रथम भाग, जिसमें गटर की मेन लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, 133 लाख रुपये का है। इसमें बाद में छोटी-छोटी लाइनें आकर मिलेंगी और वह मेन लाइन सारे गन्दे पानी को बाहर निकालेगी। इस प्रथम भाग का कार्य चल रहा है। 133 लाख रुपये की योजना के प्रथम भाग में जितनी जितनी सीवरेज लाइन आई हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इसके अलावा विस्तृत योजना ये चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे से मालूम कर लेवें। मैं माननीय सदस्य को बताने के लिए तैयार हूं, आपसे छिपाने की कोई बात नहीं है। वह बड़ी स्कीम है, 7½ करोड़ की पूरी स्कीम है उसके तो अनेक एक्सट्रेक्ट भी निकले हैं। 133 लाख रुपये की जो योजना है उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में दो साल में निर्माण करने के लिये मैंने आपसे निवेदन किया है उनका न तो कोई सर्वे हुआ है और न लाइन लगाने की कोई संभावना है। यह किस प्रकार की योजना है ? जब आप कह रहे हैं तो उसकी रूपरेखा तो बताइये। पूरे नगरपालिका क्षेत्र में लाइन डालनी है और योजना का प्रारूप भी नहीं बनाया जाता है यह कैसी बात कर रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। पर्याप्त है, माननीय सदस्य। श्री गंगासहाय।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह पर्याप्त नहीं है, श्रीमान्। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 133 लाख की योजना जो बताई है उसमें साढ़े सात करोड़ की वृहत योजना है जिसकी 2–3 साल से रूपरेखा नहीं बनी और आप, श्रीमान्. बता रहे हैं कि पर्याप्त है। मैं नागरिकों को क्या कहूं ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (डा. हरिसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना है कि रूपरेखा नहीं बनी है, योजना नहीं बनी है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य शंका का समाधान करने के लिये मेरे से या महबूब अली जी से बात कर लें। इनको संतोष कल दिला दिया जायेगा। पहले मेन लाइन डालेंगे हर जगह प्लानिंग के हिसाब से, फिर उसको टुकड़ों में जोड़ा जायेगा। एक साथ ही इतना वित्त उपलब्ध नहीं है कि सारा काम एक साथ करा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं विवश हूं। सरकारी उत्तर पर्याप्त है।

प्रश्न संख्या 74

श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुनन्दन व्यास : नही है।

प्रश्न संख्या 75

श्री **अध्यक्ष** : श्री सुरेश कुमार, माननीय सदस्य सुरेश कुमार जी ने विथा कर लिया, सूचना मिल चुकी है।

प्रश्न संख्या 76

श्री सूरजपाल सिंह

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 77

श्री मूल चन्द डागा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

ग्राम पंचायत मोहनपुरा के भू. पू. सरपंच द्वारा अनुदान के रूप में ली गई राशि

78. **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत मोहनपुरा, पंचायत समिति इटावा के भूतपूर्व सरपंच श्री तेजमल गुप्ता के कार्यकाल में उन्होंने किन-किन कार्यों हेतु पंचायत समिति इटावा से कितनी धनराशि भुगतान के अनुदान के रूप में प्राप्त की तथा खर्च की ? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पंचायत समिति इटावा से विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशि का उपयोग क्या उन्हीं कार्यों पर सही रूप से हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या उक्त कार्यों में कहीं गबन तथा घोटाला नजर आया ? यदि हां, तो क्या उन पर कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायत मोहनपुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री तेजमल गुप्ता के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच करायेगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करेगी ?

पंचायत मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित करने की प्रार्थना है।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री **कौशल किशोर जैन।**

राज्य की सहकारी संस्थाओं के चुनाव

79. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कौशल किशोर जैन)

(1) राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में कितनी सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब-कब कराये हैं ?

(2) राज्य में किन किन सहकारी संस्थाओं में प्रशासक कार्यभार संभाले हुए हैं ?

(3) राज्य में सम्पूर्ण सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाली) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना नहीं मिली है इसलिये इसको स्थगित करने की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

श्री हरजीराम बुरड़क। 82।

क्षमा करें. श्री बंशीलाल सारस्वत।

प्रश्न संख्या 80

राज्य के मुख्यालयों पर जिला न्यायाधीश न्यायालय

80 श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने जिला मुख्यालयों पर सत्र जिला न्यायाधीश का न्यायालय न होकर अन्यत्र है ?

(2) क्या राज्य सरकार अन्य स्थानों की तरह एकरूपता लाने का कोई प्रयास कर रही है ?

विधि मंत्री (श्री बिरदमल सिंघवी) : (1) राज्य में नागौर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ जिलों के जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय जिला मुख्यालय पर न होकर अन्य जगह हैं।

(2) जी नहीं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, जैसे मेड़ता में सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थित है, नागौर जिले में स्थित है और इसी तरह बाड़मेर जिले में स्थित है तो जो 9 अपर सत्र जिला न्यायाधीश के न्यायालय के बारे में सरकार विचार कर रही है क्या वहां न्यायालय की स्थापना पर विचार किया जायेगा ?

श्री बिरदमल सिंघवी : नये न्यायालय खोलने के वक्त विचार किया जायगा।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन है माननीय कानून मंत्रीजी से। क्या राजस्थान में एक ऐसा जिला भी है जहां सैशन्स कोर्ट नहीं है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित करेंगे ? हाई कोर्ट का डिसीजन भी है खोलने के लिए तो इस पर विचार कितने महीनों में करेंगे

श्री बिरदमल सिंघवी : वहां पर कार्य अधिक नहीं है इसलिए नहीं खोला गया है। फिर भी आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में 6-6 न्यायालय है वह किराये के मकानों में बैठे हैं और उनके लिए कोई सरकारी भवन

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
नहीं है । क्या उनके लिए भवन बनवाने की व्यवस्था करेंगे ? हनुमानगढ़ जंक्शन एक बहुत इम्पार्टेंट जगह है ? एक सिविल जज एक ए. डी. जे., 4 मुन्सिफ मजिस्ट्रेटस हैं लेकिन वहां पर कोई सरकारी भवन नहीं है और वह किराये के मकानों में बैठे हैं ।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय मंत्री जी का यह उत्तर कि वहां पर केस वर्क नहीं हैं, सन्तोषजनक नहीं है । यह एरोनियस रिप्लाई है, क्योंकि जिला न्यायालय का हैड क्वार्टर जोधपुर में है जहां से वहां के गांव 300-350 मील की दूरी पर हैं । यह एक एक्सेपशनल ड्रिस्ट्रिक्ट है । हाई कोर्ट की रिकमन्डेशन पर भी वहां पर सैशन्स कोर्ट नहीं है जो कि होना चाहिए । मुझे आप उत्तर दें कि वहां पर सैशन्स कोर्ट स्थापित करने का इरादा ही नहीं रखते हैं और हाई कोर्ट की रिकमन्डेशन्स आने के बाद भी फाइनेन्शल सैंक्शन नहीं देंगे ?

श्री बिरदमल सिंघवी : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने कहा, हाई कोर्ट से इसको फिर एग्जामिन करा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री नूरा

श्री किशनसिंह भाटी . अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूं । हाई कोर्ट की रिकमन्डेशन है इस बारे में मेरी बातचीत हुई है स्वयं मंत्री महोदय से और हाई कोर्ट की आथोरिटीज से । उन्होंने मुझे ऐसा बतलाया है कि हमारी तरफ से रिकमन्डेशन हैं । इसलिए आपने यह जो कहा है कि रकमन्डेशन नहीं हैं इसको मैं सही नहीं मानता हूं । हाई कोर्ट की रिकमन्डेशन हैं, हाई कोर्ट आथोरिटीज को फाइनेन्शल सैंक्शन स्टेट दे दे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी सस्ता सुलभ न्याय मिल सके । वह एक एक्सपेशनल डिस्ट्रिक्ट क्यों रहे सैशन्स कोर्ट के मामले में इस बारे में ? आप उत्तर देते हैं ?

श्री बिरदमल सिंघवी : वहां से हमारे पास कोई नहीं आया है ।

श्री किशनसिंह भाटी : नहीं है, मैं सन्तुष्ट हुआ ।

श्री अध्यक्ष । श्री नूरा ।

राज्य की शहरी एवं ग्रामीण पेय जल योजनाएं

81 श्री नूरा (मसूदा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार ने शहरों अथवा गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी से वित्तीय सहायता मांगी है ? यदि हां, तो किस किस एजेन्सी से कितनी कितनी सहायता किन किन योजनाओं के लिए मांगी गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या राज्य सरकार ने प्रश्न के भाग (1) में उल्लिखित योजनाओं हेतु विश्व बैंक अथवा अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी से वित्तीय सहायता लेने के लिए

(श्री नूरा)

कोई समझौता किया है ? यदि हां, तो वह समझौता कब किया गया और समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ? कृपया समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) राज्य सरकार पेय जल समस्या के समाधान हेतु विश्व बैंक संस्थान से लगभग 177 करोड़ का ऋण लेने का प्रयास कर रही है जिसके लिए बनाई गई परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(2) जी नहीं।

श्री नूरा : अगर प्रयास किया गया है तो यह रकम कब तक प्राप्त हो जायेगी और इस योजना की कब तक पूर्ति हो जायगी ?

श्री महबूब अली। मैंने निवेदन किया कि इसके लिए बातचीत चल रही है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि 3–4 दफा आ चुके हैं। फाइनलाइजेशन हो रहा है। परियोजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और डिटेल्स वर्क आउट किये जा रहे हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट आफ इंडिया की मार्फत यह सारे उनके पास जायेंगी और जब अन्तिम स्वीकृति मिलेगी तब ली जायेंगी।

श्री नूरा। विश्व बैंक के अलावा किसी और संस्था से भी समझौता हुआ है ?

श्री महबूब अली : समझौता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरडक।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने यह घोषणा की है कि तीन वर्षों के अन्दर प्रत्येक गांव को पीने का पानी उपलब्ध करायेंगे। उसके आधार पर 200 करोड़ रुपया विश्व बैंक से लोन लेना बताया था। क्या यह बात सत्य है ?

श्री बन्सी लाल सारस्वत (नागौर) : माननीय मन्त्री महोदय यह जानकारी देने की कृपा करें कि विश्व बैंक से 200 करोड़ रुपयों का ऋण लेने की बात की बात की गई थी लेकिन विश्व बैंक ने वह इसलिए नहीं दिया क्योंकि निगम विधिवत् नहीं बन सका, क्या इस तरह की कोई बात आई थी ? यह बात सत्य है क्या ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (डा. हरि सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग सवाल आये हैं उनके उत्तर का मैं एक साथ ही समीकरण कर दूं। जहां तक पेय-जल की समस्या का समाधान करने का सवाल है हम इस बात से सहमत हैं कि विश्व बैंक या और कोई फाइनेन्शयल इन्सटीट्यूशन कहीं से भी पैसा मिले और गांवों के पीने के पानी की समस्या हल हो। विश्व बैंक का जहां तक सवाल है उनसे बातचीत चल रही है। अभी फाइनल स्टेज पर नहीं आई है। किसी से नेगोसियेशन्स किये जाते हैं तो वह सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और नेगोसियेशन्स फेल भी हो सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेज पर मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि इतना

(डा. हरि सिंह)

रुपया निश्चित रूप से मिल जायगा। जहां तक पानी देने का क्वेश्चन है हम तीन साल क्या तीन दिन में ही पानी देना चाहते हैं। एक ही दिन में पानी एक साथ सब जगह तो एक सूरत में दिया जा सकता है कि बरसात हो और सब जगह पानी आ जाय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : यह शेखचिल्ली का राज्य है क्या? मुख्य मंत्री 3 साल की बात कह रहे हैं और आप तीन दिन की बात करते हैं।

डा. हरिसिंह : किसी भी कन्सट्रक्शन में टाइम लगता है। जितना ज्यादा पैसा मिल सके उस हिसाब से जल्दी से जल्दी हम व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री नूरा : योजना की क्या हालत होगी?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया है।

श्री नूरा : राजस्थान सरकार जल्दी ही निगम बनाने में असमर्थ रही क्या इस कारण से विश्व बैंक से रुपया आने में देरी हो रही है? इसका उत्तर दें।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : राजस्थान विधान सभा द्वारा निगम नहीं बनाया जा सका इसलिए विश्व बैंक ने 200 करोड़ रुपया देने से इन्कार कर दिया, क्या यह बात सही है?

श्री बहादुरसिंह : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी के अभाव वाले और खारे पानी के गांवों में पीने का पानी कब तक उपलब्ध करा सकेंगे?

एक माननीय सदस्य : तीन दिन में।

डा. हरिसिंह : जहां तक माननीय सदस्यों का यह सवाल है कि निगम नहीं बनाने की वजह से रुपया नहीं मिल रहा है यह बात सही नहीं है। जब विश्व बैंक से बात चली थी तो 1981 में पैसा देने की बात थी। नेगोसियेशन्स भी फाइनलाइज हो जायं तो भी 1981 से पहले वह पैसा नहीं देंगे। निगम का फाइनलाइजेशन हो जाय तब भी 1981 से पहले पैसा नहीं मिलेगा। निगम की वजह से विश्व बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है यह बात सही नहीं है।

श्री नूरा : कौन सी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से विश्व बैंक से पैसा आने में देरी हो रही है?

श्री एच० एन० शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है। पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या है। हमारी सरकार विश्व बैंक के सामने हाथ पसार रही है जब कि हमारे देश में भी पैसे की कोई कमी नहीं है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल गांवों से पैसा ले रहा है ग्रामीण ऋण-पत्र देकर, तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की समस्या का हल करने के लिए ग्रामीण ऋण पत्र जारी करके पैसा इकट्ठा करें। ग्रामीण जनता तैयार है सहयोग देने के लिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नहीं है तैयार।

श्री एच. एन. शर्मा : 12 पर्सेन्ट आप ब्याज देने को तैयार हों तो वह तैयार है और वह पूरा हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। No more question.

श्री हरजी राम बुरडक।

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पानी के अभाव वाले गांव और खारे पानी वाले गांवों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध करा देंगे ? स्पष्टतया बतला दें ?

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की घोषणा है कि 3 वर्षों में हर प्यासे गांव को पानी पिला दिया जायगा। जिस किसी क्षेत्र में जितने भी प्यासे गांव हैं उनकी लिस्ट सरकार के पास में है उनको तीन वर्षों में 3 स्टेजेज में बांट-कर फेजेज बना कर पानी पिलाने की योजना का आधार होगा या और कोई नया आधार होगा ?

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 15 दिसम्बर तक अकाल ग्रस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी। मगर आज तक इस बारे में कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गई है। फलौदी तहसील में केवल तीन टेन्कर्स भेजे गये हैं। इससे पूर्व मैंने इस बारे में राज्य सरकार के सचिव श्री शेरसिंह जी को कहा तो उनका जवाब था कि पहले कै? पीते थे ? इस प्रकार का जवाब दिया जाना क्या उचित है ? और राज्य सरकार अब अकाल व अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के, जल मग्न गांवों में पूरा पानी पहुंचाने की व्यवस्था कब करने जा रही है ? यह बतायें।

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है। स्पेसिफिक इतना ही है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या !

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 88 है जो कि समय के अभाव में पूछा नहीं जा सकेगा। या तो समय बढ़ा कर उसका उत्तर दिलाने की कृपा करें या उसको स्थगित कर दिया जाये। कपासन नगर में कॉलेज की मांग को लेकर प्रश्न पूछा है। मेहरबानी करके माननीय मंत्री महोदय से उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो, माननीय सदस्या, कटा हुआ है।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, नियम 41 के तहत आप इनकी मदद कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 88 माननीय

(20)

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : हां सदस्य महोदय।

श्री किशनसिंह भाटी : प्रति वर्ष कितने गांवों को पानी दिला दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, मैं पेयजल की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूं। यह हाउस सोवरिन है। राजस्थान सरकार यदि पेयजल की व्यवस्था कर पाती है तो इससे बढ़ कर सन्तोषजनक और क्या बात हो सकती है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मुझे खुद को अखरता है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए पेयजल की व्यवस्था की प्रायोरिटी है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : लेकिन यह कब तक होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ चुका है।

श्री नूरा : इसकी कब तक क्रियान्विति कर दी जाएगी ? कोई जवाब तो आना चाहिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) ; अध्यक्ष महोदय, एक वैज्ञानिक मन्त्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह पानी दे सकते हैं। जवाब को देखते हुए वह यह फर्मायें कि वह पानी कब दे सकेंगे ?

एक माननीय सदस्य : काम के बदले जल की योजना कब बनायेंगे ?

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, 75% टैंक खराब हो रहे हैं, उनकी मरम्मत तो करा दें।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार गांवों में पानी देने की सदस्यों की भावना की कद्र करती है।

श्री रतनलाल वर्मा : पानी कब तक पिलायेंगे ?

डा. हरिसिंह : अगर 5 अरब रुपये अभी रख दिये जायें और चाहें कि पानी एक दिन में मिल जाये तो ऐसा नहीं हो सकता है। पानी का अभाव हजारों वर्षों से चल रहा है। उस पर काम चल रहा है। सांइटिफिक तरीके से काम चल रहा है। आप उसका अन्दाजा नहीं कर सकते हैं। सरकार जल्दी से जल्दी देने के लिए प्रयत्नशील है, यह आश्वासन मैं फिर दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : कोई टाइम लिमिट तो बतायें।

डा. हरिसिंह : मैंने टाइम के लिए कह दिया है। अगर एक लाख करोड़ रुपये भी रख दिये जायं और कहा जाये कि एक दिन

(डा हरिसिंह)
में पानी दे दिया जाये तो वह नहीं दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह कछवाह : मंत्री महोदय को समझ कर जवाब देना चाहिये।

श्री कौशल किशोर जैन : मंत्री महोदय किस आधार पर पूरा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। वह योजना कब तक पूरी करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं.... ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने क्या मन्त्री महोदय को बाडीगार्ड समझा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष, इस प्रकार 1981 तक कार्य काल है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूंगा।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अहम मसला है।

श्री नूरा : किन-किन योजनाओं के तहत पैसा मांगा है ?

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनता को पानी नहीं देते तो अगर जनता सरकार ने पीने का पानी नहीं दिया तो फिर अवसर आने पर जनता जनता सरकार का पानी उतार देगी।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर दिलाया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह जनता सरकार है। देख लें।

श्री एच एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार एक बात का स्पष्टीकरण कर दे कि राजस्थान में जिन गांवों में खारे पानी की समस्या है, उनमें से कितने गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है ? कितने गांवों में अनुदान राशि जमा कराई गई है और कितने गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों में कितना इनडिसिप्लिन है। इस पार्टी में कितनी अनुशासनहीनता है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है। माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : The Minister is not replying properly.

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष से उत्तर दे दिया गया है। यह एक डिप्लोमेटिक कवेश्चन है। एक ही उत्तर है कि क्रियान्विति कर दी है या नहीं।

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी उम्र एक वर्ष कम कर रहे हैं। हमारा कार्य काल 1982 तक है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसको आधे घण्टे की चर्चा के लिए रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष - आप मुझे मेरे कक्ष में इस सम्बन्ध में मिलिये। सरकार का कार्यक्रम बजट सैशन में बहुत टाइट है। बजट के बाद अगर संभावना हुई तो मैं इस पर गम्भीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने से इन्कार नहीं करता हूं।

अगर 88 हो सके तो।

कपासन नगर में कालेज की मांग

88. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :** क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि कपासन नगर में कालेज की मांग को लेकर प्रति वर्ष छात्रों ने सत्याग्रह और अहिंसक आन्दोलन किए हैं?

(2) क्या राज्य सरकार वहाँ कालेज खोलने की स्थिति में उस क्षेत्र के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए आई टी. आई. अथवा इसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाने का विचार रखती है जिससे युवा वर्ग को काम मिल सके और वे गुमराह न हों?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) :

(1) यह सही है कि कपासन में कालेज खोलने की मांग है।

(2) जी नहीं।

(3) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि अगर राज्य सरकार वित्तीय स्थितियों के कारण वहां पर कालेज खोलने की स्थिति में नहीं है तो दसवीं पास करने के बाद जिन बच्चों के मां-बाप आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं, उनके रोजगार के लिए कोई विकल्प राज्य सरकार के विचाराधीन है? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कोई विकल्प होना चाहिए ताकि वहां के युवा वर्ग को काम मिल जाय और जो आन्दोलनात्मक कार्यवाही में लगे रहते हैं वे रचनात्मक काम में लग जायें। इसका जवाब दिलवाइये।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं माननीय

(श्री कौशल किशोर जैन)

मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कपासन में कालेज खोलने का मसला बड़ा ही अहम मसला है। पिछली बार भी माननीय सदस्या को घेराव का सामना करना पड़ा था और उनको जलील होना पड़ा था क्योंकि पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया था। मेरा निवेदन है कि वहां पर कालेज खोलने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सबका घेराव होगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : महबूबअली जी के पास कोई अधिकार नहीं है जवाब देने का। शिक्षा मन्त्री जी मौजूद हैं, उनको उत्तर देना चाहिए।

श्री बालकृष्ण थानवी : राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी कालेज खोलने का क्या प्रावधान है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो इलेक्शन जिताने के लिए वायदे किए थे मुख्य मन्त्रीजी ने।

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी ने पिछले साल डिग्री कालेज खोलने का वायदा किया था, इस साल शिक्षा मन्त्रीजी का क्या इरादा है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इरादा कर लीजिये इस्तीफा देने का अगर कालेज नहीं खोलें तो।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : इस बार आप पर्मिशन दे दें तो जनता को बहुत राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय अगर उत्तर देना उचित समझें ....

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महबूब अलीजी को भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा उत्तर देने का।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बोलिये, आप उत्तर दे दीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये तो राजनैतिक एक्सचेकर पर भार हैं। इनको इसी बना रखा है।

एक माननीय सदस्य : इनकी कार भी छीन ली है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनको उत्तर तो देने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी कुछ स्थानों पर—

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई, शिक्षा मन्त्रीजी को उत्तर नहीं देने दिया तो वे बैठ गये और वे उत्तर देने लग गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय महबूब अलीजी ही उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकिन इनकी चलेगी कहाँ, इनकी मानेगा कौन ?

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें शिक्षा मंत्री जी लिखा हुआ है।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, कपासन में कालेज खोलने की मांग काफी समय से है। लेकिन राज्य सरकार के सामने यू.जी.सी. की ओर से रोक लगी हुई है। उनकी मन्शा बिल्कुल साफ है कि अनएम्प्लायमेन्ट ज्यादा फैला हुआ है। आज की जो शिक्षा है, यूनिवर्सिटीज और कालेज की उसको वे नियमित करना चाहते हैं, इसलिए उनका निर्देश है कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही मिल कर इस बात को गम्भीरता से सोचें कि निरन्तर कालेज खोलने से बेकारी बढ़ेगी। वे उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, इसलिए उनकी रोक लगी हुई है। उनका निर्देश है कि बहुत ही सोच विचार कर, रिपोर्ट लेकर और दूसरी जो प्रक्रियायें हैं वाइस चान्सलर वगैरह की रिपोर्ट लेकर ही राज्य के अन्दर कालेज खोलने की बात करनी चाहिए। एटरेण्डम कालेज खोलने की बात नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

मुझे आप पहले सुन लीजिये, एक मिनट के लिए।

लेकिन जहां तक कपासन का प्रश्न है राज्य सरकार बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

आपका दूसरा प्रश्न था कि अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? इसके लिए चित्तौड़ में नैक्स्ट ईयर एक पोलीटैक्निक खोलने का प्रावधान किया जा रहा है जिससे आठवीं या दसवीं पास करने के बाद बच्चों को रोजगार की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार राज्य सरकार उसके लिए विचार कर रही है और किसी हद तक समस्या का हल हो जायगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नेशनल कैपिटल रीजन में आने के बाद अलवर में व्यय की गई राशि

74. डा. गंगा सहाय (कठूमर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर को नेशनल कैपिटल रीजन में भारत सरकार द्वारा लिये जाने के पश्चात् विगत 5 वर्षों में कितनी धन-राशि प्राप्त हुई और यह किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ?

(2) 1978-79 में कितनी धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है ? उसको किन किन निर्माण कार्यों पर खर्च किया जा

(डा. गंगा सहाय)
रहा है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अलवर शहर को नेशनल कैपिटल रीजन में भारत सरकार द्वारा लिये जाने के पश्चात विगत 5 वर्षों में केन्द्रीय सरकार से 65 लाख व राजस्थान सरकार से 65 लाख रुपये की धनराशि का ऋण मिला है इस ऋण की राशि का व्यय भूमि के मुआवजा व संलग्न सूची 'अ' में दर्शाये कार्यों पर किया जा रहा है।

(2) सन् 1978-79 में भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। तथा पिछले साल की बची हुई राशि से योजनाओं में भूमि अवाप्त कर मुआवजा वितरण किया जा रहा है तथा योजनाओं में विकास संबंधी कार्य कराया जा रहा है। सूची 'ब' संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नगरपालिका भीनमाल में नियमन के मामले

76. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका भीनमाल में नियमन के हजारों मामले वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं, जिनका निर्णय वावजूद कई अभियान चलाने के बाद भी नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(2) नगरपालिका भीनमाल में नियमन की विचाराधीन पड़ी फाइलों की सूची वार्डवाइज कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 148 मामले विचाराधीन हैं जिनको निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जनता होटल्स व धर्मशालाओं का नवीनीकरण

77. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार स्वदेशी पर्यटकों को सस्ती व अधिक सुविधायें देने के लिए जनता होटल्स व धर्मशालाओं का नवीनीकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या योजना है व वर्ष 1978-79 में कितनी धर्मशालाओं का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया है तथा कितने जनता होटल्स खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कितने होटल्स कैसे-कैसे व किस-किस स्थान पर चल रहे हैं और उन होटल्स में क्रमशः कितने-कितने यात्रियों के ठहरने की क्षमता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मूल चन्द डागा)

(3) वर्ष 1977-78 व 1978-79 में उपरोक्त होटल्स पर राज्य सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया और कितना लाभ व हानि हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जनता होटलों का राज्य में निर्माण कराया जा रहा है। धर्मशालाओं के नवीनीकरण हेतु केन्द्र सरकार नयी नीति बना रही है जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर स्थित धर्मशालाओं का सर्वेक्षण कर लिया गया है।

(2) पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कोई होटल नहीं चलाया जाता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री श्योपतसिंह मक्कासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में विशेष तौर पर गंगानगर जिले में ओला वृष्टि से हुई फसल बरबादी के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। इसी प्रकार श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य, विधान सभा ने भी 22 फरवरी को धौलपुर उपखण्ड में ओला वृष्टि से रबी की फसल बरबाद हो जाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

माननीय सदस्य यदि चाहें तो आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही बहस के दौरान चर्चा कर सकते हैं। मैं इन प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री शीशराम ओला, सदस्य, विधान सभा ने झुंझुनू जिले में बिजली के कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। वे भी आज इस विषय में संक्षेप में चर्चा कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पुर, पंचायत समिति सांचौर जिला जालौर के अनुसूचित जाति के एक सरपंच के कत्ल के मामले में निर्दोष व्यक्तियों के चालान किए जाने की घटना के विषय में,

श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में काम के लिए अनाज योजना में केवल 40 प्रतिशत लागत का मूल्य मजदूरी के रूप में देने से मजदूरों के बेकार हो जाने की घटना के विषय में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।

इन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही बहस के दौरान चर्चा कर सकते हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के रेगिस्तानी जिलों में

(श्री अध्यक्ष)
अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाने के विषय में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जावेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मन्जूर अली : आज यहाँ कई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव रखने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा काल अटेंशन मोशन सीमेंट फैक्ट्री की हड़ताल के आदेशे के बारे में जो पेश किया है उस पर बोलने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के पश्चात् बोलने की अनुमति आपको दी जाएगी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं आया है, पुलिस के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : जेब काटने वाला ? मैंने कुछ व्यवस्था नहीं दी क्योंकि साधारण सी बात है।

श्री रामकरण सिंह : लोगों की जेबें काटी जाती हैं, किसी की अटैची उतर जाती है। मैं तो गृह मन्त्री की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हें आगाह कर रहा हूँ कि उनके नाम पर क्या लूट हो रही है। अगर आप इजाजत दें....

श्री अध्यक्ष : आप गृह मन्त्री की इज्जत बचाने की चेष्टा करते हैं उसके साथ मेरी सहानुभूति है लेकिन मैं आज इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अब यह इज्जत बचाने का कहां तक मामला जाएगा ? यह तो जाएगी ही, बचने वाली नहीं है। मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ। हम सब उनकी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं लेकिन यह इज्जत जाएगी चाहे कोई मामला हो।

मैंने दो साल के अर्से में एक बात महसूस की। जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है कि जिस किसान वर्ग ने बहुत ही हिम्मत के साथ पहली बार जिस जनता पार्टी का निर्माण किया उस जनता पार्टी की सरकार के दिनों में जितना लावारिस किसान आज है उससे पहलेकभी नहीं रहा। यह दो साल का मौका मैंने देखा है चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे ओलावृष्टि का मामला हो, किसान की उपेक्षा हो रही है। मैं गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में पंजाब व हरियाणा हैं। जब कभी मौका मिलता है, पंजाब व हरियाणा के किसानों से चर्चा करते हैं। जब भी बाढ़ से फसलों की तबाही हमारे इलाके में होती है तब हरियाणा व पंजाब में भी नुकसान होता है। जब ओलावृष्टि से फसल तबाह होती है तो उसका असर पड़ोसी प्रांतों पर भी होता है। मगर पंजाब में उन तमाम किसानों को, जिनकी खड़ी फसलें बाढ़ से तबाह हो गई, 300 रु. प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला। हरियाणा में मुआवजा मिला है जहां भी पटवारी यह दर्ज कर दे कि 75 प्रतिशत फसल तबाह हो गई वहां 300 रुपये और जहाँ 50 प्रति- तबाह हो गई, वहाँ 150 रु. प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है मगर जब वे लोग हमसे बात करते हैं तो शर्म से

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हमारा सर झुक जाता है। मैंने पिछली बार भी मुख्य मन्त्री से यह बात कही थी कि अकाल तबाही करता है। खेती पर किसान का कुछ कम खर्च नहीं होता है। परन्तु बाढ़ तबाही करती है, तब एक अलग हालत होती है। जब किसान खड़ी फसल काटने की तैयारियां कर रहा है, महीना या 10 दिन बाकी रह गये हैं, उसने बैंक से कर्जा लेकर खाद डाली है, दवाइयां छिड़की हैं तब फसल तबाह हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी? किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है। ऐसे मौके पर किसान की फसल तबाह हो जाए, तो किसान की क्या हालत होगी? मगर जनता सरकार को कोई चिन्ता नहीं। मैंने इसी सत्र में सवाल उठाया था कि गढ़ों से फसल तबाह हो, बाढ़ से तबाह हो लेकिन इस बार ओलावृष्टि से राजस्थान के बड़े भू-भाग में हजारों एकड़ जमीन में खड़ी फसल की तबाही हो गई। मेरे गांव में, मेरी कान्सटीट्यूएंसी के पास गढ़ों से नुकसान हुआ। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और भरतपुर इलाके में बहुत सी जगह नुकसान हुआ, मैं उन गांवों में गया, उन लोगों से मिला। वे लोग मुझे खेतों में ले गए। वहाँ कलेक्टर साहब पहुंचे, दूसरे अधिकारी भी पहुंचे, मगर उनको क्या मिला? आपने क्या दिया? किसी सेठ का ट्रक खराब हो जाए तो बीमा मिल जाएगा। किसी के कारखाने का नुकसान हो तो उसको अप्रत्यक्ष फायदा ही होगा। जली 20 गांठें मुआवजा मिलता है 30 गांठों का। उनके लिए वरदान साबित होता है और किसान के लिए मौत। मैंने सुझाव भी दिया था कि आप में इतनी हमदर्दी तो हो कि उनको मुआवजा दें। मैंने मुख्य मन्त्री से कहा, उन्होंने कहा, पंजाब में कोई मुआवजा नहीं देते। मैं गया और मालूम करके आया। मैं सदन से जिम्मेदारी से कहता हूं कि 300/-रु प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा मिल चुका है। मैंने उस समय मुख्य मन्त्री से कहा था कि कम से कम आप एक बात पर विचार कीजिए, जिस किसान की फसल की बाढ़ से तबाही हो जाए, रबी की फसल ओलावृष्टि से तबाह हो जाए तो वह दूसरी फसल कैसे करेगा? बनिए का कर्जा चुका नहीं सकता, बैंक का कर्जा चुका नहीं सकता, पैसा उसके पास जो था, सारा फसल पर लगा दिया, अब दूसरी फसल पैदा करने की ताकत उसके पास नहीं है। लेकिन हमारी सरकार और अधिकारियों को कोई फिक्र नहीं है। हमको जो यह पोथा मिला है, इसमें लिखा है कि हमारी इतने करोड़ की योजना है। यह किस लिए है? जो किसान तबाह हो गया, जो अगली फसल नहीं कर सकता, पैसा उसको मिले नहीं, सरकार उसकी मदद नहीं करें तो फिर सरकार की मंशा क्या है? तुम्हारे सचिवालय में 50 लाख रुपये आ जायेंगे, टूर के लिए 5-10 लाख रुपये खर्च करने के लिए। मगर जो हजारों किसान तबाह हो गए, उनके लिए तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं। यह आपके लिए डूब मरने की बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजा खेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी भरतपुर जिले के धौलपुर उपखण्ड के सैंम्पऊ तहसील में ओलावृष्टि होने के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने किसानों की तकलीफों की तरह इस गूंगी-बहरी सरकार का ध्यान दिलाया है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि ओलावृष्टि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के अन्दर हुई, कोटा, बूंदी के अन्दर हुई, गंगानगर के अन्दर हुई, भरतपुर जिले में हुई लेकिन सरकार की तरफ से अकाल सहायता मन्त्री की तरफ से या मुख्य मन्त्री जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया कि ओला पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। मेरे साथी, माननीय सदस्य अभी काफी विस्तार से इस विषय के ऊपर बोले हैं। इस बात की ओर मैं भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खड़ी फसलें खराब हो गईं। हमारे इलाके के अन्दर सरसों की फसल खराब हो गई, गेहूं और चने की फसल बिल्कुल खराब हो गई। सैम्पऊ तहसील के कोई दस गांवों के अन्दर इतना नुकसान हुआ कि ओले पड़ने के बाद 48 घंटे जमीन के ऊपर जमा रहे। 24 घंटे बाद जब मैं पहुंचा, लोगों ने हाथों में भर कर मुझे बताये। लोगों की यहां यह हालत हो रही है और इधर सख्ती के साथ वसूलियां हो रही हैं। एक तरफ लोग रो रहे हैं दूसरी तरफ आप को अपनी वसूलियों की पड़ी हुई है। उनके मवेशी कुर्क कर रहे हैं। उनको जलील करके बाहर खड़ा कर दिया जाता है। वह फसल खराब हो जाने की वजह से रो रहे हैं, काफी कर्जा सर के ऊपर है। सरकार से मैं यह मांग करूंगा कि आप के पास यह सूचना कब आई? जिला प्रशासन ने शायद ही सूचना दी हो। भरतपुर जिले में जो ओलावृष्टि हुई है, माननीय मन्त्रीजी आप इस ओर मुखातिब हो जायें, लोग बरबाद हो रहे हैं, इसको इतना लाइटली मत लीजिए आप। आप से गुजारिश है, आपकी सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? क्या राहत पहुंचाने जा रहे हैं? जहां फसलें खराब हुई है, मेरा आप से निवेदन है कि वहां लगान स्थगित किया जाये। सहकारी वसूलियों को मुल्तवी किया जाये क्योंकि फसलें बरबाद हो चुकी हैं। कोई कर्जा उनको मिलने वाला नहीं है। सरकारी संस्थाओं से कर्जा मिलेगा नहीं, बैंक से कर्जा मिलेगा नहीं आज किसानों की बुरी हालत है। जिला प्रशासन ने सैम्पऊ तहसील के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी या नहीं। काफी दिन हो गये हैं लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। आप-से मांग करता हूं कि रिपोर्ट मंगाइये, जितनी वसूलियां हैं, उनको रोकिये, लोगों को राहत पहुंचाइये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ..

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री श्योपतसिंह जी और श्री प्रद्युम्नसिंह जी ने काश्तकारों को जो हानि हुई है, उसके बारे में तथ्य पेश किये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ काश्तकारों को नुकसान हुआ। अच्छी फसलें थीं वह बरबाद हो गईं। उस क्षेत्र में किस प्रकार से राहत दी जाये इसके लिए उनका जो नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आ रही है लेकिन कई बार ओले गिरे। एक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई, दूसरी बार ओलावृष्टि हुई, फिर तीसरी बार ओलावृष्टि हुई। अब मैं समझता हूं इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। जो रिपोर्ट तैयार है वह मंगवाई

(श्री जयनारायण पूनिया)

है। कुछ अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा था उनकी तरफ से रिपोर्ट आ गई है। इसके ऊपर जल्दी विचार होने वाला है। वसूलियों के बारे में हम लोग सजग हैं। क्या रियायत दी जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। तकावी देने केलिए, लोन की व्यवस्था कर दी जायेगा वसूली स्थगित करने का महत्वपूर्ण मसला है। वसूली नहीं होनी चाहिये, मैं इस बात को महसूस करता हूं। जहां वसूलियां हो रही हैं वहां स्थगित करने के लिए आदेश जारी कर देंगे। जोर जबरदस्ती, भेद भाव नहीं बरता जावेगा और न जबरन वसूलियां की जायेंगी। सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह कार्यवाही करने जा रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से पंजाब में मुआवजा दिया जाता है, क्या राज्य सरकार भी उसी तरह से 300 रुपये नहीं तो कम से कम 200 रुपये एकड़ के हिसाब से देगी? कोई न कोई आधार जब तक तय नहीं करेंगे तब तक काश्तकारों के लिए बैंक से कर्जा दिलाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी, आप स्पेसिफिक बताइये। काश्तकारों को एक क्विंटल महीना गेहूं देंगे। जिसके 10 बीघा खेत है उसका 100 मन अनाज गया। काश्तकारों की हालत ऐसी नहीं है, एक एक क्विंटल के लिए भीख मांगे। यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहता हूं जो सरकार ने पैसा रखा था, एक भी आदमी ने लिया? उनमें गरीब थे, हरिजन थे, छोटे काश्तकार थे। मगर काश्तकार की कान्शस अलाउ नहीं करती, महीने के महीने तहसीलदार के पास जाये औरएक क्विंटल गेहूं लाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, रूल 131 के तहत....

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य इस बात पर बड़ा बल देते हैं कि काश्तकार का जो नुकसान हुआ हो, उसकी क्षति पूर्ति कर दी जाये। इस प्रकार के प्रस्ताव, फसलों का बीमा आदि के विचाराधीन नहीं हैं। जो काश्तकार का नुकसान हुआ हो उसकी क्षति पूर्ति करने की हैसियत राज्य सरकार की नहीं है। पूरा लोस कम्पेनसेट कर दे यह हैसियत राज्य सरकार की नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार के जो सीमित साधन हैं उसके आधार पर हम अवश्य करेंगे।

शासकीय वक्तव्य

बारां में हुआ गोली काण्ड

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो रूल 131 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कल गृह-मन्त्री जी ने कहा कि बारां गोली काण्ड के बारे में स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। गृह मन्त्री जी की तरफ से स्टेटमेन्ट आना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट दे रहे हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

विरोधी पक्ष की अनुपस्थिति में शासकीय वक्तव्य

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मैं माननीय

गृह मंत्री जी को अर्ज करना चाहता हूं, मेरी यह भावना नहीं है कि गृह मंत्री जी को निश्चित रूप से वक्तव्य देना है किन्तु प्रश्न यह है कि कल जब मेम्बर्स इतने एजीटेट हो गये थे और पूरा विपक्ष एजीटेट था तो उस समय तो माननीय गृह मंत्री ने इस प्रकार का कोई हिन्ट दिया नहीं और न ही इस प्रकार का कोई आभास था कि आज गृह मंत्री जी सदन में वक्तव्य देंगे। जब सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बहुत बड़ी संख्या में गैरहाजिर है तो क्या आज उनका वक्तव्य देना उचित होगा ?

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नियमों में प्रावधान है इस बात का लेकिन महत्वपूर्ण मामला है इसलिए चेयर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वे अपना वक्तव्य न दें। जब हम लोग एजीटेट थे तब तो सरकार चुप रही, क्योंकि नाक का सवाल था। कल ही घोषणा कर देते कि मैं आज वक्तव्य देने वाला हूं। यह तो अब आपका सैकिन्ड थाट है—सैकिन्ड थाट आया है, अध्यक्ष महोदय। फैक्ट्स का हम स्टेटमेंट मांग रहे थे, टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या होंगे, यह स्टेटमेंट मांग रहे थे इसमें तो नाक नहीं कट रही थी। यह संसदीय परम्परा के विपरीत होगा। जो विपक्ष की मेजर पार्टी है वह आज सदन में नहीं है। वक्तव्य दिलवाया जाय और निश्चित रूप से दिलवाया जाय लेकिन जब वे सदन में आ जायं। आज हम केवल चार आदमी हैं विपक्ष में। जो अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, उससे अपोजिशन जो बहुत बड़ी संख्या में है, वंचित रह जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है इस स्टेटमेंट को 5 तारीख को दिलाया जाय, अन्यथा विपक्ष के बहुत बड़े भाग के साथ अन्याय होगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा याद आ गया। 100 जूते भी खा लिये और 100 प्याज भी। जब प्याज खाना शुरू किया तो 50 प्याज खाये और आगे नहीं खाये गये तो उसके 10 जूते मारे। अब जूते मारने से सिर में दर्द हुआ और कहा ठहर जा। फिर 10 प्याज खा लिये। तो फिर 10 जूते खाने पड़े। फिर सिर में दर्द हुआ तो कह दिया और ठहर जा। उसके बाद फिर 10 जूते खा लिये और फिर जूतों की मार खानी पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है जूते भी खा लिये और प्याज भी खाने पड़े। जब लगातार पांच दिन से मांग कर रहे थे तो उसको क्यों छिपाया गया, क्यों नहीं पढ़ा गया ? अगर पांच दिन में कोटा से स्टेटमेंट आता है तो यह सरकार किस प्रकार चलेगी ? ये हमारे सिर पर बोझ बने हुए हैं। इनका किराया भाड़ा आदि सब हमको बर्दाश्त करना पड़ता है इसलिये ये हमारे सिर पर बोझ हैं। राजस्थान की जनता पर बोझ हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : विरोधी पक्ष को अध्यक्ष महोदय ने नहीं निकाला, वे तो स्वयं निकले हैं....

श्री सम्पतराम : मेरी बात तो सुनी ही नहीं है। क्या कहना चाहता हूं और क्या नहीं कहना चाहता हूं, यह सुना ही नहीं।

(व्यवधान)

मेरी बात पहले सुन लीजिये।

श्री नूरा : आपकी बात सुनने को तैयार हैं लेकिन हमारी बात पूछने में क्या एतराज है ?

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, बारां के सम्बन्ध में यह दरख्वास्त करूंगा कि........

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लें पहले, उसके बाद बता दें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ने देंगे ।

श्री सम्पतराम : देना होगा तो दूंगा । पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लें ।

श्री नूरा : यह कौनसी बात हुई देना होगा तो दूंगा ? फिर हमारी रिक्वेस्ट का क्या मतलब है ?

श्री सम्पत राम : मुझे कहने तो दें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारी अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है, अपील है कि वे इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दें । अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था इस पर आने दीजिये । हमने अपना व्यू पाइन्ट रखा है कि अपोजीशन नहीं है । अपोजिशन के 41 आदमी बाहर हैं । क्या यह उचित रहेगा कि जो दो रोज से सवाल पूछ रहे थे आज उनकी गैर हाजरी में स्टेटमेंट दें ? यह बहुत ही दुःख की बात है, शर्म आनी चाहिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कौन कहता है कि सदन में विपक्ष नहीं है, सी. पी. आई. है, सी. पी. एम. है, प्रगतिशील मोर्चा है और एक मैं हूं । इस प्रकार सारे दल आ जाते हैं । वे तो जनता सरकार को इस सदन में आने भी नहीं दे रहे थे । ये तो किसी प्रकार आ गये । सदन की कार्यवाही बन्द नहीं होनी चाहिए । जो गृह मंत्री जी को परसों कार्यवाही करनी चाहिये थी वह आज करें । इस पर पूरी चर्चा करें ।

श्री नूरा : सवाल यह है कि हमको भी अपनी बात कहने का पूरा हक है । काफी संख्या में विपक्ष बाहर है । उनकी अपनी मजबूरी है तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए पहले....

(व्यवधान)

पहले व्यवस्था दें, श्रीमान् ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह निश्चित रूप से खेद का विषय है कि विपक्ष की अनुपस्थिति में सरकार एक महान दुर्घटना के सम्बन्ध में उत्तर दे रही है । सरकार को उत्तर देने का अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता । अच्छा होता उत्तर कल ही दिया जाता । किन्तु अगर देर भी हुई तो देर एक ठीक दिशा में है । अगर उत्तर देती है तो वह प्रोसीडिंग्स में आ

(श्री ग्रध्यक्ष)

जायेगा। विपक्ष को ग्रवसर है वह सदन में बाद में भी विचार कर सकता है। माननीय गृह मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य बारां में हुआ गोली काण्ड

श्री सम्पत राम : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ग्रपनी चिन्ता व्यक्त की है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ सदन में कह भी दिया है। ग्रब उसके बाद फालो-ग्रप एक्शन करना है जिसके लिये माननीय जोशी जी ने भी ग्राग्रह किया था। मैं तीन बातों के लिए ग्राज सदन में पेश हुग्रा हूं उसमें एक तो इन्क्वायरी की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है दूसरा नोटिफिकेशन टर्म्स ग्राफ रेफरेन्स का है वह रीड ग्राउट कर दूं ग्राप इजाजत दे दें तो........

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह रीड ग्राउट करें।

श्री सम्पतराम : Whereas the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for purposes of making an inquiry into definite matters of public importance hereinaftar satisfied;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act No. 60 of 1952), the Stat e Government here by appoints a Commission of Inquiry consisting of Dr. K. S. Sidhu, Judge of the Rajasthan High Court, to inquire into the following matters, namely:—

(a) Circumstances leading to the firing by Police on the 26th February, 1979 at Baran, District Kotah.

(b) Whether the said firing by the Police in Baran was justified ?

(c) If so, whether the extent there of was justified ?

2. The Commission shall make its report to the State Government by the 2nd of June, 1979.

4. And, whereas the State Government is of the opinion that having regard to the nature of inquiry to be made and other circumstances of the case all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act No. 60 of 1952) should be made applicable to the said Commission, the State Government hereby directs that all the said provisions shall apply to the said Commission.

(श्री सम्पतराम)

ये डाकूमेंट हैं जो मैं यहां रखना चाहता हूं।

दूसरी जो एफ. आई. आर. है, मेडिकल रिपोर्ट और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है, उनको भी मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : पढ़ क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : वह टेक्निकल रिपोर्ट है जो मैं पढ़ नहीं सकूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : But you must read the F.I.R.

श्री सम्पतराम : I can show you.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक दफा सुन तो लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : He is laying on the table of the House. He should read it.

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को पूरा तो सुन लें।

जहां तक कलेक्टर की रिपोर्ट का संबंध है, जिस रिपोर्ट के बारे में कल भी प्रश्न उठाये गये हैं, वह सारी रिपोर्ट सीक्रेटली जांच के लिए भेज दी गई है। गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। एफ. आई. आर. की कापी है वह सारी की सारी फोटो स्टेट कापी मैं सदन की टेबल पर रख रहा हूं। जो माननीय सदस्य चाहें देख लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : What is the harm ? एफ. आई. आर. पढने में नुकसान क्या है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : लोगों को पता लगेगा कि रिपोर्ट क्या है ? हाउस को पता लगेगा कि रिपोर्ट क्या है ? इण्डिविजुअल देखने का क्या सवाल है। सारे सदन को फैक्ट्स मालूम होने चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या उनको कानूनी सहायता दी जाएगी, पहला सवाल।

श्री श्योपतसिंह मकासर : They will have to put before the House.

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या उनको कानूनी सहायता दी जाएगी ? उनके पेरेन्ट्स इस हैसियत में नहीं है कि वकील अपोइन्ट कर सकें। दूसरी बात यह है कि अगर सदन में पढ़ कर नहीं सुनायेंगे तो सदन के माननीय सदस्यों को मालूम कैसे होगा ?

श्री अयूब खां : इस मसले पर सदन का काफी टाइम खर्च हो चुका है।

श्री नूरा : गोलियां चला कर किसी की जान लेते हो, और सदन के टाइम की बात करते हो........

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमको कोई एतराज नहीं है भाई........

श्री नूरा : जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सुन कर क्या करेंगे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मंत्री जी, यह क्या कॉफिडेंशियल रिपोर्ट है जो सीक्रेट ढंग से सिन्धु साहब के पास भेज दी गई है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

कलेक्टर की रिपोर्ट किस प्रकार से कॉफिडेंशियल है ? कलेक्टर ने जो फैक्ट्स वहां पर रखे थे वही तो राज्य सरकार के पास भेजे होंगे। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कलेक्टर की रिपोर्ट, जो कि पब्लिक डाकूमेंट है, को हाउस से फोरफिट किया जाय, कन्सील किया जाय, उस रिपोर्ट को इस हाउस से छुपाया जावे। अध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें। The facts should not be concealed from the House.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीन सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, साधारणतया एक सरकार को जो कुछ करना चाहिए वह सरकार कर रही है। स्टेटमेंट अगर टेबल किया गया है तो.... ..:

श्री प्रद्युम्नसिंह : That should be read before the House. This is no performance. सदन को गवर्नमेंट ने मुगालते में रखा है। यह कोई वक्तव्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय को मजबूर नहीं कर सकता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : You can, Sir. You have full rights.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम मजबूर करेंगे। इस सदन के लिए आप सर्व शक्तिमान हैं। हमको आप अगर फटकार सकते हैं तो मन्त्री को भी फटकार सकते हैं, मन्त्री महोदय जान बूझ कर कलेक्टर की रिपोर्ट को छुपाकर इस सर्वोच्च सदन को अन्धेरे में रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर की रिपोर्ट की जुडिशियसली जांच होगी। यह बिल्कुल जुडिशियस समस्या है, इसकी छानबीन होगी....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप चाहते हैं कि इंक्वायरी प्रिजुडिस हो ? अब कोई इश्यू यहां पर नहीं उठायें।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां गोलीकाण्ड के ऊपर विपक्ष लगातार दुराग्रह कर रहा है। पांच दिन से इस सदन का काम खराब किया जा रहा है। गृह मन्त्री ने जांच....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : लोगों को, बच्चों को गोलियों से मारते हो और समय की बात करते हो। शर्म नहीं आती। तुम बेशर्म लोग हो........

(व्यवधान)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तुम गोलियों से मारते हो बच्चों को और बहस भी नहीं करने देना चाहते हो ?

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए....

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री रतनलाल वर्मा : बच्चों को भी यह छूट नहीं है कि जहां चाहें आग लगा दें ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : वर्मा, तुम चलना तुम्हारी कांस्टीट्यूएंसी में पूछेंगे ...ये मासूम बच्चों को बिना जांच के मरवाते हैं।यह X X X बैठा है ...

श्री नूरा : जब तक जांच नहीं होती कैसे कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह X X X X X है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर X X X लोग भी आ गए हैं विधान सभा में।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आपके पास सबूत क्या है ? हम सवाल पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन्हें शर्म नहीं आती है। तुमने लोगों को गोलियों से भून दिया। शर्म नहीं आती तुमको।

श्री श्योपतसिंह मकासर : X X X लोग हैं ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : X X X लोग हैं। इनको शर्म नहीं आती।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : You are the X X X

श्री नूरा : इस मामले को लम्बा करने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम पर आरोप लगाया गया है कि सदन की कार्यवाही को सही ढंग से, सुचारु ढंग से नहीं चलाना चाहते। यह बहुत गंभीर आरोप है। अभी आपने देखा होगा कि सारा अपोजिशन क्वेश्चन आवर में अनुपस्थित था। सारी अनुशासनहीनता इस अर्से में इनके द्वारा की गई, इस ओर से की गई। और आरोप हम पर

X X X शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किए गये।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

लगाया जाता है। अगर इनको ज्ञान नहीं है तो मैं बताता हूं कि जयपुर गोलीकाण्ड के इश्यू पर आज के मुख्य मन्त्री ने कितना समय लिया था यह भूल गये? मैं श्रीमान् को याद दिलाना चाहूंगा....

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको पता होना चाहिए कि यह काण्ड भी जयपुर गोलीकाण्ड से कम नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष का व्यवस्था का प्रश्न है, पहले इसको प्रस्तुत होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सदन को गृह-मन्त्री का मुगालता है कि मैं वक्तव्य देने जा रहा हूं। यह क्या वक्तव्य था?

श्री संपतराम : यह मैंने नहीं कहा है कि मैं वक्तव्य देने जा रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह राजस्थान की जनता को गुमराह करने की साजिश है...

(व्यवधान)

इस सरकार के द्वारा जनता को गुमराह करने की साजिश है। इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम स्टेटमेंट चाहते हैं, वह घटना क्या हुई? वहां के कलेक्टर ने क्या रिपोर्ट दी....

श्री प्रद्युम्नसिंह : This is no report.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको कलेक्टर ने क्या रिपोर्ट दी? राज्य सरकार का उस रिपोर्ट को छुपाने में क्या हित है? क्या इंक्वायरी कमीशन के सामने यह हमेशा गुप्त रहेगी? जो डाकूमेंट हैं इंक्वायरी कमीशन के सामने हमेशा गुप्त नहीं रहेगा तो वह इस सदन में बताने में क्या दिक्कत है? क्यों छुपाया जा रहा है? इसका मतलब है something is wrong.

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माणकचन्द सुराना : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि अभी माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं.......

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि आपकी उदारता हमेशा और हर मामले में मिल रही है। मेरा निवेदन है कि अगर आपकी उदारता का उपयोग शर्म और बेशर्म कहने में, एक झगड़े की प्रवृत्ति बढ़ाने और गालियां बोलने के काम में किया जावे तो इस हाउस की गरिमा को बचाने के लिए क्या यह उचित होगा? सदस्यों का यह रवैया चाहे इधर के हों और चाहे उधर के हों क्या उचित है? आपको इन्हें ताड़ना देनी चाहिए। इनको बाहर निकालिए। मेरा निवेदन है कि आप

(श्री माधोसिंह कछवाह)

व्यवस्था दीजिए कि क्या हाउस इसी तरीके से चलता रहेगा ? मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्था दीजिए कि क्या हाउस इसी तरीके से चलता रहेगा । व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर रहा हूं तो व्यवधान किया जाता है । जब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है, तब माननीय सदस्य इस बात को मानते नहीं हैं । तो उसको मनवाने के लिए आसन सर्वोपरि है, आप सर्व शक्तिमान हैं । यह श्री गुप्ता जी आपकी बात को नहीं मानते हैं । इसलिए इनको ताड़ना देकर बाहर निकाला जाए । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो आशंका प्रकट की है निर्मूल है, यह आज विरोधी पक्ष के सदस्यों ने अपने कन्डक्ट से बता दिया है । आज सदन में अनुशासनहीनता उस तरफ से हुई है । इस तरफ से बिलकुल नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, आपका इशारा होते ही हम खड़े होते हैं और आपका इशारा होने पर बैठ जाते हैं । यह जनता पार्टी के ही सदस्य हैं जो सत्ता के भूखे हैं, जो गद्दी के लिए भागते हैं, छीना झपटी करते हैं और अव्यवस्था पैदा करते हैं । अनुशासनहीनता और हो हल्ला उनकी तरफ से हो रहा है । भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने यहाँ पर कहा कि इन छात्रों पर गोली चलाई जाएगी । क्या यह पक्ष सरकार का है ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह नहीं कहा है । आप गलत कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कहा है ।

(व्यवधान)

ये शब्द कहे हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह कहा है कि किसी को यह छूट नहीं दी जाएगी । यह बिलकुल गलत है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पता लग गया है कि ये × × × है ।

श्री रतनलाल वर्मा : बिलकुल झूठ है । ये सदन को गुमराह कर रहे हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, सरकार की ओर से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य को यह अधिकार है कि दूसरे किसी भी सदस्य के द्वारा कोई वक्तव्य सदन में दिया जाए तो उसको तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए ? इसलिए मैं आपका ध्यान रूल 53 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन से तथ्य तोड़े हैं ? पहले यह तो बताइये ? किस बात को तोड़ मरोड़ कर कहा है ? यह तो पहले बताइये । फिर रूल की बात कीजिए । घटना कौनसी है ? किसने कहा है ?

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(व्यवधान)

हमारे मिनिस्टरों को तमीज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं माननीय श्योपतसिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय चौधरी जी को कुछ कह लेने दीजिए। उनके कहने के पहले ही क्यों आप एजीटेट हो रहे हैं।....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं लूणकरणसर से आने वाले मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यहां किस ने यह कहा कि हम बच्चों को छूट नहीं देंगे ? आग लगाने की छूट नहीं देंगे और आग लगायेंगे तो मारेंगे बन्दूक से। यह बात कही ? क्या यह गलत है ?

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इनकी भाषा अपोजिशन को तंग करने की है। पहले यह बताइये कि यह क्यों कहा कि छात्रों पर गोली चलाई जाएगी ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप शत प्रतिशत झूठ कह रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : यह झूठ कह रहे हैं। यह सदन का अपमान है।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मैंने यह कहा है कि किसी को भी किसी जगह आग लगाने का, आम जनता में अशान्ति पैदा करने का अधिकार नहीं है। यह बात मैंने कही थी। माननीय श्योपतसिंह जी और अन्य माननीय सदस्य इस बात को उछाल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वहां पर आग छात्रों ने लगाई है। इसका क्या आधार है ? किस आधार पर आप कहते हैं ? आप लोगों का आधार एक ही है। ये XXX हैं। बस एक ही बात है....

श्री रतनलाल वर्मा : आप इन से सुन लीजिए, इनका क्या रोल रहा है ? आप लोगों का क्या रोल रहा है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी का स्टेटमेन्ट क्या है ? अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के विधायक का स्टेटमेन्ट अखबारों में आया है। जनता पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेन्ट दिया है।

श्री कौशल किशोर जैन : किसी विधायक का स्टेटमेन्ट नहीं आया है। देवीदत्त गाड़िया विधायक नहीं हैं, विधायक थे, यह मैं बता देना चाहता हूं.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : महा मन्त्री हीरालाल जैन ने कहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : परसों के अखबार में आया है। वहां के विधायक थे। उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने जलसा किया है। जलसे के अन्दर विधायक ने कहा है। बारां के विधायक ने कहा है। यह कहा है

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कि यह पुलिस की ज्यादती है। बच्चों की ज्यादती नहीं है। यह षड्यन्त्र किया गया है। हम यह पूछते हैं कि बच्चों की जिन्दगी के साथ यह षड्यन्त्र क्यों कर रहे हैं लगातार? एफ. आई. आर. पढ़ी नहीं जा रही है। जो टर्म्स ग्राफ रेफरेन्स किया है उसमें क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें क्या लिखा है? क्या गोली चलाना एक्सेस था, जस्टिफाइड था? Who was responsible? यह टर्म्स ग्राफ रेफरेन्स में ग्राना चाहिए था। नहीं ग्राया है। यह क्यों नहीं ग्राया है? यह जस्टिस नहीं है। इतना ही सवाल है। हम पूछते हैं, इसके साथ में यह होना चाहिए, गोली चली है तो किस अधिकारी के कहने से? यहाँ पर दूसरा एटमासफियर बनाया जा रहा है। यह सांठ गांठ है, जनसघ के लीडर्स की, ग्रार. एस. एस के लीडर्स की। इनके गले में हड्डी फंस गई है। किसी तरह से नहीं निकल रही है। ग्रार. एस. एस. के लोग बच्चों को तंग कर रहे हैं। ग्राप की हिम्मत है तो कोटा में जाकर छात्रों से बोलिए। तुम प्रतिनिधि हो। वहाँ जाकर इस तरह से बोल कर देखिए। यहाँ ग्रसेम्बली में बैठ कर कायरों की तरह, × × × × × × बन कर पुलिस की बात करते हो।

श्री रतनलाल वर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, ये × × × ये × × × हल्ला मचा रहे हैं......

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रभी तो तुम्हारे × × वाजपेयी हैं......

(व्यवधान)

तुम तो पुलिस के कहने से बोल रहे हो, वर्मा साहब.... ...

श्री रतनलाल वर्मा : रतनलाल पुलिस के कहने से नहीं बोल सकता.......

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय ग्रध्यक्षजी, क्या जनता सरकार ने ग्रपने मेम्बरों को × × × इस हाउस में हल्ला करने की छूट दे रखी है। इस प्रकार बीच में ग्रारोप लगाये जाते हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, इस सदन के भूतपूर्व विधायक श्री गाड़िया ने भी ग्रारोप लगाया है कि छात्रों पर हमला किया गया है। गाड़िया जी ग्रार. एस.एस. के कर्मठ कार्यकर्ता हैं ग्रौर रहेंगे। तो ग्राप भू. पू. विधायक की बात तो मानें........

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : माननीय ग्रध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि ...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह हमेशा की कहानी है। ग्रपने बचाव के लिये प्रशासन कुछ ऐसी बात करता है— ग्रागजनी, तोड़फोड़, जिससे इन्क्वायरी में ग्रपना पक्ष मजबूत किया जा सके........

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बहुत बातें कही गई हैं। ग्रब मेरे ख्याल से इस चर्चा को विशेष लम्बा करने की ग्रावश्यकता नहीं है। सरकार को

× × शब्द ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

तरफ से वक्तव्य चाहे छोटा है या जो कुछ भी है सरकार ने जुडिशियल इन्क्वायरी का कहा है। इससे अधिक सरकार आज की स्थिति में कुछ नहीं कर सकती। अतएव मैं समझता हूं चर्चा समाप्त होनी चाहिये और शासन पक्ष को भी इस बारे में........

श्री माणक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने चर्चा समाप्त करने के लिये इस सदन को कहा। मेरा निवेदन यह है कि माननीय विपक्ष के 6 महत्वपूर्ण लोगों ने बहुत सारी बातें कहीं। गृह मंत्री जी ने कुछ डाक्यूमेंट्स सदन की मेज पर रखे, उनके सन्दर्भ में भी कह दिया। जिस तरह सदन का अब माहौल है इसमें संभव नहीं है, अध्यक्ष महोदय, दो सदस्य एक साथ बोलें। माननीय रामकृष्ण दास जी भी यदि........

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको समझाओ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय, आप अपना इतिहास देखें। हम को तो शर्म आती है कि गोलीकाण्ड होने के बावजूद सरकार स्टेटमेंट नहीं दे सकी। आप याद करें अपने ही इतिहास को। आपके द्वारा कायम की गई परम्परा निभाने का हमारा धर्म है........

श्री माणकचन्द सुराणा : मुझे फख्र है, अध्यक्ष महोदय, मेरी परंपरा रामकृष्ण दास जी गुप्ता........

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें तो शर्म आ रही है........

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको तो शर्म आ रही है खास तौर से, आप हनुमानगढ़ से आ रहे हैं। आपको कितनी शर्म आ रही है इसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने खास तौर से कह दिया कि इससे विपक्ष के लोगों को जितना दुःख है उससे भी ज्यादा हमें दुःख है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, कांग्रेस ने कभी ऐसे बयान नहीं दिये। अध्यक्ष महोदय, एक राजनैतिक वातावरण विपक्ष के लोग बना रहे हैं........

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : किसने कहा ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सुन लीजिये, एक वातावरण बनाया जा रहा है कि इस सदन से महत्वपूर्ण कागजात छुपाये जा रहे हैं। एफ. आई. आर. की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं........

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको लिखते हैं कलैक्टर कांफिडेंशियल रिपोर्ट........

श्री माणकचन्द सुराणा : पूरी बात तो सुनें........

श्री श्योपतसिंह मकासर : पब्लिक डाकूमेंट चाहते हैं हम लोग, पब्लिक डाकूमेंट मांगना भी गुनाह है तो हम बैठ जाते हैं।

(42)

श्री माणकचन्द सुराणा : अब और कोई चीज बाकी नहीं रही। एफ. आई. आर. टेबल पर आ गई है........

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कंट्रोवर्सी चल रही है तो जैसा लोक सभा में हुआ, आपको स्मरण होगा कि खेतड़ी काण्ड हुआ तो श्री कंवरभान गुप्ता ने लोक सभा में नोटिस दिये बिना ही मामला उठाया था और लोक सभा अध्यक्ष ने तत्काल चौ. चरण सिंह को बुला कर कहा कि बयान दीजिये, उसी समय बयान न होने के कारण उन्होंने कहा कि आप दोपहर तक बयान दे दीजिये और दोपहर तक पूरी रिपोर्ट, पूरी इन्फार्मेशन स्पीकर लोक सभा के हुक्म के तहत गृह मंत्री भारत सरकार को रखनी पड़ी। तो मेरा निवेदन है कि जब आपको लगातार निवेदन किया गया है कि आप राज्य सरकार को हिदायत करें तो मेरा निवेदन है कि उस परंपरा और प्रिसिडेंस के अनुसार आप सरकार को हिदायत दें। अभी इस का फैसला किया जाय कि यह आपकी क्षमता के अन्दर आता है या नहीं। बराबर आपने आब्जर्वेशन रखा है कि मैं सरकार को मजबूर नहीं करता लेकिन हमारे सामने यह इंसीडेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस व्यवस्था के प्रश्न पर कहा है कि यह आपकी क्षमता के भीतर है या नहीं। यदि आपकी क्षमता के भीतर आता है तो मेहरबानी करके आप व्यवस्था प्रदान करें whether it is not within the competence of the Speaker to direct the Government to lay down the report on the table of the House.

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं लोकसभा में इसी बारां गोलीकाण्ड के प्रश्न को उठाने का प्रयत्न किया गया तो अध्यक्ष महोदय ने यही कहकर कि मामला जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये हाई कोर्ट के जज को सुपुर्द कर दिया गया है.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है। सरकार ने बहुत ही झूठ बोला है। परसों तक तो नहीं दिया गया था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने लोकसभा को गुमराह करके इस सदन की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाई है। हम अपने स्पीकर महोदय पर आंच नहीं आने देंगे। यह उनका अधिकार है कि वह मन्त्रियों को आदेश दें कि कलेक्टर की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी जाय। हम उस हाउस के मेम्बर्स हैं जिस हाउस में स्पीकर सर्वोच्च है और मुख्य मन्त्री उनके बाद में हैं। मुख्यमन्त्रीजी नीचे बैठते हैं और स्पीकर महोदय ऊपर बैठते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम इस सदन में बार बार यह मांग कर रहे हैं चार दिन से कि कलेक्टर की रिपोर्ट यहां पर पेश की जाय और आपने यह कहा है कि मैं असमर्थ हूं, ऐसी स्थिति में चुपचाप मामला हाई कोर्ट के जज के पास भेजा गया। क्या यह सदन का अपमान नहीं किया गया है? मुख्य मन्त्री महोदय ने बारां गोलीकांड पर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

स्टेटमेंट देते हुए मुझे यह कहा कि 35 घंटों में भी कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और आज यह स्टेटमेंट दे रहे हैं चुपचाप कि रिपोर्ट उसके पास में भेज दी है। यह चोरी छिपे काम क्यों हुआ ? इस तरह से जनता के सामने इन्क्वायरी हो सकेगी और जनता के सामने सारे तथ्य आ सकेंगे ? उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर न रख कर सदन की प्रतिष्ठा को क्यों गिरा रहे हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है, लोकसभा में यह कहा था कि जज के पास पेंडिंग है। पेंडिंग शब्द का नियमों में जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि किसी जुडिशियल बोडी या कमीशन के सामने पेंडिंग हो तो उस पर चर्चा नहीं हो सकेगी। तो कृपा करके बताया जाय कि वह किसके पास पेंडिंग है ? सरकार ने किस तरह से उसको सबजुडिस कहा है ? वह किससे इन्क्वायरी करा रही है, The matter is not yet sub-judice ? हमारे योजना मन्त्रीजी बहुत चतुर है और बोलने के इच्छुक हैं तो कृपा करके यह बतलाइये कि वह कौन सी आथोरिटी है जिसके नीचे यह मेटर पेंडिग है ?

दूसरी बात, दो मुद्दे और इसके साथ-साथ बनते हैं। एक यह कि जिस समय यह मांग उठाई गई थी, हाउस एडजोर्न हुआ था, पहली बार 27 तारीख को वारां की घटना के बारे में तो, श्रीमान, आपने आसन से एक अध्यक्ष यह फर्माया था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस प्रश्न पर विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय देंगे। यह अध्यक्ष महोदय की सदन में व्यवस्था थी, सदन की बैठक में व्यवस्था थी। आपकी उस व्यवस्था का क्या हुआ ? उसके बाद बालाबाला ही इस मामले को जुडिशियल इन्क्वायरी को रेफर कर दिया, बावजूद आपकी इस हिदायत के कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस प्रश्न को तय करेंगे। बिना आपकी हिदायत का पालन किये हुए सरकार ने उसको रेफरेन्स के लिए भेज दिया तो सरकार निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था की अवहेलना करने की जिम्मेदार है। कृपया इन तथ्यों की सदन में जानकारी दें, बारां में यह जो घटना हुई, उसके बारे में तथ्य जानना चाहते थे उनको जानने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोई भी सही तरीके से बयान नहीं दिया जा रहा था और न सही तरीके से मामले को रखा जा रहा था। मेरा निवेदन यह है कि सदन के माननीय सदस्य इस घटना के बारे में तथ्य जानना चाहते हैं।

इन दो पहलुओं को देखिये, एक तो यह कि पेंडिग है या नहीं ? अगर आपकी हिदायत के बावजूद यह पेंडिग किया गया तो क्या सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशों की अवहेलना नहीं की ? अगर की है तो आपको आथोरिटी है, निश्चित तौर से यह व्यवस्था दें कि सरकार रिपोर्ट पेश करे। रूल यह प्रोवाइड करता है कि जज के पास पेंडिग मेंटर है तो चर्चा नहीं हो सकती है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रूल को सस्पेण्ड करने की कृपा करें। यह एक ऐसा मसला है जिस पर माननीय सदस्यों की भावनाओं का विचार नहीं करें और सरकार इस तरह का आचरण करे तो वह गलत है। यद्यपि मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं परन्तु चाहता हूं कि सरकार का आचरण आगे चल कर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

शुद्ध हो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप व्यवस्था दें तो निश्चित तौर से आपकी बात असर करेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय योजना मन्त्रीजी ने कहा कि लोक सभा में जब यह मामला उठाया गया तो वहां पर माननीय स्पीकर महोदय ने यह व्यवस्था दी कि यह मैटर सबजुडिस है इस कारण से इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। श्रीमान्, परसों के दिन यह मामला निश्चित रूप से सबजुडिस नहीं था। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। गृह मन्त्रीजी से जब यह पूछा गया कि किस जज की नियुक्ति की गई तो वह जवाब नहीं दे सके। सरकार ने लोक सभा के अध्यक्ष और भारत सरकार को मिसगाइड किया है। इससे जाहिर होता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो बात पाइंटेड रूप में बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : It is for the Speaker to give a ruling. On what authority they are speaking ?

श्री माणकचन्द सुराणा : I have to make my submission.

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी चाहिए कि क्या सरकार अध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध मामला चला सकती है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखना स्पीकर का कार्य है अगर उसको कोई गिराये तो आपको अधिकार है........

(व्यवधान)

यह स्पीकर की प्रतिष्ठा को नहीं मानते हैं तो हम इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं होंगे।

श्री माणक चन्द सुराणा : चाहे आप तैयार हों या न हों लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत होगी तभी बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कब व्यवस्था दी ?

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सर्वोच्च सभा लोक सभा है। देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया जाता है तो यह बहुत बड़ा सीरियस आफेन्स है।

(व्यवधान)

विपक्ष के माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री बजरंग लाल शर्मा द्वारा यह स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि राजस्थान सरकार ने भारत

(श्री एच. एन. शर्मा)

सरकार को गुमराह किया है, देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है तो मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार इन आरोपों का स्पष्टीकरण करे कि क्या देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया गया है ? अगर सर्वोच्च सदन को गुमराह किया गया है तो यह देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी भावना पर कुठाराघात किया गया है, उसको गुमराह किया गया है, उसको धोखे में रखा गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उस दिन कह रहे थे कि दोषी व्यक्तियों को बचाना नहीं चाहते हैं । गोलियां चली हैं तो हम दुखी हैं ? उनको दुखी भी होना चाहिए लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि विद्यार्थी क्या पहली बार बिना टिकट जा रहे थे ? क्या पहली बार विद्यार्थियों ने बिना टिकट ट्रैवल किया था ? ऐसी कौनसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी कि गोली चलाने को उनको बाध्य होना पड़ा । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि जरूर ही उस अधिकारी ने अपने विवेक से काम नहीं लिया और समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की । ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए । मैं यह कहूँगा कि सर्वोच्च सदन को आपने गुमराह किया तो कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी जिसके कारण आपने किया ? इसका पूर्ण स्पष्टीकरण किया जाय ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्या लोक सभा को किसी मन्त्री ने......

श्री माणकचन्द सुराणा : I rise on a point of order under rule 294(4). 294 रूल है वह यह है—

"No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision."

अध्यक्ष महोदय, इस रूल के तहत श्रीमान् से इजाजत मांगी । बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ ।

एक माननीय सदस्य : डेफिनेटली पांइट आफ आर्डर है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है अगर यह पाइण्ट आफ आर्डर हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या केन्द्रीय सरकार को यह सूचना भेजी है ? परसों हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया है जिसके आधार पर पार्लियामेण्ट में जवाब दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह तो हाउस में कहा गया है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है । आप क्या अपने आपको असमर्थ समझते हैं ? आसन को असमर्थ समझते हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप अध्यक्ष महोदय की बार बार दुहाई देकर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मन्त्री महोदय, please don't play on emotions. कृपा करके इमोशन छोड़ें। यह गलत है। इसको छोड़ें। कृपा करके आप ऐसा जवाब नहीं दें जिससे आप फंसते चले जाय।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ ....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले अधिकार बता दें। किस अधिकार से आप बोल रहे हैं ? Under what authority you are speaking ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप स्पीकर की कुर्सी पर नहीं है। स्पीकर ने इजाजत दी है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप किस अधिकार के तहत बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

294 के अन्तर्गत आप किस प्रकार....

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सब रूल 4 पढ़िये :—

"No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision."

क्या इससे भी साफ चाहिए कोई ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या आपने अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले ली है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, सरकारी पक्ष से जो कहा गया है, वह मैंने सुना है। मैंने विपक्ष को भी सुना है। माननीय बजरंगलाल शर्मा ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनको भी सुना है।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

May I know from the hon. Member what interpretation of rules is disputed at present ?

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी है।

श्री अध्यक्ष : Will the hon. Members be generous enough to allow some latitude to the poor Chair to give vent to his views ? I hope you will not confuse my way of thinking. I hope you will allow me, calmly, to say a word on the various issuses that have been raised before the House.

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल जी ने मुद्दे उठाये हैं। विपक्ष ने मुद्दे उठाये हैं। शासकीय पक्ष ने भी बात कही है। अभी नियम 294 के सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकर्षित किया है। बहुत कुछ स्पीकर के डिस्क्रिशन पर निर्भर है। मैंने ऐसा कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात की जाएगी। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, यह अधिकांश विषय भावनाओं का है, इमोशन का है। कई प्रकार के कारणों से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठ सकी है। इस प्रश्न पर बात करने के लिए मैं चेष्टा करूंगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी और आवश्यकता होगी तो इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

इस समय जो मुद्दा उठाया वह लोक-सभा का है। लोक सभा को यहां की सरकार ने जो जानकारी दी है, वह जानकारी स्पष्ट है। सरकार ने यह जानकारी दी है, उसका इरादा है, दृढ़ संकल्प है जुडिसियल इन्क्वायरी अपाइण्ट हो। जुडिशियल इन्क्वायरी अपाइण्ट करने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है। जुडिशियल इन्क्वायरी पांच मिनट में अपाइण्ट नहीं होती है। मैंने कहा, मैं विवश हूं। सरकार को मजबूर नहीं कर रहा हूं। सरकार ने स्वयं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सदन में स्टेटमेंट दिया। जुडिशियल इन्क्वायरी की जाये।

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप सुन तो लें मेहरबानी करके।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष सन्तुष्ट हो, इसके लिए सरकार को जो कार्यवाही करनी थी, वह की है। सरकार ने सूचना लोक सभा को दी है। सरकार द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अवगत कराया गया है। सरकार की नीति कन्सिस्टेन्ट है।

और कोई दूसरी सरकार विपक्षी बेंच पर बैठी होती तो इस समस्या को लेकर वह क्या करती। सरकारी पक्ष यह चाहता है कि विपक्ष इस बारे में उद्विग्न नहीं हो। मैं भी विपक्ष में विधायक के रूप में बैठा करता था। हमारी भावनायें क्या थीं, वह भी मुझे याद है। शासन को विपक्ष को उदारतापूर्वक सुनना चाहिए। इसके साथ साथ विपक्ष को भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कोई भी सरकार बारां की स्थिति को मद्दे-नजर रखते हुए क्या और विचार कर सकती है? अगर और कोई मुद्दा उठायेंगे उग्रता बढ़ाने को और शासन पक्ष शालीनता नहीं बरतेगा, उत्तरदायित्व नहीं बरतेगा तो it takes two to make a quarrel. one cannot quarrel with oneself.

इस प्रकार की बात शासन पक्ष को नहीं बरतनी है। इसी प्रकार विपक्ष को भी मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है जो कुछ सरकारी पक्ष से कहा गया है उसके बाद अब इस बात को समाप्त करना ही उचित होगा। मैं इस बात को अब समाप्त करता हूं।

जयपुर उद्योग लिमिटेड के मजदूरों को बोनस

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, जयपुर उद्योग लिमिटेड के मजदूरों को बोनस न दिये जाने के बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इण्डियन बोनस एक्ट, 1965 के तहत उन कर्मचारियों को 28 फरवरी को बोनस दिया जाना चाहिए था ....

(व्यवधान)

(1.40 म. प.)

(दर्शक दीर्घा से एक दर्शक द्वारा सदन की अवमानना)

बोनस नहीं दिये जाने के कारण मजदूरों में उत्तेजना है।

श्री कौशलकिशोर जैन : प्रान ए पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : बैठो, बैठो।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह दरख्वास्त करूंगा कि इण्डियन बोनस एक्ट, 1965 के मुताबिक 28 फरवरी को दिया जाने वाला बोनस मजदूरों को दिलायें। 8 महीने की मियाद कम हो गयी है। अभी श्रम मन्त्री जी ने बताया है। मैं निवेदन करूंगा कि 15 मार्च तक बोनस नहीं दिया गया तो दफा 28 के तहत वहां के मैनेजर और जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा बनता है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ मुकदमा चला कर उनको अदालत में पेश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रम मन्त्री महोदय थोड़ा इस बात के लिए कमिटमेंट करें कि 15 मार्च तक बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जायगा और मजदूरों में किसी प्रकार की अशान्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर....

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मन्जूर अली जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में जयपुर उद्योग के अधिकारियों को बुला कर विचार विमर्श करूंगा, यह मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं। जिस जीर्ण अवस्था में सरकार ने जयपुर उद्योग को ग्रहण किया और जिस आशा और विश्वास के साथ उसको चलाने की चेष्टा की है उसमें हमेशा मजदूर वर्ग की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। माननीय सदस्यों को मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसको सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के द्वारा ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है। इसके लिए आवश्यक विधेयक लोक सभा में पेश किया जा रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय जयपुर उद्योग की वित्तीय स्थिति पहले से कहीं अच्छी है। राज्य सरकार का इसमें चार पांच करोड़ का इन्वाल्वमेंट है। इससे अधिक राजस्थान सरकार कर पाएगी या नहीं लेकिन जो भी बोनस आदि की समस्याएं हैं मजदूरों की, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार से श्रमिकों की अनदेखी नहीं करेगी और नियमानुसार जितना कुछ हो सकता है वह करेगी।

सदन के पटल पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण। सचिव महोदय।

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(श्री सचिव)

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978।

2. राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978।

3. राजस्थान मद्यनिषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978।

4. सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान नगरीय सम्पति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978।

2. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978।

3. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978।

4. राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978।

5. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978।

6. राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978।

7. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978।

8. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978।

9. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978।

10. राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1978।

11. राजस्थान बंदी शिनाख्त (संशोधन) विधेयक, 1978।

12. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978।

समिति का प्रतिवेदन

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

राजस्थान विश्वविद्यालय (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति का प्रतिवेदन।

श्री महबूब अली (राज्य शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विश्व विद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को 21 मार्च, 1979 तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।

माननीय श्री बजरंगलाल शर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय का अपूर्ण पढ़ा गया अभिभाषण।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है इसके सम्बन्ध में मेरा एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय को स्मरण होगा कि 26 फरवरी को राज्यपाल महोदय पधारे तो उन्होंने अभिभाषण के कुछ अंश पढ़े और यह कहा कि शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय। उस दौरान कुछ गड़बड़ी हुई........

श्री श्योपतसिंह मकासर : गड़बड़ी तो नहीं हुई।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उसके बाद आपने स्वयं एक प्रस्ताव किया कि शेष भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय। वह सदन में अप्रूव हुआ। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि चूंकि हाउस ने प्रस्ताव पास करके अप्रूव किया है, और महारावल लक्ष्मणसिंह ने प्रस्ताव रखा और हाउस ने अप्रूव किया है इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि जब एड्रेस शब्द लिखा था तो भाषण लिखा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए पूरा भाषण नहीं पढ़ा गया, जितना भाषण पढ़ा गया है उसी पर चर्चा हो सकती है, बाकी पर चर्चा नहीं हो सकती है। अदालत में मामला गया उसके फैसले के कुछ अंश में आपकी सेवा में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ जिससे वह पाइन्ट ऑफ आर्डर सिद्ध होगा और इसको तय करने में मदद मिलेगी।

Article 176 आपकी सेवा में पेश करता हूँ—

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly and inform the Legislature of the causes of its summons."

'एड्रेस' शब्द को इस हाउस की प्रोसीडिंग्ज के सिलसिले में पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन्टरप्रेट किया है। श्रीमान्, वह आर एल डब्ल्यू 1966 में पेज 511 पर है। योगेन्द्र हांडा वर्सेज स्टेट। दो जजों का फैसला है जस्टिस दवे और जस्टिस कानसिंह उसमें थे। उन्होंने उसको इण्टरप्रेट करते हुए कहा है—

'.The term 'session' connotes the sitting together of the legislative body for the transaction of business. Natural meaning of the trem 'address' is 'to direct one's words to' or 'speak directly

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

to' or "to present a formal address."

This is what has been said by the High Court.

उसके बाद जो फैक्ट्स जिस प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने आये उनके आधार पर उन्होंने उसमें कहा कि—

"On 3rd March, 1966, one of the members of the Assembly moved a motion of thanks for the Governor for his address. At this, some members raised objections that as the address had not been delivered and the causes for summoning the Assembly not declared there was no occasion for conveying thanks to the Governor. When this objection was raised, the Speaker gave his ruling to the effect that, as the Governor had read some portions of his address occurring in the beginning and some at the end and as it had already been takan by the House as read, the objection raised has no force."

अब हाउस ने किस प्रकार से to be read" करके अप्रूव किया उस पर है

"On a motion by Shri awal Laxman Singh, leader of the opposition group, a resolution was passed by the House that the address of the Governor may be taken to have been read. The Governor then left the Assembly Hall."

मेरा निवेदन है कि उस परिस्थिति और इस परिस्थिति में इतना अन्तर है कि उस समय कुछ पोर्शन्स पढ़े गए थे और आपने प्रस्ताव रखा था जिस पर सदन ने स्वीकृति दी कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। लेकिन इस बार राज्यपाल महोदय पधारे, उन्होंने कहा कि अभिभाषण 31 पृष्ठ का लम्बा है। इसलिए मैं कुछ अंश पढ़ूंगा, शेष पढ़ा हुआ माना जाए। यहां किसी माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा हो, सदन की सहमति ली गई हो और शेष भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया हो, ऐसी कोई परिस्थिति नही है और न इस तरह की कोई कार्यवाही हुई। इसलिए जब यह चीज नहीं हुई है तो प्रस्ताव के अभाव में शेष अभिभाषण को पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता और उसको एड्रेस नहीं कहा जा सकता है। जो एड्रेस नहीं है, उसके ऊपर कोई धन्यवाद प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और न पारित किया जा सकता है। यह हाई कोर्ट की फाईडिंग्स हैं। जो सवाल हाई कोर्ट के सामने था वह था :

"That it should be held that the Governor had not addressed the Assembly in accordance with Article 176 (1) of the Constitution and, consequently, the entire proceedings of the Rajasthan Legislative Assembly were absolutely null and void."

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

जो न्यायालय का फैसला है उसमें उन्होंने कहा है :

" The speech was certainly directed to the members of Legislative Assembly and the Governor came face to face with the representatives of the people and if, in the circumstances that arose as a result of the action of some of the members, the whole of the address was not read, then it was certainly open to the House to say that the address may be taken to have been delivered."

क्योंकि उस समय परिस्थिति इस प्रकार की पैदा हुई कि पूरा भाषण पढ़ना संभव नहीं था, मुंह से बोलकर भाषण देना सभव नहीं था, इसलिए उन विशेष परिस्थितियों में सदन ने प्रस्ताव किया और उस प्रस्ताव के द्वारा निर्णय लिया कि सारा भाषण पढ़ा हुआ माना जाए। उस प्रस्ताव के बिना उस समय की परिस्थितियों को कोर्ट जस्टीफाई नहीं कर सकता था। सदन के किसी माननीय सदस्य द्वारा ऐसी स्थिति पैदा किए बिना अभिभाषण पढ़ा नहीं जा सका जब कि कान्स्टीट्यूशनल लाइबिलिटी है कि राज्यपाल महोदय सदन को एड्रेस करेंगे। जब एड्रेस पूरा नहीं हुआ, शेष भाग पढ़ा नहीं गया तो वह अभिभाषण का पार्ट नहीं माना जा सकता और उस पर कोई विचार नहीं हो सकता न धन्यवाद प्रस्ताव पास हो सकता है। इसलिए यह अभिभाषण, जो सदन की मेज पर रखा गया है, वह अभिभाषण नहीं है जो राज्यपाल ने दिया। कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं जो उनको आब्सट्रक्ट करतीं और न ही सदन का प्रस्ताव है कि पढ़ा हुआ मान किया जाय। इसलिए आप निर्णय करें कि अभिभाषण पर धन्यवाद की प्रोसीडिंग्स किस हद तक महदूद रहें? क्या ऐसी हालत में पूरे एड्रेस पर विचार हो सकता है? पहले स्वयं आपने वह प्रस्ताव मूव किया था जिसे सदन ने स्वीकृति दी थी। अब आपकी सदारत में चलने वाले सदन ने कोई स्वीकृति नहीं दी है कि शेष भाग पढ़ा हुआ माना जाए। राज्यपाल महोदय को स्वयं घोषणा करने का हक नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस सवाल पर अपनी विवेकपूर्ण व्यवस्था देकर कृतार्थ करें।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, जो समस्या माननीय सदस्य ने उठाई है, इस सदन में पहले भी कई बार उठ चुकी है। सौभाग्य से उस पर बहुत ही इलेबोरेट जजमेंट हमारे पूर्व के अध्यक्ष महोदय ने 17–2–75 को डिलीवर किया था। यह निर्णय राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष के आसन से दिया गया था। महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन मई, 1967 से अगस्त, 1975 है जो 1977 में पब्लिश हुआ है राजस्थान विधान सभा सचिवालय के द्वारा उसमें इसका उल्लेख है। मैं उसका मेजर पार्ट पढ़ता हूं :

(1) विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय द्वारा अंशतः पढ़े हुए अभिभाषणों को भी पूरा पढ़ा हुआ माना जायगा और उससे संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

(2) राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गए अभिभाषण की जो प्रति सदन की मेज पर

(श्री ईश्वर चन्द्र)

रखी जाती है वही अभिभाषण की प्रामाणिक प्रति है।

तो जहां तक पहला मुद्दा है, ज्यादा जोर इस बात पर है कि सदन से राय नहीं ली गई, सदन की कन्सेंट नहीं ली गई। आप टेक्निकली मानते हैं कि राय ली जा सकती है लेकिन राय नहीं ली गई। इस सम्बन्ध में भी इसमें है "सचिव, राजस्थान विधान सभा ने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी तो श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत किया कि वे इस अभिभाषण को संवैधानिक औपचारिकता पूर्ति के अन्तर्गत नहीं मानते क्योंकि अभिभाषण आरम्भ से अन्त तक पढ़ा नहीं गया और न राज्यपाल महोदय अथवा अध्यक्ष ने यह घोषणा ही की कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। अतः अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखने की अनुमति नहीं दी जाय।"

इस पर अध्यक्ष महोदय ने 4 मार्च, 1975 को निम्नांकित व्यवस्था दी :

दिनांक 17 फरवरी, 1975 को जब सचिव, राजस्थान विधान सभा ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी तो विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए कहा कि

(1) जो प्रति सदन की मेज पर रखी गई है वह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं है क्योंकि वह अभिभाषण न तो अन्त तक पढ़ा गया और न ही उसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय द्वारा यह कहा गया कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

(2) राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण का जितना भाग सदन के समक्ष पढ़ा है वही अभिभाषण माना जाना चाहिए।

(3) राज्यपाल महोदय द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़े जाने से संविधान के अनुच्छेद 176 की पूर्ति नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया है :

मैंने उसी दिन अपनी संक्षिप्त व्यवस्था में इन आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए विस्तृत व्यवस्था बाद में देने की बात कही थी। मैंने इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत अपना अभिभाषण देते हैं। इस संवैधानिक औपचारिकता की पूर्ति के लिए राज्यपाल महोदय दिनांक 17 फरवरी को विधान सभा में पधारे और उन्होंने सदन को संबोधित किया एवं सदन को आहूत करने के कारणों आदि से भी सदन को अवगत कराया था।

माननीय सदस्यों की मुख्य आपत्ति चूंकि यह है कि इस अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ा गया है और न ही इसके संबंध में यह कहा गया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये, अतः वास्तविक अर्थ में यह अभिभाषण नहीं कहा जा सकता। सामान्यतया अभिभाषण पूरे ही पढ़े जाते हैं परन्तु ऐसे अवसर अनेक बार इस विधान सभा में और अन्य विधान सभाओं में भी आयें हैं जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण अस्व-

(54)

(श्री ईश्वर चन्द्र)
स्थता तथा अन्य कारणों से पूरा नहीं पढ़ सके हैं और उसे पढ़ा हुआ मान लिया गया है। ऐसे उदाहरण संसदीय इतिहास में उपलब्ध है जब कि राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण न पढ़ा जाकर आसन द्वारा पढ़ कर सुनाया गया है और उसको संवैधानिक आवश्यकता का पालन मान लिया गया है। सन् 1961 में प्रथम बार यह मामला राजस्थान विधान सभा के सामने आया जब राज्यपाल महोदय ने विधान सभा सदस्यों को राज भवन में आहूत किया और चूंकि वे अपना अभिभाषण अस्वस्थता के कारण पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, अतः तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष द्वारा उनका भाषण पढ़ा गया। 3 मार्च, 1966 को जब राज्यपाल महोदय अन्य कारणों से अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सके तो अभिभाषण का शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया गया और तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए यह निर्णय दिया कि—

"मेरी मान्यता है कि अस्वस्थता के कारण या और कारणों से भाषण नहीं पढ़ सके तो भी 176 (1) में उसको पूर्ण पढ़ा हुआ माना जाएगा।"

इसी प्रकार एक बार उसी विधान सभा में जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो स्वयं विपक्ष ने यह सुझाव दिया था कि उसका शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया जाय। यहां ही नहीं, लोक सभा तथा अन्य विधान सभाओं के सामने भी इसी प्रकार की परिस्थितियां आई हैं। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक विधान सभाओं के नाम लिए जा सकते हैं। अभिभाषण पूरा न पढ़े जाने के कारण चाहे जो रहे हों, या राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पश्चात् चाहे स्वयं यह न भी कहा हो कि शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया जाय, परिणाम एक ही रहा है।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि सदन की मेज पर जो अभिभाषण की प्रति रखी गई है क्या उसी भाषण की प्रति है जो राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया ? जैसा कि मैंने सदन को उस दिन भी सूचित किया था, अभिभाषण की वही प्रति सदन की मेज पर रखी गई है जो राज्यपाल महोदय द्वारा प्रमाणित करके अभिभाषण के तुरन्त पश्चात मुझे दी गई थी।

अतः मेरी यही व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसमें कोई वैधानिक त्रुटि अथवा खामी नहीं हुई है और उससे संविधान के अनुच्छेद 176 की पूर्ति हो जाती है।

इसलिए श्री बजरंग लाल जी ने जो सवाल उठाया है, यदि वह धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद के आरम्भ के समय उठाते तब तो फिर भी सवाल उठता था लेकिन अब काफी बहस हो गई, प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में भाषण दिया जा चुका है। इसलिए अब इस आपत्ति में कोई जान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया, उस समय सदन के समक्ष

(श्री भंवरलाल ऐरन)

उन्होंने यह बात रखी कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण पूरा भाषण नहीं पढ़ सकेंगे और बाकी का जो भाषण है वह पढ़ा हुआ मान लिया जाये। सारे सदन ने चुप रह कर मूक सहमति दी। उस सहमति के बाद आज इस प्रश्न को विलम्ब से इस स्टेज पर उठाया जाना, मै समझता हूं, यह लीगल estoppal व Acquiescence के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसको न माना जाये, मैं चाहूंगा, इसको ध्यान में रख कर व्यवस्था आप दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय जो बात कही गई, मैं सक्षेप में उसका उत्तर देना चाहूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर डिबेट नहीं होनी चाहिये। पाइंट आफ आर्डर पर कोई जवाब नहीं हुआ करते। सारी चीजें, श्रीमान, आपके सामने स्पष्ट हैं। मौन स्वीकृति हुई है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास जानकारी है। जान बूझकर इन्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय राज्यपाल महोदय अभिभाषण करने के लिये आते हैं, स्पीकर महोदय सदारत नहीं करते। 1956 में वाई. एन. हाण्डा के केस में तय किया गया। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के हिसाब से राज्यपाल महोदय जब आते हैं और जब तक सदन से चले न जायें उस समय तक हम इतना ही करते हैं कि हम मौन स्टेच्यू की तरह यहां बैठे रहें या खड़े रहें। माननीय ऐरन साहब ने कहा, मौन स्वीकृति दी, यह मन्जूर नहीं है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने डिनाई किया है। जो कुछ हो रहा है, वह देखें। न एतराज कर सकते हैं न कह सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे अधिकारों के बाहर होगा। इसी 66 के केस में कहा गया है, कुछ लाइन्स पढ़ दूं—

"The very same practice has been followed in India both in the Constitution as well as in the rules of business framed by the Speaker of the Orissa Legislative Assembly under the Constitution. No member elected to Assembly may take his seat except after taking oath of allegiance nor can the Legislature function without the Speaker being duly elected. After the Assembly is so constituted, the Governor addresses the Assembly and explains the causes of its summons."

एक बात तो यह, मान्यवर, उस समय स्पीकर साहब प्रिसाइड नहीं करते। दूसरी यह कि उस समय क्या सदस्य लोग कुछ कार्यवाही कर सकते हैं? इसमें आगे कहा गया है। उनका कर्त्तव्य है कि स्टेच्यू की तरह बिहेव करें। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने फर्माया, माननीय भटनागर साहब ने कहा, उस रूलिंग से स्पष्ट है कि विशेष परिस्थिति में ऐसा हो

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

सकता है। न विशेष परिस्थितियां थीं और न विपक्ष का सुझाव था। राज्यपाल महोदय ने भी यह नहीं कहा कि मैं अस्वस्थ हूं। उन्होंने कहा, 31 पृष्ठ का भाषण है, पूरा नहीं पढ़ूंगा। स्वयं ही घोषणा कर दी कि पढ़ा हुआ माना जाये........

एक माननीय सदस्य : बीमार भी नहीं थे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि जब कोई विशेष परिस्थिति नहीं, सदन में कोई हंगामा नहीं, प्रोसेशन में जैसे आप पधारते हैं, उसी तरह से आप पधारे, बड़ी प्रसन्नता के साथ भाषण दिया, वापस उसी तरह पधार भी गये और भी कार्यवाही चली। कहीं राज्यपाल के आचरण में कोई विशेष बात नहीं थी। सदन में सदस्यों के आचरण में कोई विशेष बात नहीं थी। एक ही बात हो सकती है कि राज्यपाल महोदय को अभिभाषण में विश्वास न हो, और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी पवित्र जुबान से व्यक्त न करना चाहते हों। यह विशेष स्थिति हो सकती है। और कोई विशेष स्थिति नहीं थी। 17-2-75 की रूलिंग बताई गई है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है, उसको मद्दे नजर रखें उसमें है, in the circumstances" वह सर्कमस्टान्सेज होनी चाहिये। वह सर्कमस्टान्सेज नहीं हैं। 17-2-75 की रूलिंग है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सदन का प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मेज पर रखी गई कापी औथेन्टिक प्रति मानी जाये, the address delivered is in the hands of Governor. It is not the address delivered. वह स्पीच जो छपी हुई थी वह रख दी। अगर सचिव महोदय गलत भी रख दें तो क्या सही मानी जायेगी.? आर्टिकल 176 में गवर्नर एड्रेस है। वे एड्रेस फर्मायेंगे। 1966 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यह जरूरी है it is mandatory. It is not an irregularity.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। आपको पूर्ण आजादी है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कुछ चाहें कह सकते हैं लेकिन यह सब डिस्कशन एकेडेमिक है। मेरे ख्याल में इसको संक्षेप में समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक पाइंट और मीट कर लूं।

चौथी बात यह कही गई, एकेडेमिक डिस्कशन की। माननीय ईश्वरचंद्र जी ने कहा कि गाड़ी छूट गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गाड़ी चालू ही नहीं हुई। जो कुछ कार्यवाही चल रही है, वह गलत चल रही है। अगर कल गलती कर ली है और आज ठीक कर लेते हैं तो अच्छी बात है। टैक्निकली भी यह गलत कार्यवाही चल रही है। It is not too late, unless it is over. जब बहस शुरू हुई मैं सोच रहा था, माननीय सदस्य उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो मुद्दे स्पीच में थे। जब बात बाहर चल रही है तो निवेदन है कि प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट कीजिये। जो हिस्सा एड्रेस बन गया है उस पर ही बहस हो। उस पर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

ही धन्यवाद प्रस्तुत किया जाय। इन पांच मुद्दों पर, श्रीमान, व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बजरंगलाल जी ने जो मुद्दे उठाये उसका पर्याप्त रूपेण श्री ईश्वर चन्द्र जी ने उत्तर दे दिया है। उनका उत्तर और श्री भवरलाल जी ऐरन का उत्तर है उससे मैं सहमत हूं। मैं समझता हूं, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, वह लीगल और कान्स-टीट्यूशनल है। उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये। उन उदाहरणों के अनुसार भी और इस सदन की परम्पराओं के अनुसार भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण "should be taken as read". पढ़ लिया, ऐसा मान लिया जाना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट के फैसले के एक्सट्रेक्ट्स माननीय बजरंगलाल जी ने पढ़ कर सुनाये। उस समय कोई प्रस्ताव नहीं आया केवल मात्र सुझाव विरोधी पक्ष की ओर से आया था जिसे तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। कोई प्रस्ताव के रूप में नहीं था जो औपचारिक रूप से रखा गया हो। माननीय राज्यपाल महोदय उपस्थित हों तो वही प्रिसाइड करते हैं। इसलिये माननीय ईश्वर चन्द्र जी ने जो व्यवस्था पढ़ कर सुनाई, उससे मैं सहमत हूं। माननीय बजरंगलाल जी की आपत्ति स्वीकार करने में मैं विवश हूं।

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस शुरू की जाय।

श्री बजरंग लाल शर्मा : विशेष कारण देकर हो जाय तो उससे कन्सिसटेन्सी रहेगी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री करतार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बहस शुरू करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का राजस्व अभियान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे आशा है निश्चित रूप से राज्य सरकार मेरे सुझावों पर चिन्तन करके कदम उठायेगी और आगे आने वाले राजस्व अभियान में किसानों को फायदा मिल सकेगा। आज, अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे बिन्दु की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि कृषि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 30 मिनट बोल चुके हैं।

श्री करतार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोला हूं। मैंने पौने छः बजे शुरू किया था और 6 बजे सदन का समय स्थगित कर दिया गया था इसलिये केवल 15 मिनट ही बोल पाया हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका यहां लिखा हुआ 30 मिनट है। मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था।

श्री करतार सिंह : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि सम्बन्धी जो राज्यपाल महोदय

(श्री करतारसिंह)

ने अपने अभिभाषण में बताया कि राज्य के अन्य जिले छोटे और सीमान्त जिलों में जो 6 जिलों में लागू था वह अब 26 जिलों में लागू कर दी गई हैं, इसके लिये तो मैं स्वागत करता हूं और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं।

दूसरा जो पक्ष है, उसकी ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। हमारे किसानों को उन्नत खाद व दवाई सप्लाई करने की व्यवस्था अभी तक नहीं रही है और न ही इस अभिभाषण में कहीं उसका उल्लेख किया गया है। किसानों को समय पर उन्नत खाद, बीज और दवाइयाँ उपलब्ध कराई जायं ताकि किसान भी नवीन प्रणाली का फायदा उठा सकें। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले में जो सब्सिडी दी जाती है, इसका मैं समझता हूं 65 लाख रुपया पड़ा हुआ है वह मार्च में लैप्स हो जायगा। मैं समझता हूं, राज्य सरकार हस्तक्षेप करे और जो कम्युनिटी वर्क्स हैं उनसे भी अधिक छोटे किसान लाभान्वित होते हैं। इसलिये कम्युनिटी वर्क्स स्टार्ट कर के उस पैसे का इस्तेमाल किया जाय। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्नत बीज व खाद सप्लाई के लिये सरकार को शीघ्र कदम उठाना चाहिये।

मेरे जिले में किसानों ने तीन-तीन बार बीज बोये हैं लेकिन वे तुषारापात से बच नहीं सके, इसलिये मेरा निवेदन है जो उन्नत सीड है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिये। इस अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया है। किसानों को लागत मूल्य देने का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। जब तक किसानों की माली हालत नहीं सुधरेगी, तब तक किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है।

मैं सर्व प्रथम माननीय पंचायत राज मंत्री को हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अजमेर में काम के बदले अनाज योजना चालू की और 60 हजार मजदूरों को रोजगार दिया, उससे ग्राम में नई आशाओं का संचार हुआ है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं अजमेर में जो गेहूं मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है। बेरोजगारों का ध्यान रखते हुये निश्चित रूप से अब शीघ्र ही आवंटन करें। इसके साथ ही साथ काम के बदले अनाज की जो योजना है उसकी ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें आपके टैक्निकल स्टाफ की कमी है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

टैक्निकल स्टाफ की कमी के कारण काम सुचारु रूप से नहीं चलता है। मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही तरह का वेट होना चाहिये अलग-अलग तरह का नहीं। अलग-अलग तरह के माप

(2.17 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

तोलों को समाप्त करके एक ही तरह के

(श्री करतारसिंह)

माप तौल किये जायं ताकि काम सुचारु रूप से चल सके।

इसके साथ ही साथ विद्युत और सिंचाई के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने बताया कि 400 करोड़ खर्चा करने का प्रावधान रखा है। यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। मैं इस ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। अजमेर जिले में न तो लघु सिंचाई योजना लागू की है और न लिफ्ट इरिगेशन की योजना चालू है। मैं निवेदन करूंगा अजमेर के अन्दर राजस्थान की जो चम्बल नदी है उससे नहरों द्वारा इरिगेशन का सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए। फ्लेट रेट के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले को कोई फायदा नहीं हुआ है। कुओं में कनेक्शन देने में भी काफी गड़बड़ी है। उसमें यह कन्डीशन लगाई गई है कि जिसके नाम है, उसी को कनेक्शन दिया जायेगा। अब खुद की जमीन है लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता है। राजस्व रिकार्ड में जो जानकारी है उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, काफी गड़बड़ियां हैं। बहुतों के खाते अभी ठीक नहीं हुए हैं, अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं या तो अजमेर जिले में फ्लेट रेट लागू करें या मिनिमम चार्जेज लिये जायं।

दूसरा, मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—दुर्भाग्य से वे अभी यहां मौजूद नहीं हैं। किशनगढ़ के पावर लूम के बारे में कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि यह सारे देश में पावरलूम में अच्छा स्थान है। लेकिन किशनगढ़ में अनेक अनधिकृत पावर लूम लगे हुये हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने अन आथोराइज्ड पावर लूम हैं उनको भी आप देखें।

इसके साथ ही साथ किशनगढ़ में रंगाई-छपाई का काम भी बहुत अच्छा किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-चार बातें कह कर समाप्त कर रहा हूं।

एक, उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश की शक्तियां सीमित की जानी चाहिये और जन प्रतिनिधियों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिये ताकि उनके दिल में यह बैठ सके कि उनका भी स्थान ऊंचा है और सम्माननीय है। जहां तक मैं समझता हूं हर विभाग में आई. ए. एस. को ऊंचा अधिकारी बना दिया जाता है और जन प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है जो वहां के स्थानीय लोग हैं जिनको वहां का पूरा अनुभव है उनको भी स्थान मिलना चाहिये।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की सेवायें हैं उनमें अधिक तादाद में आरक्षण देकर जन प्रतिनिधियों को स्थान दीजिये ताकि जनता सरकार का स्वप्न साकार हो सके। मैं पुनः अन्त्योदय योजना, राजस्व अभियान और भी जो महत्वपूर्ण योजनायें सरकार ने चालू की हैं उनके लिये धन्यवाद देते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(60)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम प्रसाद लड्ढा।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छा यह होता कि विपक्ष, जिसने तीस साल तक राजस्थान में राज किया, हमारे एक वर्ष का लेखा जोखा और उनके तीस वर्ष के राज का लेखा जोखा सामने आता, उसको वे सुनते और इस बात का अहसास करते कि काम करने की क्या कला होती हैं। राजस्थान का नक्शा किस प्रकार से बदला जाता है। जनता शासन का यह तीसरा बजट है। पहले भी राज्यपाल के अभिभाषण होते थे, इसी तरह से होते थे। इसी तरह से बजट भाषण होते थे मगर नयी योजना, नयी प्रेरणा, नया जोश नहीं होता था। इस बजट अधिवेशन में शामिल होने के लिए जब हम रवाना हुए तब क्षेत्र के लोगों ने पूछा कि अब की बार कौन सा नया चमत्कार करने जा रहे हो? पहले अधिवेशन के अन्दर अन्त्योदय योजना थी, दूसरे अधिवेशन में ग्रामोदय योजना थी अब की बार कौन सी योजना लाने जा रहे हो? अन्त्योदय योजना के बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। पहले पहल जब अन्त्योदय योजना के बारे में बताया गया तो यह कहा गया कि यह तो यों ही टांय टांय फिस हो जाने वाली है। यह तो केवल ऋण देने की योजना है, इससे कोई जनता का भला नहीं होने वाला है। आज हमें इस बात की खुशी है कि इस अन्त्योदय योजना से हमने 24 हजार लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी है। साठ हजार लोगों को जमीन व ऋण दिया है, छः हजार लोगों को काम पर लगाया गया है और सात हजार लोगों को अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाई गई है। इसके साथ ही जो अन्त्योदय में चयनित परिवार हैं उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अन्त्योदय और राजस्व अभियान के अन्तर्गत अन्य प्रकार से सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जहां पर पहले खानों के पट्टे पैसे वालों को दिये जाते थे आज वहां पर चयनित परिवारों को खानों के पट्टे दिये गए हैं। किसी न किसी प्रकार से अन्त्योदय में चयनित परिवारों को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है और वे उठ खड़े हुए हैं। आज वे यह कहने की स्थिति में हैं कि हमको भी जीने का अधिकार मिला है,। हमको जीने का अवसर मिला है, हमारी शक्ति और समय का उपयोग होने लगा है। वास्तव में हमारे पास जो कुछ भी नहीं था, हम असहाय थे, हम पीड़ित थे आज जनता सरकार ने, इस शासन ने उसकी सुध बुध ली है जिसके कारण वह अहसास करने लगे हैं कि उनको भी जीने का अधिकार है। पहले भी जमीनें दी जाती थीं, पहले भी ऋण दिये जाते थे, पहले भी वृद्धावस्था पेंशनें दी जाती थीं लेकिन किन लोगों को दी जाती थीं? उसको देने में कितना समय लगता था। आज हमें यह कहते हुए खुशी है कि जब हम अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान के तहत क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे साथ में वहां का एस. डी. ओ., बी. डी. ओ. होता है, वहां का तहसीलदार होता है, वहां का पटवारी और इंस्पेक्टर साथ होता है और ग्राम सभा में बैठ कर अन्त्योदयी परिवारों का चयन होता है। उसी समय

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

यह घोषणा करते हैं कि तुम्हारी पेंशन चालू हो गई। पहले पेंशन चालू होने में छः महीने लग जाते थे, दो साल और तीन साल का समय लग जाता था और फिर भी किनको पेंशन मिलती थी, किन को जमीन मिलती थी जो एम. एल. ए. के दया पात्र होते थे। जो सरपच के दया पात्र होते थे, जो प्रधान के दया पात्र होते थे। आज किस के दया पात्र हैं? आज चयनित परिवारों का चयन ग्राम सभा के अन्दर बैठ कर, सब मिल कर करते हैं। वहीं पर उस आदमी को वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, उसी समय ऋण देते हैं, उसी समय जमीन देते हैं। पहले भी जमीनों के आवंटन होते थे, पहले भी साधन और सुविधायें उपलब्ध होती थीं, पहले भी ग्रामों के लिए योजनायें बनाई जाती थीं लेकिन इनका लाभ किनको मिलता था। उन चन्द आदमियों को मिलता था जो सरकार के कृपा पात्र होते थे, आज मानवता के आधार पर ग्राम सभा के अन्दर, बैठ कर ऐसे परिवारों को हमने सहयोग दिया है, ऐसे परिवारों को ऊपर उठाया है जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले हमने अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों को उठाने की बात की है, उसी के बाद ग्रामोदय के तहत ग्रामों को ऊंचा उठाने की बात की है। जिस समय अन्त्योदय योजना और ग्रामोदय की बात कही थी, उस समय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा यह तो दयों की सरकार है। पर आज हमें खुशी इस बात की है कि ग्रामोदय के नाम पर हमने पंचायतों को जहां पहले चार आना प्रति व्यक्ति अनुदान मिलता था, उसको बढा कर ढाई रुपया प्रति व्यक्ति का अनुदान दिया है। उसका लाभ किस को मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा जो झोंपड़ी में रहता है। उस आदमी को लाभ मिलेगा जिसके घर पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। आज सिंचाई का लाभ उन ही लोगों को मिलता है? मैं यह नहीं कहता कि पंचायतों को जो ढाई रुपये का अनुदान मिला है वह पर्याप्त है लेकिन फिर भी लाभ मिला है। आज पेयजल की सुविधायें जुटाई गई हैं। ग्रामोदय योजना के तहत काम के बदले अनाज की योजना लागू की है। आज 25 करोड़ रुपये राजस्थान के अन्दर काम के बदले अनाज योजना के तहत लगाये गये हैं। पहले भी योजनायें बनती थीं, पहले भी कल्याणकारी योजनायें बनती थीं, पहले भी व्यवसाय देने के लिए योजनायें बनती थीं उसका लाभ चन्द व्यक्तियों को मिलता था लेकिन आज जो 25 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, मैं यह मानता हूं कि यह 25 करोड़ की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है। लेकिन इस राशि में ग्रामों के अन्दर आज पंच, सरपंच, वहां के नागरिक इस बात को समझने लगे हैं कि तीस साल बाद जनता की बात सुनने वालों का राज आया है। आज गांवों के बारे में सोचते हैं, आज ग्राम के गरीबों के लिए सोचते हैं, आज झोंपड़ी वालों के लिए सोचते हैं, जिस जनता की तरफ, जिस ग्राम के गरीब आदमी की तरफ तीस साल तक देखा भी नहीं गया है। ऐसी योजना को लेकर जनता सरकार ने राजस्थान के अन्दर जो योजनायें लागू की हैं, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये योजनायें पहले भी बनती थीं, पहले भी विकास के

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

नाम पर खर्च किए जाते थे लेकिन पहले विकास के नाम पर होड़ नहीं लगती थी, विकास के नाम पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। सरकार के खजाने से धन खर्च होता था उसके अन्दर बांट में होड़ थी यह कहा जाता था। जो पहले मन्त्री थे, जो विधायक थे, जो पहले नेता थे आज उनके पास जयपुर के अन्दर, दिल्ली के अन्दर और अन्य नगरों में हवेलियां और बंगले खड़े हुए हैं। आज विकास के नाम पर जनता में होड़ है, सरकारी तंत्र मे होड़ है, आज 25 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया है और जब इसका लेखा जोखा लिया जाएगा कि काम हुए या नहीं तो पता चलेगा कि कितने काम हुए हैं। मैं लेखा जोखा की बात इसलिए करता हूं कि पहले भी निर्माण के काम हुआ करते थे, पहले दस हजार के काम पर डेढ़ लाख रुपये खर्च हुए हैं। आंकड़े बोलते हैं कि जहां डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ वहां पर दस हजार की सड़क बनी थी लेकिन आज जहां पर दो हजार खर्च किए गये हैं वहां पर पांच हजार का काम खड़ा हुआ है, आज वहां पर दस हजार का काम खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि जनता सरकार ने दस हजार के पीछे, पांच हजार के पीछे या दो हजार के पीछे चुकारा कम किया। ऐसी बात नहीं है। इस समय जितना जन सहयोग मिला है, आज जनता के सहयोग से जितने काम हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। पहले टाइम में भी सड़कें बनाई गई थीं, अकाल राहत में सड़कें बनाई गई थीं लेकिन उनका क्या उपयोग हुआ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आज काम के बदले अनाज योजना के तहत 5600 शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया है, प्राइमरी स्कूल बने हैं। 1500 पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। 623 चिकित्सालयों का निर्माण हुआ है और 7240 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है। चार हजार पेयजल कूपों एवं छः हजार तालाबों के निर्माण कार्य हुए हैं। जिन पर 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जिसके जीते, जागते उदाहरण गांव में हैं। जिसके अन्दर चीजें बनी हैं। जो काम अधूरे हैं वे भी निकट भविष्य में शीघ्र ही पूरे होंगे। मेरा निवेदन है।............

श्री करतारसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। हाउस में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा आरम्भ कीजिए।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : राज्यपाल के अभिभाषण में जहां अन्त्योदय योजना की सफलता की बात कही गई है, उसके साथ ही ग्रामोदय योजना की सफलता की बात कही गई है, वहां पर न केवल वहीं तक रहे हैं बल्कि काश्तकार और काश्तकारों में भी वह काश्तकार जो लघु हैं, जो छोटे से छोटे काश्तकार हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, इन लोगों के लिए जहां सन् 71 से लेकर 77

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तक कांग्रेस सरकार ने केवल छः करोड़ रुपये खर्च किए वहां पर जनता सरकार ने केवल एक वर्ष 1979 में 14 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार ने यह आश्वासन दिया है, राजस्थान को चमन करने के लिए वह सिंचाई के साधनों की पूरी व्यवस्था करेगी। सिंचाई के साधनों की व्यवस्था होना आवश्यक है। चाहे वह मेजा फीडर हो, चाहे वह जाखम प्रोजेक्ट हो या गंग-भाखरा नहर का काम हो, या जवाई बांध हो। सब का पूरा विकास होगा। जो गत दस, पन्द्रह साल से काम चल रहे हैं, उनको पूरा किया जाय। मुझे अन्य सिचाई योजनाओं का तो पता नहीं है किन्तु भीलवाड़ा जिले का जो मेजा फीडर बांध है, वह जनता सरकार 1980 में पूरा करने जा रही है। यह खुशी की बात है। कांग्रेस शासन में यह दस साल और पूरा नहीं होता। इसका कारण है कांग्रेसी शासन लम्बे समय तक सिंचाई कार्यों को अपूर्ण रखता था। जनता सरकार जनता को इन कार्यों को पूरा कर राहत देने का प्रयास कर रही है। इन अधूरे कार्यों में हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। इसका उपयोग कैसे हो ? तो हमारी जनता सरकार ने इस मेजा फीडर को पूरा करने की घोषणा की है। जो स्कीम चली है वह 1980 में पूरी हो जाने वाली है। हमने आधुनिकीकरण के तहत पिछले साल में एक पैसा खर्च नहीं किया। जनता सरकार के आने के बाद इस ओर ध्यान दिया गया और पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए 107 योजनाएं पूरी की जा रही हैं जिससे एक लाख बीघा जमीन को पानी दिया जा सकेगा। जनता सरकार ने इस प्रकार गांव के गरीब लोगों को, झोंपड़ी में रहने वालों को छोटे किसानों को, जिनकी कि सुनवाई गत तीस साल से नहीं हो रही थी, पानी मिल सके ऐसी व्यवस्था की है।

इसके साथ ही जनता सरकार ने फैसला किया है कि बिजली काश्तकारों को जल्दी से जल्दी मिले। पहले मीटर टूट जाते थे तो उसका सारा खर्चा किसान को करना पड़ता था। अब जनता सरकार के आने के बाद, उनकी तकलीफों की तरफ ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह सरकार जनता से आई है और जनता की तकलीफों को समझती है। क्या तकलीफ जनता को हो सकती है, वह जानती है। इसको ध्यानमें रखते हुए जनता सरकार ने किसानों से बिजली की फ्लेट रेट लेने का फैसला किया है। एक प्रकार से यह सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है। अब मीटर की शिकायत नहीं होगी, उसके लिये उसको पहले बिजली विभाग में जाना पड़ता था, अब उसके लिए उसको बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही जनता सरकार ने 45,000 कुओं को बिजली गत दो वर्ष में दी है ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें। कई महानुभावों की सूची है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I am the only opposition leader today.

श्री राम प्रसाद लड्ढा : 45,000 कुओं को बिजली दी गई है। मैं काश्तकार हूं, जानता हूं इसकी क्या उपयोगिता है? पहले मुझे भी जब कनेक्शन की जरूरत पड़ी तो दो चार महीने भटकना पड़ा था। आज जनता शासन के अन्दर जल्दी ही कनेक्शन मिल जाता है। यह जनता सरकार की देन है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 45,000 कुओं को जो दो साल में बिजली मिली है कांग्रेसी शासन में दस साल तक बिजली नहीं मिलती। यह आंकड़े बोलते हैं। यह राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जहां एक ओर शिक्षा जगत की उपलब्धि है, मिडिल स्कूल खुल गये, सैकन्डरी स्कूल खुल गये, कालेज खुल गये, यह कोई उपलब्धि नहीं है। जनता सरकार द्वारा शिक्षा जगत के अन्दर जो उपलब्धि की गई है वह है प्रौढ़ शिक्षा, जिसकी कि देश को जरूरत थी। 1947 से 1977 तक यह तत्कालीन सरकार का उत्तरदायित्व था, उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह देश में प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार करती। देश के जनमानस को समझाती। परन्तु यह देश का दुर्भाग्य रहा कि उस सरकार ने इस देश की जनता को बोध नहीं कराया। उसकी चेतना को नहीं जगाया। देश की जनता को अज्ञान में रखा। जिस सरकार ने देश की जनता को जागृत करने के लिए तीस साल तक कुछ नहीं किया वह इस जनता सरकार ने दो साल में करना प्रारम्भ किया। इस प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम से जनता में नई चेतना आई है। इससे मुझे खुशी हुई है। इसके लिए जनता सरकार बधाई की पात्र है। वह इस प्रौढ़ शिक्षा के जरिए 15 से 35 वर्ष तक के देश के लोगों को शिक्षा देगी, साक्षर करेगी। उनको भी जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा, चिकित्सा का अधिकार है, नैतिक अधिकार है। जनता सरकार ने यह किया है, उसके लिए यह सरकार सब से ज्यादा धन्यवाद की पात्र है। प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ कर के एक नई चेतना का संचार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बार बार घंटी भाषण समाप्त करने के लिए बजाई है, इसलिए आपकी आज्ञा मानते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जनता सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री मनोहर सिंह मेहता : कृपया समय निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दस मिनट से अधिक न लें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहूंगा कि हम लोगों को कब समय दिया जाएगा?

श्री नूरा : क्या सत्ता पक्ष के सदस्य गण ही बोलेंगे और हमें अवसर नहीं दिया जायगा ? ऐसा है तो हम बिस्तर उठा कर चले जाएं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने पर्ची नहीं भिजवाई है।

श्री नूरा : पार्टीवाइज टाइम आपने अलाट कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको भी अवसर दूंगा। आपको कम से कम कहलवाना चाहिए वरना मैं कैसे मान लूं कि आप बोलेंगे।

श्री समरथलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दिया जाए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही आपको पर्ची भेज दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह सोचता था कि आप आज इतना बोल चुके हैं कि और नहीं बोलना चाहेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा : हां पक्ष के सचेतक महोदय द्वारा जो लिस्ट दी गई है उसमें माननीय कौशल जी का नाम 8, 9 नम्बर पर है। दूसरे माननीय सदस्य रतनलाल जी वर्मा, बजरंगलाल जी का नाम क्रम संख्या 5 व 6 पर है। तो यह बीच में 9 नम्बर कैसे आ गया। कृपया क्रमवार नाम बल्सावें।

श्री नूरा : पार्टीवाइज हमें भी बोलने का पहले अवसर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप बोल करके चले जाएंगे तो विरोधी पक्ष में कोई नहीं बचेगा। इसलिए आप तो कम से कम विराजे रहें।

श्री रतनलाल वर्मा : आप विरोधी पक्ष को सुशोभित करें।

श्री नूरा : ये तो राज कर रहे है। इनके गीत तो रोजाना रेडियो पर आ रहे हैं। ये भी कोई कम नहीं हैं गीत गाने में। इनको तो कम से कम मौका दें। बिल्ली के भाग्य से यह छींका टूट गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय कौशल किशोर जी का नाम पुकार लिया है। गलती हो गई है। इनको बोलने दिया जाए। एक बार नाम पुकार लिया है।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, श्री किशनसिंहजी भाटी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यबाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं हृदय से उसका समर्थन करता हूं। दो साल के जनता पार्टी के इतिहास में उन सदस्यों में रहा हूं जिन्होंने सरकार के कदमों का कुछ शर्तों के साथ में समर्थन किया है।

हमेशा टीका के रूप में मैंने कुछ बातें रखी हैं।

राजस्थान में काम के बदले अनाज योजना में 25 करोड़ रुपये के जो काम हुए हैं उनको देखकर राजस्थान और भारत सरकार का ही नहीं विश्व का कोई भी निष्पक्ष

66

(श्री कौशल किशोर जैन)

विवेचक अपना माथा ऊपर उठा सकता है। जहां 30 साल के पिछले शासन के इतिहास में गांवों में नालियां, सड़कें और पक्के घर पंचायत घर नहीं बन सके। अनेकों माननीय सदस्य पिछले दो साल में मांग करते रहे हैं कि गांवों में विकास की ओर जनता सरकार ध्यान दे। दो महीने पहले हमने आश्वासन गांवों में दिया था, गांवों में जाने की तब हमारी हिम्मत पस्त दिखाई देती थी किन्तु आज विधान सभा के सदस्य, गांवों के सरपंच गांव गांव में जाते हैं। जगह जगह जनता सरकार की जय हो रही है, हर गांव में काम हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 30 सालों में भी किसी पंचायत समिति में एक साथ इतना काम नहीं हुआ। जहां मजदूरों को मजदूरी के लिए दो चार मील दूर जाना पड़ता था, वहां आज उसी गांव में, उसी पंचायत में मजदूरों को मजदूरी मिली हुई है। मेरी पंचायत समिति सुवाणा के अन्दर आज 149 गांवों में काम चल रहा है। विधान सभा सत्रारम्भ के पहले स्वयं मैं देख कर आया हूं। मैं आज भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान के राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता सरकार की भावना अपने अभिभाषण में व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन कामों में 1-2 कमियां रह गई हैं जिनकी अगर पूर्ति हो जाय तो सोने में सुहागा हो सकता है। गांवों के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं 2-3 सुझाव देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया है सरकार को। हमने गांव के कामों में बैलगाड़ी को लेना भी स्वीकृत किया था किन्तु इसके लिए जिलाधीश विवशता अनुभव करते हैं कि गाड़ी लगायी जाय या नहीं? बैलगाड़ी लगाई जाय तो इसका भुगतान कैसे होगा? मैंने इस विषय में मन्त्री महोदय से बात की, उन्होंने फर्माया कि इसमें कुछ दिक्कत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमने 12 से 15 रुपये तक का अनाज बैलगाड़ी के लिए देना तय किया है। इसमें कोई कानूनी खामी हो तो वह दूर की जाय। इसके बिना जितनी सड़कें बनी हैं वे अधूरी रहेंगी। ऐसा न हो कि हमने जो कुछ काम किया है केवल गाड़ी न लगाने के कारण यह सारा मिट्टी में मिल जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव और देना चाहूंगा, एक पंचायत समिति में एक जे. ईएन. तक तो ठीक है किन्तु साधारणतया राजस्थान में दो पंचायत समितियों के बीच में एक जे. ईएन. और दो जिलों के बीच में एक ए. ईएन. है। जब सरकार ने यह कर रखा है कि-5 हजार से ऊपर और 25 हजार से नीचे के काम ए. ईएन. पास करेंगे और उनका तखमीना जे. ईएन. बनायेंगे तो पंचायत समितियां तो एस्टीमेट बनाकर भेजती हैं लेकिन स्टाफ की कमी के कारण जे. ईएन. और ए. ईएन. बना नहीं पा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हर दस पंचायतों पर एक जे. ईएन. लगाया जाय और हर एक पंचायत समिति पर एक ए. ईएन. हो। पचायत समिति का स्टाफ ऐसा लगता है कि इस सारे काम को संभाल नहीं पा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति के स्टाफ को बढ़ाया जाय।

एक और निवेदन है कि पहली बार भी जब अभियान चला था तो मैंने निवेदन किया

(श्री कौशल किशोर जैन)

था कि आप जन प्रतिनिधियों को भी अधिकार दीजिये ताकि वे सारे काम को निकटता से देख सकें, कर सकें। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व अभियान हुआ और दूसरो काम के बदले अनाज योजना हुई, उसको एम. एल. ए. सरपंच देखने जाते हैं तो आज साधन के अभाव में वी.डी. ओ. ए. ईएन. जे. ईएन. भी समय पर नहीं पहुंच पाते, उनके पास गाड़ी नहीं है, पंचायत समिति के पास केवल एक गाड़ी है। 250 काम एक गाड़ी नहीं देख सकती। हमने सरपंचों को पांच हजार तक की छूट दी है, जब हर सरपंच को भागीदार बनाया जाता है तो इस अभियान में, जब तक यह चले, 31 मार्च तक चलती है तो भी, एक गाड़ी रखें जो सरपंच, एम. एल. ए. के पास रहे। अगर ऐसा हो जाय तो सारे काम को दिशा दी जा सकेगी।

मैं राजस्व अभियान के मामले में भी निवेदन करना चाहूंगा, उसकी जितनी स्तुति की जाय, थोड़ी है। काफी प्रशंसा किशनसिंह भाटी ने की उसमें काफी कैसेज निपटाये गये। जनप्रतिनिधि से लेकर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एस. डी. ओ. गांव की चौपाल पर जा कर बैठ गये, बड़ी खुशी की बात है किन्तु यह संकट वहां भी आया। जिला पूल की गाड़ी सिर्फ एस. डी. ओ. कलेक्टर, तहसीलदार को उपलब्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं....

श्री श्योरत सिंह मकासर : यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, असेम्बली में बोल रहे हैं....

श्री कौशल किशोर जैन : सरपंच, एम.एल.ए. और स्थानीय कार्यकर्त्ता अलाटमेंट कमेटी के सदस्य हैं। ये तीनों कार्यकर्ता अलाटमेंट कमेटी में जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब हम गये अलाटमेंट करने तो जो नगरपरिषद के क्षेत्र हैं, कानून इस प्रकार का पिछले 30 सालों में बनाया गया है कि दो मील की परिधि के अन्दर सीलिंग में भी कोई जमीन पड़ी है, कोई नाजायज कब्जा है, तो हम उसको जायज नहीं कर सकते। वहां के किसान परेशान हैं, इस बात के लिए। वे कहते हैं कि 50 गुना पैनल्टी हमसे वसूल की जा रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हम 10 साल से काबिज हैं, 15 साल से काबिज हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का अधिकार दिया जाना चाहिए राजस्व अभियान में कि 2 मील की परिधि की समस्याओं को वे हल कर सकें। कानून में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेटलमेंट के कारण जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं उनका राजस्व अभियान में कोई समाधान नहीं हो पाया है। किसी की जमीन किसी के नाम दर्ज कर दी गई है, किसी के खाते में दर्ज हो गई है। यह समस्या एक जगह नहीं राजस्थान के कोने-कोने में है। इस तरह की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

(68)

(श्री कौशल किशोर जैन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नहर के बारे में जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुःख है कि राजस्थान नहर के बारे में एक समाचार समाचारपत्रों में आया और भारत के एक बड़े साप्ताहिक ब्लिट्ज में भी उसका विवेचन किया गया है। मैं उसकी बात से सहमत हूं। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के लिए हमें विश्व बैंक से सहायता क्यों नहीं मिली? कहा यह जाता है कि विश्व बैंक की सहायता मिलने वाली थी वह इसलिए नहीं मिली कि विश्व बैंक ने एक शर्त रखी थी कि राजस्थान नहर के लिए कोई निगम बनाया जाय। राजस्थान विधानसभा को हम बुला नहीं सके इसलिए निगम नहीं बन सका। हमने कहा कि अध्यादेश से निगम बना देंगे तो उन्होंने इंकार कर दिया। इस तरह से तो हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती है। हम 5-6 महीनों से खाली बैठे थे, विधान सभा क्यों नहीं बुलाई गई? राजस्थान नहर के अन्दर जो निर्माण होने वाला था वह अवरुद्ध क्यों कर दिया गया? मेरा निवेदन है सरकार से कि इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। यह बड़ा अहम मसला है। इस पर विचार होना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बिन्दू और लाऊंगा आपके ध्यान में। यह बिन्दू शायद बड़े विवाद का विषय है राजस्थान में, किन्तु राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बिन्दू की चर्चा अपेक्षित समझते थे, वह है मद्यनिषेध। एक भी शब्द मद्यनिषेध के बारे में शायद इसके अन्दर नहीं आया है। मैं जिस परिवार का सदस्य हूं और जिन संस्कारों में पला हुआ हूं उनके अनुसार निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता है कि सारे भारत के अन्दर शराबबन्दी होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक महीने से राजस्थान की राजनीति के अन्दर मद्यनिषेध का तूफान खड़ा किया हुआ है। अखिल भारतवर्षीय नशाबन्दी परिषद् की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला नैयर फर्माती हैं कि दिल्ली में ड्राई डेज बढ़ाकर 180 दिन कर दिये हैं, किन्तु दिल्ली में शराब की खपत कम नहीं हुई है। यह मूलभूत पहलू हैं जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 180 दिन ड्राई डेज हुए दिल्ली के अन्दर फिर, भी शराब की खपत म क्यों नहीं हुई? जहां मांग बनी रहेगी तो आपूर्ति तो होगी ही। जहां सरकार को नशाबन्दी से आमदनी कम हो रही है वहां अन्य लोगों की ज्यादा होगी। यह शराबी लोगों की मांग है। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान के अन्दर और पार्लियामेंट के अन्दर जैसे प्रेशर लाबीज होती हैं वैसे शराबन्दी के लिए कोई प्रेशर लाबी काम कर रही हो कि राजस्थान में शराबबन्दी की जाय। लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि राजस्थान के विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया जाय। 39 करोड़ कहां से लायेंगे? देश के प्रधान मन्त्री ने कहा कि 13 करोड़ हम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं शेष पैसे का क्या होगा और कहां से आयेगा?

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

(श्री कौशल किशोर जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट और बोलूंगा।

केन्द्रीय सरकार और माननीय प्रधान मन्त्री जी की नीति है कि शराबबन्दी होनी चाहिए। मैं इसका पक्का समर्थक हूं, लेकिन राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर के हमारी सरकार केवल तनख्वाहें बांटती रहे कर्मचारियों को और विकास के कार्य अवरुद्ध हो जांय, यह बहुत बड़ा विचार का पहलू है। इस बात की गम्भीरता को जानकर मैं कहना चाहता हूं। मैं इसकी गम्भीरता को जानना चाहता हूं और जानबूझ कर यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास को अवरुद्ध मत करिये। यह भावना का सवाल नहीं है। राजस्थान के अन्दर कानूनन शराबबन्दी होगी तो क्या हम इन भट्टियों को बन्द कर पायेंगे? भीलवाड़ा जिले के अन्दर दो तहसीलें शराब से मुक्त हैं, मांडलगढ़ और जहाजपुर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज 200 ट्रक रोज मांडलगढ़ और जहाजपुर की ओर जाते हैं। किसी भी ट्रक का चैकिंग कर लें 10 बोतल हर ट्रक में मिल जायेगी। आज जो बोतल 5 रुपये में मिलती है वही शराबबन्दी के बाद 20 रुपये में मिलेगी। हम शराबबन्दी चाहते हैं तो वह चार वर्ष में चाहते हैं ताकि उसका आधार बन जाय और जब कानून आये तो कानून का सम्मान हो। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान के 52 हजार कर्मचारी बेकार

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हो जायं। उन बेकार कर्मचारियों को वहां पर एडजस्ट करेंगे? यह कुछ व्यावहारिक क्वेश्चन है। 14 करोड़ रुपया कहां से लायेंगे? 52 हजार कर्मचारियों को कहां खपायेंगे? जहां पर सामाजिक रूप से घरों के अन्दर शराब टिकी हुई है उसको कैसे टैक अप करेंगे? पहले इन सब बातों पर विचार होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे कुछ और विचार रखने थे लेकिन आपकी घण्टी से डर लगता है। कोई और अवसर मिलेगा तो अपने विचार रखूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने का प्रस्ताव जो माननीय भाटीजी ने प्रस्तुत किया है उसका अपनी ओर से समर्थन करते हुए आशा करूंगा कि इस डाक्यूमेंट के अन्दर जो कुछ भी दिशा-निर्देश दिया है उसको जनता सरकार राजस्थान में करके दिखायेगी। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरथलाल।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में आकर जो अपना अभिभाषण दिया है उसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो कुछ भी पिछले वर्ष का सरकार का कार्यकलाप है उनके बारे में अभिभाषण के अन्दर पढ़ने को मिला, और आगे आने वाले वर्ष के अन्दर जो कुछ भी कार्यकलाप रहेगा वह भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर पढ़ने को मिला। उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े अभिभाषण, जो करीब 31 पृष्ठों के हैं, के अन्दर कुछ विशेष बात मुझे नजर नहीं आई। उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ष

(श्री समरथ लाल)

राज्य की सरकार और यहां के वित्त मन्त्री इस राज्य को एक नया तोहफा देते हैं। पिछले वर्ष नया तोहफा दिया था। अन्त्योदय योजना का, और अबकी बार इस वर्ष नया तोहफा दिया है "काम के बदले अनाज" का। उपाध्यक्ष महोदय, इस अन्त्योदय योजना के अन्दर भी राज्य के अधिकारियों के साथ साथ जाने का मौका मिला और उसके बाद भी जाने का मौका मिला। मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी अन्त्योदय योजना के अन्दर काम हुआ है, पिछले वर्ष जो अन्त्योदय योजना के अन्दर परिवार थे उनकी हालत कोई नहीं सुधरी तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि अन्त्योदय परिवारों की हालत सुधारने के बारे में राज्य के मन्त्री इस विधान सभा में बड़े जोर शोर से भाषण देते हैं। लेकिन अन्त्योदय परिवारों के सुधार के सम्बन्ध में गांवों में कुछ नहीं हुआ है। अन्त्योदय परिवारों का चयन कर लिया गया लेकिन केवल चयन करने से ही, उपाध्यक्ष महोदय, समस्या का हल नहीं होता। चयन करने के बाद उनका कितना विकास हुआ है? गरीबी की रेखा से वह कितने उपर आये हैं? कितने बाहर आये है? जिनका चयन किया गया है, उनका शत प्रतिशत फायदा हो गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता है। अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में इस वर्ष 1 लाख 12 हजार परिवारों का चयन किया गया है। भाषण में यह भी कहा गया है कि इनमें से 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। अभी कुछ महीनों पहले उनका टेस्ट लिया गया था। ऐसा क्या सरकार के पास जादू का डण्डा है? उनका कहना है कि 22 हजार परिवारों को लाभान्वित कर दिया है। इसके अलावा काम के बदले अनाज की योजना है। इस योजना के अन्दर गांवों के अन्दर जाने का मौका मिला। इतना ही नहीं, जो काम इन योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे हैं उनको देखने का मौका मिला। मुझे लोगों ने यह भी कहा है कि राजस्थान के अन्दर जनता पार्टी के जितने सरपंच और पंच हैं, उनको जाल में फसाने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसी प्रकार से को-आपरेटिव का अभियान सरकार ने चलाया। इस कोआपरेटिव अभियान में सरपचों को फंसा फंसा कर काबू में रखा गया है। इस प्रकार से सरकार उनको काबू में रखना चाहती है।

श्री श्रवणलाल : जो बेईमानी करेंगे....

श्री समरथ लाल : मैं अपने इलाके का उदाहरण देने के लिए कहता हूं कि एक-एक सरपंच को 100-100 क्विंटल अनाज दिया गया है। आप एक भी पंच का मुआयना कर लें। यह पता नहीं चलेगा कि 100 क्विंटल अनाज कहां काम में लिया है? आस पड़ोस में जहां जनता पार्टी के सरपच हैं, वहां भी जाने का मौका मिला है। अलवर जिले में तीन चार सरपंचों को अनाज मण्डी में अनाज बेचते हुए पकड़ा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। यह बात सही है कि जब यह सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। इससे लोगों में डर पैदा हो गया था। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय बोल रहे हैं और चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करने

(श्री समरथलाल)

वाले लोग हैं, वह उनके कहने का अर्थ समझते हैं। इसीलिए आज वह निडर हैं। आज वह निडर होकर काम कर रहे हैं। काम के बदले अनाज की योजना में तीन चार सरपंच पकड़े गये हैं। वह मण्डियों में अनाज बेचते हुए पकड़े गये हैं। पुलिस में एफ. आई. आर दर्ज हो गई है।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम बताइये।

श्री समरथलाल : मैं अलवर जिले की खेड़ा पंचायत समिति का उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार से जयपुर जिले में भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह जो योजना है इस योजना की क्रियान्विति करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो इन योजनाओं का जो फायदा गरीबों को मिलना चाहिए, जो गरीबों को फायदा देना चाहते हैं, वह उनको नहीं होगा। गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात पहली वाली सरकार भी करती थी। आज यह सरकार भी उसी स्लोगन को काम में ले रही है। उसी स्लोगन को काम में लिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व अभियान भी चला है। राजस्व अभियान के मामले में भी मैं गांवों में मौको पर गया हूं। गांवों में जो पटवारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भली प्रकार परिचित हैं कि पटवारी गांवों में गरीबों की किस प्रकार से मदद करते हैं। पैसे लेकर ही उनका कोई काम करते हैं। राजस्व अभियान की कई प्रकार की शिकायतें आई हैं नामान्तकरण तथा भूमि आबंटन की राजस्व अभियान में हम जिनसे मिले, जिनको हम खुली अदालत कहते हैं वहां हमें मालूम हुआ कि गांवों में इस प्रकार के काम हुए हैं कि 100 में से 25 काम हुए हैं। 100 काम पूरे नहीं हुए हैं। 25 कामों में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि पटवारी और तहसीलदार और अड़ोस पड़ोस के इलाके के लोग उपस्थित रहे हैं। पहले मैंने जिलाधीश से कहा। जिलाधीश ने कहा कि यह पहले से परम्परा चली आ रही है। जैसाकि सरकार कहती हैं यह तो पहले से हैं। तो जिन गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी हम मदद नहीं कर सकेंगे। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ लगा रहे हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने सरपंच को अनाज दिया है, अनुदान दिया है, वह कितना काम पूरा कर पाये हैं? इसका असेसमेन्ट अवश्य होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों के नाम से बहुत बड़ा अन्याय होगा। भ्रष्टाचार की बात भी चलती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर बहुत कम बोलता हूं। कोशिश यह करता हूं कि बोलूं वही जो सही हो। भ्रष्टाचार को मना करते हैं लेकिन यह सही है कि इस राज में बहुत कम पुलिस आफिसर होंगे जो पैसा नहीं खाते हैं। इस राज के अन्दर बहुत कम राजस्व अधिकारी हैं जो पैसा नहीं खाते हैं। बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं जो पैसा नहीं खाते हैं। अधिकतर पैसा खाते हैं। पैसा खाने का असर आम जनता पर भी पड़ता है। विशेषकर जो गरीब तबका है, उस पर पड़ता है।

दूसरी बात, जहां राज्य में कानून और व्यवस्था की बात आती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

कानून और व्यवस्था पर महा महिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में

(श्री समरथलाल)

बहुत सन्तोष जाहिर किया है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि बहुत सन्तोष जनक व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन रोज से क्या चर्चा चल रही है ? बारां में गोलीकाण्ड हुआ। इसके अलावा गंगानगर में क्या हुआ ? उदयपुर में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ ? इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तीनों विश्वविद्यालय हैं पिछले वर्ष के अन्दर उनकी क्या गतिविधियाँ रहीं, यह सब हमारे सामने है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रकार की लाइन लिखकर राज्यपाल महोदय से एक गलत बात इस सदन में कहलाई गई है यह, उपाध्यक्ष महोदय कतई उचित बात नहीं है।

यह सरकार योजनाओं पर योजनाएं बना रही है, गांवों में बिजली देने के लिए आर. एस. बी योजनाएं बना रही है जो सरकार के विचाराधीन हैं। लेकिन आज तक एक भी योजना को लागू नहीं किया गया और किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। यह कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप बहुत कुछ क्या कर रहे हैं ? क्या मैं इस सरकार से पूछ सकता हूं कि इस राज्य में किसी जिले में अनुसूचित जनजाति का कोई आई. ए. एस. या आई. पी. एस कलेक्टर या एस. पी है ?

श्री सम्पतराम (गृहमंत्री) : बहुत जगह हैं।

श्री समरथलाल : अनुसूचित जाति के ही सकते हैं, अनुसूचित जन जाति के नहीं।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि सिरोही में जनजाति का एस. पी. है और गंगानगर में भी एस. पी. जनजाति का है।

श्री समरथलाल : इतनी संख्या में अनुसूचित जन जाति के आई. ए. एस. , आर. पी. एस. और आर. ए. एस, आर. पी. एस. के लोग हैं उनको उतनी संख्या में मुकर्रर नहीं किया गया है जितनी संख्या में किया जाना चाहिए।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह सूचना भी गलत है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहें तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आदिवासी और जितने भी जन जाति के लोग हैं सबको इम्पोर्टेन्ट जगह पर लगाया गया है।

श्री समरथलाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर पर लगा रखें हैं, वड़ी इम्पोर्टेन्ट जगह है। जिसको ए. डी. एम. बनाना चाहिए उसको आपने दूसरा काम दे रखा है, इस प्रकार एग्जीक्यूटिव की जो

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पोस्टें हैं जिनका गरीब जनता से सीधा सम्पर्क रहता है उस पर आम तौर से जनजाति के लोगों को सरकार ने मुकर्रर नहीं किया है। इस सरकार ने अनुसूचित जन-जातियों के लिए, एक वर्ष हो गया है, कुछ ट्राइवल्स मिनी ब्लाक्स बनाए हैं उदयपुर की कुछ तहसीलों में। राजस्थान के दूसरे इलाकों

(श्री समरथलाल)

में भी हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की अधिकतर आबादी है। उस आबादी के लोगों का विकास करने के लिये, उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए सात ब्लाक्स बनाए गए हैं। इसके दो-तीन सवाल भी विधान सभा में आए हैं। इन ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के लिए जो ब्लाक्स बनाए हैं वे पिछले डेढ़ वर्ष से भारत सरकार के विचाराधीन हैं। पिछले सत्र में यह सवाल पूछा गया था कि ये कब तक फाइनल हो जायेंगे, लेकिन आज तक फाइनल नहीं हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार केवल योजनाएं ही बनाना जानती है और इनको क्रियान्वयन नहीं करना चाहती। आगे अगर क्रियान्वयन कहीं किया गया तो भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा ऐसी स्थिति के अन्दर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद दूं, यह मेरे लिए नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद तो आपने दे दिया।

(3.15 म.प.)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल वर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा : सभापति महोदय, इनसे ऊपर तो मेरा नाम है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह सही है लेकिन मैंने इनका नाम बोल दिया है इसलिए इनके बाद आप बोल लीजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष में—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनको तो सबसे बाद में अवसर दें ताकि ये बिराजे रहें।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, जो काम तीस सालों में नहीं हुआ वह इन डेढ़ सालों में हुआ है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि फूड फार वर्क के अन्दर गेहूं मण्डियों में बिक गया। सभापति महोदय, जहां के विधायक गैर जिम्मेदार थे, जहां के विधायक नींद में सोए हुए थे, जो विधायक गांवों के अन्दर दौरे में नहीं गए वहां पर यह स्थिति पैदा हो सकती है। जहां पर विधायक जागरूक थे, जिन्होंने गांवों का दौरा किया है उन क्षेत्रों में अवश्य काम हुआ है और गांवों में जागरूकता आई है। इसलिए यह आरोप लगाना कि गेहूं बाजार में बिक गया चांद के धब्बा लगाना है। गांवों में काम किया नहीं और फिर ऐसे कहते हैं यह उचित नहीं है। सभापति महोदय, गांवों में जनता राज में बढ़ोतरी हुई है। ये लोग किसानों पर कलंक लगाते हैं। इनको यह मालूम नहीं कि कांग्रेस के राज में पंचायतों को जहां चार आना देते थे, वहां अब ढ़ाई रुपया कर दिया गया है, म्युनिसिपैलिटीज को 5 रूपया दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में दोनों में समानता लाकर 5 रुपये कर दिया जायगा। इस बात की मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैं यह

(श्री रतनलाल वर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि इसको समानता के आधार पर लाया जाय। शहरों और गांवों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाय। सभापति महोदय, और सब बातें हो चुकी हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये कि रेवेन्यू के मामले में, राजस्व अभियान में भ्रष्टाचार हुआ है, मैं कहता हूं कि क्या आप नींद ले रहे थे? आप उस कमेटी के सदस्य थे, आप उसमें क्यों नहीं गए, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? आप पहले विभाग को रिपोर्ट करते चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे रेवेन्यू हो, पुलिस का विभाग हो, कोई भी हो, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक की है। अगर वह सोता है उसको इस बात की जानकारी नहीं है तो यह बात उसको सदन में नहीं लानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सदन की नहीं है। पहले कम्प्लेन्ट करनी चाहिए, एफिडेविट देना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए, उसके बाद मन्त्री महोदय अगर जांच नहीं करावें तो फिर मसला सदन में लाना चाहिए। इस तरह से सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं मूल बात पर आता हूं। जिम्मेदारी की बात तो कर दी और सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलें लेकिन सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कोई बात नहीं कहते यह कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य बोल रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करें।

व्यवस्था का प्रश्न

पान खाकर सदन में भाषण देना

श्री श्रवणलाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है—

श्री सभापति : क्या प्रश्न है?

श्री श्रवणलाल : यह है कि माननीय सदस्य पान खाकर बोल रहे हैं। इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी माननीय सदस्य पान खाकर नहीं बोल सकता।

श्री एच. एन. शर्मा : बोल सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने यह आपत्ति उस समय उठाई है जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इस वक्त तो मैं यही व्यवस्था दे सकता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री रतन लाल वर्मा : अब मैं कुछ वह बातें कहूंगा जो अभिभाषण में नहीं आई हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई हैं। प्रशासन में सुधार की बात इसमें शामिल नहीं की गई है। सभापति महोदय, शराबबन्दी होनी चाहिए। कम से कम मन्त्रियों व माननीय सदस्यों को संकल्प कर लेना चाहिये कि कोई भी विधायक या मन्त्री शराब का सेवन नहीं करेगा। अगर करेगा तो सदन

(श्री रतन लाल वर्मा)

में नहीं श्राएगा श्रौर वह विधायक पद से त्यागपत्र देगा....

श्री नूरा : कौनसा ऐसा सदस्य है जो पीकर श्राया है ?

श्री रतन लाल वर्मा : कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, शराब का सेवन नहीं करेगा । श्रगर इस बात पर भी सरकार पाबन्द हो जाये श्रौर कटिबद्ध होकर इसका पालन हो जाए तो 80 प्रतिशत लाभ शराबबन्दी का मिल सकता है । सदन सिर्फ कानून बनाने का श्रादी है । कानून में लिखा है कि झगड़ा मत करो, फिर भी झगड़े हो रहे हैं । कानून में लिखा है कि मृत्यु भोज मत करो, फिर भी हो रहे हैं । इसलिए जो कानून बनते हैं उनका पालन माननीय सदस्य करें तो शराब बन्दी का मामला बैठ सकता है । शराब बन्दी कैसे हो श्रौर शराब बन्दी से जो पैसे की कमी श्रा रही है बजट में उसके लिए भी मैं सुझाव देता हूं । जिन जिन लोगों ने कृषि भूमि पर श्रपने मकान बना रखे हैं, उनसे हर गांव में 50 पैसा प्रति गज के हिसाब से लें श्रौर शहरों में हर शहर के हिसाब से लें फिर उन बड़े बड़े सेठों को मालकाना हक दिये जायें तो कम से कम 300 करोड़ रुपये की श्रामदनी हो जायेगी । मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि शराब बन्दी से जो श्रामदनी की कमी हो जाएगी उसकी पूर्ति हो सकेगी ।

श्रापने एक गरीब मजदूर के काम का तो मूल्यांकन कर दिया कि 100 फीट मिट्टी डालनी पड़ेगी, 8 बजे से शाम को 5 बजे तक उनको काम करना पड़ेगा लेकिन क्या श्रापने दो-दो, तीन-तीन हजार पाने वाले श्रधिकारियों, जिनको श्रापने कारें व बंगले दे रखे हैं, व्यक्तिगत बगले 1200–1400 किराये पर ले रखे हैं श्रौर वे सरकारी बगले का उपभोग कर रहे हैं । सरकारी श्रधिकारियों के बीबी व बच्चे सरकारी कारों में घूमते हैं, बागों में घूमते हैं, श्रामेर जाते हैं, क्या उनका मूल्यांकन किया है ? कभी उन पर प्रतिबन्ध लगाने का सोचा ? श्रब तो सचिवालय में कोई सचिव रहा नहीं, श्रायुक्त हो गये तो उनका नाम श्रायुक्तालय हो गया । वहां जो लोग बैठते हैं, उन पर श्राप सबसे पहले प्रतिबन्ध लगायें कि वे लोग दिन भर में 8 घंटे के बजाय 6 घन्टे काम करें लेकिन जब उनके सामने कागजात श्रा जांय तो उसी दिन नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तीन दिन में निकालें । श्रगर तीन दिन में नहीं निकालें तो हफ्ते भर में तो निकालें । एक मेज से दूसरी मेज पर कागज जाने में महीने पूरे हो जाते है ।

(समय-समाप्ति-सूचकघन्टी)

श्रापने 10 मिनट दिये थे, श्रभी तो 4 मिनट हुए हैं ।

श्री सभापति : श्राप 9 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री रतनलाल वर्मा : पंचायत राज्य के बारे में मुझे कहना है कि मैं स्वयं 22 वर्ष सरपंच रहा हूं श्रौर 7 साल प्रधान रहा, मुझे काफी श्रनुभव है । एक विधायक के क्षेत्र में एक ही सब–डिवीजन हो, एक ही तहसील हो श्रौर उसी में डिप्टी इन्सपैक्टर हों, सहायक श्रभियन्ता पी. डब्ल्यू. डी. व सिंचाई के हों, सबके सब उसी पंचायत समिति में हो

(श्री रतन लाल वर्मा)

श्रौर सीनियर श्रार. ए. एस. वहां विकास श्रधिकारी हों। तमाम नक्शा गिरदावरी रेवेन्यू रिकार्ड का ग्राम पंचायत में रखा जाये श्रौर पटवारी को सरपंच के तहत रखें। यह बात तब होगी जब एक कान्सटीट्यूंसी एक विधायक के पास रखी जाएगी। विधायक श्रपने पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखेगा, वहां की समस्याश्रों का समाधान करने में सार्थक होगा तो लोकतन्त्र पनपेगा श्रौर जनता की दिक्कतें दूर होंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री सभापति : बस ? श्री एच. एन. शर्मा।

श्री रतन लाल वर्मा : मैं दो मिनट ही लूंगा।

मृत्यु भोज के बारे में मेरा निवेदन है कि गेस्ट कन्ट्रोल श्रार्डर लागू है लेकिन उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से श्राप कृषि भूमि को श्राबादी व इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करते हैं। श्रौर उस पर विकास शुल्क लागू करते हैं, श्रगर यह काम गांवों में पंचायतों को दें श्रौर वे प्रति व्यक्ति एक रुपया विकास शुल्क का ले फिर चाहे वे भात परोसें या 50 लाख श्रादमियों को खिलायें लेकिन कोई कर्जा लेकर नहीं कर सकना, उधार लेकर नहीं कर सकता यह प्रतिबन्ध लगायें, इससे खाद्य इन्सपेक्टर व पुलिस वालों की चौट्टाई बन्द हो जायेगी। श्राज 20-20 हजार श्रादमियों को खिलाते हैं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं।

इसके श्रलावा हर गिरदावर को गांव से, व हर गांव को सड़क से कब तक जोड़ देंगे ? दूसरे यातायात के साधन कब तक उपलब्ध करायेंगे, इसका बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। श्रगर हर गांव नहीं जुड़ सकता तो हर पंचायत मुख्यालय को कब तक जोड़ देंगे ? कब तक श्रौषधालय, सब सेंटर, हैड पोस्ट कब देंगे ? कब तक तालाब की मोरियां खुली करवा देंगे ? कब तक ये जो कांग्रेस के जमाने में गलत नक्शे बनने से झगड़े हुए हैं ठीक कर देंगे ?

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के श्रभिभाषण का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं श्रौर श्राशा करता हूं कि जो सरकार से मैंने निवेदन किया है, उस पर वह ध्यान देगी।

श्री सभापति : श्री एच. एन. शर्मा।

श्री एच. एन शर्मा (बेगूं) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में जो श्रभिभाषण दिया गया है, उसके लिए मैं उसका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। एक दस्तावेज जो हमारे सामने रखा है, वह दस्तावेज श्रार्थिक, सामाजिक, श्रौद्योगिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विकास का एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जनता पार्टी की सरकार ने श्रपने शासन में श्राने के बाद कौन कौनसे कार्य किये हैं उनका समावेश किया है लेकिन कुछ चीजें छूट भी गई हैं। मैं श्रपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इनकी श्रोर सरकार का ध्यान श्रपने विचारों के माध्यम से श्राकर्षित करूं। मैं सबसे पहले जनता सरकार का शुक्रगुजार हूं कि पिछली बार सरकार ने जो श्रन्त्योदय योजना चलाई, वह श्रन्त्योदय का पहलवान श्रखाड़े में जब उतरा तो कांग्रेस के 20 सूत्री

(श्री एच. एन. शर्मा)

व 5 सूत्री पहलवान के मुकाबले अकेला भारी निकला। पहला पहलवान तो जीता ही जीता, दूसरा पहलवान जो इस बार अखाड़े में उतरा काम के बदले अनाज, उसको मैंने देखा है, उसके लिए सुना है, विरोधी पक्ष के जो पुराने नेता हैं वे कहते हैं कि दूसरा पहलवान तो ऐसा खड़ा किया है कि कांग्रेस का शासन तो कभी आयेगा ही नहीं। ये श्री परसराम मदेरणा के शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि आपने काम के बदले अनाज पहलवान भारी पहलवान उतारा है। हमें डर लगता है कि 5 साल बाद कोई वोट भी देगा या नहीं। मैं इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाता फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। काम के बदले अनाज योजना में 25 करोड़ की लागत के काम हुए हैं वह सीमेंट के अभाव में अधूरे रह जायेंगे। आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सीमेंट तुरन्त उपलब्ध करायें। आंकड़े मौजूद हैं, विकास अधिकारी के पास आंकड़े मौजूद हैं, जिलाधीश के पास आंकड़े मौजूद हैं, कौन-कौन से काम सीमेंट के अभाव में अधूरे हैं। उन कामों के लिये अविलम्ब सीमेंट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दिया जाये।

आज सारी जनता यह कहती है कि जनता सरकार पर नौकरशाही हावी है। मैं ही नहीं कहता, सारी जनता कहती है। क्यों कहती है? यह हमारे मंत्रियों की कमजोरी की वजह से कहती है। सही समय पर निर्णय नहीं लेने की वजह से यह कहती है। मैं उदाहरण पेश करूं। 10-15 दिन पहले वायरलैस दे दिये कि अनाज उपलब्ध नहीं है, काम रोक दिया जाये। जब सदन चला, मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया तो दुबई वायरलैस कर दिये गये कि काम के बदले अनाज योजना में कार्य स्थगित किये थे वह तुरन्त चालू कर दिये जायें। यह जल्दबाजी के निर्णय हैं। नौकरशाही हावी होती है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि निर्णय लेने से पहले जरा सोचिये। होश के साथ निर्णय लीजिये। होश के साथ निर्णय नहीं लिया तो नौकरशाही हावी रहेगी।

आपके माध्यम से अर्ज करूंगा। इस अभिभाषण के पेज नं. 2 पर लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दवाव डाला है कि प्रदेश के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्र से अधिक सहायता दी जाये, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार ने केन्द्र के सामने अपनी पुरजोर मांग तो रखी। सभापति महोदय, 26 फरवरी का "हिन्दुस्तान" पेपर मेरे सामने है। विकास परिषद की मीटिंग के बाद राजस्थान को क्या मिला है? राजस्थान का नं. 8वां है। जो राजस्थान को राशि मिली है उससे ज्यादा राशि आंध्र प्रदेश को मिली है, राजस्थान से ज्यादा बिहार को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी बंगाल को मिली है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु ये बहुत छोटे राज्य हैं इनसे कम राशि मिलने का मतलब है हम अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाये। हमने 115 करोड़ की राशि मांगी। मिली कितनी 103 करोड़। कटौती हुई है। इसको सुधार लिया जाये। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

78

(श्री एच. एन. शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, आशा है, इसमें सुधार किया जायेगा।

कल परसों माननीय परसराम जी कह रहे थे. ललित किशोर जी को कि मंत्री महोदय को छलांग लगाने की बहुत आदत है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो खेलते हैं, जो हाई जम्प करते हैं, उसको ध्यान है, कौन सी खाई रास्ते में आएगी। छलांग लगाना हम जानते हैं लेकिन छलांग लगाने में कुछ कठिनाईयां आ गई हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मेरी सरकार से, पिछली बार बजट में हमने 50 लाख रुपया गांवों में बिजली भेजने के लिए रखा था। इस बार खाली 86 गांव विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किये गये हैं। सारे राजस्थान में 34 हजार गांवों में से 86 गांव सैंक्शन किये गये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 लाख में से 1 लाख भी खर्च नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल छलांग लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। स्कूल बहुत खोले हैं इतने स्कूल खोले हैं जितने उस सरकार ने कभी नहीं खोले। लेकिन क्या टैक्निकल एज्यूकेशन की ओर ध्यान दिया गया है? तकनीकी शिक्षा के बारे में हमें सोचना होगा तभी तकनीकी शिक्षा और दूसरी शिक्षा का विकास हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के बारे में मैं पंचायत मंत्री का शुक्रगुजार रहा हूं कि वह पंचायतों के चुनाव करायेंगे। उनकी अनुदान की राशि भी बढ़ गई है लेकिन अभी भी भेदभाव है। भेदभाव कैसा है? पंचायतों को 2।। रुपये देते हैं लेकिन नगरपालिका को 5 रुपये देते हैं। क्या नगरपालिका का खून खून है और ग्राम पंचायतों का खून पसीना है। यह भेदभाव की नीति क्यों? इसमें तुरन्त परिवर्तन कीजिये। 2।। रुपये के बजाय 5 रुपये कीजिये। आशा है, सरकार उचित निर्णय लेगी और इसी वर्ष 2।। रुपये से 5 रुपये करने की कृपा करेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। परिवहन विभाग की हालत बहुत खराब है। यह बात सही है कि हमने 525 नई बसें लगाई हैं। किन्तु जिस तत्पर गति से सुधार किया जाना चाहिये था, वह नहीं हो पा रहा है। इसको पूरा करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, यह संसार परिवर्तनशील है। जनता ने हमें इस आशा के साथ वोट दिया था कि हम मौलिक परिवर्तन करेंगे, हमें कुछ आधारभूत परिवर्तन करने चाहियें। इस बात का दुःख है कि हम आधारभूत परिवर्तन नहीं कर पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, छात्र आंदोलन की शुरूआत हुई थी गुजरात से, जे. पी. का आन्दोलन चला बिहार से और मूलभूत परिवर्तन राजस्थान से करने की सिफारिश करता हूं। मूल परिवर्तन क्या हो? मूल परिवर्तन संविधान में हो। हिन्दुस्तान का संविधान 1949-50 में बनाया गया था। उस समय की जो परिस्थितियां थी आज उन परिस्थितियों में परिवर्तन है। उस समय

(श्री एच. एन. शर्मा)

देश नया नया आजाद हुआ था........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

आज तीस साल का समय बीत चुका हैं। आज का काश्तकार क्या चाहता है, आज का उद्योगपति क्या चाहता हैं, विधायक क्या चाहता है? नया संविधान बनाइये और परिवर्तन कीजिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री एच.एन. शर्मा : मजदूरों के बारे में कुछ नहीं बोल पाया!....

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा : राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के कुछ अंश पढ़े और शेष अंश के लिये कहा पढ़ा हुआ मान लिया जाय। Coming events cast their shadow before. आने वाली घटनायें अपनी छाया पहले ही बता देती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं यह आबजर्वेशन हो कि यह काम हुआ मान लिया जाय। अब कहीं राज्य सरकार यही तो नहीं कर रही है। वैसे राज्य सरकार से अपेक्षित भी यही है। जितनी चीजें दी हैं अभिभाषण में उसका आप स्वरूप देखिये। सारा अभिभाषण, सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा। मैं जानता हूं, उसमें इन बिटविन लाइन भी कहा गया है कि जनता सरकार के तीन वर्षों में ये ये काम हुए हैं। ख्याल कीजिये इसमें अगला वर्ष भी शामिल है। शायद अब यह हो कि अगले वर्ष राज्यपाल महोदय को भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े इसलिये यह कह दिया गया हो या फिर यह भी हो सकता है कि सरकार को तीसरे साल का मौका ही नहीं दे। बजाय इसके यह कहते कि दो साल में यह किया और अब हमारी यह योजना है और उसके बाद तीन साल का मुक्कमिल नक्शा पेश करते।

कान्स्टीट्यूशन का प्रोविजन है कि विधान सभा के बजट सत्र को राज्यपाल महोदय एड्रेस करते हैं उसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताते है, इरादे बताते हैं। लेकिन इरादा बताने में उपलब्धियां भूल जायं तो मेरी मान्यता है कि कान्स्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है। लेकिन जो जितना समझेगा उतना ही तो करेगा। सरकार की जितनी समझ है, मैं उससे गिला तो नहीं करता लेकिन जैसे आकड़े रखे हैं और जो काम उन्होंने गिनाया है, इम्पोर्टेंट पाइन्ट रखे हैं उनको ले लीजिये। एक बात बड़े जोर शोर से कही कि देश ने नया कीर्तिमान कायम किया है। किस बात का मुझे पूछते तो मैं कहता, नया कीर्तिमान यह कायम किया है कि गुलाबी शहर जयपुर से मुख्य मन्त्री जी ने अपना कार्यालय दिल्ली में शिफ्ट किया है। देखा जाय तो 1978-79 के कुछ ही दिन गुजरे हैं और रेकार्ड देखा जाय तो

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मालूम पड़ेगा उनको इस गुलाबी शहर जयपुर से नफरत हो गई है और सारी राजधानी दिल्ली में केन्द्रित हो रही है।

मैं निवेदन करूंगा अमृत बाजार पत्रिका के रविवारीय अंक में छपा है कि 78 में 26 सप्ताह वहां निकले। 79 में एक दिन आये और उस दिन आने की खबर भी नहीं थी कि आयेंगे नतीजा यह हुआ कि घर के ताले बन्द मिले और भोजन नहीं मिला। बाद में माणक चन्द जी सुराणा, योजना मन्त्री के घर गये। दिल्ली में बैठकर यहां शासन चलाते हैं तो यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। मन्त्रीमण्डल की बैठक भी वहीं हो तो आखिर हमारी राजधानी दिल्ली है या जयपुर, कुछ पता नहीं चलता है। दिल्ली में मन्त्री लोग अधिक रहते हैं इसलिये वहां रहना अधिक पसन्द आता है। टैक्स पेयर का क्या है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।

सभापति महोदय, एक बात और आज तक जितने अभिभाषण राज्यपाल महोदय हुए है उसमें प्रशासनिक कटौती और प्रशासन में कम खर्च करने की बात कही जाती रही है। इस बात का उसमें ब्यौरा रहा है। आप किसी भी राज्यपाल महोदय का और किसी भी प्रदेश के राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उठाकर देख लीजिये, अवश्यमेव सरकारी मशीनरी के बारे में और खर्च की मितव्ययता के बारे में कहा जाता रहा है। यह पहली बार है कि अभिभाषण में ये शब्द भी नहीं कहे गये हैं। न सरकार के तौर तरीकों के बदलाव के बारे में कुछ कहा गया है न किये जाने वाले खर्चे में कमी करने के सम्बन्ध में कहा गया है। मेरी समझ में नहीं आता है, आखिर इसमें कहा भी क्या गया है? उन्होंने यह बात कहने की आवश्यकता ही नहीं समझी। मैं समझता हूं, यह अभिभाषण जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है और न इसमें दुरुस्ती करने की कहीं कोई गुंजाइश है। मैं समझता हूं नया कीर्तिमान कायम किया है इस सरकार ने और वह यह है कि नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि नौकरशाही हाऊस को एड्रेस करेगी गवर्नर के माध्यम से और उसमें आप एक शब्द भी ऐसा नहीं पायेंगे। आप 31 दिसम्बर के लिंक की लाइन पढ़ेंगे उसमें कहा है कि आखिर यह क्या है? मुख्य मंत्री भैरोंसिंह माइनस मीठा लाल मेहता इज नथिंग। 31 मार्च का वह लिंक लेकर आया हूं उसमें कहा- "Chief Minister is a non-entity without Mr. Meethalal Mehta." अन्दाज कीजिये आज नौकरशाही ने किस तरह सरकार पर कब्जा, कर रखा है। उसी तरह आपको ध्यान होगा, सभापति महोदय, पहला सत्र हुआ तो हमारे मुख्यमन्त्री ने धमाका करके जो कहा था वह अखबारों में छपा था। मुख्यमन्त्री ने कहा था भ्रष्टाचार करने वालों की नाक से निकलवा लूंगा उसके बाद क्या हुआ ऐसा तो नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार की प्रखर चकाचौंध में आप चौंधिया गये और कुछ देख नहीं पाये। आप सारे भाषण को पढ़ लीजिये कहीं उसमें मुख्यमन्त्री के शब्दों का उल्लेख ही नहीं है, उसके महत्व को महसूस ही नहीं किया गया है। यदि आप इस स्तर पर चलें कि कौन-कौन भ्रष्ट हैं तो उसकी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा—बीकानेर के सादुलशहर में 128 इंजीनियरों के मकान बने हुए हैं, बहुत आलीशान मकान। 128 के मकान

(81)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
एक ही जगह में है और वे बहुत आलीशान तरीके के बने हुए हैं। वह पैसा कहां से आया? राजस्थान कैनाल की खरीद के घोटालों को बताया होता, तो एक बात थी। माननीय रामकृष्ण दासजी से कहा गया कि पैसे जमा कराइयेगा इससे मालूम होता है कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पिछली घोषणा में कहा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। सब भ्रष्टाचार मिट गया घोषणा से? उसका इस अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है।

इस प्रकार के हजारों नमूने हैं, सभापति महोदय। आप चूंकि वक्त कम देंगे और मुझे और भी बातें कहनी हैं इसलिये इस पर कम ही कहूंगा।

यह जो टार्गेट पेश किया है काम के बदले अनाज का इसमें कहा गया है नया कीर्तिमान कायम किया गया। भारत सरकार ने एक नोटिस प्रसारित किया है, वह नोटिस, माननीय सभापति महोदय, आपको भी मिला होगा क्योंकि हर एक विधानसभा के अध्यक्ष को भेजा गया है। उस बुलेटिन में जिन राज्यों का जिक्र किया गया है वे है बिहार, केरल, उड़ीसा, पंजाब लेकिन सभापति महोदय देश में कीर्तिमान स्थापित करने वाले का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसमें दो छोटे-छोटे राज्यों की मिसाल दी है। केरल प्रदेश, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले से भी छोटा राज्य है, में 21 लाख 42 हजार 808 वर्किग डेज काम हुआ है। इतने मजदूरों को एम्पलाय किया गया है। उड़ीसा में 68 लाख 68 हजार 820 दिन काम किया है। कितना काम हुआ है, इसका भी इसमें ब्यौरा है। राजस्थान प्रांत का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। राज्यपाल महोदय से पूछा जाय कि क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट जिसका सरकार दम भर कर कहती है, को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। मैं कहता हूं काम के बदले अनाज योजना अप्रेल, 1977 में चालू हुई है लेकिन राजस्थान ने अक्टूबर 1978 से शुरू की है। लगभग 18 महीने तक राजस्थान सरकार ने उस योजना की कोई परवाह नहीं की और सोई रही कहना चाहिये, केन्द्र में जब सतीशचन्द्र जी अग्रवाल राज्य मंत्री वित्त नियुक्त हुए और एक समारोह का बोर्ड लगा कर कहा, काम के बदले अनाज योजना को शुरू कीजिये, राजस्थान का स्वरूप बदल जायगा तो हमारी सरकार ने कहा काम के बदले अनाज की योजना'कोई कारगार योजना नहीं है जब इसको अपनाया गया अक्टूबर में तो देखा कि यह क्रांतिकारी योजना है। मेरा अर्ज करना है कि अभिभाषण में यह कहा है कि कीर्तिमान कायम किये जा रहे हैं लेकिन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में राजस्थान का नाम गायब है। इस तरह के अभिभाषण में कहना क्या मायने रखता है।

अब मैं दूसरी बात कहता हूं। अन्त्योदय की बड़ी बात लिंक ने छापी है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया "Chief Minister, Shri Bhaironsingh Shekhawat is a non–entity minus Mr. Meethalal Mehta." जो सचिवालय के कोरीडोर में बैठते हैं, आप कभी तशरीफ ले जायं तो इस प्रशासन के की-मैन, क्रांति के की-मैन वहां पर मिलेंगे। उनके ये शब्द है कि यह योजना मेरी है, इसकी क्रियान्विति मेरी है। यह लिंक ने छापा है, उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ छापा है। सरकार की तरफ से इसका कोई काड्रंडिवशन नहीं है। सर-

82

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

कार ने अपनी तरफ से क्या किया ? सरकार कहती है कि इस अन्त्योदय योजना के जरिये देश में क्रांति आ रही है, प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है लेकिन राजस्थान की अन्त्योदय का भारत सरकार से प्रकाशित पुस्तिका में कहीं नाम नहीं है। सभापति महोदय, आप जन प्रतिनिधि हैं, आज आप उस आसन पर बिराजे हुए हैं जिस आसन को सभी जनता के प्रतिनिधि बहुत प्रतिष्ठा और आदर की भावना से देखते हैं, जनता के हर व्यक्ति का जिसके प्रति आदर है। आप देखेंगे कि किस तरह से नौकरशाही के चंगुल में राजस्थान सरकार फंसी हुई है। किसने योजना बनाई, स्कीम किसने बनाई और भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है। इसके सम्बन्ध में मैं सिर्फ एक वाक्य पढ़ कर सुनाऊंगा। भारत सरकार ने एक बहुत खूबसूरत बुलेटिन प्रकाशित किया है उस बुलेटिन के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, तीसरे पृष्ठ पर लिखा है कि राजस्थान की अन्त्योदय योजना में, राजस्थान के अन्त्योदय कार्यक्रम और उसकी क्रियान्विति में जिला कलेक्टर की भूमिका प्रमुख है। महोदय, आपने आज तक यह तो सुना होगा कि जनता क्रांति लाई है। यह भी आपने सुना होगा कि जन क्रांति जनता लाई है। रूस में क्रांति लेनिन और जन आक्रोश लाया। चीन में माओत्से तुंग और उनकी पार्टी के लोग लाए। हिन्दुस्तान में गांधी और उनके अनुयायी क्रांति लाए। अभी जयप्रकाश बाबू और उनकी रहनुमाई में जनता पार्टी के लोग क्रांति लाए। कभी इतिहास में यह नहीं सुना होगा कि सरकारी अफसर क्रांति लाए। यह अजीब नया कीर्तिमान यह सरकार प्रस्तुत कर रही है। राजस्थान में यह नया कीर्तिमान खड़ा कर रही है जिलाधीश। जितने इस पुस्तिका में फोटो प्रकाशित हुए हैं उन सब में ऐसा लगता है कि गरीब आदमी खड़ा हुआ भीख मांग रहा है। यह हमारी क्रांति का सबूत है क्योंकि हमारे राज्य का स्वरूप नौकरशाही के क्रूर शिकंजे में जकड़ा हुआ है, नौकरशाही से दबा हुआ है। आज हमारी सरकार नौकरशाही से भयभीत है, नौकरशाही से आतंकित है हमारे मन्त्रिगण। आज आप किसी मन्त्री के पास जाकर कहें कि यह काम करिये। फौरन टेलीफोन करेंगे सैक्रेटरी को। उसके बाद जाकर कहें कि साहब काम नहीं हुआ तो मंत्री महोदय तुरन्त अपने सैक्रेटरी को, कमिश्नर महोदय को फोन करके पूछेंगे कि काम क्यों नहीं हुआ ? जवाब मिलेगा कि मुख्य मन्त्री जी ने मना कर दिया। यह सुनते ही टेलीफोन हाथ से छूट जायेगा। ये हौसले के साथ नहीं कह सकते कि मुख्यमन्त्री ने क्यों मना कर दिया, विभाग मेरा है, मैंने जैसा हुक्म दिया उसके अनुसार काम होना चाहिए। उनके हाथ से टेलीफोन छूट जाता है। आज नौकरशाही इस कदर चालाक है, नौकरशाही इस कदर ताकतवर है कि हमारी सरकार में बैठे हुए मन्त्री उनके हाथों में बन्दी हैं। इसका प्रमाण जैसा अभी मैंने प्रस्तुत किया 31 दिसम्बर के लिंक में प्रकाशित लेख है।

"Chief Minister, Shri Bhairaon Singh Shekhawat is a non-entity minus Mr. Meethalal Mehta"

यह वह प्रमाण है जो देश के बड़े मनीषियों ने प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रमाण भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित पम्फलेट है कि इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में जिलाधीश की प्रमुख भूमिका है। इस योजना

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

का, इस क्रांति का वाहक जिलाधीश है। क्रांति किस प्रकार से ला रहे हैं, मैं अन्त्योदय का दूसरा पहलू प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि 23 अफसरों को निलम्बित किया गया था। उसके साथ में एक गर्वोक्ति की गई थी कि भ्रष्टाचार को नाक से निकलवा लूंगा। लेकिन उसके आगे कदम नहीं बढ़े। मैंने अभी निवेदन किया कि उन 23 व्यक्तियों का क्या हुआ? क्या किसी को चार्ज शीट दी गई? क्या किसी को डिसमिस किया गया? क्या किसी को रिमूव किया गया? जो प्रोसेस शुरू हुआ था, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की शुरुआत हुई थी उस शुरुआत का यह अन्त है। आज उनमें से अधिकांश नौकरी में वापस आ चुके हैं। किसी को चार्ज शीट नहीं दी गई बल्कि उनमें से कइयों के प्रमोशन हो गए बताए। तो अन्दाजा कीजिए यह हमारा भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान है। भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि हम उस नौकरशाही के कब्जे में फंस गए और जैसा वे चलाते हैं हमको, हम वैसे ही चलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक और काम किया जावे। एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में इस भाषण में तीन चार सफे लिखे गये हैं, उनमें कहा गया है कि पुरानी फाइलें निपटाई जा रही है। पुरानी फाइलें डिस्पोज आफ की जा रही हैं इसलिए कि एक भी पकड़ में नहीं आया सरकार के। सो जिस तरह से अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान में एनक्रोचमेंट्स का नवीनीकरण किया जा रहा है, रेगुलराइजेशन किया जा रहा है एनक्रोचमेंट्स का उसी तरह से जहां-जहां पर पुराने भ्रष्ट आदमी पकड़े गये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, पैसे टके ले लिए थे उनका रेगुलराइजेशन कर सकते हैं। अन्त्योदय का यह दूसरा पहलू है। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट मुख्य मन्त्री ने अपने पास खास तौर से इसलिए रखा था कि अन्त्योदय स्कीम के तहत इनका भी रेगुलराइजेशन कर दिया जावे। मान्यवर, इतिहास में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, कभी आपने यह सुना नहीं होगा कि जिलाधीश कार्यालय में एक क्लर्क रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाय और इस बात के लिए हड़ताल हो जाय कि उस क्लर्क को किस प्रकार पकड़ा, क्यों पकड़ा? आज कर्मचारियों का इतना दुस्साहस हो गया, इस कदर दुस्साहस हो गया कि भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जावें तो कहें कि हमें आप पकड़ भी नहीं सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, दो तीन काम की बातें कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : Please expedite.

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह भ्रष्टाचार का स्वरूप है जिसको खतम करने का पहला नारा मुख्य मन्त्री बनते ही, नई सरकार का गठन होते ही दिया गया था।

मान्यवर, पेयजल के बारे में आज सुबह ही जो हालत हुई थी वह आपके सामने है? हमने कहा था कि सबसे पहली जिम्मे-

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

दारी होगी पेयजल की व्यवस्था करने की। जनता पार्टी के शासन के पांच साल के अन्दर से 2 बटा 5 समय निकल गया है तो 2 बटा 5 व्यवस्था तो पेयजल की होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक क्या कर पाये? मंत्रीजी कह सकते हैं कि टाइम लगता है लेकिन हमारे दिल में टीस होनी चाहिए किसी काम को करने की।

बहुत बातें राजस्व अभियान के बारे में कही गईं। क्या पहले राजस्व अभियान नहीं चलते थे। अन्त्योदय योजना जैसी कोई क्रांतिकारी चीज नहीं है लेकिन मैं पूछता हूं क्या पहले अन्त्योदय कार्यक्रम नहीं चलते थे। उसमें कौन सी क्रांतिकारिता है? पहले भी लोन मिलते थे, स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को पहले भी सहायता दी गई थी। पहले भी लोगों को कर्जे दिए गए थे। जैसे अन्त्योदय योजना है उसी तरह से एक दूसरा नारा और लगाया जाता है ग्राम विकास का, समन्वित ग्राम विकास का लेकिन काम वही। इसी तरह से राजस्व अभियान का उल्लेख किया जाता है। जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्व अभियान में भी क्या हुआ? किस किस के कितने केसेज रेगुलराइज किए? मान्यवर, मैंने पिछली सरकार के और इस सरकार के आंकड़े छांटे हैं। उन आंकड़ों को देख कर मैं कहता हूं कि गौरव कतई महसूस नहीं हो सकता हमें। हमारी सरकार कहती है कि हमने इतने केसेज रेगुलराइज किए, इतनी पास बुकें बांटीं। तो पहले के किए हुए के मुकाबले में यह बहुत नगण्य है। मैंने स्टेटमेंट तैयार किया है, क्योंकि समय अधिक नहीं है और अधिक समय भी मैं नहीं लेना चाहता वरना आपको पढ़ कर सुनाता। माणकचन्द जी सुराणा राज्य सरकार की ओर से उत्तर देंगे, मैं उनको प्रस्तुत कर दूंगा, टाइप करवा कर पेश कर दूंगा। यदि उनको मेरी बातें में शक लगता हो तो एक कमेटी अपाइन्ट कर दें। हम इस बात में अधिक जोश महसूस करते अगर आंकड़े देकर कहा जाता कि पिछली सरकार ने यह किया और हमने यह किया। इसके बजाय, आंकड़े देने के बजाय, दो साल के आंकड़े देने के बजाय हमने कह दिया कि हमने राजस्व अभियान चलाया। क्या पहले राजस्व अभियान नहीं चलते थे। मैं सुराणा जी से निवेदन करूंगा कि जब वे उत्तर दें तो इस बात का भी उत्तर दें........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, दो-तीन बातें और निवेदन कर समाप्त करता हूँ।

शिक्षा के बारे में काफी कहा गया ...

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं।

शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उसमें एक दो बातें हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा। किसी भी विदेशी सरकार के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मूल्यवान है। हमारे लिए भी यह मूल्यवान है, लेकिन हम बावजूद घोषणा के हर बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

यह तो स्कूली शिक्षा की हालत है लेकिन इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जिक्र तक नहीं है। क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थिति काबू में नहीं है। उसके लिए राज्यपाल, जो कि चांसलर भी हैं, को सोचने की ग्रावश्यकता महसूस नहीं होती है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक कुलपति की हालत यह हुई, उनको दिल्ली से इम्पोर्ट किया गया था ग्रौर उनके बारे में सोचा गया था कि काफी मजबूत सिद्ध होंगे लेकिन वे भी वहां पर नहीं टिक सके। डाइरेक्टर ग्राफ कालेज एजूकेशन को जोधपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना कर भेजा गया ताकि राज्य सरकार उनके मार्फत हुकूमत कर सके लेकिन वे भी छोड़ कर भाग निकले। माननीय सभापति महोदय, ग्राप ग्रन्दाज कीजिए कि इन कुलपतियों से विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता ग्रौर स्वायत्तता का क्या हुग्रा ? वह कोठारी साहब भाग कर ग्रा गए, काबू नहीं कर सके। तीसरी नियुक्ति हुई श्रीमान कपूर साहब की जिनकी पत्नी कहती है कि मेरे सुहाग की बिन्दी बनी रहने दें। वे छोड़ कर ग्रा गए। यह हालत है इन विश्वविद्यालयों की लेकिन ग्रभिभाषण में इस समस्या का कोई जिक्र नहीं किया गया।

इसके साथ साथ मैं एक ग्रौर बात निवेदन करना चाहूंगा। हमारे नेता बड़े भाषण देते हैं। हमारे सारे नेता कहते हैं कि क्रांति का वाहक मिल गया है, क्रांति का वेस ग्रौर तरीका हमको मिल गया है। लेकिन कोई सोचता है, कि क्या तरीका मिल गया है। सब से पहली बात जो जयप्रकाश नारायण ने कही थी वह समग्र क्रांति करने की बात कही थी। उन्होंने यह बात कही थी कि विद्यार्थी को कालेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के पहले पहले रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। कहां है वह गारन्टी ? क्या दो साल के भीतर इस तरह की गारन्टी देने की दिशा में कुछ कर दिखाया है ? मान्यवर, मैंने पहले का भी राज्यपाल महोदय का ग्रभिभाषण पढ़ा है.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्राप यह बात एजूकेशन की डिमाण्ड पर हाई लाइट कर सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ग्रापकी ग्राज्ञा शिरोधार्य है। यह बात नहीं कहूंगा किन्तु एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। ग्रगर यह बात नहीं कहता हूं तो न्याय नहीं होगा।

इस ग्रभिभाषण का एक ही पैराग्राफ है जो सत्य है ग्रौर वह है श्रम क्षेत्र के बारे में। निश्चित ही राजस्थान किसी मायने में सब से ग्रागे है तो वह है इन्डस्ट्रियल पीस में। निश्चित तौर से इसका श्रेय प्रोफेसर केदार को जाता है जो कि हमारे श्रम मंत्री हैं। इसी ग्रभिभाषण के दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है, लॉ एण्ड ग्राडर की सिचुएशन सन्तोषजनक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राज राजस्थान में जो हालत है, वह निश्चित तौर से उत्तरी भारत के मुकाबले में बेहतर है। यह बात जिस ढंग से कही गई है इससे मेरा भी एग्रीमेन्ट है, ग्रौर मैं उस हद तक इसका समर्थन करता हूं। जो ग्रनकहा रह गया है उसके लिए निश्चित तौर से उलाहना देना चाहता हूं। कभी कोई छुटपुट घटना हो सकती है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक अन्तिम बात और निवेदन करना चाहता हूं। दो सेन्टेंस कह कर समाप्त कर रहा हूं। वह है हमारे नोजवान युवा साथी के सम्बन्ध में।

पचायती राज चुनाव के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इनके चुनाव आपने करा दिये। टाइमली चुनाव कराने में सफलता मिली है किन्तु कोआपरेटिव्स के आखिर क्यों नहीं चुनाव कराये जा रहे हैं? हम लोकतन्त्रीय होने का दावा करते हैं। पंचायतों के चुनाव तो करा दिए किन्तु नगरपालिकाओं के चुनाव कहाँ रह गये? कृषि उपज मण्डी के चुनावों की घोषणा करने के बाद उनको कैंसिल कर दिया....

श्री सभापति : आप गवर्नर स्पीच की डिबेट से हट कर दूसरे पाइन्ट पर चले गये हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं उसी पाइन्ट पर कह रहा हूं।

हमारा विश्वास लोकतन्त्र पर उसी हद तक है कि कुर्सी पर कब्जा किया जा सके परन्तु जो लोकतन्त्र के रूट्स हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनके चुनाव की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज की तारीख में अन्दाजा लगाइये, सभापति महोदय आप आंकड़े मंगा कर देख लीजिए, मैं सरकार को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आज सरकारी अफसर जितने इन संस्थाओं पर जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं उतने पहले कभी नहीं थे। इतने सरकारी अफसर इन संस्थाओं में पहले कभी नहीं थे। आज इस जनता सरकार में नोकरशाही का घिनौना स्वरूप इस रूप में प्रकट हो रहा है। इस अभिभाषण में एक शब्द भी नोकरशाही की ताड़ना के लिए नहीं कहा गया है, नौकरशाही के सुधार के लिए नहीं कहा गया है, चेतावनी के रूप में नहीं कहा गया है। इसलिए मैं इस अभिभाषण की तारीफ नहीं कर सकता तो समर्थन भी नहीं कर सकता। फिर भी कुछ अंश इस अभिभाषण में ऐसे हैं, जिनका जिक्र किया गया है, वह निश्चित तौर से सराहनीय हैं। इस तरह से मैं इसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल।

(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

आपका नाम लिस्ट में है.......

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : हम छः फीट के हैं। लिस्ट में हों या नहीं—

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने निर्दलीय विधायकों को 40 मिनट का समय दिया है उसमें से अभी तक एक मिनट का भी उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह है....

श्री सभापति : 40 मिनट का वक्त दिया गया था। तो क्या उसका इन्टरप्रिटेशन अब यह निकाला जाय कि वह तमाम समय आप साहबान को ही दिया जाए।

माननीय श्योपतसिंह।

श्री टीकमचंद कांत (जालोर) : सभापति महोदय, मेरा भी नाम आएगा, क्या

(श्री टीकमचन्द कान्त)
मैं उम्मीद करूं ? पैर में पीड़ा है और मुझे चिकित्सालय जाना है।

श्री सभापति : आपका नाम लिस्ट में होगा तो प्रिफरेन्स दूंगा।

श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, 31 पेज का यह माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमें मिला। हमने इसको पढ़ा। दरअसल यह डेढ़ साल का अर्सा गुजरा है इसके लिए हम क्या कहें। विधान सभा हो या बाहर, जिस सरकार के उच्च पदों पर बैठे हमारे मन्त्रियों ने बाहर जनता को दिए वायदों को तोड़ा है वह विधान सभा में वायदे को किस तरह से पूरा कर सकेगी ? इस झिझक से हम बोल रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने बाहर लाखों लोगों के सामने किये गये वायदे को तोड़ा है, उन पर हमारी बात का यहां पर क्या असर पड़ेगा ? इसके बावजूद भी हम पहले यह सोच कर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ असर हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इस अभिभाषण के दो तीन शब्द पढ़ूंगा, "आंदोलनों व हड़तालों को कुशलता, सूझबूझ एवं दृढ़ता से निपटाया गया।" दूसरे शब्द यह हैं, "जनता सरकार ने प्रशासनिक प्रणाली को लक्ष्यपूरक एवं जनता के प्रति संवेदनशील बनाया है।" अगर मैं इन दोनों बातों पर विचार करूं तो निश्चित रूप से यह लगता है कि हमारी सरकार 50 फीसदी झूंठ बोलती है।

सभापति महोदय, पहले जब हमारे राज्यपाल महोदय यहां पर अभिभाषण दे रहे थे, अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस वक्त बारां के अन्दर....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, मैं तो यहीं पर बैठा था। मैं कहीं नहीं जाता हूं। 51 रुपये चुकने के बाद ही यहां से जाता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, इससे ज्यादा और झूंठी बात क्या हो सकती है ? जब माननीय राज्यपाल महोदय यहां पर अभिभाषण पढ़ रहे थे तो बारां के अन्दर हमारे मासूम बच्चों का शिकार किया जा रहा था। यह कितनी बड़ी विडम्बना है ? यह सरकार कहती है कि हमने अपने अधिकारियों को संवेदनशील बना दिया है। कल भटनागर साहब जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो कह रहे थे, लोगों को यह शिकायत है कि हमारी सरकार ज्यादा प्रजातान्त्रिक है, नरम है, सख्त नहीं है, सख्ती नहीं बरतती है। यह किस की शिकायत है ? बारां के और कोटा के लोगों की शिकायत मौजूद है। उनकी शिकायत है कि सरकार कितनी प्रजातान्त्रिक है, कितनी सरल, स्वाभाविक है, कितनी व्यवहार में नरम है। अभी हमने बारां का काण्ड देखा। उसके बाद गंगानगर चलें। वहां पर क्या हुआ ? सभापति महोदय, डेढ़ महीने तक वहां पर छात्रों का आन्दोलन चला। सारा सदन जानता है कि सारा डिवीजन बन्द रहा। शहर बन्द रहे। कालेज बन्द रहे। गुनाह क्या था ? बात क्या थी ? किस बात के लिए आन्दोलन हुआ ? गंगानगर के अन्दर एक नर्सरी की जमीन है। आबादी की

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जमीन है। उसके पास में तीन कालेज हैं - बहुत बड़ी इन्स्टीट्यूशन्स हैं: उससे लगते हुए तीन कालेज हैं। विद्यार्थियों ने ऐसा अनुभव किया कि वहां एक होस्टल होना चाहिए। किसानों के लड़के परेशान थे। शहर में कोई जगह नहीं मिलती। सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है। उनका गुनाह यह था कि उन्होंने उस नर्सरी की जमीन की मांग की। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने वहां पर केवल टेन्ट लगा दिया ताकि वह जमीन उन्हें मिल सके। अभी जैसा कि माननीय बजरंगलालजी ने कहा, आज कल राज किनका चलता है। यह जो अधिकारियों, अफसरों की व्यवस्था है प्रशासन में, यह अंग्रेजों से विरासत में मिली कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस से चल कर जनता सरकार को मिली है। इस वक्त राजस्थान में अगर देखा जाय तो मिनिस्टर फैसला नहीं करते, आज हुकूमत राजस्थान में अधिकारियों की चलती है जिनका व्यवहार मैंने पहले ही कहा था, उदण्ड हो गया है। इस पर लगाम लगाओ। गंगानगर में हमने आंखों से देखा, वहां के विद्यार्थियों को, सभापति महोदय, होस्टल के लिए जमीन नहीं मिली। जब कि अधिकारियों के लिए क्लब हैं, बंगलों के पीछे बाग हैं लेकिन विद्यार्थियों को होस्टल के लिए जमीन नहीं मिली। विद्यार्थियों की जायज मांग थी लेकिन प्रशासन ने उन्हें जेल में बन्द कर दिया 9 तारीख को। 10 ता. को तो शांति रही लेकिन 11 तारीख की रात को जो विद्यार्थी जेल में थे उनकी मेडिकल डाइट रोक दी गई। अरे, डेढ़ साल तक इमर्जेन्सी में आपने जेलों में खूब खाया और विद्यार्थियों को मेडिकल डाइट नहीं दी। क्या वह गुण्डे हैं? उसका नतीजा क्या हुआ? 12 तारीख की रात को उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। 13 तारीख को विद्यार्थियों को जैसे ही मालूम हुआ कि उनके नेताओं को पीटा गया, तो उन्होंने प्रदर्शन किया। उसका क्या नतीजा हुआ? लाठी चार्ज। माननीय सभापति महोदय, शिकार खेला गया। हमारे वहां के जिला प्रशासन ने शिकार खेला। एक विद्यार्थी डेढ़ कि. मी. दूर खालसा होस्टल में रहता है, वहां जाकर उसको पीटा गया। फायरिंग हुई, अश्रु गैस के गोले छोड़े। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इन सारी बातों का सबूत है। 26 विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पर न ले जाकर सिविल लाइन ले जाया गया और वहां पर ले जाने के बाद उनके हाथ तोड़े गये, उनके पैर तोड़े गये। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मेडिकल रिपोर्ट है। 7 बच्चों के फ्रैक्चर्स हुए हैं। जब इन बच्चों को पेश किया गया अदालत में, माननीय सभापति महोदय, तब सारा बार रूम सड़क पर आ गया। सारे टीचर्स, सारे प्रोफेसर्स, सारे शहर के लोगों ने, मजदूरों ने इस बात का विरोध किया। इसके बाद हमारे माननीय माणकचन्द सुराणा और प्रो केदार आये। क्यों आये? ताकि कोई समाधान हो जाय। खैर, हमने भरोसा किया कि हमारी समस्या का समाधान होगा। 17 तारीख को सी. एम. ने हमें यहां बुलाया जयपुर में लेकिन वे नहीं मिले। वे तो दिल्ली रहते हैं, जोधपुर हाउस उनका परमानेन्ट हो गया है। उनको कहां फुरसत है? हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि जन प्रतिनिधियों से बात की जाय। उन्होंने कलेक्टर को दिल्ली बुला लिया। उन्होंने समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं की। आखिर यह

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जमीन बच्चों के लिए ही मांगी गई थी। विद्यार्थियों के लिए 4 बीघा जमीन मांगना क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह है ? इस बात को नहीं माना गया बल्कि उनके हाथ पैर तोड़े गये। हमको इस बात का भरोसा दिया गया कि सारा कसूर जिला प्रशासन का है, हम समस्या को हल करेंगे। एक हफ्ते का टाइम मांगा। यह 17 दिसम्बर की बात है। हमने कहा, किसी तरह समस्या को हल किया जाय। सारे डिवीजन में यह बात फैली हुई है, बच्चों की पढ़ाई नष्ट हो रही है, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। एक नेता का अनुशासन वहां पर रहता था—प्रो. केदार का। उसके साथ बहुत बड़ी साजिश थी यह। गंगानगर की सड़कों पर जो खुले आम घूमता था, आज वह वहां नहीं जा सकता। यह बहुत बड़ी जीत है प्रशासन के अधिकारियों की। माननीय सभापति महोदय, इतना करने के बाद भी सब्र नहीं हुआ। जब हमारे बच्चों की मांग नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठे, फिर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 22 तारीख को एक रेल दुर्घटना हुई। जब हमने यह हाल देखा तो हमको लगा कि यह बहुत बुरी बात है। 23 तारीख को वहां पर जनता पार्टी के नेता सरदार गुरुदयाल सिंह जी भूख हड़ताल पर बैठे। सरदार करनैल सिंह जी एडवोकेट, जिनकी शहर में बहुत बड़ी इज्जत है, भी भूख हड़ताल पर बैठे। माननीय सभापति महोदय, मुझे भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। उस रेलवे की दुर्घटना को लेकर झूठे मुकदमे बनाये गये। मैं चेलेन्ज करता हूं सारे मन्त्रिमण्डल को, क्या आप कह सकते हैं कि उनमें शामिल सभी विद्यार्थी हैं ? अधिकारियों ने सी.पी.एम. के नेता को भी उसमें शामिल किया, जनता पार्टी के महामन्त्री को शामिल किया और एक हमारा विद्यार्थी है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : महेश पेड़ीवाल।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं वह नहीं। उसको भी शामिल किया गया।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतना बड़ा संगीन जुर्म था ? हमारी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहुंचे। कहा, इसकी जांच होगी। मिश्रा, डी. आई.जी. इसकी जांच करेंगे। प्रो. केदार ने फैसला किया तो हम लोग उठ खड़े हुए। यह बात सारी पब्लिक के मुंह पर है।

माननीय सभापति महोदय, संगीन से संगीन जुर्म का अपराधी भी यह कहे कि मैं तफतीश बदलवाना चाहता हूं, मुझे भरोसा नहीं है तो बदल दी जाती है, बदलते हैं और रोज बदलते हैं, मगर प्रोफेसर केदार की बात नहीं मानी गई और तीन दिन के अन्दर उस संगीन जुर्म की दफा 126, जिसमें फांसी की सजा हो सकती है, में उन विद्यार्थियों, जो करीब20-25थे, का चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। है किसी की इज्जत ? मन्त्री की इज्जत नहीं है। उनके वायदे का कोई ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में राज्य अधिकारी करते हैं हमारे यहां पर ? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हमारे मन्त्रियों से कि राज्य कौन करता है यहां पर ?

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

इंजन चल गया। कोई षड़यन्त्र था नहीं। बच्चे गये। वहां पर मालगाड़ी खड़ी थी। स्कूल के बच्चे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे। किसी ने पिन दबा दिया और इंजन स्टीम पकड़ गया। जिस लड़के ने स्टीम दबाई थी, स्टीम दबाने का कोई हैन्डिल था वह उसने दबा दिया तो उससे उस लड़के के चोट लगी है। वह 60-70 मील से गया है। यह चीज एफ. आई. आर. में दर्ज है। कौन 20 लोग इंजन के अन्दर गये। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका क्या स्टेटमेंट है? ड्राइवर का क्या स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट लिये बिना बहुत संगीन जुर्म लगाया है।

जब हम भूख हड़ताल पर थे, माननीय सभापति महोदय, तब हमारे वहां के जिलाधीश श्री गुमानसिंह थे। उनकी पहुंच है मुख्य मन्त्री तक। उनकी पहुंच है हमारे बड़े बड़े मुख्य मंत्रियों तक। जब हम भूख हड़ताल पर थे तब उन्होंने लैटर लिखा है। सरदार गुरदयालसिंह जब भूख हड़ताल पर बैठे थे तब उन्होंने लिखा है कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है। कम से कम मेहरबानी करके हमारे जिले पर रहम करिये और इन्हें कहीं और कलेक्टर लगा दीजिये। अब भी उनको बीकानेर में लगाया है तो उस वक्त भी उनको लगाया जा सकता था। यदि उस वक्त लगाया जाता तो क्या पहाड़ टूटता। लेकिन वह देश की हुकूमत करते हैं। उनकी हैसियत चीफ मिनिस्टर से भी बड़ी है। उनकी हैसियत मिनिस्टर से भी बड़ी है। उनकी हैसियत क्या है वह मैं आपको बताता हूं?

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस ढपोलशंखी पुस्तक में कहा है कि इतनी इतनी योजनाएं बना दी हैं। यह राज्यपाल महोदय का स्टेटमेंट है, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। अभी जवाब आयेगा कि हम यह कर रहे हैं। लेकिन हमारे जिलाधीश क्या लिखते हैं? जो जवाब जनता पार्टी के अध्यक्ष को दिया है उसकी एक ही लाइन सुनाता हूं—'जिले में हरिजन तथा शोषित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाखों लोग मेरी बदली का विरोध करते है।'

है कोई कमी बाकी?

श्री सभापति : अब आप कृपया समप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं, माननीय सभापति महोदय, समप्त कर रहा हूं।

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल नहीं है कि जिन लोगों ने कलेक्टर का विरोध किया है, जिन लोगों ने प्रशासन का विरोध किया है वह इसका तबादला नहीं चाहते। वहां पर प्रशासन का रुख यही रहा तो जिस प्रशासन ने इन्दिरा गांधी की इतनी बड़ी सल्तनत को गड्ढे में गाड़ दिया है वही अधिकारी तुम्हारी भी कब्र खोद देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है। वहां पर तुम्हारी मौत रोज नजदीक आ रही है और तुम्हारी कब्र रोज खुद रही है। हनुमानगढ़ वालों का इससे कोई एतराज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जब यह आन्दोलन चल रहा था तो वहां के लोग क्यों नाराज हैं? क्यों तबादला करने की बात कर रहे हैं? प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं? वह प्रेस कान्फ्रेंस बुलाते हैं और बुला-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कर कहते हैं कि नेताओं की जमीनें सीलिंग में आती हैं इसलिये यह मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं माणकचन्द सुराणा से कहूंगा कि जिन लोगों की जमीनें सीलिंग में आती हैं उनके पिता के नाम कितनी जमीन आती है और कितनी जमीन उन्होंने हड़पी है? माननीय सभापति महोदय, अगर जमीन हड़पने का इरादा होता तो 30 साल कांग्रेस के जुल्मों के खिलाफ हम नहीं लड़ते, उनके साथ हम होते। मगर आपका कलेक्टर यह स्टेटमेंट देता है, 'गंगानगर जिले में सीलिंग की स्कीम में 236 मामलों में से जनता पार्टी के नेता श्री हरिराम 67 में तथा मार्क्सवादी विधायक श्री श्योपतसिंह शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि जनता पार्टी के लीडर चौधरी हरिराम जी है। बाप बेटे का रिश्ता है तो पूछियेगा कि बाप ने कितने एकड़ जमीन वहां पर हड़पी है? यह मुझे जानकारी के तौर पर बता देना चाहिए। यह सिर्फ मेरा ही परिवार था कि जिसने सीलिंग में जमीन जाने के बाद अपील नहीं की। यह गुनाह मेरा नहीं था कि हमारे पास इतनी जमीन थी यह गुनाह मेरे दादा का था। मेरे बाप का भी गुनाह नहीं था। यह जमीन उन्हें विरासत में मिली थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब सम अप करें। भाषण में अपने खातों की बात न करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति महोदय, इस तरह का रिफ्लेक्शन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आपको एतराज है तो मैं न कहूं? मैं इसलिये कह रहा था कि आज मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे तो उनको इसका जवाब देना चाहिए और माणकचन्द जी सुराणा को जवाब देना चाहिए कि हरिराम और श्योपतसिंह ने कितनी जमीन हड़पी है? इसका जवाब आना चाहिए।

दूसरी बात मैं अलवर की घटना के बारे में कहूंगा। मैं सम अप कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस घटना के अन्दर एक दो बातें बाकी रह गई हैं। वहां के विद्यार्थी लीडर पेड़ीवाल का जिक्र आ गया। उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके उसकी गुदा में लाठी चलाई हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह मेडिकल रिपोर्ट है कि उसके 13 चोटें आई हैं। मेडिकल रिपोर्ट है उसमें साफ कहा गया है कि उसके डंडा किया गया है। तो आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? मैं जानता हूं और मैंने महसूस किया है कि वहां पर मार्क्सवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ साजिश है। अभी अलवर में क्या हुआ? अलवर में मेरी पार्टी के लोगों के बच्चों को दो दिन से आये थानेदार ने शराब पीकर गिरफ्तार किया। हमारे लोगों ने 25 तारीख को प्रदर्शन किया। मेरी पार्टी के लोग 19-19 महीनों तक इमर्जेंसी में गिरफ्तार रहे लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लिया है। मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह जी ने खैरात बांटनी शुरू की 500-500 रुपये महीने के हिसाब से और उनको प्रोप अप करने की चाल चली है। जिस तरह से इन्दिरा गांधी ने अपने लोगों को पेन्शन दी उस तरह से उन्होंने देना शुरू किया, लेकिन मेरी पार्टी के लोगों ने उस पेन्शन को ठुकरा दिया और 500 रुपयों के हिसाब से 10 हजार होते थे वह नहीं लिए। हमारी पार्टी के चेयरमेन जनरेल सिंह और

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

किसान सभा के प्रेसीडेन्ट घूलीराम जी सरपंच हैं उनको सरे ग्राम पीटा गया और 110 मुकदमे उन पर चलाये गये और 109 के मुकदमे चलाये गये। जब 17 जनवरी को मैंने एडिशनल आई. जी. पी साहब से कहा कि लक्ष्मणगढ़ के थानेदार के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, तो राजस्थान के आई. जी. पी. ने मुझे यह कहा कि आपके कहने से तबादला नहीं करूंगा।

श्री सभापति : आप 25 मिनट बोल चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं दो मिनट और बोलूंगा।

तुम्हारे एडिशनल आई. जी. पी. यह कहते है। मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने से तबादला नहीं करूंगा। उसके खिलाफ जांच हुई। 25 अक्टूबर के बाद क्या नतीजा हुआ ? सी. आई. डी. अधिकारी और एडिशनल आई. जी. थे। कोई जवाब नहीं। उस जरनेलसिंह को यह इनाम मिला कि उसकी सारी मूंछे उखाड़ ली गई। 4 घन्टे तक बिठाया गया। जनता पार्टी को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वह हुकूमत में आ जाएगी। ये लाठी वाले लोग हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी लाठी गोली से खतम नहीं होगी। ये कम्युनिस्ट लाठी गोली से खतम नहीं होंगे। जितनी लाठी और गोली चलाओगे, उतने ही बढ़ेंगे।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूँ।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लाठी गोली से हम दबेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त, पहले बोल लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने मेरा नाम लिया है।

श्री सभापति : आपका ही नाम लिया है लेकिन.......

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप चाहें तो बोल लें।

श्री सभापति : आप इजाजत दें तो। खैर आप ही बोल लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, कल भाटी साहब ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए लंबा चौड़ा और बड़ा सुन्दर भाषण दिया, जनता पार्टी ने जो अच्छे-अच्छे काम किये हैं, मैं उनके लिए जनता सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं भाषण सुनता गया मेरा मन भारी होता गया। जनता आज खुश है लेकिन जनता का मन बदलते देर नहीं लगती है। आज अन्त्योदय का काम सारे हिन्दुस्तान में महत्व रखता है लेकिन अन्त्योदय का काम कितने महान त्याग बलिदान और कठिनाई से भरा हुआ है ? जब गांधीजी ने "अन् टू द लास्ट" पढ़ी, जब कि वह जोहान्सबर्ग से डरबन जा रहे थे तो उस

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

किताब को पढ़ने के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आई। उसमें उन्होंने कहा कि नाई का काम और वकील का काम समान होता है उस पुस्तक से प्रभावित होकर उन्होंने तीन आधारों पर काम शुरू किये। सबकी भलाई में ही अपनी भलाई निहित है। अन्त्योदय योजना का काम सभी की भलाई के लिए है। शेखावत साहब ने शानदार कार्य शुरू किये हैं वे बहुत अच्छे हैं लेकिन देखना यह है कि वे अकेले तो नहीं पड़ गये हैं? उनको सबसे अधिक सहयोग देने वाले अगर कोई हैं तो गोकुल भाई भट्ट हैं। उनका कहना है कि यह शराब तुरन्त बन्द करें। अगर नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल, 79 से वह आमरण अनशन की घोषणा कर देंगे। गांधी जी के पूरे देश में पांच दस भक्त बचे हैं जिनमें एक गोकुल भाई हैं। अगर राज्य में शराब बन्द नहीं की तो अन्त्योदय योजना का काम असफल होगा। शराब बन्दी अन्त्योदय योजना का ही अभिन्न अंग है। अगर अन्त्यो. योजना का काम असफल होता है और गोकुल भाई अनशन पर जाते हैं तो मैं भी विधान सभा में बैठा नहीं रहूंगा। त्याग पत्र देकर चला जाऊंगा।

शुद्ध कमाई रीत की काम करावे शुद्ध।
जो न कमाई शुद्ध तो सूझे अंवली बुद्ध॥

क्या ऐसी कमाई से विकास करना है? मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वेश्यालय भी क्यों नहीं खोले जायें? इससे लोग सिफलिस और गिनोरिया से बचेंगे। आप करोड़ों का हिसाब जोड़ कर यह कहते हैं कि इतने कालेज खोल दिये और इतने विश्वविद्यालय खोल दिये। वहां लड़कों का कौनसा चरित्र बनता है। लड़के वाइस चांसलर के लातें मारते है। विश्व विद्यालयों में कोई ज्ञान नहीं होता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि नाजायज शराब बनाई जा रही है। लोग नाजायज शराब बेचते हैं। मैं कहता हूँ कि चुपके-चुपके चोरी भी होती है। आप कानून भी हटा दीजिए। अगर आप गरीबों का हित चाहते हैं तो आप शराब को बन्द कीजिए। विधायकों के लिए आपने पेन्शन रखी है। रस्किन कहते हैं, "किसान और हाथ से श्रम करने वाले तथा उद्योग करने वाले का जीवन ही जीने लायक है।" जो जेल में रहे हैं, उनको 500 रुपया प्रति माह से जेल अवधि का तथा पेन्शन। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो यहां विराजे हुए हैं कि वह अपने दिल को टटोलें। यह ठीक है है कि मैंने पेन्शन नहीं लेने का निश्चय किया है। मेडिकल रिएम्बर्समेण्ट भी नहीं लेता हूँ फर्स्ट क्लास में नहीं जाता हूँ। पर अभी 51 रु. नित्य तो भत्ता लेता हूँ। हमारे मन से अन्त्योदय का पालन होना चाहिए। मैं उन अधिकारियों को बधाई देता हूँ जो सहयोग देते हैं। लेकिन उनके गले में अन्त्योदय नहीं उतरा है। यदि उतरेगा तो पेन्शन लेना बंद कर देंगे, शेखावत को यह अन्त्यो का पागलपन शुरू हुआ है पर मीरा की तरह से उनको गरल पीना पड़ेगा। मैं कभी-कभी यह सुनता हूँ, हमारे कई मन्त्री महोदय शराब पीते हैं। हमारे कुछ विधायक भी पीते हैं। इससे बढ़कर और शर्म की क्या बात हो सकती है आप शराब की आमदनी से जीना चाहते हैं, यह नहीं होगा। भाटी जी ने जिस शानदार ढंग से कहा है, अगर सचमुच शेखावत साहब राजस्थान को शानदार स्थान प्राप्त कराना चाहते हैं तो इस

(९५)

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

कमाई को छोड़ना ही होगा। स्कूल और सड़कों से विकास होगा। क्या तालाबों से विकास होगा? क्या स्कूल कॉलेज खोलने से विकास होगा?

बांध बणवा सड़क भले मदरसा खोल।
नैतिकता बिन देश को नी कोड़ी रो मोल।।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, एक तरफ 25 मिनट और एक तरफ 5 मिनट।

मेरा निवेदन है कि माननीय विधायक महोदय सोचें। क्या वे सैकिण्ड क्लास में आकर फर्स्ट क्लास का किराया चार्ज करते हैं? अन्त्योदय मन्त्री, हम यह सब नहीं कर सकेंगे। एक साहब शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी 6 घण्टे उपस्थित नहीं रहते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? 51 रु. लेते हैं और यहां पर कोरम की घण्टी बजती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, मेरा नम्बर पहले है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है। उनको जल्दी जाना है। उनके पैर में भी चोट लगी हुई है तो मैं उनको टाइम दे सकता हूँ। यह मेरा डिस्क्रिशन है। श्री कान्त साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है कि विरोधी पक्ष बहिर्गमन कर गया है। इससे उनकी आलोचना सुनने के लिए नहीं मिली।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में आकर दिया है। उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय विधायक श्री किशन सिंहजी भाटी ने रखा है उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले वर्ष की जो उपलब्धियां दर्शाई गई हैं उन को अगर देखा जाय तो कांग्रेस की तीस वर्षों की उपलब्धियों की तुलना में हमारी उपलब्धियां कहीं ज्यादा हैं। परन्तु आलोचना करने वालों के दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं आया है। आज वे नहीं है आलोचना करने के लिए, सभापति महोदय,

(4.40. म प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आदमी के ढांचे में भी बुराई देखी जा सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि आदमी की नाक यहां पर क्यों है? एक ही छिद्र, जो आवश्यक है पर अनेक आलोचनाएं की जा सकती हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता पार्टी का दो वर्ष का शासन इतिहास को सृजन करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो

(श्री टीकमचन्द कान्त)

पुनः दो वर्ष पहले किये गए निर्णय के लिए इस जनता का अभिनन्दन करता हूं जिसने तानाशाहों को वास्तव में सत्ता से हटा कर के एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। जिस गृह के लिये इन्दिरा गांधी कहती हैं, यह कहते हैं कि यह इस देश का सर्वोच्च गृह है इसमें सर्वोच्च सत्ता निहित है उसी गृह न इन्दिरा गांधी को सात दिन की सजा दी थी, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उनके विरोध को देखा आपने। अगर यह तानाशाह, यह लोग इमर्जेन्सी के बाद भी कुछ काल तक, सत्ता में रह जाते तो ये लोग क्या नहीं करते? इन्होंने उस गृह के निर्णय के विरुद्ध, इन्दिरा गांधी के लिए कहां बसों में आग नहीं लगाई, कहां पर लोगों को जिन्दा नहीं जलाया। इमर्जेन्सी के अन्दर आज का सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष की भूमिका बजाते बोलता रहा, इमर्जेन्सी के विरुद्ध जेलें भरी। लोग जेलों में गए थे लेकिन ऐसे निकृष्ट कार्य तो नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता परिवर्तन के बाद में जो जनता सरकार सत्ता में आई उसकी उपलब्धियों को देखे, उसके आंकड़ों को देखे जिनमें से कुछ माननीय भाटीजी ने कल प्रस्तुत किए थे, बड़े दुःख की बात है कि दो दिन बाद यह प्रस्ताव आया। मैंने कल कहा था कि यह विरोधी पक्ष की साजिश थी। हमें तो उम्मीद थी कि विरोधी पक्ष में बैठ कर यह ठीक आचरण करेंगे लेकिन हमको निराशा ही हाथ लगी। ये लोग न तो विरोधी पक्ष के काबिल हैं और न सत्ता पक्ष के। अध्यक्ष महोदय, गांव-गांव में खुले स्कूलों ने एक नया ही पृष्ठ जनता पार्टी की उपलब्धियों में जोड़ा है। मेरे जिले के अन्दर लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने चिकित्सालय खुल जायेंगे। पशु चिकित्सालयों की तो बाढ़ ही आ गई इस बार। भाटीजी रोज कहते थे कि मेरे क्षेत्र में पशु चिकित्सालय नहीं हैं। उनके क्षेत्र में शायद एक साथ आठ पशु चिकित्सालय खोले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का अन्त्योदय इस प्रदेश और देश की सीमा को लांघकर विश्व के गरीब को आशा और कल्याणकारी सरकार के लिए गरीबी उन्मूलन का दर्शन बन गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व अभियान के लिये आज गांव-गांव के लोग कहते हैं कि यह राजस्व अभियान नहीं राम राज्य आया है। गांव में पीपल के नीचे चौहद्दे पर, गांव की चौपाल में, अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिये जाते हैं, पुराने केसेज को निपटाया जाता है, इनसे उन लोगों के कथन में अब वास्तव में राम राज्य आ गया है। अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज की योजना के सम्बन्ध में मैं तो एक गांव के आदमी का कथन कहूंगा। वह कहता है कि जिन गरीबों के घर के अन्दर एक साथ कभी 50 किलो अनाज नहीं रहता था उन गरीबों के घर में अनाज की दो-दो, तीन-तीन बोरियां आज हैं। वे आज कहते हैं कि जनता पार्टी के दो वर्ष के शासन के बाद अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो वह मिला है गरीब को। बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में एक उदाहरण मैं दूंगा। मैं मेरे क्षेत्र के एक गांव में गया। जिस वृद्ध को पेन्शन मिल रही थी, उसको कहा कि जनता पार्टी का एम. एल. ए. आया है तो वह मेरे पास आया। वह अन्धा था शरीर पर हाथ फेर कर उसने आशीर्वाद

(श्री टीकमचन्द कान्त)

र्वाद दिया और कहा कि हम लोगों को किसी ने नहीं पूछा, हम गरीबों को कहीं नहीं पूछा गया, जनता पार्टी आज पूछने के लिए आई है, उसने हमको संभाला है, हमको दृष्टि दी है। यह सर्टिफिकेट है उस वृद्ध का जो इस बार मिला है। अति समझदार व्यक्ति इसकी प्रशसा करें या नहीं, आवश्यकता से ज्यादा समझदार व्यक्ति इसकी प्रशंसा करे या नहीं लेकिन उस वृद्ध, जिसको आर्थिक सहायता मिली है, ने तो जरूर धन्यवाद दिया। आशीर्वाद दिया है। अध्यक्ष महोदय, तानाशाही में विश्वास रखने वाले लोग जब इस ओर आ गये, जनता ने उनको फेंक दिया तब भी उनकी खोटी वृत्ति नहीं गई। अध्यक्ष महोदय, फासिस्ट का एक अर्थ होता है, जो शासन में होता है वह अपने सिवाय सारे लोगों को खतम करना चाहता है। बिल्कुल सीधी-सादी भाषा में उसको फासिस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा आज विरोधी पक्ष में बैठी कांग्रेस आर.एस.एस. के विरोध की बात करती है। सारे देश में इस प्रश्न को किसी न किसी तरह खड़ा किया जा रहा है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि आर एस.एस. ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय या सी.पी.एम. पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। ये लोग आर एस.एस. पर प्रतिबन्ध लगाने की बात करते हैं। ये आर. एस. एस. को जिन्दा नहीं रहने देना चाहते, वे फासिस्ट हैं या जो जिन्दा रखना चाहते हैं वे फासिस्ट हैं? कौन फासिस्ट हैं? देश के अन्दर आर. एस. एस. या उसका सदस्य कहता है कि मैं देश के लिते बलिदान होने को तैयार हूं। यह मेरी भूमि है, इस देश की समृद्धि मेरी समृद्धि है, इस देश का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है, संसार में इस देश का नाम ऊंचा हो। इसकी कामना करता है। जो लोग यह प्रार्थना करते हैं, ऐसा विचार रखते हैं, इस प्रकार के विचार के लोगों का निर्माण करते हैं तो उनके और सस्था के विरुद्ध आवाज कैसी? यह आर. एस.एस. विरोधी देश भक्ति की आवाज नहीं हो सकती, अध्यक्ष महोदय। इस देश से प्यार करने वाले की आवाज नहीं हो सकती। यह आर. एस. एस. विरोधी आवाज सिर्फ तानाशाही की आवाज हो सकती है। जो ऐसे विचारों में विश्वास रखते हैं, जो सर्वहित को कायम करना चाहते हैं उनके विरुद्ध आवाज कैसी? जो इस देश से प्यार करें, उनके विरुद्ध आवाज कैसी? अध्यक्ष महोदय, ये तानाशाह कांग्रेसी कैसे देश में सुधार ला सकते हैं? जनता ने भी इन लोगों का साथ नहीं दिया। ये लोग इस देश की संस्कृति को निगल जाना चाहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिल्कुल डुबोओगे इस संस्कृति को।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, जिन मुसलमान बन्धुओं के लिये एक अविश्वास खड़ा किया था, एक भ्रम....

श्री कौशलकिशोर जैन : कितने मुरब्बा जमीन है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : संस्कृति के ठेकेदार लाओ अपने कानून को। शक्ति नहीं है। मैं आपकी तरह माफी मांग कर जेल से नहीं आया।

श्री कौशलकिशोर जैन : आप तो गये ही नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने 19 महीने जेलों में आपकी संस्कृति देखी है।

श्री कौशलकिशोर जैन : कितने मुरब्बा जमीन है आपके पास में ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या क्या करते थे जेल में, मैं जानता हूं। मैं भी कभी नेकर पहनता था और तुम्हारी संस्कृति में था।

श्री कौशलकिशोर जैन : मोहन पूनमिया के पास कितनी जमीन है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने 19 महीने तक आपकी संस्कृति को देखा है। क्या गुल खिलाते थे, वह देखा है हम इज्जत नहीं देंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : जिन मुस्लिम बन्धुओं के मन में भय पैदा किया था, जिन मुस्लिमों को ये लोग इंगित कर के कहा करते थे कि आर.एस.एस. के लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, जेलों में वही मुस्लिम बन्धु निकट आये। अभी आर. एस. एस का कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, वहां इसके अध्यक्ष पारसी थे, महाराष्ट्र में हुआ उसके अध्यक्ष मुस्लिम थे। एक जगह और कार्यक्रम हुआ उसके अध्यक्ष सिख थे। इस प्रकार यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्र को प्यार करने वाले देशभक्तों की संस्था है। ज्यों-ज्यों राष्ट्रवाद बढ़ता है त्यों-त्यों राष्ट्रवादियों को डर लगता है कि हमारी शक्ति खतम हो जायगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी को रोको वह जाकर सलाम भर कर आये हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह आपने देखा होगा कि जब कोई संस्था ज्यादा मजबूत होती तब एक बार उसका विरोध होता है उसके बाद....

(व्यवधान)

बढ़ती हुई महंगाई को रोकने की बात मैंने पहले नहीं की लेकिन अब कह सकता हूं। पिछले 30 वर्ष के कांग्रेस के शासन में जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी, अगर उसी गति से महंगाई बढ़ती....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की बैठक का समय दो घंटे अथवा निश्चित कार्यक्रम पूरा होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव के अनुसार समय बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव के अनुसार समय बढाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री टीकमचन्द कांत : जिस गति से महंगाई बढ रही थी, पिछले वर्षों में अगर उस पर रोक नहीं लगती तो वर्ग संघर्ष खड़ा हो जाता, गोलियां चल जाती, खून होते और नई तानाशाही देश में पैदा हो जाती। मैं जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने बढती हुई महंगाई पर रोक लगाई। इस कारण जो असंतोष जनता में बढ रहा था, वह कम हुआ अतः अव्यवस्था एवं असंतोष का तांडव नृत्य वर्ग संघर्ष का नहीं हो सका। 30 वर्ष से जातिवाद का जहर जो फैला हुआ है गांवों में, हम उस जहर पर दो वर्ष में काबू नहीं पा सके।

इसके अलावा एक सामंतवाद, मेरा मतलब किसी विशेष जाति से नहीं है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : डरो मत, सीधा कहो।

श्री टीकमचन्द कान्त : जहां विश्नोई ज्यादा हैं वहां विश्नोई सामंतवाद है, जहां जाट ज्यादा हैं वहां जाट सामंतवाद है और जहां राजपूत और बनिये ज्यादा है वहां राजपूत और बनिया सामंतवाद है, हम उस पर काबू नहीं पा सके। और अधिक जातीय संघ बनाये जा रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी सरकार आए फिर देखना तमाशा क्या होता है? 10 दिन मेरी सरकार को मौका दें फिर....

श्री टीकमचन्द कान्त : नये नये जातीय संघ बन रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार और जो विधायक यहाँ बैठे हुये हैं वह उनको निरुत्साहित करें तो इस देश की काया पलट सकती है और लोकतंत्र ठीक ढंग से चल सकता है। जालोर 30 वर्ष से पिछड़ा हुआ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पंडितों का सामंतवाद छोड़ गये।

श्री टीकमचन्द कान्त : जो पिछड़े हुए हैं उनके लिये बजट के अन्दर विशेष प्रावधान होना चाहिये। इन दो वर्षों में जालोर जिले का 30 वर्ष का पिछड़ापन हटाने के लिए जितना प्रावधान करना चाहिये था, उतना नहीं किया गया।

पानी के मामले में मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि हमारे यहां गांव के गांव भरे पड़े हैं जहां पानी में फ्लोराइड और नाईट्रोजन वगैरह हैं, इससे लोगों के दांत पीले पड़ गये, मेरे स्वयं के दांत पीले हैं। लोग खुली चमकीली हंसी हंसना चाहते हैं तो पूरी तरह से हस नहीं सकते, इसका कारण फ्लोराइड युक्त पानी है। 50-50, 100-100 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है लोग कुबड़े होते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी होती हैं, पीने के पानी के लिये विशेष पैसा खर्च करना चाहिये था वह नहीं हुआ। इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

लोक सेवा आयोग के बारे में परसों बात हुई कि उसके अन्दर भ्रष्टाचार है। एक डाक्टर 5-10 साल नौकरी करने के बाद जब आयोग के आगे आता है तो रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब इतने साल

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उसने बिना योग्यता के सेवायें दी। उसके नुकसान का दावा किस पर किया जा सकता है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : स्वास्थ्य मंत्री पर।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह तरीका कहां तक उचित है ? इसका अर्थ है, उसने 10 वर्ष तक दोष पूर्ण व गलत सेवायें की ? कितना दुरुपयोग हुआ। लोगों का नुकसान हुआ वह उसका दावा कहां करे ? जिन संस्थाओं ने सर्टिफिकेट देकर उनको भेजा था उन पर दावा करें ? तो लोक सेवा आयोग उपयुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार की बात तो पहले आ चुकी है। एक डाक्टर कहता है कि जिस होटल में मैं ठहरा उसका बेयरा कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो बताओ कितने पैसे देते हो, अभी सौदा करा दूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो फिर तारीफ किस बात की कर रहे थे ?

श्री टीकमचन्द कान्त : कांग्रेस शासन के 30 वर्ष से चले आ रहे भ्रष्टाचार की हमें जड़ें काटनी होगी।

पांव में दर्द होने से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अगर ज्यादा तकलीफ हो तो बैठे-बैठे 5 मिनट और बोल लें।

श्री टीकमचंद कान्त : धन्यवाद।

अन्त में निवेदन है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो श्री किशन सिंह भाटी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

हमारी जनता सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज की योजना लागू करके ग्रामोन्मुख विकास के अन्दर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वह बहुत सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जगह-जगह सडकें, पुलियायें बनाने और उस काम के बदले में लोगों को अनाज देने का ऐसा कार्य है जिसकी वजह से जिन ग्रामों के अन्दर कुछ नहीं कर पाये उन ग्रामों की समस्याओं का समाधान हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे गांवों के जिन निवासियों को मक्का और बाजरे की रोटी नसीब होती है आज उनके घर में गेहूं की रोटियां बनने लगी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी सरकार ने अन्त्योदय योजना लागू करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हाल ही में

(श्री गुल मोहम्मद)

अन्त्योदय योजना के लिये एक बुलेटिन प्रसारित हुआ था जो सभी माननीय सदस्यों को मिला है। उसके अन्दर सब से पहले बड़े बड़े शब्दों में यह लिखा हुआ है कि जंजीर की मजबूती उसकी सब से कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी भी देश की खुशहाली का अनुमान उस देश के सब से गरीब लोगों की भलाई के लिये किये जाने वाले कार्यों को देख कर लगाया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही सही बात है कि जंजीर की जो कमजोर कड़ी होती है उसी से मालूम पड़ता है कि जंजीर की कितनी मजबूती है। अन्त्योदय योजना में कहां कमियां हैं। इसमें जो दिक्कतें और परेशानियां आ चुकी हैं, जो बुराईयां उजागर हुई है उनको निकालना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मसला है जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने घर से अच्छे पकवान बना कर, अच्छा हलुआ बना कर, कटोरे में किसी को देने के लिये बाजार से गुजर रहा है, बीच के अन्दर उस हलुए को जो काफी अच्छा बना हुआ है, चील और कोवा झपट कर ले जाते हैं। यह भी ऐसी व्यवस्था है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये मैं अपने नेता महोदय, जो इस समय सदन में नहीं हैं, का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम अधिकारियों के हाथों से लागू किया गया है वह जो जन प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लागू किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। अन्त्योदय योजना में कई व्यक्तियों को खनन पट्टे भी दिये गये हैं। मैं समझ नहीं सकता वह गरीब व्यक्ति, जिसके घर में खाने के लिये नहीं है, किस प्रकार से उस खान को चला पायेगा। वह सारे पैसे मलवा निकालने में लगा दे फिर भी पत्थर नहीं निकल पाये तो उसका पैसा भी जाता है और उसको किसी प्रकार की मेहनत भी वसूल नहीं हो पाती है। और फिर से वह अन्त्योदय की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। अन्त्योदय योजना में ऐसे पट्टे दिये जाय जिससे उनको बेनिफिट मिले। बेनिफिट वाले काम अन्त्योदय वालों को दिये जाने चाहिय।

मैं आपका ध्यान 28-2-78 को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं।

पैरा 25 पर यह कहा गया था, "राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य में मत्स्य पालन का कार्य सहकारिता के आधार पर हो।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पहले यह कहा था कि सहकारिता के आधार पर हो लेकिन अभी जो 26 फरवरी को अभिभाषण दिया गया इसमें इस सहकारिता का कोई जिक्र नहीं है कि सहकारिता से होना चाहिये या किसी प्राईवेट पार्टी द्वारा होना चाहिये या किसी ठेकेदार के द्वारा होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के आधार पर होना चाहिये। यह बात सही है लेकिन देखना यह है कि हमने पिछले वर्ष के अन्दर सहकारिता के आधार पर कोई कार्यक्रम

(श्री गुल मोहम्मद)

चलाकर मत्स्य पालन किया है या नहीं किया है। मिसाल के तौर पर मैं एक केस पेश करना चाहता हूं। वह केस यह है कि माही बांध, जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, के मत्स्य का ठेका एक अल्प संख्यक सोसायटी ने लेने के लिये एप्लीकेशन दी। रिजर्व प्राइस के ऊपर लेना चाहती थी, उसका हक बनता था। दूसरे बांधों की रिजर्व प्राइस 1 से 20 पर्सेन्ट बढ़ाई गई थी। जब यह मालूम हुआ कि एक अल्प संख्यक सोसायटी इसमें इन्ट्रेस्टेड है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी रिजर्व प्राइस 90 पर्सेन्ट बढ़ा दी। यह किस तरह की बात करते हैं कि अल्प सख्यकों की सोसायटी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

इसके साथ ही अल्पसंख्यक की एक सोसायटी ने टेण्डर छिनोली बांध के लिये दिया। उसमें सोसायटी का टेण्डर ठेकेदार के टेण्डर से 12½% की अन्दर सोसायटी को 12½% छूट दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोसायटी को जो 12 1/2 पर्सेन्ट की छूट मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी गई और न ही सोसायटी का टेण्डर स्वीकार किया गया। सोसायटी का टेण्डर स्वीकार न करके ठेकेदार को दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात तो यह है कि जिस ठेकेदार को वह ठेका दिया गया उसके टेण्डर के ऊपर भी उस ठेकेदार के साइन नहीं थे। साइन न होने के बाद भी सरकार ने कैसे दे दिया। यह अफसोस और खेद-जनक बात है। फाईल मन्त्री महोदय तक चली, सी. एम. साहब तक चली, फिर नीचे अधिकारियों के पास चली, किसी ने गौर नहीं किया कि टेण्डर के ऊपर ठेकेदार के साइन नहीं हैं इसके बावजूद भी ठेका ठेकेदार को दिया जो नियमों के कतई विपरीत था।

तीसरा केस है जो उदयपुर के राजसमन्द से सम्बन्धित है। वहां की सोसायटी ने साढ़े चार लाख रुपया पेमेन्ट करके लाईसेन्स प्राप्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस विधान सभा में कानून बना है उसके तहत सरकार को किसी प्रकार की पावर्स नहीं हैं कि लेबर परमिट रोक दिया जाय बल्कि कानून में प्रावधान है कि खाली कागज पर साइन करके ठेकेदार को दे दिया जाय लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ढाई महीने से ज्यादा हो गया उसे सोसायटी का साढ़े चार लाख रुपया रोक रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन द्वारा बनाये गये कानून की किस प्रकार से मन्त्री महोदय अवहेलना करते हैं। उक्त बांध की इल्लीगल मछलियां सहकारिता मन्त्री खाते थे। मैंने कहा इल्लीगल मत खाइये, लीगल मछलियां खाइये। लेकिन वे इल्लीगल को ही प्राथमिकता देना चाहते थे। सहकारिता मन्त्री की वजह से सोसायटी को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। ये किस प्रकार सहकारिता को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ये कानूनों का उल्लघंन कर मनमानी करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 61 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके अन्दर यह लिखा हुआ है "नगरों में सड़क मार्गों की देखरेख की आवश्यकता तथा नगर परिषदों की सीमित आय को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर व जोधपुर

(श्री गुल मोहम्मद)

नगरों में प्रमुख सड़कों की देखरेख सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने साधनों से की जाय इससे इन शहरों में रहने वाली जनता को काफी सुविधा मिलेगी—"कच्ची बस्तियों में वातावरण सुधार योजना के कार्य को महत्व दिया गया है।"

एक तो यह बात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों का कार्यक्रम दिया गया है, वह बहुत अच्छा है लेकिन कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि सड़कें जो बनाई जायेंगी, इसके लिये पैसा कहां से आयेगा ? क्या म्यूनिसिपेलिटी देगी, क्या यू. आई. टी देगी, सरकार देगी, पी. डब्ल्यू. डी. देगी या अकाल राहत मन्त्री जी देंगे ? इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। यह एक ऐसा मामला हो गया कि पी डब्ल्यू. डी. के अन्तर्गत कार्य किया जायगा और पैसा नगर पालिका या यू आई. टी. द्वारा नहीं दिया गया तो वह कार्य नहीं हो पायगा। पैसा यू. आई. टी. देगी या म्यूनिसिपेलिटी देगी, कितना पैसा खर्च होगा और कितना पैसा खर्च नहीं होगा और पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसका कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं है।

इसके साथ ही साथ वातावरण सुधारने की बात कही गई। कच्ची बस्तियों में पैसा खर्च किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां टीले हैं वहां टीलों पर सड़कें बनाई जा रही है, टीलों पर नालियां बनाई जा रही हैं। जब बरसात आती है तो वे सब टीले धराशायी हो जाते हैं और सरकार का जितना पैसा उस सुधार में लगा वह बरबाद हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था, माननीय मन्त्री महोदय को कहा था और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को भी कहा था कि वातावरण सुधार के लिये आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जो स्थायी हो। कच्ची बस्तियों के लोग आसमान की छत के नीचे पड़े हुए हैं। जब विरोध में बैठते थे तो उनकी हिमायत करते थे। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको बसाने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिये और सुव्यवस्थित ढंग से उनको बसाया जाना चाहिये। एक बार यदि सड़क बनायें तो वह कम से कम स्थायी तो बन सके, इसको भी सरकार को पूरी तरह देखना चाहिये।

इसके साथ ही में एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधान मन्त्री जी जयपुर में पधारे थे तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अगली बार जब मुझे जयपुर बुलायें तो जयपुर में कच्ची बस्तियों की समस्या न रहे जब यह हो जाय तो मुझे कहना, मैं जयपुर आ जाऊंगा। लेकिन इस समय यह हालत है कि किसी भी कच्ची बस्ती की समस्या नहीं सुलझी है। कच्ची बस्तियों की समस्या के समाधान के लिये 9 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान बना है जिससे उन कच्ची बस्ती वालों को मकान मिल सके, व उनका विकास हो सके, किन्तु कच्ची बस्ती का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

साथ ही मैं आपका ध्यान 28-2-78 का जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसकी ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अन्दर यह कहा है, "राज्य सरकार द्वारा अपने पूर्व संकल्प के अनुसार सहकारी संस्थाओं, और नगर-

(श्री गुल मोहम्मद)

पालिकाओं के चुनाव भी अगले कुछ महीनों में करा दिये जायेंगे।" यह गत वर्ष के 28 फरवरी के अभिभाषण में है, लेकिन आज तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं। हालत यह है तो किस प्रकार बस्ती की समस्याओं का समाधान कर पायेंगे ? म्यूनिसिपल मेम्बर का जो कार्य है, कम से कम उसको भी देखना पड़ेगा। अतः इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करें और शीघ्र चुनाव करवायें।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह है अल्प संख्यकों के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई, 77 के राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर जो लिखा गया है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अन्दर अल्प संख्यकों के बारे में यह लिखा गया है, सरकार विभिन्न अल्प संख्यक समुदाय के प्रति जागरुक है तथा उनके हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।" जागरुक है और आवश्यक कदम उठायेगी। महामहिम राज्यपाल महोदय का 28 फरवरी, 78 का जो अभिभाषण है उसमें पैरा संख्या 56 में भी यह लिखा हुआ है, "अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अल्प संख्यकों केहितों की रक्षा के प्रति सरकार जागरुक है। इन वर्गों की सुरक्षा के लिये सरकार ने समुचित प्रबन्ध किये हैं।" माननीय अध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इन वर्गों के लिये कोई जागरूकता दिखलाई नहीं केवल लिख कर छोड़ दिया और उसका पालन नहीं किया। इसके बारे में यह सरकार क्या कहना चाहती है ? क्या क्या लिखा है, यह तो अलग बात है, लेकिन 26 फरवरी 1979 का जो अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल महोदय का, इसमें तो कहीं कोई जागरूकता का प्रश्न ही नहीं दिखाया। इसके अन्दर क्या दिखाया गया है कि अल्प संख्यकों के भाषाई विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है यानि भाषा विकास पर। यह अल्प संख्यकों की भाषा के लिये है ? क्या आप उर्दू को ही अल्प संख्यकों की भाषा मानते हैं। यह अल्प संख्यकों की भाषा नहीं है, उर्दू इस हिन्दुस्तान की भाषा है। इसके विकास के लिये आपको स्वयं कार्य करना है, उसके लिये आप बाध्य है। उर्दू किसी मुस्लिम या जाति की भाषा नहीं है। आपको ज्ञात होना चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भाषण में अल्प संख्यकों के हितों के प्रति एक शब्द भी नहीं लिखा गया है फिर किस प्रकार की दुहाई देते हैं, यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चुनाव घोषणा पत्र जो जनता पार्टी ने निकाला था की ओर भी दिलाना चाहता हूं। घोषणा पत्र के पैरा संख्या 24 पर लिखा हुआ है " अल्प संख्यकों के प्रति उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार के मामलों में भेदभाव की शिकायतों को तथा धार्मिक सांस्कृतिक अथवा भाषाई वर्गों के साथ होने वाले सब प्रकार के भेदभावों को दृढ़तापूर्वक दूर करने के लिए जनता पार्टी वचनबद्ध है।" जब चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है तो यह सरकार पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। आप कहते हैं, उनको हर प्रकार की फैसिलिटी देंगे यह कौन से अभिभाषण में कहा गया है कि यह फैसिलिटी दी है। किसी एक फैसिलिटी का हवाला तो देते। यह न करके अल्प

(श्री गुल मोहम्मद)

संख्यकों के हकों पर कुठाराघात किया गया है।

आज जो अल्प संख्यकों का मन्त्री बना रखा है, क्या हैसियत है उनकी। उनको आज कोई पावर नहीं है। ये बिना पावर के मन्त्री हैं और आप कहते हैं कि ये हैं अल्प सख्यकों के मन्त्री। अल्प संख्यकों के लोग आते हैं तो मैं इनके पास भेजता हूं लेकिन उनकी काई सुनवाई नहीं होती है कह देते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं कहता हूं मिट्टी का मिनिस्टर हो तो वह भी पावर रखता है लेकिन जीता जागता मन्त्री यह कहे कि मेरे पास पावर नहीं है इसका बड़ा अफसोस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ ही महीने पहले मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था जिसमें अल्प संख्यकों की तमाम समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था और कहा था कि अल्प संख्यकों को आप सरकारी नौकरियों में और दूसरे कामों में, हर चीजों में रिजर्वेशन दीजिये। उन्होंने, माननीय अध्यक्ष महोदय मुझसे यह कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम अल्प संख्यकों को रिजर्वेशन दे सकें मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 15 (4) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है-

"Nothing in this Article or in clause(2) of Article shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward clas s ofes citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes."

माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 15 (4) यह कहता है बैकवर्ड क्लासेज एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिये सरकार रिजर्वेशन करने में सक्षम है। दूसरी स्टेट्स में भी इस प्रकार का रिजर्वेशन हुआ है। मुस्लिमों में जितनी बैकवर्डनैस है उतनी औरों में नहीं मिलेगी। विरोधी पक्ष जो कि अल्प संख्यकों की दुहाई देकर उनके वोट से जीत कर आता था, ने भी कोई काम नही किया और आज अल्प-संख्यकों की बात करते हैं। इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आर्टिकल 16 (4) की ओर भी दिलाना चाहता हूं, इसका मतलब कहीं यह न समझ लें कि हम अन्य बैकवर्ड क्लासेज के लिए कुछ नहीं कर सकते है........

"Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointment or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in tha services under the State."

यानि बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कह दिया कि जब बैकवर्ड क्लासेज के लिए कहता हूं तो बैकवर्ड क्लासेज कौन हैं जो कि एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। आज आप किसी मुस्लिम मोहल्ले में चले जावें, अध्यक्ष महोदय, वहां पर उनके मकान

(श्री गुल मोहम्मद)

के सामने आपको बकरी और बकरी का बच्चा बन्धा हुआ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस रास्ते के अन्दर कुछ मुर्गी और मुर्गियों के बच्चे मिलेंगे। गंदगी मिलेगी, टाट पट्टी लटकी मिलेगी और बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनसे इस बात की ओर ध्यान जाएगा, यह जाना जाएगा कि यह माइनोरिटी के लोग हैं। यहां पर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, यहां पर बैकवर्ड लोग रहते हैं। अगर बैकवर्ड नहीं होते तो वह भी भैंस बांधते। अगर बैकवर्ड नहीं होते तो वह भी गाय बांधते। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बैकवर्ड हैं और सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं। तीस साल तक तो मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है वह किस कारण नहीं दिया गया, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 1950 के अन्दर एक प्रेसीडेंसियल आर्डर निकाला गया जिसके अन्दर कहा गया कि अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का है तो केवल हिन्दू ही होगा। जो हिन्दू है वही शिड्यूल कास्ट्स का हो सकता है जब कि यह संविधान के आर्टिकल 15(1) के खिलाफ है। संविधान यह कहता है कि कोई भी कास्ट के आधार पर हम किसी का रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो क्या हिन्दू कास्ट नहीं है। अगर मुस्लिम को एक कास्ट मानते हैं तो मुस्लिम को क्यों नहीं मान सकते? जब हिन्दुओं को रिजर्वेशन दे सकते हैं तो मुस्लिमों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता? मेरा कहना यही है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बातें मैंने रिप्रेजेण्टेशन में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को लिख कर दी थीं, वह रिप्रेजण्टेशन उन्हें करीब 4 माह पूर्व दिया था उसका आज तक जवाब नहीं मिला कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? इस प्रकार से मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरे पास यह रिप्रेजेण्टेशन मौजूद है जो मैंने उन्हें दिया था। मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रिजर्वेशन जो हिन्दुओं को दिया गया है उसी प्रकार मुस्लिमों को भी रिजर्वेशन दिया जाय। स्पेशल प्रोविजन बनाने की राज्य सरकार की डिस्किशनरी पावर है, वह रिजर्वेशन दे सकती है। उसका उपयोग कर 15 पर्सेण्ट रिजर्वेशन मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज को दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करता हूं और इसी के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए कई माननीय सदस्य बोले उससे ऐसा लगा कि जैसे सिर्फ उन्होंने इस अभिभाषण को आलोचनात्मक दृष्टि से ही देखा है। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य होता है तो कमियां रहती हैं। कमियां रहनी भी चाहिए। यह भी सही है कि उन कमियों को बताने वाला भी होना चाहिए। अगर कमियों को बताने वाला नहीं हो तो अच्छा कार्य करने वाला अभिमानी हो जावेगा और उसकी प्रगति का समग्र रास्ता बन्द हो जावे ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : दुरुस्त करने वाले नहीं हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, किसी भी अच्छे कार्य को जब हम देखते हैं तो वहां हमें आलोचना करने का अधिकार है वहां हमें इतना तंग दिल भी नहीं होना चाहिए कि कार्य के अच्छे पहलू की तारीफ में कुछ कहें ही नहीं। अच्छाई पर भी कुछ कहना चाहिए ताकि कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले। मैं इस बात के लिए विरोधी पक्ष, जिनके अधिकांश माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं, का आभार प्रदर्शित करती हूं कि उन्होंने जब विरोध करने की क्षमता अपने में नहीं देखी, यहां समर्थन में तो वे बोल नहीं सकते थे, तो यहां से चला जाना ही उचित समझा। यह इस बात का परिचायक है कि वह भी इस अभिभाषण को अपना समर्थन देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि इस अभिभाषण को हम पिछली सरकार के तीस साल के कार्य और इन दो सालों के कार्यों की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमें महसूस होगा कि तीस वर्षों से यह दो साल बहुत ही बेहतर गुजरे हैं। दो साल पहले राजस्थान के गरीबों के क्या हालात थे उन हालात को मैं दो लाइन में बताना चाहती हूं :

अगर जिये भी तो कपड़ा नहीं बदन के लिए
मरे तो लाश पड़ी रह गई कफन के लिए।

अध्यक्ष महोदय, गांधी का नाम लेकर सरकार चलाने वालों ने कभी गांधी के सपनों को कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास नहीं किया।

हमारी वर्तमान सरकार ने अन्त्योदय योजना के माध्यम से गांधी के सपनों को साकार किया है। हम आभारी हैं इस सरकार के, हम इस सदन में उस जनता द्वारा दिया गया आभार प्रदर्शित कर सकते हैं जो तहे दिल से जनता ने दिया है। जो गरीब थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जो पिछली कतार में बैठे हुए थे उनको इस योजना ने अगली कतार में लाकर बिठा दिया है। हम जानते हैं कि अन्त्योदय कार्यक्रम में भी कमियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यह ठीक है कि हमने किन्हीं लोगों को अन्त्योदय योजना में चुन लिया, उनको लाभ भी दे दिया लेकिन एक साल का लाभ देकर हम चुप नहीं हो जावें। कम से कम पांच साल तक प्रोटेक्शन देने की नियत सरकार की होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पेंशन देकर सरकार ने यह जरूर कर दिया है कि जिन लोगों का कोई नहीं था, जो लाचार थे, जो बेबस थे, आज सरकार उनकी मालिक है। सरकार उनके धन दौलत की वारिश नहीं है बल्कि उनके दुखों की वारिश है। गरीब आज यह महसूस करता है कि "कल हमारा था न था पर आज अपना है"

इन बातों को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का आभार प्रदर्शन करता हूं कि इसने अन्त्योदय योजना को साकार रूप देकर आशातीत सफलता प्राप्त की है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

दूसरी योजना इस साल काम के बदले अनाज की है। अध्यक्ष महोदय, मैं गौरव के साथ इस बात को कहना चाहती हूं, कि आज से दो साल पहले अगर किसी गांव में गए हों और दो साल बाद आज जाकर देखें, आज अगर वहां पर जाना चाहें और जाना चाहिये, तो दग रह जायेंगे कि क्या यह वही गांव है या कोई दूसरा गांव है। तो सरकार की इस आशातीत सफलता के लिये हम उसको बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सफलतायें इस सरकार ने प्राप्त की हैं। सरकार ने आंकड़े दिये हैं कि पिछले दो वर्षों में 1778 प्राथमिक शालायें खोली हैं, 732 उच्च प्राथमिक शालायें और 605 माध्यमिक शालायें खोली हैं। अध्यक्ष महोदय, शायद सरकार को यह ध्यान नहीं है कि जो शिक्षण संस्थायें खोली हैं उनमें अधिकांश में आज तक अध्यापक नहीं पहुंचे हैं। हम किसी कार्य को करते हैं तो करने के बाद हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि यह देखें कि उसकी क्रियान्विति पूरी तरह से हुई है या नहीं। अगर कमी रह गई है तो पूरी करनी चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा को भी सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इससे गरीबों को राहत मिली है। जो निरक्षर थे आज वे साक्षर हो रहे हैं। आज उनसे जबरदस्ती कोई नहीं लिखवा सकता, जबरदस्ती अंगूठा नहीं लगवा सकता। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन विभाग को भी बधाई देती हूं कि उसने बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों को पर्यटन क्षेत्र में आगे लाकर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उसके ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि जहां नये पर्यटन स्थल कायम करने जा रहे हैं वहां जो पुराने पर्यटन स्थल हैं उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। आमेर बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, वहां पर चाय पीने की जगह भी बराबर नहीं है। दुकानों में मिठाइयां उघाड़ी पड़ी हैं। हम विदेशियों को क्या यही दिखाना चाहते हैं कि यह हमारा पर्यटन स्थल है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, सरकार को इन पर्यटन स्थलों की ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। उनका पूरा विकास करके आगे लाना चाहिए। जो विदेशी बाहर से आते हैं, हिन्दुस्तान में आने के बाद जब आगरा का ताजमहल देखते हैं तो उसके बाद आमेर का महल भी देखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आमेर पर्यटक स्थल है जो सिर्फ राजस्थान के नक्शे पर ही नहीं, हिन्दुस्तान के नक्शे पर ही नहीं बल्कि दुनियां के दिल पर पर्यटन स्थल है। इसकी सफलता के लिए, इसके विकास के लिए पूरा ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, और भी कई कार्य ऐसे हैं जिसमें सरकार ने आशातीत सफलता प्राप्त की है, जैसे राजस्थान का मरु सुधार कार्यक्रम। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। कृषि ऊपज की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। पशुपालन, दुग्ध विकास, भेड़ पालन, राजस्थान नहर परियोजना, औद्योगीकरण, खनिज विकास, ऊन पर

(सुश्री पुष्पा जैन)

आधारित उद्योगों के विकास, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, चिकित्सा सुविधा, परिवार कल्याण आदि आदि इन सब क्षेत्रों में जो सरकार ने ध्यान दिया, सरकार ने सफलता प्राप्त की और सरकार का जो कार्यक्रम है उसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि टौंक में उसने एक पारसी-अरबी निदेशालय की स्थापना की है। वास्तव में इससे टौंक में उपलब्ध दुर्लभ साहित्य भंडार का समुचित उपयोग होगा। इसके साथ ही सरकार ने जयपुर की मृत प्राय कला को कत्थक केन्द्र के रूप में उजागर किया है कत्थक घराने की स्थापना करके। इसके लिए भी मैं सरकार को जयपुर की जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं।

इसके साथ ही एक बार पुनः अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो विरोधी दल के सदस्य मौजूद नहीं हैं, आलोचक मैं उनको भी यह कहना चाहती हूं, वे चाहे कितने ही तूफान खड़े करें, उससे यह आगे बढ़ने वाला कारवां रुकने वाला नहीं है :

कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे,
मैं तुफां की जिद देखना चाहता हूं।

अतः यह सरकार बधाई की पात्र है। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं भी अपनी आवाज सम्मिलित करती हुई अपनी बात को समाप्त करती हूं व समर्थन देती हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर शेर कहे गये हैं। इसलिए शेर कहने की लहर आ रही है। आप अनुमति दें तो एक शेर कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी इस लहर को रहने दीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय एक शेर है :

तूफान के तेवर खूंखार है साहिल को कोई उम्मीद नहीं,

मल्लाह की सूरत तो देखो, नाकाम सहारा देता है।

श्री माणकचन्द ठाकौर : अध्यक्ष महोदय, हर बार मेरा नाम आगे बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : दो तीन इधर से तो एक दो उधर से हो जाने दीजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण चूंकि 31 पृष्ठ का था, उसको वे सम्पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाये। उन्होंने कुछ राजस्थान सरकार की उपलब्धि के पैराग्राफ तथा अन्तिम पैराग्राफ पढ़ दिया अन्तिम पैराग्राफ पढ़ने के पहले माननीय

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मुख्य मन्त्री जी के पास में जो एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट था, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार नहीं कहे हैं। माननीय अध्यक्षजी, मैं यह स्वीकार करता हूं कि कोई भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार को सौ प्रतिशत खतम नहीं कर सकती है परन्तु यह जनता सरकार की उपलब्धि है, महान सफलता है और मैं तो यह कहूंगा कि अगर भारत रत्न की उपाधि किसी को मिलनी चाहिए तो हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय को इसके लिये मिलनी चाहिए कि जहां पर राजस्थान सरकार का सचिवालय है, जहां कि जिलाधीश का मुख्यालय है, वहां के कर्मचारियों ने 6 दिन तक हड़ताल इसलिए रखी क्योंकि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट ने वहां के एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से घूस लेते हुए पकड़ा। यह कितनी दुखदायी स्थिति है। जहां पर मुख्य मन्त्री का निवास स्थान हो, जहां राजस्थान का मुख्यालय हो, जो डिपार्टमेन्ट स्वयं मुख्य मन्त्री के पास हो और मुख्य मन्त्री की उस घोषणा के बाद जो घोषणा उन्होंने जनता पार्टी के विधायक दल में उनके चुनाव के समय की थी, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहूंगा, मैं यह नहीं कहता कि माननीय मुख्य मन्त्री का भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो संकल्प है, उसमें कमी आई है, परन्तु आज मैं आपकी उन मजबूरियों के बारे में पूछना चाहता हूं जिसके कारण जिलाधीश के जिन कर्मचारियों ने 6 दिन तक हड़ताल रखी, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, यह महान दुःख की बात है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों की, अधिकारियों की जिलाधीश के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। एडीशनल आई.जी. श्री सिंघवी साहब ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखी, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है, यह सत्य है कि ए. सी. डी. को सिविल पुलिस पूरा सहयोग नहीं दे रही है। इस घटना को हुए दो महीने हो गये। ए.सी डी. के कर्मचारियों ने रिपोर्ट दर्ज की 353, 332 आई. पी. सी के तहत किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह इस सरकार पर कलंक है। कोई जबाब है? इसमें कोई राजनीति नहीं है। यह घोर गम्भीर विषय है। जिस विभाग का स्वयं मुख्य मन्त्री ही मन्त्री हो, भ्रष्टाचार दूर करने का जिसका संकल्प हो, उसकी सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो और सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे। मैं समझता हूं इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिये। यह अच्छी बात नहीं है। आप कह दीजिए कि हम भ्रष्टाचार को फैलाएंगे। भ्रष्टाचार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को दूर करने के लिए आपने ए. सी. डी. के स्तर पर और दूसरे स्तर पर भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेके। मुझे मालूम हुआ है, जनता पार्टी की जो रीढ की हड्डी बना हुआ है, जनता पार्टी के जन्म में जिसका हाथ नहीं था, जो भारतीय संस्कृति की बात करता है, जो लाठी के सहारे चीन को हराना चाहता है, उस दल के मन्त्री ने इसमें इन्टरफियरेंस किया और उस कारण से हमारी राजस्थान सरकार कमजोर हो गई। इतनी कमजोर हो गई कि वह कोई एक्शन नहीं ले सकी। मैंने इस विषय पर स्टेटमेन्ट दिया तो मुझे धमकी दी गई, हम तुम्हें देख लेंगे। इन्दिरा गांधी के चेले से जो नहीं डरा वह इन हाफ पेन्ट वालों से डरने वाला नहीं। परन्तु यह

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हकीकत है। मैं भैरोंसिंह शेखावत की सरकार को, आपको यह कहना चाहूंगा कि आर. एस. एस. का जनता पार्टी के गठन में कोई हाथ नहीं है। जनसंघ का हाथ हो सकता है। जनसंघ की दखलन्दाजी हो सकती है परन्तु जनसंघ के सहारे से, उस रास्ते से यह जहर फैल रहा है, इसको रोकिए। यह आपका पुनीत कर्तव्य है। इस आर.एस.एस. के कारण जनता पार्टी जनता से दूर होती जा रही है। ये लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। किस संस्कृति की बात करते हैं। गुजरात में किस पारसी को बना दिया, कहीं पर मुस्लिम को बना दिया, वह इनका शो पीस है। इस आर. एस. एस. से ही देश को अन्त में लड़ाई लड़नी है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो, जौहरी बाजार क्षेत्र स आते हैं, ने अल्पसंख्यकों की बात कही। जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र से यह सरकार दिनों दिन दूर हटती जा रही है, उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है। इसलिये मेरा भी यह पुनीत कर्त्तव्य है कि मैं अपनी सरकार को आगाह कर दूं। जयपुर से आने वाले मन्त्री सिर खुजाने लगे हैं। मैं उनकी परेशानी समझता हूं परन्तु मैं समझता हूं सारे देश में जो व्याकुलता है, जो अविश्वास की भावना आई हुई है, उसके पीछे यह आर. एस. एस. का जहर है, यह मगरमच्छ है, काला नाग है। जब यह डंक मारेगा तो कोई इलाज नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : इसका इलाज बताइये।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : एक है धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, इसमें विश्वास रखने वाले साथी यहां बैठे हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : आप डूबे सो डूबे साथ में जजमान को भी ले डूबे।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : दूसरा मैं मुख्य मन्त्री के उस भाषण के बारे में कहना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरी सरकार राजस्थान में ग्रामीण जल समस्या को दूर करेगी, जैसा मुझे मालूम हुआ है यह हकीकत है, माननीय मुख्य मन्त्री जी को नींद नहीं आती है उनको लाखों ग्रामीणों की चिन्ता है। मैं उनकी बोनाफाइडी पर आक्षेप नहीं करता परन्तु मैं बताना चाहता हूं कथनी और करनी में कितना अन्तर है? श्रीमन, राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया कि 12 करोड़ रुपये गांवों के लिए और 5 करोड़ रुपये शहरों के लिए रखे गए हैं। 17 करोड़ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए रखे गये हैं। यह वर्ष तो खतम हो रहा है। 17 करोड़ रुपये राजस्थान के कुल बजट का 2 प्रतिशत हैं। जो सरकार अपने बजट का 2 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल समस्या का हल करने के लिए रिजर्व रखती है उस सरकार से क्या उम्मीद करें और कैसे विश्वास हो उन लोगों को जिन्होंने जनता सरकार बनाई, जिनकी जिन्दगी की जीवट समस्या जल समस्या है। आज पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर सारे इलाकों में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। जयपुर की यह समस्या हो सकती है कि यहां पर फौवारों में पानी कैसे नहीं आया या यहां की कोठियों का घास कैसे हरा हो। मैं जिस इलाके से आ रहा हूं वहां पेयजल की जो

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

समस्या है उसके लिए ऐसी सरकार, जो अपने बजट का 2 प्रतिशत इस समस्या के लिए रखती है को क्या कहूं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए क्या कहूं ? मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, कोई झूठी राजनीति की बात नहीं है। जनता पार्टी बनाने में भी मैंने अपना अंशदान किया है। मैं जनता से आज भी कहूंगा कि इन कांग्रेसियों को तो वोट मत ही दो लेकिन फिर ? आज अन्य कोई पार्टी नहीं और सी. पी. एम. अभी बच्चा है। इतना होने के बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने बजट का 2 प्रतिशत रुपया ग्रामीण जल-प्रदाय योजना के लिये रखें यह बड़े दुःख की बात है। जैसे छोटे बच्चे को मीठी गोली देकर खुश किया जाता है उसी प्रकार से कहते हैं कि रिजर्व बैंक से मांग की है। आज जल प्रदाय मिनिस्टर ने कहा कि विश्व बैंक की योजना 1981 में चालू हो जाएगी। 1981 में तो जनता आप लोगों को उखाड़ देगी। तो क्या हुआ उस घोषणा का जो मुख्य मंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद की ? क्या हुआ उस घोषणा का जिसमें कहा था कि मैं 4 वर्ष में गांव गांव में पानी दे दूंगा? अगर वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देगा तो गांव-गांव में पानी दे पायेंगे ? वर्ल्ड बैंक देगा 1982 में, और 1982 में जनता आपको हटा देगी। यह धोखा कर रहे हो आप। कृपया गांवों की ओर ध्यान दीजिए।

इस जनता सरकार का 400 करोड़ तीन वर्षों में बिजली और सिंचाई के कार्यों पर खर्चा होगा। यह सिंचाई किस के पास में है ? आपके पास में। इसलिए आप बोल रहे हैं। तो आप तो अपने इलाके में नहरें ले जायेंगे लेकिन मुझ जैसा गरीब आदमी क्या करेगा ?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक अहम सवाल रखता हूं। परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मत कहिए। परिवारकल्याण के लिए एक लाइन नहीं दी गई। मैं जानता हूं जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है कि हम इस कार्यक्रम को स्वेच्छा से मनायेंगे। आज भी जनता सरकार की इच्छा है कि आबादी कम हो लेकिन इस जनता सरकार की योजनायें चलाने का मापदण्ड क्या है ? स्कूल खोलेंगे, आबादी पर, रोड बनवायेंगे आबादी पर, बिजली और सिंचाई की स्कीमें बनायेंगे आबादी पर। तो पश्चिमी राजस्थान के लोग कहां जायं जहां का क्षेत्रफल बाकी पड़ा है ? 1765 प्राइमरी स्कूल खोल दिये, 400 सैकण्डरी स्कूल और 700 मिडिल स्कूल खोल दिए लेकिन इसका फायदा पश्चिमी राजस्थान के उन लोगों को नहीं मिला जो सदियों से अकाल की मार सहते आ रहे हैं। माननीय अध्यक्षजी, हमारी सरकार के मंत्रिगण इस बारे में नहीं सोचेंगे। कल ही बताया गया कि भारत सरकार ने 7वें वित्त आयोग से यह मांग की है कि आबादी के हिसाब से सहायता देने के साथ साथ क्षेत्रफल को भी आधार बनाया जाय, गाडगिल फार्मूले को नामंजूर किया जाय। जब राजस्थान सरकार भारत सरकार से क्षेत्रफल के आधार पर सहायता मांगती है जो वही सरकार पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से सहायता क्यों नहीं देती ? हमारे

(112)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

कोलायत–जैसलमेर, जैसलमेर-जोधपुर बाड़मेर में आज भी छोटे बच्चे 8-8 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, 30-40 किलोमीटर तक हास्पिटल और मेडिकल डिस्पेंसरीज नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने कहा कि शहर में आप चाहें मत खोलें परन्तु पश्चिमी राजस्थान के घरों को देखिए, रेतीले टीलों को देखिए, मिट्टी को देखिए और इंसान की गरीबी को देखिए। जहां 40 मील तक न पशु और न आदमी के लिए हास्पिटल है, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं हैं, वहां क्या कर रही है आपकी सरकार? एक डी. पी. ए पी. के अन्तर्गत आपने पश्चिमी राजस्थान के लिए 18 करोड़ की व्यवस्था की है। अरे, वह तो लोन है। पश्चिमी रास्थान का किसान बैंक के कर्जों के नीचे दबा है। पूर्वी राजस्थान के विकास की ओर तो आप ध्यान दें और पश्चिमी राजस्थान की ओर नहीं। यह भेद-भाव है। इससे तो वही होगा जैसा अभी यू पी. में हो रहा हैं। अगर सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो यहां भी यह मांग जोर पकड़ेगी कि राजस्थान के दो टुकड़े हों, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान अलग अलग हों।

माननीय अध्यक्षजी, इस सरकार ने बहुत शोर मचाया है। अखबारों में पहले 21 सूत्रीय कार्यक्रम आता था और आज अन्त्योदय कार्यक्रम आता है। मुझे याद है इस सरकार के मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय कुछ दिन पहले बीकानेर गए थे। वहां रोटरी क्लब में उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि 21 सूत्री कार्यक्रम और अन्त्योदय कार्यक्रम एक है। पहली से आने वाले विधायक महोदय ने कहा, Man behind then, who? खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अन्त्योदय कार्यक्रम में दावा किया गया है कि 90 प्रतिशत अन्त्योदयी परिवारों को सहायता दे दी गई है। अगर मन्त्री महोदय में हिम्मत है तो माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करें। आप खुद जानते हैं कि बीकानेर में तीन प्रतिशत भी इसकी पालना नहीं हुई है।

725 परिवारों को पर्चे बांटे हों लेकिन उनको लोन सैन्क्शन नहीं हुआ। 500 परिवारों को लोन दिया है लेकिन लोन बांटा नहीं गया है 300 लोगों को ऐसी जमीनें दी गई हैं जो बन्जर हैं बिना किसी काम की। गांव गांव के अन्दर आपके अन्त्योदय कार्यक्रम की हंसी हो रही है। प्रत्येक गांव वाले यह स्पष्ट कहते हैं कि अन्त्योदय के कार्यक्रम से तो काम के बदले अनाज अच्छा है। गांव वाले यह जरूर कहते हैं कि गांव गांव में फैमिन हो गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह जनता कह रही है। जैसे एक मोडर्न लेडी की लिपिस्टिक और पाउडर पानी से घुल जाता है वैसे ही 'काम के बदले अनाज' योजना में जो काम गांवों में किये गये हैं वह बह गये हैं पिछले दिनों वर्षा में और जून और जुलाई की बारिश में वह पूरे बह जायेंगे। बिल्डिंग बनाने का जो काम हुए हैं वह सीमेंट के अभाव में अधूरे पड़े हैं। भारत सरकार ने अपने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है कि 50 करोड़ काम के बदले अनाज में रखा गया है। सारे भारत के लिए 40 करोड़ रखा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह भारत सरकार का आगामी वर्ष का बजट कह रहा है कि 50 करोड़

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रुपया काम के बदले अनाज में सारे भारत के लिए रखा गया है, तो राजस्थान के हिस्से में 3-4 करोड़ या 4-5 करोड़ रुपया और आयेगा। उसमें तो अभी जो काम चालू किये गये हैं और पूरे नहीं हुए हैं वह भी पूरे नहीं होंगे। जैसे सरकार के जीवन काल में 15 करोड़ अकाल राहत में खराब हो गये उसी का प्रतीक जनता सरकार का यह काम गांवों में काम के बदले अनाज के कामों का प्रतीक होगा। मैं योजना के इन्टेन्शन को खराब नहीं कहता।

माननीय अध्यक्षजी, सरकार 115 रुपये में किसानों से गेहूं ले रही है और 136 रुपये के अन्दर फेयर प्राइस पर गेहूं बांटती है यह बेवकूफ सरकार 100 रुपये क्विन्टल में गांव वालों को बांट रही है। मैं नहीं कह रहा हूं यह गांव वालों का कहना है कि 100 रुपये क्विन्टल में गेहूं आप उनको देंगे लेकिन गेहूं गांव वालों का स्टेपल फूड नहीं है। उनका स्टेपल फूड बाजरा, जौ, मक्का और ज्वार है। गेहूं गांवों में नहीं चलता है। वह 100 रु. क्विन्टल में आपसे लेकर बिचौलिया व्यापारी को बेचता है जो 136 में बाजार में बेचता है। इस तरह से करोड़ों रुपया सेठों के हाथों में गया है ...

श्री रतन लाल वर्मा : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वह बेच रहे हैं तो वह आपके क्षेत्र में या और कहीं होगा। मेरे क्षेत्र में आप बता दें तो मैं चुनौती दूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तुम्हारा क्षेत्र अलग है क्या ?

श्री नूरा : आप कह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भिनाय तक की है। आप सारे राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस आदमी को 7 किलो, 5 किलो गेहूं मिलता है वह मिर्च कहां से लायेगा ? नमक कहां से लायेगा, कपड़ा कहां से लायेगा अगर बेचेगा नहीं तो ?

श्री रतनलाल वर्मा : यह आप लोगों के यहां होता होगा जिनका गरीबों से सम्पर्क नहीं है। यह आपका राजनैतिक खिलवाड़ है। बोरियां भरी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गरीब बोरियां रखेंगे जबकि तुमने ऐसी हालत पैदा कर दी है उनकी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शब्दों को इस प्रकार रखता हूं कि अजमेर जिले की भिनाय तहसील के अलावा सब जगह यह हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक गम्भीर चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान केनाल का 70 मील पर जाकर काम हो रहा है 1984 तक उसका काम पूरा करने का संकल्प हमारी इस सरकार ने किया हुआ है। 1984 तक पूरा कर लेंगे मगर वहां के चीफ इंजीनियर और इंजीनियर्स की यह रिपोर्ट है कि राजस्थान केनाल में मजदूर नहीं आ रहे हैं वह इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि गांव-गांव के अन्दर फेमिन हो गया है। पी. डब्ल्यू. डी. के रोड वर्क्स पर मजदूर नहीं आ रहे हैं क्योंकि गांव–गांव में फेमिन खुल गया है। राजस्थान सरकार की सिंचाई

(114)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

योजनाओं पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय को चैलेन्ज करता हूं कि...

एक माननीय सदस्य : गलत कह रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं झूठा आदमी नहीं हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : अनाज के बदले काम के लिए वही आदमी जायेंगे जो कि गरीब हैं। अमीर आदमी नहीं जायेंगे।

श्री नूरा : इनको दूसरों के टाइम का सोचने को कहें।

श्री रतनलाल वर्मा : आप मुझे गलत चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं। सरकार को कुछ भी कहें।

श्री नूरा : अगर आप सरकार हैं तो आपको भी कहने का हक है।

श्री रतनलाल वर्मा : सही तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री नूरा : आप कितने ही जोर से बोलें और आप 100 बार कहें....

श्री रतनलाल वर्मा : गैर जिम्मेदार लोगों ने सही काम नहीं कराया है। हमने सही तरीके से काम कराया है तो गांवों का विकास हुआ है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : श्रीमान अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, यह मेरा चैलेन्ज है सरकार को कि डी.पी.ए.पी. के अन्दर 31 दिसम्बर 1978 तक 16 करोड़ में से एक करोड़ 6 लाख रुपया खर्च हुआ था। आंकड़े मौजूद हैं। डी. पी. ए. पी. में 40 पर्सेन्ट आज भी खर्चा नहीं हुआ है। राजस्थान केनाल में 30 करोड़ का काम बीच में बुक करने वाली करीब 10 कम्पनियों को देकर पूरा किया गया है और नहरें खोदी गई हैं। यह मैं स्ट्रेस देकर कहना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के पास समस्या है कि हम इस रुपये को किस प्रकार से खर्च करें। सीमेंट नहीं है, पानी ले जाने के लिए पाइप नहीं है, पम्प नहीं है, इंटे नहीं हैं, बिजली के लिए तार नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पास दिमाग भी नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने आंकड़े दिये हैं अगर मन्त्री महोदय अपने भाषण में इनको रिफ्यूज कर दें और यह राजस्थान सरकार 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष का काम कर ले तो मैं अपनी सीट से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह सही बात ही कहना चाहता हूं। मेरे जी में दुःख है क्योंकि मैं देखता हूं कि गांव वालों को पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, स्कूल नहीं मिला, रोड नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिला है और दूसरी तरफ रुपया बिना खर्च किये हुए पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समय और अधिक नहीं लूंगा। वैसे कहने को तो काफी है लेकिन सबसे अन्त में एक गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि एक विधायक के कारण मुझे भी गालियां पड़ती हैं। माननीय विधायक जो

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

भिनाय से आ रहे हैं वह इस बात से सहमत होंगे और आकर कहेंगे कि उनकी जनता गूंगी होगी। राजस्थान स्टेट रोडवेज....

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य ने यह कहा कि जनता गूंगी होगी तो मैं आपको निमन्त्रण देता हूं कि पधारिये। आपको शत प्रतिशत सन्तुष्ट मिलेगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान स्टेट रोडवेज की स्थिति से क्या भिनाय से आने वाले माननीन विधायक सन्तुष्ट हैं ? खड़े हों। राजस्थान स्टेट रोडवेज ने सरकार की नाक कटा दी है। राजस्थान सरकार और विधायकों पर जनता थू थू करती है क्योंकि प्रो. केदार जब मन्त्री थे तब उन्होंने एक विधायक के सजेशन पर बसों के अन्दर सीटों के पीछे लिखवा दिया है कि "विधायक के लिए" है। तो उन सीटों को देखकर जनता गालियां निकालती है। यह चोर सरकार ग्रामीण जनता के यातायात के लिए सही व्यवस्था बसों की नहीं कर सकी है। बसों के अन्दर भेड़ों की तरह व्यक्तियों को भरा जाता है। योजना मन्त्री जी अपने आंकड़े देते हैं कि अगले साल 25% रूट लेंगे। यह ऊंट के मुंह में जीरा है।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप राष्ट्रीयकरण के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं ? कम से कम यह तो बता दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : राष्ट्रीयकरण आप निकाल रहे हैं।

(व्यवधान)

ईश्वरचन्द्र जी, जनाजा आप निकाल रहे हैं राष्ट्रीयकरण का।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह तो माननीय हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कलंक आपके सिर पर आयेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं डा. लोहिया का समर्थक हूं। मैं राष्ट्रीयकरण में शत प्रतिशत और पूर्ण विश्वास रखता हूं। आपने गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसकी निशानी स्टेट रोडवेज की बसों में भेड़ों की तरह से भरी हुई भीड़ है। मैं सारे समाजवादी साथियों को चुनौती देता हूं। बीकानेर में वूलन मिल को 18 लाख रुपये में किराये पर एक सेठ को गिरवी दे दिया है। उस समय के वित्त-मन्त्री ने कान्ता कथूरिया के इन्फलूएन्स में आकर 18 लाख में दे दी। उसमें पचास-पचास लाख की जापानी मशीनें लगी हुई हैं। अब साझेदारी के अन्दर उस मिल को चलाया जा सकता है। वहां के मजदूरों ने 35 दिन तक हड़ताल रखी है परन्तु राजस्थान सरकार के मन्त्री सेठ का साथ दे रहे हैं। वह मिल पब्लिक सेक्टर में दे दी गई है। आज उस मिल की दुर्दशा हो रही है।

एक माननीय सदस्य : वह कौन से मन्त्री थे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर में भ्रष्टाचार की प्रतीक कान्ता कथूरिया के नाम से एक कालोनी है जिसको हरिदेव

116

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

जोशी ने अपनी मुमताज के नाम से स्थापित किया था। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा क्या आपकी आत्मा रही तड़पती है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मेरी आत्मा तो आपकी याद में तड़पती नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपने माननीय सदस्य को क्या समझा है।

श्री माणकचन्द सुराणा : ये मेरे साथी हैं, जनता पार्टी के।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक राष्ट्रीय व्यक्ति के नाम पर बसी हुई कॉलोनी पर कान्ता कथूरिया का नाम लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेता सुभाषचन्द्र बोस के नाम के बजाय यह नाम दिया गया है। यह कितनी दुःखद बात है कि कालोनी का नाम भ्रष्ट महिला के नाम पर रखा गया है। मैंने दो बार इस सदन में इस सवाल को उठाया है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाया है। उस समय माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। मगर वह चींटी की चाल से चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात है।

एक माननीय सदस्य : बस, बस।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: 400 करोड़ रु. बिजली और सिंचाई पर खर्च किया जा रहा है। मैं इस सरकार पर एक आरोप लगाना चाहूंगा और मजबूर होकर कांग्रेस सरकार की एक तारीफ करना चाहूंगा। बहुत दुःख के साथ वह बात कहनी पड़ रही है। राजस्थान कैनाल से निकलने वाली कोलायत लिफ्ट इरिगेशन योजना केन्द्रीय सरकार के आश्वासन पर राज्य सरकार को सौंप दी थी। उस का समय में ही काम चालू हो गया था परन्तु जनता सरकार ने पश्चिमी राजस्थान की लिफ्ट इरिगेशन योजना समाप्त कर दी है। इसका क्या जवाब है। उनका 400 करोड़ रुपयों में कोई हिस्सा नहीं है। क्या 400 करोड़ में वह वाली योजना शामिल नहीं है? क्या तीन सालों के अन्दर राजस्थान सरकार अपने बजट का 65% बिजली और सिंचाई पर खर्च कर रही है? इसमें पश्चिमी रेगिस्तान का क्या हिस्सा है? ग्रामों में बिजली नहीं जा रही है क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसको नहीं कर रहा है। ग्राम दूर-दूर हैं। आबादी कम है। भाखरा, चम्बल और एटामिक प्लाण्ट से जो बिजली आ रही है, उसके कारखाने लिए बैठे हुए हैं। बीकानेर शहर में पीने के पानी के लिए बिजली नहीं मिल रही है। आप बताइये, 400 करोड़ में हमारा हिस्सा क्या है? आप भूल जाइये कोलायत। आप नोखा याद कर लें, जोधपुर याद कर लें, जैसलमेर याद कर लें। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अगर राजस्थान सरकार सब्सिडी देगी तो वह बिजली बनायेगा। 18% से कहां से आयेगी। 8% पर विलेज इन्स्टीट्यूशन्स के लिए योजना मन्त्री जी आप योजना बनाते हैं। आपने बीकानेर में कहा था, मेरे पास में ऐसा मन्त्रालय है, जहां पर हर मन्त्री अपनी मांग मनवाने आता है। तो, माननीय मन्त्री महोदय, आप ग्रामीण विद्युतीकरण कैसे करायेंगे? वहां बिजली की समस्या को विद्युतिकरण के बिना कैसे हल करेंगे? माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था, जो भेड़े आज मध्य प्रदेश में जाती हैं आप उनका मुंह पश्चिमी रेगिस्तान की तरफ करना चाहते हैं। तो कहां है वह स्थान जिसकी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

और आप भेड़ों का मुंह करना चाहते हैं? पश्चिमी रेगिस्तान की जनता के हितों के लिए आप क्या करना चाहते है? आपका स्वागत है। पश्चिमी रेगिस्तान में आपका वेलकम है। आप लिफ्ट केनाल बनाकर जो करना चाहते थे वह करे। उनके पानी के लिए व्यवस्था कीजिए। इससे वहां पर कुछ धन्धे होंगे और पश्चिमी रेगिस्तान को डेनमार्क बना सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत बातें कहनी हैं परन्तु मैंने प्रण लिया हुआ है। मैं जनता पार्टी के घोषणा पत्र से बन्धा हुआ हूं। मेरी आत्मा आज भी जनता पार्टी के घोषणा पत्र के लिए तड़प रही है। आज विरोधी पक्ष बाहर गया हुआ है जबकि मुझे बाहर जाना चाहिए था। मैं जनता पार्टी की भावनात्मक सन्तान हूं। मेरी दुआ है, जनता पार्टी अच्छा शासन करे। मैं चाहूंगा, यह सदन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जो कि मन्त्रिमण्डल द्वारा लिखा हुआ है, के लिए ...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : वाजिब बात है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसको पारित नहीं करें।

सदन की अवमानना

सर्व श्री अन्सार अली तथा मोहम्मद यूनुस को सशस्त्र परिचारक की अभिरक्षा से रिहाई

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो लगभग 10 बजकर 50 मिनट पर दो व्यक्तियों, जो अपने नाम अन्सार अली तथा मोहम्मद यूनुस बताते हैं, ने दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके और नारे लगाये। इन व्यक्तियों को तुरन्त ही सशस्त्र परिचारक ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया।

इन दोनों व्यक्तियों को मैंने अपने कक्ष में बुला कर इनके बयान लिये इन्होंने बताया कि वे राज्य सरकार का ध्यान बारां में हुए गोली काण्ड की ओर आकर्षित करने के लिए आए थे। उनका इरादा सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का नहीं था।

इन दोनों व्यक्तियों ने मेरे समक्ष यह कहा है कि आयन्दा वे ऐसा नहीं करेंगे। अतएव यदि सदन उचित समझे तो इन दोनों व्यक्तियों को सशस्त्र परिचारक की अभिरक्षा से रिहा कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

माननीय श्री नूरा।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें समय 10.50 के बजाय ...

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो आदेश पढ़ा है उसमें समय 10.50 नहीं होकर 12.50 होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : 1 बजकर 50 मिनट है। यदि सदन की राय हो तो उनको रिहा कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

अन्सार अली तथा मोहम्मद यूनुस को सशस्त्र परिचारक की अभिरक्षा से रिहा करने की अनुमति प्रदान की गई।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे पहले बोलने वाले विधायक साथियों ने काफी वजन हल्का कर दिया है लेकिन जो थोड़ा बहुत उनसे छूट गया है क्योंकि वे लोग गहराई में नहीं जा सके हैं इसलिए मैं थोड़ा समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के टाइम में बीस सूत्री कार्यक्रम शुरू कर के अधिकारी लोग उसको लागू करने की तैयारी करने में लगे हुए थे। वे उसमें लगे हुए नहीं थे बल्कि उसके अध्ययन में थे कि कांग्रेस सरकार चली गई और जनता पार्टी की सरकार जनता का लेबल लगाकर पावर में आ गई। उसके बाद अन्त्योदय योजना लेकर शहरों को छोड़कर जनता पार्टी गांवों की ओर जाने लगी। उसके तहत लोगों को गाय भैंसे मिलने लगीं। अन्त में खड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए एक अन्त्योदय योजना शुरू की गई। कहने को तो मेरे विधायक साथी सारी बात कह गए लेकिन वे जानते हैं कि कितने आदमी आगे आए और कितने आदमियों ने अन्त्योदय के फार्म भरे जो आज तक इन्तजार कर रहे हैं कि उनको कब पैसा मिलेगा। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं जागरूक हूं, मेरे यहां किसी प्रकार की हरकत नहीं है, सब पार पड़ जाती है और सब योजनाएं पूरी हो जाती हैं। मैं कहता हूं इससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कभी आप पांच को लेंगे, कभी दस को लेंगे उन पांच को भी मिलेगा या नहीं। बीस सूत्री कार्यक्रम के गीत गाते-गाते कांग्रेस चली गई। आज अधिकारी लोग अन्त्योदय योजना लेकर आ गये। आज जो हालात चल रहे हैं, इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप भले ही धन्यवाद के प्रस्ताव पर बढ़ाई कर लें लेकिन क्या इससे गांवों के लोगों का पेट भर गया है या उनको कोई धन्धा मिल गया है। उनकी कोई समस्या हल हो गई ? क्या उनको कोई गाय भैंस मिल गई। यह सब प्रचार मात्र है। ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है। केवल ढोल पीटने वाली बात है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर अगर कोई बात छाई हुई है तो वह है अनाज के बदले काम की बात। सारे राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया गया, अनाज की बोरियां की बोरियां गांवों में भेजी गईं। जिन लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, जिनके पास जौ नहीं था उनके पास आज गेहूं है लेकिन गेहूं आपने इतना नहीं दे दिया है कि उनकी समस्या हल हो गई है। सरकार ने शाम का खाना दे दिया तो सुबह का खाना कौन देगा ? दस दिन का दे दिया तो आगे क्या होगा ? यह कब तक चलेगा ? जो मिट्टी के ढेर के ढेर कांग्रेस सरकार ने लगाये थे, जो काम पक्के नहीं हो सके थे वह बह गए। उसी प्रकार आने वाले समय में 10 करोड़ का गेहूं कहां जायगा ? पक्का काम सीमेन्ट के बिना अधूरा पड़ा है, पैसा टाइम पर नहीं मिलता। आज मैं कह सकता हूं कि जिस हालत में काम हो रहा है वह ठीक नहीं है। कल ही मैंने ब्यावर के एस. डी. ओ. से बात

(श्री नूरा)

को, उसने कहा, ऐसे प्रादेश आ गए हैं कि काम जहां पर हैं वहीं पर रोक दो। अधूरे काम की क्या गति होगी ? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कहानीकार कहानी को जारी रखे तो पूरी हो जाती है, लेकिन हर कहानी अधूरी छोड़ देना केवल कागज खराब करना है। अगर आपने योजना शुरू की है तो उसको पूरा करना चाहिए। पहले बोलने वाले माननीय विधायक ने पूछा है, पचास करोड़ का अनाज हिन्दुस्तान भर के लिए रखा है, राजस्थान के हिस्से में कितना आया ? जो अधूरे काम रह गये हैं उनको कैसे पूरा किया जायगा ? यह 19 महीने की नाबालिग सरकार पहले तो आंख मींचकर गांवों की ओर निकल पड़ी और जब होश आया कि अनाज नहीं है तो काम बंद कर दिये। सरपंचों की टोलियां की टोलियां मन्त्रियों के पास आने लगी—

श्री रतनलाल वर्मा : काम शुरू हो गए।

श्री नूरा : रात में आर्डर करवा दिए हों तो पता नहीं। फिर तो मैं इसको भविष्य की सरकार कहूंगा।

श्री अयूब खां : आपने नाबालिग सरकार कह दिया इसलिए सब माफ है।

श्री नूरा : नाबालिग इसलिए कहा कि अनाज के अभाव में यह सरकार भी वही काम कर रही है जो केन्द्रीय सरकार ने किए। यह आपका गेहूं नहीं था, यह कांग्रेस की सम्पत्ति नहीं थी, जनता का दिया हुआ पैसा और माल आपके पास पड़ा था। समझदारी आपने इतनी की है कि उसको आपने गांवों तक पहुंचाने का काम किया। उससे कुछ काम पक्के हुए भी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फेमिन एक्ट को फाड़कर फैंक दूंगा ...

श्री किशनसिंह भाटी : अमेण्डमेंट हो गया।

श्री नूरा : अभी तो हुआ ही नहीं और हो गया तो सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन जहाँ काम करवाये गये, वहां अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। अधूरे कामों के लिए मैं सरकार को कहता हूं कि पहले उनको पूरा किया जाय और जब तक वे पूरे नहीं हों तब तक आगे नहीं बढ़ा जाय। काम शुरू तो करवा दिये और अधूरे पड़े हैं, वह सब बह जायेंगे।

अब मैं शिक्षा मन्त्री को निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्कूल खोलकर कुछ कार्य तो किया। लेकिन, मन्त्री महोदय, कुछ अर्से पहले मैंने चिट्ठियां लिखी थीं, स्कूलों में चार-चार महीने बाद मास्टर लोग आते हैं, वहां पर बच्चों का समय बेकार गया। इसलिये ऐसा काम करिये जिससे स्कूल खोलने के बाद कम से कम पढ़ाने वाले मास्टर समय पर पहुंच जायं। जब इस साल के नतीजे सामने आयेंगे तो पता लगेगा कि बच्चों की क्या हालत है ? यह जिम्मेदारी सरकार की है जिसने समय पर मास्टर नहीं भेजे।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग पर आता हूं। ब्यावर अस्पताल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मन्त्री जी भले आदमी हैं। उनके

(120)

(श्री नूरा)

भने होने का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। ब्यावर में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वहां डाक्टर पैसे लेते हैं। वे जिन्दगी की कीमत लेते हैं। मैं कल ब्यावर गया, टी. बी. अस्पताल के डाक्टर ने एक मरीज से कह दिया कि तुम लीडरों की सिफारिश कराते हो, निकल जाओ, मर जाओ। मैंने एक बार उसकी सिफारिश की कि उसको इलाज नहीं मिला, किसी अच्छे आदमी को वहां लगाओ। अनजाने में आप सादगी से जाते हैं, एक बार ट्राई करके देखें डाक्टर आपके हाथ से पैसे ले लेगा। बहुत से ईमानदार भी होंगे। आप चाहे ए या बी को लगायें लेकिन इस भ्रष्टाचार की बीमारी को मिटायें, यह हर जगह हावी है। इसको रोकने के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं किया। मुख्य मन्त्री कहते हैं कि कई हाथी धराशायी होंगे लेकिन हाथी छोड़कर चींटी भी धराशायी नहीं हुई। जहां लोग जमे हुए हैं, जिनका पउआ है 12-12 साल से वह अपनी जगह पकड़ कर बैठे हुए हैं, कोई नीति तो तय होनी चाहिये। अगर भला आदमी है तो उसकी भलाई दूसरी जगह भी जानी चाहिए, अगर बुरा है तो वहां के लोगों को उस बुराई से छुड़ायें।

शिक्षा के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने नीति तय की है। ललित जी के समय में स्थिति ठीक नहीं थी, आप बच गए, आपने कुछ नीति बनाई है लेकिन मेरी बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा।

पानी की योजना के बारे में निवेदन है कि किसानों को कर्जा देते हैं, 5 हजार रुपए देकर कुआं खुदवाते हैं। 5 हजार में कुआं नहीं बनता है, किसान पर कर्जा हो जाता है और वह न चुकाने से 5 हजार के 10 हजार हो जाते हैं। गंगानगर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां नहरें जा सकती हैं, जालोर के लिए कुछ योजनायें बनाई हैं तो अजमेर जिले ने आपका क्या बुरा किया है? वहां का कोई मन्त्री नहीं है तो सभी मन्त्रियों को उस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। वहां पहाड़ी एरिया है, छोटी छोटी जमीनों में लोग बैठे हैं, हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है। काश्मीर में भी अजमेर जिले के लोग मिलेंगे। बरसात आती है तो लौट आते हैं। तो वहां के लिए योजना बननी चाहिये। वहां सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने की 15-20 साल से चर्चा हो रही है लेकिन वह केवल पानी की कमी के कारण नहीं लग पाई। बाकी वहां चूने और सीमेंट के अपार भण्डार हैं। बनास नदी से पानी आने को था लेकिन गिरधारीलाल जी ने मना कर दिया, साहू जैन आ गया, उसके बाद बिड़ला चले गए अब बांगड साहब पधारे हैं आप उस पिछड़े हुए इलाके की तरफ ध्यान दें और उस योजना को पूरा करायें तो वहां के लोगों को रोजगार मिले।

यह जो सारी चर्चा हुई है उसका दोष किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जहां पूंजीवाद का शासन होता है वहां इस तरह से झगड़े होते हैं। जमीन काश्तकार के लिए तरस रही है, काश्तकार जमीन के लिए तरस रहा है। बड़े भूपतियों ने हजारों बीघा जमीन हड़प रखी है किसी ने टमाटर सिंह और किसी ने मूलसिंह नाम से। लेकिन

(श्री नूरा)

न वास्तव में टमाटर है न मूलसिंह। परिवार में ही बंटवारा करके जमकर बैठे हैं। क्या आपने कांग्रेस शासन के बनाए सीलिंग कानून में सीलिंग को छोटा किया ? बेनामी जमीनों की छानबीन करके उनको लेने की कोशिश की ? इस अभिभाषण में कहीं कोई इसका जिक्र नहीं है। पता नहीं क्यों इसे प्राथमिकता नहीं दी गई ? ऐसी जमीन ली जानी चाहिये और उन लोगों को दी जानी चाहिए जो काश्त करने के लिए तरस रहे हैं। बहुत पूंजीपति बैठे हैं जिनको पता नहीं उनके पास रुपए कितने हैं ?

एक रोडवेज के साथी ने जिक्र किया कि आपके 35 प्रतिशत रूट्स राष्ट्रीयकृत हैं, 6 करोड़ रुपए सालाना सरकार को देते हैं, लेकिन 65 प्रतिशत जो अभी राष्ट्रीयकृत नहीं है, दो तीन करोड़ देते हैं। बाकी रुपया कहां जाता है ? ये काला बाजार करने वाले बड़े बड़े लोग जब तक सरकार को जकड़े बैठे रहेंगे, सरकार उनके चक्कर में रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

उदयपुर में झुग्गी झोंपड़ियां तो यू. आई. टी. ने खतम की लेकिन जो लाखों रुपए के भवन बने हुए हैं उनकी तरफ आप नहीं जायेंगे, आप गरीबों की झोंपड़ियां ढहायेंगे।

अकाल राजस्थान के लिए अभिशाप है। अकाल को मिटाने के लिए जहां बाढ़ तबाही मचाती है वहां से नहरों के द्वारा सूखी फसलों को, प्यासे इलाकों को पानी पहुंचायें, ऐसी योजना होनी चाहिये। अगर पैसे की कमी है तो जिस गांव में 100-200 घरों की बस्ती है उसमें कम से कम एक दो लाख रुपए लगा कर उनको कुएं खुदवा कर दें, किसानों को पानी दें, आपको पिलाई का पैसा मिल जाएगा। मैंने एक प्राइवेट फार्म देखा है बोरूंदा। वह चण्डीदास का है, वह 8 हजार बीघा जमीन पिलाता है। अगर एक व्यक्ति 8 हजार बीघा जमीन पिलाता है तो सरकार तो बहुत बड़ी बात है। तो अजमेर जिले के लिए बनास या चम्बल से पानी लाने की योजना बनानी चाहिए।

सड़कों की हालत ऐसी ही है। एक गुजराती साथी ने कहा, मैं गाड़ी से सफर कर रहा था तो मैंने किसी से कहा कि जब राजस्थान के एरिया में घुसें तो मुझे जगाना। तो उसने कहा कि राजस्थान में घुसते ही आप अपने आप जग जाओगे, ऊबड़-खाबड़ सड़क शुरू हो जाएगी। यह तो सड़कों की हालत है।

इस अन्त्योदय योजना में एक टाइम का खाना या दस दिन का खाना देने से गरीबी समाप्त नहीं होगी, जागीरदारों से जमीन लेकर बांटनी चाहिए। चोर बदमाश गोली चलाने के लिये जो पूंजी दबाए बैठे हैं, उनसे वह पूंजी विधिवत तरीके से लेकर राजस्थान के विकास में लगानी चाहिये। पूंजीवादी प्रथा, जो सारी खराबियों का कारण है, खतम करनी चाहिये। अगर सही मायने में गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं तो शोषणवाद को खतम करके ऐसे तरीके इस्तेमाल करें जिनसे गरीब को रोजी रोटी दे सकें और स्थाई रूप से गेहूं की बोरियां पहुंचा सकें। जो अधूरी योजनायें हैं उनको शीघ्र पूरा कर-

(122)

(श्री नूरा)

वायें। बाकी भ्रष्टाचार रग रग में भरा हुआ है, इसको निकालने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम तो सुझाव दे सकते हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं गया तो जैसे जनता ने कांग्रेस को बदला, उसी तरह इस सरकार को भी रवाना करेगी, फिर सिवाय साम्यवाद के कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ठाकोर।

फिर सरकार उत्तर देगी।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं 5 मिनट ही में अपनी बात खतम करता हूं। जैसे रेडियो मेन पाइंट बताता है, वैसे बताऊंगा। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने समय दिया।

पहली बात निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में, जैसे लाठी चार्ज होने पर और गोली काण्ड होने पर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या नीति अपनाई जाय, इसके लिये एच. वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ एक बात यह कही गई थी कि जहां पर लाठी चार्ज अथवा गोली काण्ड से किसी की मृत्यु हो जाय तो यह सिद्धान्त होना चाहिये, समाजवादी कल्याणकारी राज का स्वयं ही न्यायिक जांच का आदेश हो जाना चाहिये।

श्री नूरा : एक मिनट। यह कमियां होने की वजह से मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री माणकलाल ठाकोर : खाना परोसने के बाद चटनी परोसना भूल गये।

उस समिति ने जो यह सिफारिश की, उस सिफारिश के अनुरूप आप कल्पना करिये, माननीय शेखावत महोदय, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त के आधार पर बिना किसी मांग के उस कमेटी की रिपोर्ट की उचित भावनाओं को देखते हुए स्वतः ही न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जो डंडा चलाते हैं, उसके लिये क्या कहते है ?

श्री माणकलाल ठाकोर : अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना का जहां तक ताल्लुक है आज किसी भी भाई की किसी गांव में जाकर किसी काश्तकार के सामने इसकी आलोचना या बदनामी करने की हिम्मत नहीं हो सकती। यह बहुत ही लोकप्रिय स्कीम हो चुकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे गांव में चले जाय और इसकी बुराई कर दें तो साबुत आ जाये...

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके लिये अमल करो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : What I want to say is that we should do the job.

श्री माणकलाल ठाकोर : राजस्थान की 3 करोड़ जनता, कुछ भाइयों को छोड़कर, इस स्कीम को चाहती है। जो कार्य

(श्री माणक लाल ठाकोर)

अधूरे रह गये हैं, उनके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय योजना मन्त्री जी मेरे सुझाव की तरफ ध्यान दें।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं इसमें मैटेरियल का, सीमेंट चूने का पैसा सैक्शन नहीं होता है और पचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने पास से लगा सकें। इसलिये कहता हूं कि जो कृषि उपज मण्डियां हैं या सार्वजनिक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग है इनका जो बजट पास हो वह बजट काम के बदले अनाज की योजना के मैटेरियल को खरीदने का बजट जोड़ कर पास होना चाहिये।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज की योजना, इसमें कोई शक नहीं, पंचायती क्षेत्रों में लागू है। बड़े बड़े शहरों में, बी क्लास की म्यूनिसिपेलिटीज में लागू होने का प्रश्न नहीं है लेकिन बहुत सी म्यूनिसपेलिटीज डी श्रेणी की हैं, 15 और 10 हजार की आबादी वाली हैं, वह गांवों की कैटेगरी में आती हैं। माननीय योजना मन्त्री ने प्रेस को वक्तव्य दिया था कि यह योजना छोटे नगरों में भी लागू की जा रही है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक आदेश नहीं आया है। इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, स्वास्थ्य विभाग के बारे में। स्वास्थ्य विभाग एक आदेश देता है किसी डाक्टर को कि किसी कस्बे में जाय और डाक्टर उसकी अवज्ञा करता है। वह यह खतरा लेने को तैयार रहता है कि छुट्टी पर चला जाय या नौकरी छोड़ दे। सरकार को इतना नपुंसक तो नहीं कहूंगा, इतना पंगु नहीं बनना चाहिये। आदेशों की पालना हो, इसका एक ही उपाय है। एक आर्डिनेंस अविलम्ब जारी हो जाना चाहिये या विधान सभा में कानून रख कर पास करवा लेना चाहिये कि कोई भी डाक्टर, जो देहात में जाने के लिये मना करे, नौकरी से ही अलग न किया जाय बल्कि जो मेडिकल प्रैक्टिस का डाक्टरी लाईसेन्स है उसको जब्त कर लेना चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान हो। हम आश्वासन देते हैं कि यह बिल पास होगा। देहातों में जो समस्यायें है वे दूर हो जायेंगी।

आज अगर काम के बदले अनाज की योजना से जनता पार्टी लोकप्रिय हो गई है और जनता पार्टी का नाम हो रहा है तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो प्लस पाइंट हैं उसको माइनस पाइन्ट राजस्थान रोडवेज कर रहा है। राजस्थान रोडवेज की बसें ड्राइवरों, कण्डक्टरों और अन्य अधिकारियों की मर्जी पर चल रही हैं। अगर ड्राइवर साहब शराब पी कर चला रहा है तो वह अपनी इच्छा से चलता है। बूंदी, कोटा, झालावाड़ जैसे प्रमुख डिपोज की यह हालत है। इसलिये आप जितना काम अन्त्योदय योजना में काम के बदले अनाज का कर रहे हैं और जो नम्बर प्राप्त हो रहे है, वे नम्बर रोडवेज में जा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण का दर्शन जन हित में हैं, जनता को नुकसान करने के लिये नहीं है। इसलिये हम जैसे समाजवादी, जो कट्टर समाजवादी रहे हैं और 40 साल से रहे हैं, के राष्ट्रीयकरण के प्रति अगर कोई भावना पैदा होती है तो आपको सोचना पड़ेगा।

(श्री माणकलाल ठाकोर)

इसी के साथ में एक और निवेदन करना चाहूंगा। मैं कानून और व्यवस्था की बात बताना चाहूंगा। न्यायिक जांच का आदेश हो, बहुत अच्छी बात है यह होना चाहिये लेकिन सदन को ध्यान रखना चाहिये और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी ध्यान रखना चाहिये कि जो विधान सभा में न्यायिक जांच बैठाई जाय इसकी जो रिपोर्ट आये उसकी अनुपालना अवश्य होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग की धज्जियां उड़ीं यह तो आप जानते हैं। सारी बातें उड़ गईं और केवल मुआवजे की बात रह गई। नैनवां काण्ड में मिलाप चन्द नाम के व्यक्ति को पीटा गया और लोगों को घायल कर दिया गया उसकी रिपोर्ट दबा कर गृह मन्त्री जी बैठे हैं। उसे आज गृह मन्त्री जी इसलिये नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनको इस बात की धमकी है कि अगर हम पुलिस को नाराज कर देंगे और किन्हीं पुलिस अधिकारियों को मुअत्तिल कर देंगे तो वे नाराज हो जायेंगे और फिर हमारे आदेशों की अनुपालना नहीं करेंगे। मैं आपसे कहता हूं अगर आपकी यह भावना है कि रिपोर्ट की अनुपालना नहीं हो तो फिर यह नाटक बन्द कर दीजिए। किसी न्यायिक अधिकारी के द्वारा कोई जांच हो यह बन्द कर दीजिये। यह इस सदन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय को ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल न्यायिक जांच का आदेश ही नहीं हो बल्कि उसकी समय पर रिपोर्ट प्राप्त हो और रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी पूरी तरह अनुपालना भी हो। अगर नहीं होती है तो यह केवल एक मखौल सा है। अगर पक्ष में आ जाय तो अनुपालना कर दें और यदि विपक्ष में आती है तो उसे दबा कर बैठ जायें और बाद में उसको अवधि के बाहर बता दें। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय गृह मन्त्री को निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वे इसे चेतावनी ही समझें, अगर नैनवा काण्ड की रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश नहीं की गई तो फिर आप किसी प्रकार की सौजन्यता का हमसे विश्वास मत करिये। हम वही करेंगे जो महात्मा गान्धी जी ने किया है। यही कहता हुआ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सूची में नाम है। मैं भी बोलना चाहता हूं दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट। दो मिनट में तो कोई बोल ही नहीं सकता है।

श्री बहादुर सिंह (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जनता सरकार ने दो साल की कम अवधि के अन्दर अपने प्रशासन में पहले की हुकूमत के मुकाबले में बहुत कुछ काम करने का प्रयास किया है। अन्त्योदय योजना के क्रियान्वयन के कारण गरीबी को मिटाने का एक सक्रिय कदम उठाया गया है, राजस्व अभियान चलाकर जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने की व्यवस्था की है, काम के बदले अनाज नाम की योजना चलाकर जनता सरकार ने गांवों के विकास की एक

(श्री बहादुर सिंह)

लहर पैदा की है। इसके अलावा भी शिक्षा के प्रसार के लिये जनता सरकार ने पहली सरकार के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा काम किया है, बहुत से स्कूल खोले हैं। जिन गांवों में स्कूल नहीं था उनमें भी स्कूल खोलने का प्रयास किया गया है। मैं इन सबके बावजूद सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो कुछ हमें करना चाहिये था, जिसका हमने जनता से करने का वायदा किया था, वह अभी तक हमारी जनता सरकार पूरा नहीं कर पाई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के हमारे प्रशासक पहले सरकार के विरोध में बैठा करते थे और इस कांग्रेस प्रशासन को गालियां निकाला करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे कि यह प्रशासनिक पद्धति गलत है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है लेकिन दो साल के दौरान में हमारी जनता सरकार उस पद्धति को नहीं बदल पाई, उन अधिकारियों को नहीं बदल पाई और आज भी वही प्रशासन की पद्धति चली आ रही है जो कांग्रेस राज्य में थी। जिस तरह कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार था उसी तरह आज भी पनपा हुआ है। बल्कि आज तो कहीं कहीं यह भी सुनाई देता है कि रिश्वत के 105) रू. हैं। लोग कहते हैं 105 का कौनसा तरीका है? यह कौनसा नियम बन गया है? तो कहते हैं 100 कांग्रेस के और 5 जनता के। कुछ अधिकारियों को जो स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता कांग्रेस शासन में थी उससे ज्यादा हमारे शासन में मिल गई है। कुछ अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग जनतन्त्र के नियमों और सिद्धान्तों के खिलाफ करने लग गये हैं। मैं विशेषकर गंगानगर जिले का उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि हमारा गंगानगर जिला पिछले कुछ अर्से से प्रशासनिक तानाशाही का शिकार होता चला आ रहा है। गुमानसिंह शेखावत जो वहां के जिलाधीश हैं उन्होंने गंगानगर में जातिवाद की दीवार खड़ी कर दी है। वहां के जिलाधीश महोदय ने ईमानदार अधिकारियों को जिले से बाहर फेंक दिया, ईमानदार अधिकारियों की सी. आर. खराब कर दी......

(व्यवधान)

वहां के जिलाधीश ने ईमानदार अधिकारियों को चार्ज शीट देकर उनके प्रमोशन रोक दिये हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की सी. आर. उन्होंने ज्यादा अच्छी लिखी है। मैं यह चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं जो मंत्रीगण यहां बैठे हुए हैं और उन्हें शक-सुबाह लगता है तो 10 अधिकारियों की सी. आर. मंगा कर देख लें कि किस तरह उनको भ्रष्ट किया गया है। इन भ्रष्टाचारों के कारण जनतन्त्र पद्धति का स्वरूप खराब होता जा रहा है। हमारा प्रशासन तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन में बराबर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मिट नहीं रहा है। कोई विकास की गति दिखाई नहीं दे रही है और सारी प्रशासनिक कुशलता कम हो रही है। जनता में प्रशासन के प्रति जो विश्वास था वह दिन प्रति दिन उठता जा रहा है। उन उच्च अधिकारियों को इस हद तक छूट दी जा रही है कि कुछ अधिकारी तो जनता की ही नहीं, जनता के प्रतिनिधियों की भी बराबर अवहेलना करते हैं। जिलाधीश गुमानसिंह ने वहां की जनता की ही नहीं जनता के प्रति-

(श्री बहादुर सिंह)

निर्णयों की भी अवहेलना की है, मंत्री की अवहेलना की है। माननीय प्रोफेसर केदार जी बैठे हुए हैं, उनके हुकुम को इस तरह उड़ा दिया जैसे वे इस देश के सिटिजन ही नहीं हैं। इस तरह प्रशासन में अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करना जनतांत्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा प्रशासन प्रजातंत्र की अवहेलना करके तानाशाही की ओर बढ रहा है। हमारा प्रशासन घटकवाद की ओर जा रहा है। हमारा प्रशासन जातिवाद की तरफ जा रहा है और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को खतम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उच्चाधिकारियों की इस प्रवृति को रोकें वरना जो कांग्रेस के साथ हुआ था उससे भी ज्यादा बुरी हालत तीन साल के बाद आपकी होने वाली है।

मैं अब दो शब्द शिक्षा के बारे में कहूंगा। हमारे माननीय मंत्री, जो उस समय अपोजीशन में थे, पानी पी-पी कर शिक्षा पद्धति को गालियां निकालते थे कि यह शिक्षा पद्धति खराब है, यह शिक्षा पद्धति अनुपयोगी है। लेकिन दो साल के दौरान में हमारी जनता सरकार ने शिक्षा पद्धति के बारे में क्या किया, शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन किया ? परिवर्तन करने के बजाय हमारे विद्यालयों का माहौल खराब होता जा रहा है। दो साल के अन्दर जितने पढ़ने के दिन थे उनमें कमी आई है। स्कूलों के अन्दर हाजरी कम हो रही है बच्चों और विद्यालयों का, स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, सब का माहौल खराब होता जा रहा है। वातावरण बिगड़ता जा रहा है। शिक्षा स्तर के अन्दर गिरावट आती जा रही है। जिस शिक्षा पद्धति के लिए ये कहा करते थे कि शहरों और देहातों में बड़ा भेदभाव है, आज उससे ज्यादा भेदभाव बढ गया है। हमारी जनता सरकार स्वयं शहरों और देहातों के स्लेबस को बराबर नहीं कर पाई है जिसकी बड़ी दुहाई दी जाती थी। पब्लिक स्कूल यों के यों हैं। सैनिक स्कूल यों के यों हैं। आज देहात का एक हायर सैकण्डरी पास विद्यार्थी अगर सेंट जेवियर स्कूल में पढ़े हुए लड़के के बराबर इंटरव्यू देने जाता है तो वह लड़का कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस भेदभाव को सरकार नहीं मिटा पाई है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिस शिक्षा पद्धति की हम आलोचना किया करते थे उस शिक्षा पद्धति में कतई परिवर्तन नहीं ला सके। परिवर्तन के बजाय कुछ कमियां हो आई हैं। आज बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें स्टाफ की कमी है, स्टाफ ही नहीं है। बार बार शिकायत भी करते हैं उसके बावजूद शिक्षा मंत्री अध्यापकों की कमी की पूर्ति नहीं कर पाते। मैंने पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री से एक सवाल पूछा था कि राजस्थान के अन्दर कितने ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। तो सरकार का उत्तर था कि 12,700 गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजकीय उत्तर तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बैठक का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बैठक का समय बढाया जाय।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बैठक का समय बढाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह जवाब था कि 12700 गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। एक तरफ हमारी सरकार प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च करती है और दूसरी तरफ हमारे गांवों में प्राइमरी स्कूल तक नहीं हैं। मेरे क्षेत्र की एक तहसील में 35–40 गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर प्राइमरी स्कूलें नहीं हैं। ऐसे गांव हैं जिनके सौ सौ किलोमीटर के अन्दर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। इसके बावजूद हमारी सरकार शिक्षा की बढ़ोतरी का दम भरती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि आज बेकारी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको औद्योगिक शिक्षा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। व्यावहारिक शिक्षा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्योंकि हमारे यहां ऐसे संस्थान ही नहीं है। यदि है भी तो बहुत कम हैं उनमें जाकर गांवों के गरीब लड़के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ट्रेनिंग नहीं ले सकते, वहां जाकर काम नहीं सीख सकते जिसकी वजह से वह गांवों के अन्दर बेकार रह जाते हैं। पढ़े लिखे नवयुवकों को बेकार देखकर गांवों के लोगों की पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी कम होती जा रही है और उनका उत्साह कम होता जा रहा है। इसलिए शिक्षा पद्धति के अन्दर यह कमी आ गई है। जनता का उत्साह शिक्षा की तरफ नहीं रह गया है।

दूसरा शिक्षा के बारे में मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज हम शिक्षा की बढ़ोतरी का जो दम भरते हैं यह जनता के साथ सरासर धोखा है। आज भी अशिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही है बजाय पढ़े लिखों के। पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन टोटल पोपुलेशन के अन्दर अशिक्षितों की सख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए शिक्षा की बढ़ोतरी का हमारा दावा है वह भी गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि समस्याओं की ओर भी थोड़ा सा सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार ने दो साल में क्या किया, पिछली सरकार ने पिछले तीन चार पांच सालों में क्या किया, इन आंकड़ों के मुकाबले तो दर्शाये गये हैं लेकिन हमारी सरकार अगले दो तीन वर्षों में क्या करने जा रही है इस बात का कोई संकेत नहीं है। इस भाषण को पढ़ कर विशेषकर देहात के लोगों में बड़ी निराशा फैलेगी। कृषि समस्याओं के समाधान का हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इसलिए कृषि मन्त्री का ध्यान कृषि समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारी सरकार, जो कभी कृषकों की हिमायत किया करती थी, कृषि पैदावार की जो नीलामी होती थी उसकी आलोचना करती थी, कीमतों की आलोचना करती थी, आज भी कृषि पैदावर की कीमत

(200)

(श्री बहादुरसिंह)

तय नहीं करवा पाई है, लागत के आधार पर कीमत तय नहीं करवा पाई है। किसान को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। किसान का कपास मण्डियों में सड़ रहा है और उसको खरीदने वाला नहीं है। किसान का गेहूं खेतों में सड़ रहा है, मिलों में सड़ रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं हैं। जब किसान की पैदावर बाजार में आती है, किसान की अच्छी फसल होती है तो भाव जमीन पर आ जाते हैं। जब समय निकल जाता है तो भाव आसमान छूने लगते हैं। चालीस और पचास पर्सेंट का फ्लक्चुएशन जनता सरकार नहीं रोक पाई है। यह सरासर काश्तकार की लूट है। यही काश्तकार की गरीबी का बहुत बड़ा कारण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एक ऐसा पेशा है जिसकी आमदनी के ऊपर सरकार ने सीलिंग लगाई है। जनता सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे पेशे पर किसान की आमदनी के बराबर सीलिंग लगा दे? न व्यापार पर सीलिंग लगा पाई, न दूसरे अन्य किसी धन्धे पर सीलिंग लगा पाई, केवल किसान पर सीलिंग लगाई है। मैं सीलिंग के खिलाफ नही हूं मैं चाहता हूं कि सीलिंग लगाई जावे लेकिन सीलिंग की सीमा सभी पेशों पर लगाई जावे। एक ही पेशे पर क्यों लगाई? इसलिए कि काश्तकार सक्षम नहीं है। काश्तकार विधान सभा के सामने आकर हमारे प्रशासन को और मन्त्रियों को गालियां नहीं दे सकता, हाय हाय नहीं कर सकता, गालियां नहीं निकाल सकता। इसकी वजह से यह भेदभाव का निर्णय लिया गया है। दूसरे पेशे वाले रोजाना यहां आकर गालियां निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं लेकिन किसान नहीं करता इसलिये कृषक के साथ भेदभाव किया गया है.......

श्री श्योपत सिंह मकासर : unite them

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जमीन की कीमत में बढ़ोतरी की थी तो आज के प्रशासक, जो सामने की बैंचों में बैठे हैं, कीमतों के बारे में बड़ी आलोचना किया करते थे। पिछली सरकार ने 17 हजार से बढ़ा कर पहले 34 हजार किया। फिर 34 से घटाकर 29 हजार किया और फिर 29 हजार से 17 हजार कर गए। इसकी बड़ी आलोचना किया करते थे कि किसान को लूट लिया। किसान के खेत की कीमत ज्यादा कर दी लेकिन.......

श्री श्योपत सिंह मकासर : 15 लोग मारे गए थे इस कीमत के लिए।

श्री बहादुर सिंह : हमारी सरकार ने उसी जमीन की कीमत 1 लाख और 16 हजार रुपये कर दी है। इससे ज्यादा तानाशाही, इससे ज्यादा काश्तकार की अवहेलना, इससे ज्यादा काश्तकार की लूट जनता सरकार क्या कर सकती है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं प्रशासन को और कृषि मन्त्री जी को कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जाकर आप एक मुरब्बे के अन्दर अच्छा से अच्छा गल्ला बो कर किसान के 1 लाख और 16 हजार रुपये की कीमत के ब्याज के बराबर भी

(श्री बहादुर सिंह)

पैदा करके दिखा दें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। जमीन की कीमत आपने, 1 लाख 16 हजार लगा दी तो क्या भूमिहीन किसान, साधनहीन किसान इस एग्जौरबीटेंट प्राइस पर जमीन खरीद पायेगा ? क्या वह इतनी ऊंची कीमत अदा कर पायेगा ? यह काश्तकारों के अधिकारों की खुली अवहेलना है। क्या यह सरासर लूट नहीं है ? मैं जनता सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से सरकार किसानों के अधिकारों की अवहेलना करती रही, उनको लूटती रही, तो जो फल कांग्रेस ने भोगा है पिछले चुनावों में, वही फल आने वाले चुनावों के पहले ही आपको भोगना पड़ेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप तो अलग हो जाओ। आप तो इधर आ जाओ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार अभी तक इकोनोमिक होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, यह तय नहीं कर पाई है। काश्तकारों की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या हो, यह तय नहीं कर पाई है। अपने मनमानी तरीके से कीमत यह सरकार तय कर लेती है। 115 रुपये क्विन्टल गेहूं का भाव यह सरकार तय कर देती है। मैं कृषि मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं चैलेन्ज के साथ, क्या वह बता सकते हैं कि काश्तकारों के गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आती है राजस्थान में, मेरे पास आंकड़े हैं। इस हाउस में जवाब दिया हुआ है। चितौड़गढ़ में 149.75 रुपया क्विन्टल गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है। फिर यह सरकार 115 रुपया क्विन्टल किस आधार पर कीमत रखती है गेहूं की ? जब सरकार यह मानती है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन 150 रुपया क्विंटल बैठती है तो 115 रुपया क्विन्टल का भाव क्यों तय किया जाता है? यह सरकारी लूट नहीं है काश्तकार की ? अगर इसी तरह सरकार किसानों को लूट रही है तो इस सरकार द्वारा उसके प्रति सहानुभूति की यह डोंडी भी क्यों बजायी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। एक बात के लिए तो मैं बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गांव के अन्दर, राजस्थान के अन्दर बिजली का एक्सटेन्सन करने के लिए जनता का इन्वाल्वमेन्ट करने का प्रयास किया है। विकास का यह एक सही और व्यावहारिक कदम है इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, जनता के साथ फ्राड किया है। फ्लेट रेट के नाम से काश्तकारों की लूट की गई है। रेट को कम नहीं किया गया। आज भी गेहूं पैदा करने के लिये काश्तकार कुएं का कनेक्शन लेता है तो उससे 25 पैसा यूनिट चार्ज किया जाता है जबकि जो आटे की मिल लगाते हैं, बिस्कुट, ब्रेड के कारखाने लगाते हैं, उन करोड़पतियों को 10/11 पैसे प्रति यूनिट बिजली देती है। यह भेदभाव नहीं है ? सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। फ्लेट रेट के नाम पर मिनीमम चार्जेज से ज्यादा पैसा बढ़ा कर लिया जाता है। यह काश्त-

(श्री बहादुर सिंह)

कार के साथ धोखा नहीं है ? विद्युत मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यदि वे सही मायने में गरीब और अमीर की डिस्पेरिटी को कम करना चाहते हैं तो पहले बिजली की रेट को कम कीजिये। उसी रेट पर बिजली काश्तकार को दीजिये जिस रेट के ऊपर बड़े उद्योगपतियों को आप बिजली देते हैं। ये लोग करोड़ों, अरबों रुपया कमाते हैं। सरकार फिर भी उनको सबसिडी देती है। लो रेट पर इनवेस्टमेंट करने के लिए रकम देती है।

मैं पेयजल के बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में और पार्लियामेंट के चुनाव जीतने के बाद घोषणा की थी कि तीन साल के अन्दर पेयजल की समस्या हल कर दी जाएगी। गांव-गांव में पीने का पानी पहुंच जाएगा। तीन साल गुजर गये तो इस सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया। चार साल का कह दिया। चार साल होने पर एक साल और बढ़ा दिया। इस तरह कह दिया, पांच साल के अन्दर समस्या हल हो जाएगी। दो साल के अन्दर जनता सरकार ने कोई नई योजना बनाकर एक गांव में भी पीने का पानी नहीं दिया। जिस तरह से पेयजल की समस्याओं पर काम चल रहा है, यदि उस गति से काम चलता रहा तो मैं दूसरे जिलों के बारे में तो नहीं कह सकता हूं लेकिन चूरू और गंगानगर जिलों के बारे में कह सकता हूं कि यह सरकार वहां पर बीस साल में भी पीने का पानीनहीं दे पायेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल योजनाओं को जल्दी से पूरा किया जाय। उनको शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाए ताकि गांव की भयानक समस्या का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त्योदय योजना और काम के बदले अनाज योजना के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। हमारी यह अन्त्योदय योजना उसी तरह से है, जिस तरह से कांग्रेस जनता को बरगलाने के लिए थोथे नारे लगाती थी, उसी तरह से यह नये किस्म का नारा है। अन्त्योदय योजना के अन्दर भी योजनाबद्ध तरीके से गरीबी को हटाने का काम नहीं हो रहा है। बूढ़े आदमी को चालीस रुपये पेन्शन देना क्या अन्त्योदय योजना है। पहले भी बूढ़े आदमी को पेंशन दी जाती थी। पहले कम दी जाती थी, हमने यह ज्यादा कर दी, इससे धन्यवाद का पात्र हो गई। इससे यह अन्त्योदय योजना कैसे हो गई ? भूमिहीनों को जमीन का अलाटमेंट पहले भी किया जाता था और आज भी हो रहा है। लोन देना भी कोई विशेष बात नहीं है। उनकी गरीबी को हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। बेकारी मिटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। योजनाबद्ध पैसा खर्च करके सस्ती वाहवाही लूटने का कार्य हो रहा है। उसका प्रचार किया जा रहा है।

काम के बदले अनाज योजना के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने काम के बदले अनाज योजना की बढाई की है और जनता पार्टी के सदस्यों ने भी इसकी बढाई की है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज की जो योजना है, वह कोई व्यावहारिक

(श्री बहादुर सिंह)

योजना नहीं है। गेहूं खराब हो गया। हमारा पैसा उसमें लग गया। यह हमारी पिछली सरकार की दूरदर्शिता थी। उसने अनाप-शनाप अनाज खरीदा लेकिन उसको रखने के लिए हमारे पास स्थान नहीं था इस कारण हजारों लाखों टन गेहूं सड़ गया। उसकी चोरी हो गई। उसके उपर गोदाम का किराया चढ़ गया। प्रशासनिक खर्च हो गया। उस अनाज के बदले काम की योजना हम आज चला रहे हैं। हम उस सड़े अनाज का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इस गेहूं के बदले में काम कराने से कितना घाटा हुआ है, कितना गेहूं में पैसा लगा है? अगर सब मिला कर योजनाबद्ध तरीके से काम करते तो हमारी योजना कामयाब होती। उससे गांव के अन्दर पीने का पानी दिया जा सकता था। हमारी सिंचाई की योजना को पूरा किया जा सकता था। गांव में खैरात बांट देने से आज गांव में हम इस योजना से कोई रिटर्न नहीं ले पाएंगे। इससे हमारी गांव की समस्या सुलझ नहीं पायेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 25 करोड़ खर्च करके न तो पीने के पानी की समस्या हल हो पाई है, न बेकारी की समस्या हल हो पाई है, न सड़क की समस्या हल हो पाई है, न स्कूल की समस्या हल हो पाई है, न चिकित्सा की समस्या हल हो पाई है, केवल यह हुआ है कि कहीं किसी स्कूल में एक आध कमरा बन गया, कहीं पर दो चार गड्ढे पाट दिए गए, कहीं थोड़ी बहुत ईंटे सड़क पर लग गई। यह टेम्प्रेरी काम जरूर हुआ है।

हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और हमारा पैसा....

श्री श्योपर्तसिंह मकासर : लाखों गरीबों को रोटी तो मिली है।

श्री बहादुरसिंह : रहा सवाल गरीबों को काम देने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों को काम देने के लिये अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया होता तो मजदूरी भी दे सकते थे। लेकिन हमारी सरकार द्वारा सस्ती वाहवाही लूटने के लिये यह खर्चा किया जा रहा है। आज क्या सरकार कोई दावा कर सकती है? कौन से गांव की कौन सी समस्या को हल कर दिया गया है? किस समस्या को हल किया है? एक भी गांव की एक भी समस्या का हल 25 करोड़ से नहीं हो पाया है और एक भी पैसे का सरकार को रिटर्न नहीं मिलेगा। इस लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अयोजनाबद्ध तरीके से धन की बरबादी हो रही है। हमारी सरकार गैर योजनाबद्ध तरीके से पैसा बरबाद कर रही है इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या की समस्या है। हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। न माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से ही प्रतीत होता है कि हमारी सरकार का कोई इरादा इस समस्या के समाधान का है और न हमारी सरकार इसमें क्रियाशील लगती है। जब तक जनसख्या की बढ़ोतरी को नहीं रोका जायगा तब तक बढ़ती हुई जनसंख्या आपके विकास को एकदम खतम कर देगी और कोई योजना का असर नहीं हो पायेगा।

श्री श्योपर्तसिंह मकासर : संजय गांधी को ढूंढ़ कर लाओ।

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि विकास का जो काम हो रहा है वह कोई उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर नहीं हो रहा है । जिस प्रकार से कांग्रेस प्रशासन में राजनैतिक दवाब से होता था उसी तरह से आज भी हमारे विकास का काम चल रहा है । इस तरह से जो धन खर्च होगा उससे कोई समुचित विकास नहीं हो पायेगा । गैर जरूरी कामों में पैसा खर्च हो जायेगा और हमारी समस्या वैसे ही बढ़ती रहेगी । इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के कामों का आधार आवश्यकता और उपयोगिता से होना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा मां बोलने वाला म्हूं एक ही सदस्य हूं । मने अवसर दियो जाय........

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट में समाप्त कर लें, माननीय सदस्य ।

श्री आलम अली खां : माननीय अध्यक्ष जी, आज मने बड़ी खुशी हो री है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों ही तरफ रे सदस्या ने सुण्यो....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको तो खुशी हो रही है लेकिन जनता पार्टी रो रही है ।

श्री आलम अली खां : माननीय अध्यक्ष जी, छींटाकशी री बात है । चाहे ई तरफ रा हो या वी तरफ सगला छींटाकशी री बात करे है । सबसूं पहले म्हूं कहगो चाहे जितरी बड़ी यूनियन बनालेओ, चाहे जितरे ही बड़े नारे लगा लेओ जद तक हम सभी ई देश के प्रति वफादार नहीं होवांगा तब तक ई देश को सुधार नही व्है सकेगो । माननीय अध्यक्ष जी, चाहे इने कोई बुरो ही कहे जद तक सगला जन प्रतिनिधि चाहे वे आपस में विरोधी हों, मिलर देश रो भला नी चावेगा तब तक देश रो भलो नी व्हे सकेगो । कोई अफसरा री बुराई करे है कोई आर. एस. एस री । म्हूं म्हारी बात कहूं, आर. एस. एस. ने के कोई खून कर दियो या दुनियां ने खतम कर दियो । म्हूं तो नहीं समझ पायो, इनाने क्यों खतरा व्हे रह्यो है आर एस. एस. सूं । माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आदमी गलत होयलो तो वी ने खुद मरनो पड़ेगो । म्हूं अगर गलत हूं तो दुनियां री ताकत नी है कि मने बचा सके । अर अगर सही बात होयली तो दुनियां री ताकत नी है कि वी ने रोक सके । तो अपन सही रास्ता चलता हुआ जो काम करांगा वां सूं कोई रोकन वालो नी है । तो माननीय अध्यक्ष जी, कोई कांई संकेत करे है, कोई कांई संकेत करे है पण जद तक हिन्दुस्तान एक नहीं व्हेलो मणे बड़ा दुःख रे साथ कहनो पड़े है एक मुसलमान होने रे नाते, क्या आज किसी ने ब्याज लेनो छोड़ दियो ? मैं तो कहूं ब्याज लेन वाला हिन्दुस्तानी नी व्हे सके । हर धर्म की किताब पढ़ ले ओ । दुनियां रे जितना धर्म हैं सब यही कहे है कि कमजोरां ने मत लूटो, फेर कोई कानून री जरूरत नी है । भगवान ने कानून दियो है वी ने सगला मानने लग जाय तो न तो

(श्री आलम अली खां)

कोई दुखी रहेलो और न नंगो। आज बहुत सा साहब ये कहवे है के वह बदमाश है, फलां आदमी बदमाश है। म्हूं तो कहूं हूं कि यह कहण वाला गया है। दूसरां ने बदमाश कहना सूं पहला खुद ने नी टटोले। जद म्हारे सागे म्हारो ही माप तोल नी है तो मूं दूसरां का मापतोल किसाण बता सकूं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय आलम अली जी, अब आपकी बात हो गई। आप खतम करें.

श्री आलम अली खां : बस, माननीय अध्यक्ष जी, एक पढ़ाई रे कारण म्हारो जी बहुत दुखी है। जरा इनरी भाषा तो देखो क्या यह विद्वाना री भाषा है। एक अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा में होवे है तो भी बड़ी मुश्किल होवे है। पढ़ा-लिखा री कुर्सी टेबल की ओर भी जाओ तो वे आपसूं पैसा खोस लेवे है। तो क्या ये विद्वान् है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, अध्यक्ष जी, शिक्षा के मामलों में जरूर कहूंगो। अनपढ़ री बात है।

आज जो सिनेमा चाल रह्या वाने बन्द करायो जाय। छोरा-छोरियों ने बगल में लेर सिनेमा जावे है। आज बच्चां का जितरा स्कूल है उन सब ने एक जगह कियो जाय। बच्चा एक बार घर वाला सूं मिल सके। जितरी छूट मिले है वी कारण सब सिनेमा जावे है। इसी शिक्षा प्रणाली चालती री तो पतो नहीं कांई कांई अड़ंगों व्हे लो, तो जितरा स्कूल है चाहे हजारां बीघा जमीन देणी पड़े, सभी एक जगह कर शिक्षा देओ और वो जगह बच्चा सुई बनान सूं लेर बड़ा बड़ा औजार बनाना सीखे, गाय भैंस पालना सूं लेकर खेती करनो तक सिखायो जावे।

म्हूं एक बात कहूंगो। म्हूं थोड़ो बहुत हिन्दी जाणूं इण वास्ते म्हूं राजस्थानी में बोलूं।

यह स्पष्टीकरण है वो जरूर करयो जाय पर राज री जा में बदनामी हो वा चीज नहीं की जाय। म्हूं ई चीज के कतई पक्ष में हूं के राष्ट्रीयकरण से देश की बदनामी हो वे फेर गला में हाड़ डाल्यां क्यूं फिरो।

माननीय अध्यक्ष, जो म्हू टेम तो थोड़ो वेसी ले लियो। आजकल यहां गोल्यां और लाठियां चलने री बात आई है म्हूं खुला कहूं म्हारा मन मां कोई संकोच नी है। गोलियां भी चलाई जाय, लाठी चलाई जाय। जिका बदमाशी करेगा वाको पिटाई होसी। आगे जाणे की बात नी है। हिन्दुस्तानी भाई जीता है वे प्रजातन्त्र माने है तो प्रजातन्त्र में ओही काम है के रेल में फ्री जाओ, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, आग भी लगा दो, दूसरी रागबाजी करो। अगर यही प्रजातन्त्र है तो ई ने खतम करो। ई प्रजातन्त्र में ई बातां बरदाश्त करने रे पक्ष में म्हूं नहीं हूं। म्हूं आ बात जिका भाई मौजूद है वाने कहूं। म्हूं पहले भी वाने कह्यो, वाने अर्ज कर दी के गांधीजी रे नाम ने बिना मतलब क्यों बदनाम करो। जिका लारे है आने भी कहवों चाहूंगो के आप लोग वीके पीछे न चालो। वींसे सबक नहीं लेओ ला तो 3 साल बाद चुनाव होवेला। बी में

(श्री श्रालम श्रली खां)

इबकी बार जनता पार्टी श्रा जायेली। कोई कहे के जनता पार्टी खतम हो जाय तो खतम नहीं होणे री है। व्यक्ति खतम हो सके वह चाहे कोई हो लेकिन जनता ने हमेशा राज्य कर्यो है श्रौर जनता ही करेली।

म्हूं श्राप लोगा सूं श्रा कहूं के जिती भी कार्यवाही हुई है म्हारो विश्वास है के पूरो श्रभिभाषण नहीं श्रायो तो बार-बार बीके समर्थन की जरूरत नी है। एक बार कह दियो के श्रा राज ने समर्थन है।

श्रब, श्रध्यक्ष जी, मैं एक श्रौर कहूंगों के श्री कह्यों के कोई श्रादमी बदमाश है, बेई-मान है श्रौर कांई है लेकिन जिका भी है श्रठे का है, श्रापणा ही है, इसी देश रा हैं। श्रमेरिका से श्रायोड़ा नी है ? श्रापणा भाई बन्ध है। श्रापणाने चाहिजे के जिता श्रापणा रीति रिवाज हैं, ई देश की जो परम्परा है, जिकी भेष-भूषा है वे ई देश को घर माने तो बाकी निजी प्रापर्टी कोई काम की नी है। देश री प्रापर्टी ने निजी मानेगा तो श्राइज प्रापर्टी है। देश ने कोई निजी प्रापर्टी बतावेगा तो वां की प्रापर्टी ने जनता तोड़ देगी। दूसरा देसा मां देख लो। राजा बादशाह बण्या हुश्रा हा। वां से बुरी दशा श्रादमी री हो सके है। श्रब श्राप जिका बड़ा लोग हो समझदार हो जिका लोगां ने ज्यादा जणाने की जरूरत नी है। ई बात में पूरो समर्थन मेरो तो है। खाली एक जगह है जीको नहीं है। श्रा शब्दा के साथ खतम करूं हूं।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : श्रध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री श्रध्यक्ष : कितने बाकी माननीय सदस्य श्रौर बोलना चाहते हैं ? एक श्रौर दो।

श्री उगमराज मेहता : माननीय भाटी साहब ने राज्यपाल महोदय के श्रभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका सम-र्थन करते हुए मैं श्रपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय भाटी जी ने श्रन्त्योदय योजना के ऊपर राजस्व, श्रभियान के ऊपर बहुत सारा कह दिया, श्रवगत कराया, मैं उसके ऊपर न जाऊंगा। उसकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है।

मैं फूड फार वर्क पर श्रपने विचार रखना चाहूंगा। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सुने श्रौर बहुत सो ने ऐसा भी कहा कि फूड फार वर्क का कार्य 21 सूत्री कार्यक्रम श्रौर 4 सूत्री कार्यक्रम के मुता-बिक जनता पार्टी ने हाथ में लिया है। खैर, उनके विचार श्रपने हैं। मैं श्रपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरा जिला श्रजमेर जिला बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। फूड फार वर्क के श्रन्दर श्राज राजस्थान में जय-पुर के श्रलावा उसका प्रथम स्थान है वहां इतने कार्य हुए हैं। 165.51 लाख के 3300 कार्य नवम्बर में शुरू किये गये थे उनमें से 2191 कार्य जनवरी, 1979 तक पूरे हुए हैं श्रौर कार्य चालू हैं। यह कहना गलत है कि कार्य बन्द हो गये हैं। जिला कार्यालय में यह वायरलैस मैसेज जरूर श्राया है कि जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं वह कार्य पूरे किये जायं। पँचायतों में 3 कार्य नए चलाए जावें जो कि मार्च तक पूरे हो जावें। मैं जवाजा समिति का वर्णन बतलाऊंगा, मेरे क्षेत्र में जहां पर सड़कें एक भी नहीं थी श्रौर ऐसे-ऐसे मार्ग थे जिन पर पैदल चलना

(श्री उगमराज मेहता)

भी मुश्किल था वहां पर आज उस सारे क्षेत्र में बहुत सी जगह एक दो पंचायतों को छोड़कर इस प्रकार की सड़कें हो गई हैं कि उन पर से ट्रक जा सकते हैं, कारें जा सकती हैं। हर पंचायत क्षेत्र के पंच और सरपंच अपने क्षेत्र में दिन रात विकास के काम में लगे हुए हैं। उनमें होड़ लग रही है कौन ज्यादा से ज्यादा काम करा सके। मेरे क्षेत्र में जवाजा पंचायत समिति में 703 कार्य 38,92,000 रु. के शुरू किये थे जिनमें से 423 कार्यों पर 21,92,000 रुपयें का कार्य हो गया है।

अभी अपूर्ण 16,96,000 रुपये के कार्य चालू हैं। एम.एफ.ए.एल. कार्य भी हाथ में लिये गये। मैंने निवेदन किया था पंचायत मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी से कि जवाजा पंचायत समिति के लिए चार हजार मैट्रिक टन गेहूं चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 31/3/79 तक इसका आवन्टन कर दिया जायेगा। मैं पंचायत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी सड़कें बनुनी हैं हालांकि कंकर डाल दिया गया है, लेकिन उनको अप्रैल और मई में हाथ में लिया जाय और उन सड़कों को पक्का कर दिया जाय ताकि आने वाले समय में और अधिक खर्चा नहीं करना पड़े।

दूसरी बात यह है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जो कार्य हाथ में लिए जाते हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जन-सम्पर्क विभाग जिस प्रकार से कांग्रेस शासन में बीस सूत्री कार्यक्रम और चार सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटा करता था और प्रचार हेतु गांवों में पेम्पलेट और पोस्टर्स पहुंचाया करता था वह मात्र ढकोसला था परन्तु जनता सरकार ने दो वर्षों में जितना काम किया है गांवों में उसका प्रचार नहीं किया जा रहा है। जन सम्पर्क विभाग क्या कर रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं अभी बम्बई गया था........

श्री श्योपतसिंह मकासर : इश्तहार से नहीं बच सकते, काम से बचोगे। अच्छे काम करो।

श्री उगमराज मेहता: वहां पर राजस्थान के निवासी और पाली जिले के युवा साथी मुझसे मिले, उन्होंने पी.आर.ओ. से सम्पर्क किया। अन्त्योदय जैसे कार्य हाथ में लिए गए हैं, फूड फार वर्क (काम के बदले अनाज) का कार्य हाथ में लिया है, वहां पर इसका मेटेरियल नहीं है। पी.आर.ओ आफिस में मंत्रियों के निवास स्थान के पते और टेलीफोन नम्बर भी नहीं हैं। मुझे यह मालूम हुआ है कि बम्बई के पी. आर. ओ. आफिस में शराब के दौर चलते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा इस प्रकार से या तो आप उस आफिस को भंग कर दीजिए या फिर बराबर व्यवस्था करिये। जिससे जो भी सूचना वहां के लोगों को और राजस्थानियों को लेनी है वह उनको उपलब्ध हो सके।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पांच नगरों की नगर परिषदों की सड़कों का जो कार्य पी. डब्ल्यू. डी. ने लिया है, मुझे खुशी है, उसमें अजमेर भी

(श्री उगमराज मेहता)

एक है जो इसमें शामिल है। परन्तु ब्यावर एक ऐसा नगर हैं जो अजमेर जिले में सबसे ज्यादा टैक्स देता है किन्तु उसकी सबसे ज्यादा अवहेलना की गई है। मेरा निवेदन है कि ब्यावर नगर परिषद के सड़कों का कार्य भी पी.डब्ल्यू.डी. देखे।

एक बात मैंने अखबारों में पढ़ी थी कि सरकार कुछ उप तहसीलें बनाने जा रही है, ब्यावर एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां पर जवाजा पंचायत समिति में बहुत से गांव दूर-दूर हैं। मैं जब मुख्य मन्त्री जी से मिला तो यह आश्वासन दिया गया था कि जवाजा को अवश्य उप तहसील बनाया जायगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जवाजा का नाम नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जवाजा का नाम भी उसमें शामिल किया जावे। मैं राजस्व मन्त्री जी, जो यहां विराजमान नहीं हैं, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1973 में ब्यावर में नरसिंहपुरा फतहपुरिया इण्डस्ट्रियल एस्टेट की धारा 4 ए-5 ए (6) में रेगुलराइज करने की बात थी, लेकिन वह अभी तक नहीं किया गया है। जब कि उद्योग विभाग से डी ओ. भी लिखे गये और कलेक्टर से भी सम्पर्क स्थापित किया गया लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया है। इसको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किया जाना चाहिए।

स्वायत्त शासन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी चार पांच दिन पहले उद्योग मन्त्री जी, स्वायत्त शासन मन्त्री जी और पी.एच.ई.डी. मन्त्रीजी ने तय किया था कि ब्यावर वाटर स्कीम पी. एच.ई.डी. को हैण्ड ओवर की जाय। स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने कल भी मुझे कहा कि फाइल मंगाई है और जल्दी से जल्दी ब्यावर वाटर स्कीम पी. एच. ई. डी. को हैण्ड ओवर कर दी जायगी। मेरा पुनः निवेदन है कि इसको शीघ्र किया जाय।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि राजस्थान के अन्दर जो 100 करोड के चार सीमेंट प्रोजेक्ट लगाने की बात है उनमें ब्यावर का भी नाम है, मुझे खुशी है कि उनमें ब्यावर का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है। चार लाख टन का आशय पत्र दिया गया था। अब आशय पत्र मिला है 12 लाख टन के और मिलेंगे। परन्तु अभी तक पानी का क्लियरेन्स नहीं मिला है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पांच सात दिनों के अन्दर ही पानी का क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भी दे दिया जाय ताकि सीमेंट प्रोजेक्ट की कार्यवाही आगे बढ़ सके।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गेस्ट कण्ट्रोल को हटा दिया जाना चाहिये। छोटे मोटे दूकान वालों को तरह तरह के लाईसेन्स देने पड़ते हैं वह हटा दिए जावें। सैल्स टैक्स की तरह से एक ही लाइसेन्स होना चाहिए।

अन्त में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपा पूर्वक जो अभिभाषण दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन तो करता

(श्री नवरंग सिंह)

हूं साथ ही सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जो अभिभाषण है इसमें किसानों के लिए जिन बातों की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए थी वह नहीं कर पाई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि गगानगर को ही लीजिए, नहरों से वहां का पानी, जो बरसात का है, नीचा होने के कारण पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान सरकार को इसकी शिकायत है। वह एक तरफ इसके लिए मुआवजे की मांग कर रही है और दूसरी तरफ किसानों को उस पानी का उपयोग करने की इजाजत नहीं है। इस बजट में इसके लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया है।

इसी के साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के मामले को लेकर राजस्थान में बड़े आन्दोलन हुए हैं। फिर भी मैं इसे राजस्थान सरकार की हठधर्मी ही कहूंगा कि जो 25 पैसा बिजली की रेट थी उसको कम नहीं किया गया जब कि दूसरी ओर आप सेठों से 5 पैसे ही वसूल करते हैं। यह किसानों के साथ अन्याय है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 25 पैसा प्रति यूनिट किसानों से वसूल किया जा रहा है वह दस पैसे से अधिक वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने फ्लेट रेट राजस्थान में लगाई, आज स्थिति यह है कि एक घर में चार भाई हैं, एक भाई के नाम से कनेक्शन है वह सब जमीन को पानी नहीं देता। अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि यह तो टेक्निकल बात है, इसलिए दिक्कत है। इससे किसानों के सामने संकट और भारी दिक्कत पैदा हो सकती है।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा, छोटे किसानों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। यह सरकार की नीति और पद्धति दोनों के विपरीत है। मैं यहां तक बताऊं, अध्यक्ष महोदय, जमीन जो किसान की बेटे-बेटियों तक जाती है उस जमीन को खुले आम नीलाम किया जाता है। उसके पम्पिंग सैट की मोटरों को नीलाम किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई कानून बनायें जिससे किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो। नीलाम होनी चाहिए भी नहीं।

मैं शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा का बजट ले लीजिए, शिक्षा के सारे कालेज शहर की चहारदीवारी में सीमित हैं। इस कारण किसानों के बच्चे हैं, वह या तो जयपुर आयेंगे, जोधपुर आयेंगे या उदयपुर जायगे। गांवों में कोई व्यवस्था इसके लिए नहीं है। इसका कारण यही है कि विश्व विद्यालय शहरों में हैं। मेरा निवेदन है कि आयन्दा कोई भी कालेज खोले जायें तो वह देहातों में खोले जायें तभी विश्व विद्यालयों का करेक्टर बन सकता है।

पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव को अशोक मेहता कमेटी के नाम से पेंडिंग कर रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा हो चुकी है। अशोक मेहता

(श्री नवरंग सिंह)

यह कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव राजनैतिक आधार पर होने चाहिए जब कि प्रधान मन्त्री यह कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव राजनैतिक आधार पर नहीं होने चाहिए। देश की सभी सरकारें उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके चुनावों के लिए नवम्बर और दिसम्बर का नाम लिया जाता है। मेरा निवेदन है, इस बात की घोषणा कराई जानी चाहिए कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव अमुक टाइम में करा देंगे।

इसके अलावा राजस्व अभियान के नाम पर हजारों रुपये हर साल इकट्ठे करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम राजस्व अभियान में होते हैं वह काम पूरे नहीं हो पाते हैं। मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी इस काम की जिम्मेदारी लेते हैं, उनसे इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट लिया जाये कि अब इस गांव में कोई भी नामान्तरण किसी का भी बाकी नहीं रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं, अगर किसी अधिकारी से गलती होती है तो उसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाये। इस प्रकार से निश्चित तौर से जो काम अभियान में होने हैं, उनकी पूर्ति की जा सकती है।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा, हमारे यहां दो बार अभियान हो चुका है लेकिन किसानों को पास बुक अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अन्त्योदय के नाम पर सारे राजस्थान में योजनाबद्ध विकास करने की बात कही जाती है। मैं चाहता हूं कि जो अन्त्योदय के व्यक्ति हैं, उनका विकास हो। अन्त्योदय का आदमी गांवों में वही मिलता है जिस पर किसी न किसी प्रकार का कर्जा है। उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। गांवों में उसकी कोई जमानत देने वाला नहीं है। वह चार बार बैंक में आता है, जमानत के नाम पर ना कर दी जाती है। अन्त में परिणाम यह होता है, वह यही कहता है कि यह अन्त्योदय योजना धोखे की योजना है। अगर सरकार इसको चलाना चाहती है तो जमानत की गारण्टी भी सरकार को स्वयं देनी चाहिए अन्यथा यह आगे लाभदायक साबित हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात सहकारिता के बारे में भी निवेदन करूंगा। हमारी सरकार ने जितनी वित्तीय सहकारी संस्थाएं हैं उनको दफना दिया है। किसी समय में वित्तीय सहकारी समितियों के चुनाव हुए थे। मैं सही कहता हूं, अगर जयपुर के दफ्तर में कलम चलाई हो तो अलग बात है। उनके एक बार चुनाव हुए थे। जितनी भी संस्थायें हैं या बैंक हैं, उनमें प्रशासक हैं, उन पर नौकरशाही हावी है। यह सत्य है। इसलिए सहकारी समितियों के चुनाव कराये जायें, उनकी जिम्मेदारी गांवों के लोगों को दी जाये जिससे गांवों के आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लघु सिंचाई के नाम पर इस अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री नवरंग सिंह)

इसके लिए कुछ तौर तरीका होना चाहिए। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, गंगा और जमुना का पानी सीकर और झुंझुनूं की सिंचाई कर सकता था। उस पानी को लाने के लिए पिछली सरकार ने कोशिश की थी। गंगा और जमुना का पानी सीकर और झुंझुनूं में लाकर दिया जाये तो वहां की जमीन उपजाऊ हो सकती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सी.पी.एम. की सरकार बनाओ। फिर आयेगा पानी।

श्री नवरंग सिंह : अगर यह पानी चूरू जिले में आ जाता है तो गंगानगर जिले जैसी कपास वहां पर भी पैदा होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में इन बातों का अभाव है। इसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक, किसानों के हित की बात तो सरकार करती है लेकिन सही मायने में किसानों का हित नहीं हो सकता है।

इसके अलावा मैं यह भी अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा, बिजली विस्तार मन्द गति से हुआ है। यह इसलिए हुआ है कि योजना बनाने वाले ईमानदार नहीं हैं। सरकारी अधिकारी हैं, वह ढिलाई करते हैं। नतीजा यह होता है कि गांवों का आदमी रिश्वत देकर अपना काम कराता है। जिसने रिश्वत दे दी, उसी का काम होता है। मेरा निवेदन है कि सक्रियता लाई जाये तभी भ्रष्टाचार मिट सकेगा। यही मेरा निवेदन है।

इसके अलावा हमारी सरकार किसानों को लाभ देने की बात कहती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में बांसवाड़ा और अलवर जिले में कृत्रिम धागा बनाने की बात कही गई है। इसी प्रकार 5 करोड़ खर्च करके एक कपड़ा मिल हनुमानगढ़ में लगाये जाने की बात कही गई है। इससे कपास के महत्व को घटा दिया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। अगर किसान का भला चाहते हैं, कपास का मूल्य अगर बाजार में लेना चाहते हैं तो कृत्रिम धागे के जो कारखाने हैं उनको निरुत्साहित कीजिए तब जाकर किसान आगे बढ़ सकता है।

पशुपालन के नाम पर कहा जाता है कि पशुओं की चिकित्सा का बन्दोबस्त किया जाएगा। आज जितने भी पशु चिकित्सालय हैं वे बड़े-बड़े शहरों में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पशु गांवों में रहते हैं या बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं? पशु चिकित्सालय की व्यवस्था गांवों में करनी चाहिए और अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिए था। जितने भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं उन्हें जयपुर में या जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में रखने की जरूरत नहीं है। जो दूर दराज गांव हैं वहां उनको ट्रांसफर किया जाए। जितने बढ़िया सांड थे उन सब सांडों की कोई चिंता नहीं करता, उनके लिए चराई की व्यवस्था नहीं होती। आज की स्थिति में 26 जिलों में से दो में अकाल है। वहां अकाल घोषित नहीं किया गया है। सांड की चराई के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जब अकाल पड़ता है, हमारा कोड कहता है, तहसील से या राज्य सरकार से चराई का प्रबन्ध होगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसने सांडों की चराई के लिए क्या इन्तजाम किया है?

(140)

(श्री नवरंग सिंह)

काम के बदले अनाज की बात, कहते हैं। मैं सही मायने में कहता हूं.....

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता पार्टी के सांड ऐसा कर रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : सरपंच को फंसाने की चेष्टा की जाती है, 20 हजार का गेहूं मंगाकर, 10 हजार का दिखाकर दूसरी चीजें खरीदी जाती हैं। सरकार को चाहिये था, अगर इस योजना को लागू करती तो सही नीति अपनाती। 50 प्रतिशत पंचायत, खर्च करती है, गांव में कोई चंदा नहीं देता है। आपके पास चिट्ठियां आने वाली हैं जिनकी इनक्वायरी होगी। काम के बदले अनाज योजना को राजस्थान में चलाना है तो, इसके लिए राज्य स्तर पर कोष की स्थापना करनी पड़ेगी। गेहूं के अलावा जितना चंदा है वह कोष को दें तब सड़कें भी बनेगी, तालाब भी बनेंगे, अन्यथा कुछ नहीं बनेगा।

यह किसानों की सरकार चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर किसानों को रैली में नहीं जाने देती। झुंझुनूं जिले में 50 बसों के लिए पैसा जमा कराया था लेकिन बाद में टेलीफोन वहां गया कि किसान रैली के लिए बस नहीं जा सकती। क्या यह किसानों की सरकार है?

मैं इन तथ्यों को पेश करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों के हित में काम करना चाहते हैं तो जब कभी अभिभाषण हो, उसमें जब तक किसान जो 80 प्रतिशत हैं, की बहबूदी के लिए, गरीबी मिटाने के लिए शिक्षा के लिए सही मायने में उल्लेख न करेंगे तब तक हमारे स्वप्न पूरे नहीं होंगे।

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : और सांडों को खुला छोड़ा जाए।

श्री माणकचंद सुराणा (आयोजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कुछ पहलुओं की तारीफ की, कुछ ओमीशन्स की चर्चा की, कुछ की आलोचना की। जिन सदस्यों ने तारीफ की और जिन्होंने आलोचना की, मैं दोनों का ही आभारी हूँ। यह सर्वविदित है कि जब भी विधान सभा मिलती है, सत्र की शुरुआत होती है तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से यह सदन पिछले साल की गतिविधियों का सर्वेक्षण करता है और आने वाले वर्ष में जो दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, वह भी इस सदन से, राज्य सरकार प्राप्त करती है।

जो सबसे ज्यादा चर्चा की गई, वह काम के बदले अनाज योजना की चर्चा की गई, अन्त्योदय योजना की चर्चा की गई, जल प्रदाय योजनाओं की कमियों की चर्चा की गई और रेंडवेज में जो कमियां हैं, उनकी चर्चा की गई। इसके साथ-साथ यह कहा गया कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सरकार के कुछ निर्णय उचित नहीं, उनकी आलोचना,

(श्री माणकचन्द सुराणा)

की गई। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार पर सरकार हावी नहीं बल्कि प्रशासन हावी है। मैं नम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा प्रसारित कुछ बुकलेट्स की चर्चा करके कहा गया कि हमने जो अन्त्योदय योजना बनाई उसका भी आधार कलेक्टर है। यह कह कर यह बताने का प्रयत्न किया गया कि अन्त्योदय योजना में सरकार ने जन प्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया बल्कि कलेक्टर को दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस बुकलेट का हवाला बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया उसी बुकलेट के एक अंश में कहा गया है कि अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए चयन पचायत राज संस्थाओं और जनता के प्रतिनिधियों की सलाह से किया जाता है, चयन के लिए कुछ बुनियादी कसौटियां हैं, जैसे किसी प्रकार की लाभप्रद सम्पत्ति का न होना और प्रति परिवार में निम्न वार्षिक आय का होना। हम किसी एक अंश को पढ़ें जो हमें सूट करता है, जो हमारे दृष्टिकोण का परिचायक है और दूसरे पक्ष की चर्चा न करें, यह सही नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्त्योदय योजना का आधार सर्वविदित है। सर्वाधिक गरीब परिवार जो गांव का है उसका चयन प्रत्येक गांव में किया जाता है। कइयों ने कहा है कि यह तो 20 सूत्री कार्यक्रम में भी होता था। मैं निवेदन करूं कि किसी भी राज्य में 1,65,000 परिवारों का चयन 33 हजार गांवों में कभी नहीं किया गया, यह बात सत्य है और इस बात का खंडन न तो किसी माननीय सदस्य ने किया और न कहा है। यह भी कहा गया कि एक वर्ष की प्रक्रिया न रखकर इस प्रक्रिया को 5 साल बराबर चलाया जाए, उसका फालो-अप किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अन्त्योदय योजना में चयन प्रति वर्ष किया जाता है। अन्त्योदय योजना के दूसरे चरण का चयन गत वर्ष अक्टूबर-नवम्बर में किया जा चुका है जिसमें करीब 1,15,000 परिवारों का चयन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कसौटियों के अनुसार किया गया है।

माननीय समरथलाल ने कहा कि 22 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का राज्य सरकार ने कहा है। राज्य सरकार के पास कौन सा जादू है जिसके द्वारा इतने परिवार छांटें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ 22 हजार परिवारों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में आप कर रहे हैं, यह पुरानी बात है। 1,15,000 परिवारों में से अब तक 45 हजार कुछ सौ परिवारों को राज्य सरकार लाभान्वित कर चुकी है, उनका चयन भी किया जा चुका है। यह आपकी जानकारी में है कि पहले चरण में 77 प्रतिशत लोग लाभान्वित हो चुके हैं। जो 23 प्रतिशत उनमें बचे हैं उनको लाभान्वित करने की प्रक्रिया अभी चालू है। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि 6 प्रतिशत लोगों ने लाभान्वित होने से इन्कार किया। जब उनको पता चला कि हमें सर्वाधिक गरीब कहकर छांटा गया है तब उनके आत्म सम्मान ने गंवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सबसे अधिक गरीब व्यक्ति नहीं हैं। सर्वाधिक गरीब व्यक्ति का चयन करके कोई हमें लाभ देना चाहे तो हम उस लाभ को

(श्री माणकचन्द सुराणा)

लेने से इन्कार करते हैं। यह भी हो सकता है कि आत्म सम्मान के कारण........

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह तो नहीं है कि परेशान होकर बैठ गये हों ? ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने ?

श्री माणक चन्द सुराणा : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं तीन जिलों की लिस्ट प्रेषित कर दूंगा, मैं व्यक्तिवार और गांववार बता दूंगा कि किन-किन लोगों से मिल लें। यदि कहीं गलती पाई जाय तो आप इस बात के अधिकारी होंगे........

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरे यहां सैंकड़ों लोग बैंक की पर्चियां लेकर फिर रहे हैं। यही बात उन्होंने कही है कि हम तो मजदूरी करेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : क्या कमजोरी है, उसको देख लें........

(व्यवधान)

He is not properly following.

श्री नूरा : मन्त्री महोदय, मेरे यहां दो साल पहले तक के फार्म का ही पता नहीं, कहां गया ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : बिना पैसे भैंस कहां से खरीदेगा ? कौन देगा उसको भैंस ?

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं माननीय श्योपत सिंह जी से निवेदन करूंगा, मैंने कहा कि 6 परसेन्ट लोगों ने लाभ लेने से इन्कार किया हैं, हो सकता है वे उनमें हों।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह भाषण में इन्ट्रप्शन हुआ तो मैं कोई बात ही नहीं कह पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का भाषण समाप्त हो जाय, तब आप पूछ लीजिये।

एक माननीय सदस्य : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है। लाख 12 हजार परिवारों का चयन किया गया है....

श्री माणकचन्द सुराणा : या तो आप मुझे बोल लेने दें या फिर आप बोल लें....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप तीस मारखां हैं क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप तमीज से बोलें।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : विवाद बढ़ेगा, यह बात अच्छी तरह निपटा लें तो ठीक होगा ..।

श्री माणक चन्द सुराणा : बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य को चिन्ता है, विवाद बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपने जो गलत एंगिल रखा है, उसका भी मैं खण्डन करूंगा लेकिन आम जनता में विवाद नहीं बढ़ेगा।

(श्री माणक चन्द सुराणा)

आपने अन्त्योदय योजना के लिये कहा था। मैंने भारत सरकार के बुलेटिन को पढ़कर बता दिया कि जनता के माध्यम से चुनाव होता है....

(व्यवधान)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य नोट कर लें, इस वर्ष अन्त्योदय के चयनित परिवारों को संस्थागत बैंकों के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से और लीड बैंकों से 13 करोड़ रुपयों का ऋण वितरित किया है। आखिर 13 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है तो वह उन्हीं लोगों को वितरित किया गया है जो चयनित किये गये हैं। सारे लोगों को ऋण नहीं मिला है, यह सही है। हम कह रहे हैं कि 77 प्रतिशत लाभान्वित हुए हैं, 6 प्रतिशत ने इन्कार किया है और उसके बाद अब 17 प्रतिशत बच गये हैं। राज्य सरकार का प्रयत्न है कि उनको भी लाभान्वित करे। 17 प्रतिशत अवश्य रह गये हैं। मैं यह निवेदन करूं कि यदि हम एक को भी नहीं छांटते तो आप कुछ भी नहीं कहते। आप इसका ढिंढोरा चाहे गांव गांव में पीटें कि हमने 17 प्रतिशत को लाभान्वित नहीं किया है लेकिन हमारा लक्ष्य है कि उनको भी लाभान्वित करेंगे। जो आर्गेनाइजेशन बनाया है उसने 1 लाख 12 हजार परिवारों को छांटा है और उसमें से 45 हजार लोगों को हम लाभान्वित कर चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं बीच में इन्ट्रप्ट तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन मेरा एक निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसलिये हमको इस पर अलग से एक दिन के लिये बहस रखनी चाहिये। मेरा सुझाव है आप माने या न माने। आपको नहीं मंजूर है तो मत मानिये।

श्री माणक चन्द सुराणा : खास तौर से गंगानगर जिले में 31-1-79 तक जो परिवार छांटे हैं वह 6 हजार 72 परिवार हैं। माननीय श्योपत सिंह जी, मैं इस सदन की पूरी गरिमा और प्रतिष्ठा को मद्दे नजर रखते हुए निवेदन करूंगा कि 4 हजार 63 अकेले गंगानगर जिले में हैं। इस तरह 77 प्रतिशत लोग लाभान्वित कर दिये गये हैं। आप चाहेंगे तो....

श्री एच एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भावों को रोक नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी भावनायें हैं उनको रोकने में हम असमर्थ हैं। बात यह है कि जो आंकड़े पेश किये जा रहे हैं ये जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से एकत्रित करवाये जाते तो अधिक अच्छे रहते। सरपंच के आधार पर एकत्रित करवाये जाते लेकिन मेरी सरकार ने नौकरशाही के आधार पर आंकड़े एकत्रित करके बता दिये, यह कतई उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक लाभान्वित होने का मामला है....

(व्यवधान)

आप अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का आपको निश्चित रूप

144

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

से कह सकता हूं, जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उसी पर आपने कन्स्ट्रक्शन खड़ा किया है। जो जमीनें नाजायज तरीके की थीं उन्हीं को आपने दिया है। मैं मेरे क्षेत्र की हर बात को जानना चाहता हूं, आप अपनी सीमाओं में रहिये ...

(व्यवधान)

हौसले के साथ बोलिये। मुझे चुनौती दी जायगी तो मैं माकूल उत्तर दूंगा।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय तो गाड़ी में जाते होंगे। मैं 11 नम्बर की गाड़ी पर विश्वास करता हूं और उसी में घूमता रहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : निश्चित तौर से, माननीय अध्यक्ष जी, ताली बजाते हैं मगर आपको मालूम है ये कौन लोग हैं। I will prove that your speeches are false.

***श्री एच. एन. शर्मा** : मैं सुझाव देना चाहता हूं जो आंकड़े प्रशासन के माध्यम से मिले हैं, विकास अधिकारी के द्वारा मिले हैं, एस. डी. ओ. के द्वारा मिले हैं, कम से कम उन पर विश्वास नहीं करें। जो वहां के सरपंच हैं कम से कम उनका एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें और फिर अपने आंकड़ों को रखें तो ज्यादा सत्य होंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा जितने अन्त्योदय में परिवार छांटे गए हैं, उन सबकी सूची है। आप चाहें तो देख सकते हैं। लाभान्वित कौन हुए हैं और कौन नहीं हुए हैं यह आप देख सकते हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र वार और तहसील वाइज बनी हुई है।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय परिवारों को इन्होंने वे जमीनें दी हैं जिन पर दूसरों का कब्जा है और कहते हैं लाभान्वित कर दिये। सामने वाली पार्टी, जिसकी जमीन है, लड़ने को तैयार रहती है। अन्त्योदय वालों को वही जमीन दी जा रही है जिस पर पहले से ही कब्जा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, Don't hear go ahead.

श्री माणकचन्द सुराणा : जैसा आपका आदेश। मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : Otherwise, he will confuse you.

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ मतभेद हो सकते हैं और वह मतभेद यह हैं कि जन प्रतिनिधियों के मार्फत, संस्थाओं के मार्फत, पंचायतों के मार्फत आंकड़े इकट्ठे करवाये जायें। यह सुझाव बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य दे रहे हैं, इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इस पर निर्णय भी करेगी। मैं यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, सरकार का इरादा अन्त्योदय

(श्री माणकचन्द सुराणा)

योजना में जन प्रतिनिधियों को, संस्थाओं को महत्व अधिक से अधिक देने का है और नौकरशाही को उसका सब्सीडियरी बनाने का है। कम से कम अभी उल्टी बात है। हमारा इरादा ऐसा है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैंने मुख्य मन्त्री महोदय को लिखित में दिया था कि नौकरशाही के आधार पर यह गाड़ी नहीं चलने वाली है। जनतांत्रिक व्यवस्था पर नौकरशाही हावी है, आई. ए. एस. अधिकारी हावी हैं....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अगर नौकरशाही नहीं करेगी तो काम करेगा कौन ? इस सारे काम को कौन करेगा, यह तो सुझाव दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे ख्याल में किसी भी जन प्रतिनिधि को स्टेट लेवल पर आपने कहीं भी उचित नहीं समझा। किसी भी स्टेट लेवल मीटिंग में नहीं बुलाया। हम भी चाहते हैं कि लोगों को पैसा मिले। यह हमारा पैसा है, इसका यूटिलाइज होना चाहिये। कमियों के बारे में विचार नहीं करना चाहते तो हमारा कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि गत वर्ष हमने यह योजना शुरू की।

(व्यवधान)

एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधियों के द्वारा ये चयन कराये गये थे। पंचायतों के चुनाव उस समय नहीं हुए थे तो पुराने सरपंच ने एक ऐसे आदमी का चुनाव करा दिया जिसके बारे में बताया जाता है कि वह पच्चीस हजार की बोहरगत करता है। मालूम पड़ा तो बाद में उसको ठीक करवा दिया। इस तरह के मामले हो सकते हैं। काम करेंगे तो गलती भी होगी। मालूम होने पर मुकम्मिल कर दिये गये हैं, ऐसा मैं कह रही हूं.... ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपको कहता हूं........

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अन्त्योदय के बारे में राजस्व विभाग का परिपत्र निकला है जिसमें पटवारी को अधिकार दिया हुआ है कि तुम नाम छांटोगे। सरपंच का या पंच का नाम नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करूंगा........

श्री कौशल किशोर जैन : बिना सरपंच के नाम छांट नहीं सकते, मैं चुनौती देता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : चुनौती सरकार को दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरपंच की उपस्थिति में नाम छांटे जाते हैं अब यह बात दूसरी है कि हम किसी कारणवश नहीं जा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सके। आप कई लोग समय पर नहीं पहुंच सके, समय पर सूचना नहीं मिले, दूसरे कामवश नहीं पहुंच सके....

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : राजस्थान तो बहुत बड़ा है। माननीय विधायकों पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दें, यह सम्भव नहीं है। बीस दिन का कार्यक्रम बना और विधायक नहीं पहुंचे तो कई तरह की परिस्थितियां होती हैं। कुल मिला कर मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जन प्रतिनिधियों को जितना महत्व दिया गया है उससे भी अधिक जन प्रतिनिधियों को, जन संस्थाओं को, चुनी हुई संस्थाओं को, पंचायतों और पंचायत समितियों को महत्व देने का राज्य सरकार का इरादा है ताकि चयन गलत सलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो; चयन में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं डिफर नहीं करता हूं लेकिन आपने कभी कोशिश की यह जानने की कि कैसे लोग आ रहे हैं? आपने किसी एम. एल. ए. से नहीं पूछा, कोई सजेशन नहीं लिया। प्रैक्टिकल क्या डिफिकल्टीज हैं, हम आपको बता रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय की चर्चा हुई और अन्त्योदय के बाद में काम के बदले अनाज योजना की चर्चा हुई....

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह केवल मुख्य मंत्री की योजना नहीं बल्कि सारे राजस्थान की योजना है।

श्री कौशल किशोर जैन : केवल आपके कहने से नहीं चलेगा। हम भी एम. एल. ए. हैं, हमसे पूछा गया है।

श्री नत्थीसिंह : गत वर्ष जो अन्त्योदय से लाभान्वित हुए हैं उनकी स्थिति कितनी पर्सेन्ट ठीक हुई, यह बता दीजिए। किसी का बैल मर गया, किसी की बकरी मर गई और उनके ऊपर कुर्कियां आ रही हैं। आपको पता है कि कितने प्रतिशत उनकी हालत में सुधार हुआ है?

श्री माणकचन्द सुराणा : अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य नत्थीसिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि किसी की यदि बकरी मर गई है तो उसको दुबारा ऋण मिले जिससे तत्काल बकरी खरीद ले। किसी की भैंस मर गई है तो भैंस खरीदने के लिए ऋण मिलेगा....

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : झुंझुनूं जिले में मरी है लेकिन कोई ऋण नहीं मिला।

श्री माणकचन्द सुराणा : दुबारा ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही..

श्री नत्थीसिंह : कितने प्रतिशत हालत सुधरी है?

श्री माणकचन्द सुराणा : आखिर 13 करोड़ रुपया बांटा गया है। यदि इस पर भी

(श्री माणकचन्द सुराणा)
आप यह कहें कि किसी तरह से उनकी स्थिति नहीं सुधर रही है तो मुझे अफसोस है। कुछ भी करें, उस पर आप शक कर सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने किसी से पूछा क्या कि कैसे हो रहा है? आपने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा था?

श्री माणकचन्द सुराणा : हमने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा है और जिलेवार बैठकें हुई हैं। आलोचना प्रत्यालोचना हुई हैं। जिलेवार बैठकें हुई हैं। हां आपको अवश्य नहीं बुलाया गया, हमारी पार्टी के लोगों को बुलाया है। उनसे चर्चा की है। आप लोगों से सलाह मशविरे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से सदन के माध्यम से आपसे भी सलाह मशविरा करते हैं।

काम के बदले अनाज योजना की काफी तारीफ की गई और उसके कार्य अधूरे न रह जायें इस बात के लिए सदन में काफी चिन्ता व्यक्त की गई। मैं भी इस चिंता का शेयर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इरादा है कि जो भी, जितनी भी उपलब्धि काम के बदले अनाज योजना में हुई है उसमें अधिक से अधिक काम पक्के कर दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो यह कहा गया है कि वायरलैस मैसेज दिया गया है कि काम रोक दिये जावें, चालू कामों को रोक दिया जावे। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ऐसा कोई वायरलैस मैसेज नहीं दिया है कि चालू कामों को रोक दिया जावे। यह वायरलैस मैसेज अवश्य दिया गया है कि जिन नए कामों की पहले से सैंक्शन नहीं है, टैक्निकल सैंक्शन जिनकी अभी तक नहीं हुई है उन नए कामों को हाथ में नहीं लिया जावे। यह आदेश देने का प्रमुख कारण, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, यह था कि भारत सरकार ने हमको यह इंडीकेशन दे दिया था, यह इशारा कर दिया था कि आपकी यहां पर जिस तरीके से अनाज की बढ़ती हुई मांग है उसको सारे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष में, सारे प्रांतों को हम अनाज दे रहे हैं उस परिप्रेक्ष में हम पूरा नहीं पायेंगे। इसलिए नए कामों को अगर हाथ में लें तो अपनी जिम्मेदारी पर लें। इसलिए यह आदेश दिया गया कि जिन कामों की टैक्निकल सैंक्शन नहीं हुई है उन नए कामों को हाथ में नहीं लें। जो काम चल रहे हैं उनको न तो बन्द किया है और न बन्द करने का विचार है। किसी जिलाधीश ने इस आदेश को अगर गलत पढ़ा है, गलत समझा है तो राज्य सरकार दुबारा निर्देश देगी। निर्देश दे भी दिये हैं तो भी मैं कहूंगा कि यदि कोई माननीय सदस्य इशारा करेंगे कि किसी कलेक्टर को भ्रम है तो दुबारा निर्देश दे देंगी कि 31 मार्च तक इन कामों को बराबर विधिवत चालू रखें और यथा सम्भव यह प्रयत्न करना है कि जो काम हाथ में लिये हैं वे पूरे हो जावें।

श्री नत्थी सिंह : मेरा एक प्रश्न है। जो कच्चे काम हुए हैं, कच्ची सड़कें बनी हैं, कच्चे तालाब खोदे हैं क्या बरसात के बाद उसी सूरत में मिलेंगे या यों ही गेहूं पानी के भाव बहाया गया है? आज इसका जवाब दे दें कि बरसात के बाद भी ये काम मौजूदा हालत में मिलेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं आपके इसी प्रश्न पर इसी चिन्ता पर आ रहा हूं।

(श्री माणकचन्द सुराणा)

मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कच्चे कामों में मुख्य तौर पर सड़कों का निर्माण है। सड़कों के काम कच्चे रह गए हैं। 7240 किलोमीटर की सड़क बनी है काम के बदले अनाज योजना के अन्दर राजस्थान में एक साल में, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह एक रिकार्ड है किसी भी जगह, किसी भी प्रान्त में इतने किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने का। 7240 किलोमीटर की सड़कें चार महीने में बनाई गई हैं। मैं निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : वर्षा से कोम्पेक्ट होंगी।

श्री माणकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक पांच विभागों, जिसमें पी. डब्ल्यू. डी. है, डेयरी डिपार्टमेंट हैं, कृषि उपज मंडियां हैं, इनके साथ में सामुदायिक विकास है और अपने यहां जो पंचायत विभाग है, की एक मीटिंग अपने स्तर पर आयोजित की है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि सारी कृषि उपज मंडियां आने वाले साल में दो करोड़ रुपया इन सड़कों को पक्का करने में खर्च करेंगी। यह फैसला भी किया है कि अकाल सहायता विभाग इन गांवों, जिनमें कि अकाल घोषित होने वाला है, में अपने अकाल सहायता फंड से डेढ़ करोड़ रुपया इन सड़कों को पक्का करने में लगायेगा। यह भी फैसला किया है कि सामुदायिक विकास के माध्यम से दो करोड़ रुपया इन सड़कों को पक्का करने में खर्च किया जाएगा। इस तरह से करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये का प्रावधान खास तौर से इन सड़कों को पक्का करने के लिये किया गया है। इसमें वे सड़कें पक्की की जाएंगी जो जिला स्तर पर विधायक, संसद सदस्य और निकट भविष्य में जैसे पंचायतों के चुनाव हुए, उनके जो भी प्रतिनिधि होंगे, उनसे सलाह मशविरा करके सर्वाधिक महत्वपूर्ण सड़कें होंगी उनको पक्का करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

कृषि उपज मंडी को भी यह आदेश दिया है कि वे भविष्य में अपनी योजना को बनाते हुए ध्यान में रखें कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई हैं वे पहले उनकी उपयोगिता को देखें। यदि कृषि उपज मंडी के उपयोग की हो या उनकी दृष्टि में उपयोग नीचा हो, तो भी खास तौर से इन सड़कों को पक्का करने का वे प्रयत्न करें। यह आदेश दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के बदले अनाज योजना में राजस्थान के उन तालाबों, जिनको कि 20–25 साल से साफ नहीं किया था, जिनकी मिट्टी नहीं निकाली गई थी, की मिट्टी निकाली गई है, उनको साफ किया गया है और जहां पहले उनमें चार महीने तक पानी ठहरता था, उनको इस लायक बनाया गया है कि अब उनमें 6 महीने, 8 महीने पानी ठहरे। इसके अतिरिक्त चार हजार पेयजल के कुए भी इस योजना के तहत बनाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भर में 45,000 काम हाथ में लिये गये। इन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

45,000 काम में से करीब 21 हजार काम पूरे हो चुके हैं और 24 हजार काम की प्रगति हो रही है। इनमें से 31 मार्च तक कितने कर पायेंगे, यह तभी मालूम हो सकेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितने लोगों को काम मिला ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा करीब 4 लाख लोगों से ऊपर इस योजना के तहत गांवों में काम कर रहे हैं। इस पुस्तिका में कई प्रान्तों के आंकड़े हैं। उन प्रान्तों में कितना कार्य हुआ है-यह इस पुस्तिका में बताया गया है। भारत सरकार ने यह विज्ञप्ति छापी है इसमें राजस्थान का नाम नहीं है। इसलिए नहीं है कि राजस्थान को गत वर्ष 6 हजार टन अनाज अलाट हुआ था उसमें से हम ने तीन हजार टन का ही उपयोग किया। परन्तु इस वर्ष जो हमारी उपलब्धि है, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 लाख 30 हजार 762 टन अनाज अभी तक भारत सरकार से हम प्राप्त कर चुके हैं और 32 हजार टन अनाज भारत सरकार और दे इस बात की पेशकश हमने भारत सरकार को की है। हमें उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में हम को यह अनाज उपलब्ध हो जायेगा। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि कई गांवों में अनाज देर से पहुंचा। यह जो बैकलाग है इसकी पूर्ति नये आवंटन से पूरी कर दी जाएगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह किस की जिम्मेदारी थी कि यह लैप्स हो गया। पिछले साल फूड फार वर्क में जो अनाज नहीं लिया गया उसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : हम जिम्मेदार हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : चार महीने में आपने इतना अनाज उठा लिया और लोगों को काम के बदले बांट दिया। तो 16 महीने यह क्यों लैप्स रहा ? अगर यह समय पर ले लिया जाता तो कितना काम हो गया होता ? ...

श्री नूरा : मन्त्री महोदय गलती मान रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं यह गलती मान रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साल भारत सरकार ने हम को काम के बदले अनाज योजना में जितना अनाज दिया है और सारे प्रान्तों को जो अलाटमेन्ट किया गया है, उसमें राजस्थान का नम्बर सर्वप्रथम है। दूसरा नम्बर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली और पेयजल की प्रगति के बारे में भी यहां कहा गया है। माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में काफी चिन्ता प्रकट की गयी है। खास तौर से जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, ने भी काफी चिन्ता प्रकट की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यह सारे सदन के प्रत्येक माननीय सदस्यों की चिन्ता का कारण है। यह भी चिन्ता व्यक्त की गई है

(श्री माणकचन्द सुराणा)

कि जो वायदे जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था उस वायदे से हम हट रहे हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वायदे को ध्यान में रख कर ही हम ने अपने राजस्थान की आयोजना में 436 करोड़ रुपये का प्राव-धान अकेले पानी के लिए रखने का प्रस्ताव किया था लेकिन जितने बड़े आकार की योजना हम ने बनाई थी....

श्री रामकृष्ण दास गुप्त : यह रुपया कहां से आयेगा ?

श्री माणक चन्द सुराणा : आपकी जेब से।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरी जेब में तो केवल सौ रुपया है।

श्री माणक चन्द सुराणा : मेरे से तो ज्यादा है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस योजना का कुल आकार जो पिछले वर्ष था, कुल आकार पांच साल का क्या होगा, यह भारत सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है। यह इस पर निर्भर होगा कि हमारी प्रस्ता-वित योजना कितने आकार की स्वीकृत होती है। जो अभी तक प्रगति हुई है, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वर्ष 275 करोड़ रुपया वार्षिक योजना के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हम ने राजस्थान के पिछड़ेपन पर आंसू बहाये फिर भी नम्बर आठ रहा, जो बट-वारा हुआ उसमें राजस्थान पीछे रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वर्ष अलग अलग प्रान्तों में जो योजना का आकार भारत सरकार ने तय किया है, उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिनसे इस सदन को यह अन्दाज होगा कि गत वर्ष की योजना के मुकाबले में इस वर्ष की योजना के लिए योजना कमीशन ने कौन कौन से आकार तय किए हैं। उसका आप मुलाहिजा करेंगे तो देखेंगे ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : पर्सेन्टेज बताइये... ...

श्री माणकचन्द सुराणा : यह कोई छिपाने की बात नहीं है। यह तो ऐसा तथ्य है जो छिपाया नहीं जा सकता। मैं बिहार की गत वर्ष की योजना के आंकड़े आपके सम्मुख दे रहा हूँ। वहां गत वर्ष की योजना में 384 करोड़ रुपया स्वीकृत था उसके मुकाबले इस वर्ष की योजना के लिए योजना कमीशन ने 356 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पर्सेन्टेज बता-इये। पहले हम को योजना का 5 पर्सेन्ट से ऊपर मिला था। इस वर्ष कितना मिला है?

श्री माणकचन्द सुराणा : इस तरह से कुछ आंकड़े योजना के पेश कर रहा हूँ।

गत वर्ष बिहार की वार्षिक योजना 348 करोड़ की थी जो इस साल में 356 करोड़

(श्री माणकचन्द सुराणा)

की पास की गई है। हिमाचल प्रदेश की 73 करोड़ की थी जो इस वर्ष भी 73 करोड़ ही रख दी गई है। कर्नाटक में पिछले साल 309 करोड़ की योजना थी जो इस साल 299 करोड़ की कर दी गई है। केरल में 176 करोड़ की थी जो इस साल 170 करोड की कर दी गई है। आन्ध्र प्रदेश में 449 करोड़ की पिछले साल थी जो इस साल 421 करोड़ की की गई है। जिन राज्यों में बढ़ोतरी हुई है उनके कुछ आंकड़े निवेदन करूंगा। गुजरात की पिछले साल 335 करोड़ की योजना थी जो इस साल 362 करोड़ की की गई है। हरियाणा में 210 करोड़ की थी जो इस साल 227 करोड़ रुपये की की गई है। महाराष्ट्र में 735 करोड़ की थी जो 762 करोड़ इस साल रखी गई है। इसी प्रकार राजस्थान की पिछले साल 235 करोड़ की थी जो 275 करोड़ की की गई है। इन आंकड़ों से राजस्थान ने अपने पिछड़ेपन को नहीं रखा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सारी आपके मन्त्री बनने की सफलता है।

श्री माणक चन्द सुराणा : मेरी कोई सफलता नहीं है। यह मुख्य मन्त्री जी की सफलता है। पूरी सरकार की सफलता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये दो चार ही सफलताएं हैं। इनको आप आपस में बांटो।

श्री माणक चन्द सुराणा : यह आपकी भी सफलता है।

पिछले वर्ष ग्रामीण जलप्रदाय का काम 9 करोड़ का था। इस वर्ष हमने 14 करोड़ रखे हैं। मैं जैसलमेर से आने वाले विधायक महोदय को निवेदन करूंगा कि इन पांच सालों में राज्य सरकार 144 करोड़ रुपए ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए खर्च करने को कृत संकल्प है। इससे कम खर्चा ग्रामीण जल प्रदाय के लिए नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपए केन्द्र प्रवर्तित योजना में ग्रामीण जल प्रदाय में रखे हैं। उसमें से अधिक से अधिक हम ले सकें ऐसा हमारा प्रयास है। पिछली साल हमने ढाई करोड़ रुपए केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त किये थे इस वर्ष हमें सवा करोड़ मिले हैं। हम इस प्रयत्न में हैं कि जो 400 करोड़ का प्रावधान है उसमें से पिछली साल से ज्यादा तादाद में मिले।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने नीति का प्रश्न उठाया, आबादी के अनुपात का कि सड़क, बिजली, स्कूल आदि आबादी के अनुपात से खोले जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां आबादी प्रति वर्ग मील कम है उनको निश्चित रूप से पुराने पैमाने से नुकसान हुआ है। राज्य सरकार इस पुराने पैमाने में निश्चित रूप से आवश्यक संशोधन करने पर विचार करेगी जिससे कम आबादी वाले क्षेत्रों को नुकसान न हो। फिर भी माननीय पशुपालन मन्त्री जी ने मुझे अभी अभी सूचना दी है कि पशु चिकित्सालय खोलने के लिए इसे

(श्री माणकचन्द सुराणा)

पैमाने को तोड़ दिया गया है और रेगिस्तानी इलाकों में आवश्यकताओं को देखते हुए हमने पशु चिकित्सालय खोले हैं....

श्री समरथ लाल : यह पशुओं की आबादी को देखते हुए किया है क्या ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आबादी और क्षेत्रफल दोनों के ही अनुसार किया गया है। वित्त मन्त्री जी कह रहे थे कि क्षेत्रफल के अनुसार पैसा नहीं मिला भारत सरकार से। इसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं....

श्री किशनसिंह भाटी : कुछ भी नहीं मिला, जीरो के बराबर भी नहीं

श्री माणक चन्द सुराणा : आपकी बात का भी ध्यान रखा जायेगा।

बिजली के मामले में, अध्यक्ष महोदय, काफी कुछ कहा गया कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिजली नहीं लगी है। मैं आपको आंकड़े के द्वारा बताऊंगा। नेगू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 86 गांवों में बिजली लगी है। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में 86 गांवों में नहीं, 1800 गांवों में बिजली इस बजट प्रावधान में निश्चित रूप से लगेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गंगानगर को छोड़ कर...

श्री माणक चन्द सुराणा : छोड़ कर नहीं। सभी को लिया जायेगा।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैसरोडगढ़ में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, 212 गांवों में से कितने गांवों में बिजली लगी हुई है, मन्त्री महोदय बता दें ? 212 गांवों में से एक भी गांव में नहीं लगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र जमवा रामगढ़ से सारे जयपुर शहर को पीने का पानी मिलता है लेकिन कई बार वहां पीने का पानी नहीं होता। वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और डेढ़ साल में बिजली के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ।

श्री माणक चन्द सुराणा : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन द्वारा राजस्थान में 1283 गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा। मैंने 1800 कुल कहा है जिसका ब्रेक अप यह है कि 1283 गांव कार्पोरेशन द्वारा विद्युतीकृत किए जायेंगे।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण विद्युतीकरण की आलोचना की है वह एक हद तक सही है। कुल मिला कर यह देखना है कि वहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर कितना उपलब्ध है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन पर ही विद्युतीकरण आधारित नहीं किया है। इसके अलावा भी 359 गांव, जो 11 के. वी. के पास पड़ते हैं, को भी विद्युतीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में भी 85 गांवों को विद्युतीकृत किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : कालवा-कालवी गांव भी विद्युतीकृत किया जा रहा है क्या ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 11 के. वी. की लाइन कौन डालेगा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह तो डली हुई है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह एक साजिश है रेगिस्तानी इलाकों के साथ में। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जन्म रेगिस्तान में हुआ।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : 33 के. वी. की लाइन के आस पास जो गांव पड़ते है उन गांवों में बिजली दी जाती है क्या ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन 33 के.वी. लाइन पर जिस तरह से 11 के.वी. की लाइन को पूरा किया जा रहा है उस तरह की योजना नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दो-तीन मील रेंज में जो गांव रह गये हैं उनको बिजली देने का इरादा है कि नहीं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप कहेंगे निश्चित रूप से तो उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री बहादुरसिंह : एक कस्बे से दूसरे कस्बे में बिजली जाती है और बीच में गांव रह जाते हैं। जिन गांवों से बिजली की लाइन जाती है कम से कम ऐसे गांवों को बिजली दी जाय।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक 33 के.वी. की लाइन, 11 के.वी. की लाइन के तरीके से विद्युतीकरण की योजना नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह बात सही है कि 30 करोड़ रुपये को रेवेन्यू आर.एस.ई.बी. की बाकी है ? अगर वाकई यह चीज सही है तो उसको वसूल करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब मन्त्री जी बोल रहे हैं तो बार बार इधर से और उधर से उठ कर माननीय सदस्य बोल रहे हैं। तो यह निश्चित हो जाय कि कोई प्रश्न नहीं करें। यह तो इस तरह से रात भर में भी पूरा नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह : माननीय मन्त्री जी एक बात और बता दें। जिन गांवों से होकर 33 के वी. की बिजली की लाइन गई है उन गाँवों के अन्दर बिजली नहीं मिल पायेगी ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने सिर्फ यह निवेदन किया है कि 33 के.वी. लाइन में से टेप करके सारे बीच के गावों को बिजली देने की योजना अभी राज्य सरकार की नहीं। 11 के वी. लाइन के आसपास गांव पड़ते हैं तो लाइन को टेप करके ट्रांसफार्मर लगा कर बिजली दी जाती है उस तरह 33 के.वी. की लाइन को टेप करके बिजली देने की व्यवस्था करना टेक्निकली सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री बहादुरसिंह : सरकार ने घोषणा की थी कि जो गांव 33 के.वी. लाइन के एक किलोमीटर के एरिया के अन्दर होंगे उनको बिजली दी जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : मेरे क्षेत्र में देहातों में कितने कनेक्शन हुए हैं और कितनों में नहीं?

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें कि एक ओर तो आर.एस.ई.बी. 12 पर्सेण्ट पर लोन लेने का विचार कर रही है और दूसरी ओर उसकी राजस्थान के कई लोगों के ऊपर 30 करोड़ की रेवेन्यू बकाया है, अगर यह सच है तो इसको वसूल करने के क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं? एक ओर 30 करोड़ की रेवेन्यू को छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ...

श्री समरथ लाल : क्या यह मान लें कि मन्त्री महोदय ने अपना भाषण पूरा कर लिया है?

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों में 30 करोड़ रुपया बकाया था जैसा माननीय सदस्य बतला रहे हैं उनसे वसूली सख्ती के साथ की जायेगी। पूर्व से यह सारे जिन लोगों में ड्यूज बाकी है उनका तत्काल ही इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिसकनेक्ट किया जायगा। उसके बाद में कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जायगी।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मन्त्री महोदय, शीशराम पर 1033 रुपया बकाया है उसका कनेक्शन कट गया था वह फिर से लगाया गया है। चेयरमैन के आदेश से। जब इनका कनेक्शन काट दिया गया था तो फिर से कनेक्शन कैसे जोड़ा गया?

श्री माणकचन्द सुराणा : इसके लिए मैं विद्युत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और जो कुछ भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह विद्युत मंत्रीजी करेंगे। मैं आपकी भावनाओं से उनको अवगत करा दूंगा।

मैं निवेदन करूंगा जयपुर से और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों की दिलचस्पी के लिए कि सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों में इस वर्ष 24 गांवों को विद्युतीकृत किया जा रहा है। इसके साथ साथ जल–प्रदाय योजना के तहत 34 गांवों को इस वर्ष विद्युतीकृत किया जा रहा है। इस प्रकार से एक हैड जल प्रदाय योजना, दूसरा डैजर्ट डवलपमेंट और तीसरा सूखा सम्भाव्य क्षेत्र, इन मदों में हम इस बात का प्रयत्न करने में लगे हुए हैं कि भारत सरकार अधिक धन का प्रावधान दे। डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में भारत सरकार से बिजली के हैड में और लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। बराबर राज्य सरकार रेगिस्तान के विकास के लिए बिजली की आवश्यकताओं को बल देते हुए प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार रेगिस्तान के विकास के मद में गांवों के विद्युतीकरण के लिए अधिक धन देगी।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में और कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं........

श्री नत्थीसिंह : लक्ष्मणगढ़ के बारे में नहीं बताया। ठेकेदारों के मार्फत जो पैसा नहीं देते है उनको कनेक्शन नहीं मिलते हैं।

(व्यवधान)

यह कोई तरीका नहीं रोकने का। आप कैसे रोक सकते हैं? वहां पर गरीब आदमी कनेक्शन के बगैर रह जाते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय नत्थीसिंह जी, कोई ठोस उदाहरण इस प्रकार का बता दें, जबानी या लिखित में दे दें तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही विद्युत मंडल करेगा, विद्युत मन्त्री जी करेंगे और राज्य सरकार करेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जबानी तो बता दिया।

श्री माणकचन्द सराणा : इसके साथ ही. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस वर्ष 25000 कुओं में बिजली देने का लक्ष्य रखा था उसमें से, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, 20 हजार कुओं को बिजली दे दी गई है, उनका विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष 10 हजार कुओं को बिजली देने का सवाल है उनको भी इस अवधि मे, अधिक से अधिक दो महीने में बिजली देने का प्रयत्न किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दूसरे मुद्दे माननीय सदस्यों ने जल प्रदाय और बिजली के अलावा उठाये हैं और जिन वातों की चर्चा की है, मैं उस चर्चा पर आऊंगा। खास तौर से कुछ बातें कही गई हैं जैसे उद्योगपतियों को 5 पैसा यूनिट में ही बिजली दे दी जाती है। किसानों के साथ में भेदभाव बरता जा रहा है और उद्योगपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह की बातें कुछ माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी पुराने जमाने में यह बात सही रही होगी, लेकिन आज जनता सरकार क जमाने में यह सही नहीं है। एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए 21 पैसे यूनिट है, 25 पैसे यूसिट नहीं है। इसके साथ जहां तक उद्योगों का प्रश्न है विद्युत बोर्ड का जो शिड्यूल है उसके अनुसार छोटे उद्योगों से 25 पैसा यूनिट मीडियम उद्योगों से 22 पैसा प्रति यूनिट, लार्ज इन्डस्ट्रीज, जो 5 लाख यूनिट से ऊपर कन्जूम करती हैं, से पहले 5 लाख यूनिट्स कन्जूम करने वालों से 25 पैसा, 5 से 10 लाख यूनिट कन्जूम करने वालों से 23 पैसा और 15 लाख से ज्यादा युनिट्स कन्जूम करने वाली इण्डस्ट्री से 21 पैसा और 30 लाख से अधिक युनिट्स कन्जूम करने वालों से 19 पैसा यूनिट्स का लेने का आज जनता सरकार के जमाने में शिड्यूल है, इस शिड्यूल के अनुसार कृषि पर 21 पैसा और छोटे उद्योगों पर 25 पैसा है। यह जो फर्माया है 5 पैसा लेते हैं ठीक नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोटा के अन्दर क्या इसी शिड्यूल से वसूल किया जाता है? आपकी सरकार से पहले श्री राम यूरिया व डी.सी.एम. की क्या रेट्स हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा : वह पुराने एग्रीमेंट्स हैं। उनको विधि विभाग ने एक्जामिन कर लिया है। आपकी तरह हमारा भी मन है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको किस रेट पर बिजली दी जा रही है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : पुरानी रेट से।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या रेट है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : उनकी रेट अलग है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बता दें अगर आपके पास में हो तो। श्री राम यूरिया और डी.सी.एम. के रेट बता दें। जो आपकी सरकार से पहले की सरकार वसूल कर रही थी वह किस रेट से वसूल कर रही थी ?

श्री माणकचंद सुराणा : हाई कोर्ट के आदेश के कारण जो पहले का टैरिफ रेट है डी.सी.एम. से उसी के अनुसार ली जा रही है। पुरानी रेट से लेने का हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है इसलिए सरकार पुरानी रेट से ही लेने को मजबूर है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अगर आप रख सकते हैं तो आपको रेट रखने में क्या आपत्ति है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप पर यूनिट रेट तो बताइये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : विधि विभाग ने अगर खिलाफ राय दी है तो मैं आपको ड्राफ्ट बना कर देता हूं। विधि विभाग को बरखास्त किया जाये। बहुत से वेस्टेड फैक्टर्स काम कर सकते हैं। लॉ के अनुसार आप कर सकते हैं।

श्री माणकचंद सुराणा : बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि आपने रेट संशोधन की बात कही है। विधि विभाग की बात कही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो पूछ रहा हूं। वह कितना पैसा, किस रेट से दे रहे हैं ?

श्री माणकचंद सुराणा : श्रीराम यूरिया..

श्री श्योपतसिंह मकासर : कितना पैसा प्रति यूनिट दे रहे हैं ?

श्री माणकचंद सुराणा : एक सैकिण्ड में बता दूं।

श्री माणकलाल ठाकौर : हर विधायक अपने पर्टीक्युलर क्षेत्र की बात पूछता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा कोई क्षेत्र नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपका काम तो इण्टरवीन करना है। सवाल पूछ लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सवाल यह है कि समाजवादी विचारधारा के मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं ? कांग्रेस सरकार ने गलतियां की हैं उसको हमने सत्ता से हटा दिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने आपको कुर्सियां तोड़ने के लिए नहीं बैठाया है। बदलने के लिए बैठाया है।

श्री माणकचंद सुराणा : टैरिफ रेट कांग्रेस के जमाने में 3 पैसा प्रति यूनिट थी। उसके बाद में जब कन्सेशन समाप्त किया तो वह हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान रेट में 60% कैश दें। रिकार्ड में जमा कर वर्तमान रेट में 40% बैंक गारण्टी। मैं निवेदन करूंगा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने राय दी है, उनसे और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के विधिवेत्ता हैं, उनसे सरकार राय कर लेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : What is your alternative ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह क्या तरीका आपने लगा रखा है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप लॉ के अन्तर्गत कर सकते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : 30 लाख यूनिट से ऊपर 10 पैसा दे रहे हैं। 10% वह जमा करा रहे हैं। यह विधि विभाग ने अभी अभी सूचना दी है। मैं निवेदन करूंगा....

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक तो आपने बिना लॉ को अमेण्ड किये विथड्रा किया है। आपको स्टे कब मिला है ? कहीं पीरियड चला न गया हो। क्या यह आपकी ढिलाई नहीं है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : श्री बजरंगलाल जी, हाई कोर्ट की प्रक्रिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो कुछ भी है, आप साफ कहिये न।

श्री माणकचन्द सुराणा : श्योपतसिंह जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आपकी तो तारीफ करूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आप बार बार कर रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या यह मिलीभगत नहीं है। आप कानून अमेण्ड करके कुछ करेंगे या नहीं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : सुप्रीम कोर्ट के अभिभाषकों की राय लेकर ही सब किया जाएगा। आपने विधि विभाग का ध्यान नहीं रखा। क्या हम अपने एग्रीमेन्ट को कैंसिल कर सकते हैं ?

अभी यह प्रश्न भी उठाया गया है कि सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन से यह निवेदन करूंगा कि 1800 समितियां है जिनमें से 3500 समितियां अवसायन में हैं। 81 के चुनाव कराने के आदेश हो गये हैं। 6,000 समितियों में पुनर्गठन प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। 18000 में से साढ़े 12 हजार ऐसी हैं जिनमें चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए ढिलाई करने का कोई प्रश्न नहीं है। पुनर्गठन प्रक्रिया चालू है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम सहकारी समितियों के चुनाव टालना चाहते हैं कहां तक सही है।

(श्री माणकचन्द सुराणा)

मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मण्डियों में चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। निकट भविष्य में डेढ़ दो महीने में ही उनके चुनाव करा दिए जायेंगे।

श्री गुल मोहम्मद : नगरपालिकाओं के चुनाव....

श्री माणकचन्द सुराणा : नगर पालिकाओं के चुनाव, आप स्वयं जानते हैं, जल्दी ही होने वाले हैं।

श्री गुल मोहम्मद : गये अधिवेशन में भी यह कहा गया था।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले 6 नवम्बर की बात कही गई थी। वह जल्दी कब होगी ?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : जल्दी बहुत जल्दी होगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप खतम करने दीजिए।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय ने 18 हजार समितियों की संख्या बताई है। दुग्ध सहकारी समितियां हैं। बिना चुनाव कराये भूमि विकास बैंक का काम नहीं हो सकता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने, मन्त्री महोदय, जिन समितियों और संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये हैं, उनमें कलेक्टर और आर. ए. एस. आफिसर प्रशासक हैं। आप जब तक टाल रहे हैं तब तक नौकरशाही का फीता ढीला नहीं होता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जिन संस्थाओं में कलेक्टर प्रशासक बने हुए हैं, वहां जन प्रतिनिधियों को अध्यक्ष बनाना चाहिये। क्या म्यूनिसिपैलिटीज के 6 महीने में चुनाव करायेंगे ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आपके सवाल का ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, जनजाति के क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं वहां कितना पैसा खर्च किया गया। माननीय गुल मोहम्मद जी ने कहा है कि इस सारे अभिभाषण में अल्प संख्यकों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने उर्दू अकादमी के बारे में भी कहा है। मैं मानता हूं, उर्दू अल्प संख्यकों की भाषा नहीं है। उर्दू हिन्दुस्तान की एक भाषा है। अन्त्योदय में जो चयन हुए हैं, उनमें अल्प संख्यक आबादी से डेढ दो पर्सेन्ट अधिक मिलेंगे। उनमे अल्पसंख्यकों का चुनाव हुआ है। आबादी के अनुपात से हुआ है।

श्री गुल मोहम्मद : यह जागरूकता अन्त्योदय क्षेत्र में ही दिखाई है या किसी और क्षेत्र में भी दिखाई है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : हिन्दू समाज में जरूर अनुसूचित जाति और जनजाति बन गई है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मुसलमानों में कोई जाति भेद है, ऐसा मैं

(श्री माणकचन्द सुराणा)

नहीं मानता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है इस्लाम धर्म बराबरी का प्रतीक है और उसमें जातिभेद नहीं है। इसमें कोई यह नहीं कह सकता कि कोई सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : छूआछूत भी नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मुसलमानों में भी सैयद, सिया-सुन्नी और पठान हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : सामाजिक दृष्टि से भेदभाव नहीं मान सकते, वे किसी को नीचा नहीं मानते हैं।

श्री नूरा : कुछ तबकों को नीचा माना गया है, आपकी जानकारी गलत है।

श्री माणकचन्द सुराणा : आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाया जाय, यह नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी जानकारी नहीं है, पठान पठान में ही शादी करेंगे, जुलाहे-जुलाहे में ही करेंगे, सैयद-सैयद में ही करेंगे, लखारे में नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस पचड़े में नहीं पड़े। आप भाषण जारी रखें। यह फिजूल का मसला है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने जो सवाल गंगानगर के बारे में उठाया है, मैं चाहता हूं उसका जवाब आना चाहिये। तीन दिन के अन्दर चालान की प्रक्रिया जो पुलिस ने गंगानगर में शुरू की है, या तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए जायं या फिर चालान क्यों किए गये उनका कारण बताया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री महोदय ने बताया कि अल्प संख्यकों में भेदभाव नहीं हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमे भी जुलाहे, मोची, छीपे वगैरह कई श्रेणियां हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपने जो राय जाहिर की है उसमें आर्थिक भेद अवश्य है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यह भेदभाव नहीं है। लेकिन जब हिन्दू मेहतर व हिन्दू मोची को पूरी सहूलियतें देते है तो फिर मुसलमान मेहतर और मोची को क्यों नहीं देते जबकि आपने यह रिजर्वेशन भी जाति के आधार पर किया है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय, अगर इस तरह से एक-एक का उत्तर देते रहेंगे तो प्रवाह टूट जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : यह नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यह कह दें कि बहुमूल्य सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा सुझाव नहीं है, अध्यक्ष महोदय। मेरे पास कितनी सरप्लस जमीन है और जो ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया है गंगानगर में–

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी गंगानगर गया था, जिन दिनों यह काम चला था। रूल्स आफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है जो मामले अदालत में पैंडिंग हैं उन पर चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कोई राय जाहिर नहीं कर सकता—

श्री श्योपतसिंह मकासर: मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं गंगानगर में रहता हूँ। तुमने एक नेक दिल इन्सान का कत्ल किया है। हम फांसी के लिए तैयार हैं, मगर जांच होनी चाहिए, हमारी सुननी पड़ेगी। आप लोगों ने झूठे मुकदमे बनाये हैं। हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लगा दिये, आप बताइयें कि श्योपतसिंह के पास कितनी जमीन है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गंगानगर में तीन दिन में कैसे चालान हो गए?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो गए हैं, —....

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप फांसी की सजा में किसी का चालान कर दो और हम बैठे रहें।

श्री माणकचन्द सुराणा। मैं उत्तेजित नहीं हो सकता....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई आपके परिवार का आदमी नहीं है उसमें।

(व्यवधान)

तीस आदमियों, जिनमें विद्यार्थी नेता भी हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता भी हैं, का आपने चालान किया है।

श्री कौशलकिशोर जैन : जुल्म भुट्टो ने भी किया है तो फांसी होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में रियल मुल्जिम छूट गए। प्रोफेसर केदार को बदनाम करने की कोशिश की गई, असली मुल्जिम छूट गए।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करता हूं कि आप कुछ सुन भी लें। मैंने कह दिया कि जो मामले अदालत के अन्दर विचाराधीन हैं उन पर राज्य सरकार कुछ नहीं कहेगी। सीलिंग का स्टेटमेन्ट राज्य सरकार का नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कलेक्टर का स्टेटमेन्ट है।

श्री माणकचन्द सुराणा : कलेक्टर का स्टेटमेन्ट राज्य सरकार का स्टेटमेन्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : आपके पास कितने मुरब्बा जमीन है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Collector is on behalf of the Government. He is agent of the Government in the district.

श्री सम्पत राम : कलेक्टर का दिया हुआ बयान सरकारी नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं नम्रता-पूर्वक एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी आप बता सकते हैं

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करा दीजिये। माननीय सदस्य सुनना ही नहीं चाहते हैं, अन्यथा मैं कलेक्टर के स्टेटमेन्ट से....

(व्यवधान)

आप इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हो....

श्री रतन लाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय का अभि-भाषण है उसी पर बहस होनी चाहिये, अन्य बात नहीं आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,

(व्यवधान)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य, किस सवाल का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, मैं बता रहा हूं।

(व्यवधान)

आप हमेशा असेम्बली में नहीं रहेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं मेहरबानी करके बता दीजिये. राजस्थान में सिवाय गंगानगर के 307 और 126 जैसे संगीन जुर्मों में कितने अब तक चालान किये हैं और कितने दिन में किये हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा : सूचना एक-त्रित करके आपको बता दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ये स्वयं का निराकरण चाहते हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : अरे भाई, मैं मेरा निराकरण नहीं चाहता। तुम से भीख नहीं मागूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम इस असेम्बली को नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं रोकूंगा। आप प्रश्न पूछिये लेकिन, माननीय सदस्य, शासन

(श्री अध्यक्ष)

पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को ही शालीनता बरतनी चाहिये। मन्त्री महोदय की उत्तर देने की इच्छा हो तो उत्तर दे दें, फिर समाप्त करें चर्चा को।

एक माननीय सदस्य : यह गंगानगर का मसला बहुत महत्वपूर्ण मसला है। कत्ल हुआ है इसलिये माननीय मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया सरकार का। मुझे विश्वास है जो कुछ आपने कहा है उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। एकदम सब प्रश्नों का उत्तर यहां मिले तो कोई भी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि तुरन्त जवाब दे सके। सरकार आपके सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। It is a responsible Government, It is a responsive Government.

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जवाब आ रहा है।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने पहले भी जवाब दिया था कि मैटर सबजुडिस है। जो मामला सबजुडिस होता है, उस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कहना चाहती हैं।

एक प्रश्न कलेक्टर, गंगानगर के मामले का उठाया। चौधरी हरि राम जी और आपका नाम भी शामिल करके उन्होंने कहा कोई जमीन सीलिंग की दबाई गई। मेरा निवेदन है कि कलेक्टर के बयान को राज्य सरकार का बयान न समझें। आप जैसा कह रहे हैं, गलत है। राज्य सरकार जब निर्णय लेती है तो स्वयं रि-ओपन करते है। ऐसा कोई मैटर चौधरी हरि राम जी या आपके खिलाफ रि-ओपन नहीं किया है। जब तक रि-ओपन नहीं होता है तब तक सीलिंग की आपके पास कोई जमीन दबी हुई नहीं है। आप सिविल सूट फाइल करें........

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : गलत बयानी के आधार पर आप क्या कहना चाहती हैं? नोटिस लेना चाहिये था। साथ ही आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं यह इस बात का सबूत है कि कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अलवर और गंगानगर में जो चालान पेश किये गये, उनको तो छोड़े, हम देख लेंगे। आप दो-चार साल में जो कुछ करना है, कर लेना। माननीय गृह मन्त्री जी बैठे हैं. मैं उनसे पूछना चाहता हूं राजस्थान में ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें पालिटिकल वर्कर या क्रिमिनल्स का चालान तीन दिन में किया हो? किसी पालिटिकल वर्कर की दाढ़ी पकड़ कर पुलिस थाने में ले गये और वहां ले जाकर उसने पीटा, जिसकी ड्यूटी उस पुलिस स्टेशन पर नहीं हो–यह कौनसा तरीका था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उस केस में जनता पार्टी का नाम भी शामिल है।

(व्यवधान)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

ट्रेनों का एक्सीडेन्ट करवाया है, क्या इस प्रकार का अधिकार है ? माननीय अध्यक्ष जी, यह कितने शर्म की बात है कि युवा लोगों को गुदा में लकड़ी दी जाय, पुलिस थाने में।

श्री श्योपतसिंह मकासर : या तो आप इस्तीफा दे दें या हम देते हैं। खड़े होकर बोलें, हम साबित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, अब चर्चा समाप्त हो गई।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय किशन सिंह भाटी के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय राम करण सिंह ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण पर श्री किशन सिंह भाटी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : सर्व सम्मति से।

श्री श्योपतसिंह मकासर : You don't deserve sarva sammiti.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री किशनसिंह भाटी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 5 मार्च, 79 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9-20 बजे सोमवार दिनांक 5 मार्च, 1979 के म पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 73 का विवरण)

राज्य सरकार द्वारा रु. 15 लाख	रु. 11.00 लाख	गत वर्ष 1977-78 तक व्यय किया जा चुका है।
	रु. 4.00 लाख	वर्ष 78-79 के लिये प्रस्तावित है।
नगरपालिका द्वारा रु 30 लाख	रु. 10.00 लाख	इस वर्ष (78-79) में प्राप्त हो चुका है।
बीमा विभाग से ऋण रु. 90 लाख		प्राप्त होना शेष है।

165

सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Name of the Scheme :—Jodhpur Sewerage Schemes,

Estimated cost :— Rs.133 lacs.

Administrative & Financial Sanction No. DIS.JRA/Sewage/77-78/67193-98 dt. 29.12.77 for Rs. 148 lacs.

Technical Sanction No. 3 dated 6.4.78 for Rs. 133 lacs.

S. No.	Name of works	Estimated Cost.
1.	2.	3.
1.	Main out fall sewer of 42" dia including main holes.	9,84,000
2.	Main out fall sewer of 39%dia including main holes.	11,24,300
3.	Main out fall sewer of 36" dia including man holes.	7,06,600
4.	Main out fall sewer of 30" dia including man holes.	4,06,600
5.	Ventilating shaft from 42" to 30"	60,100
6.	Sewer line from Khanda False to S. S. P. School, Jodhpur.	59,100
7.	Sewer line from Jalore Gate to New Telegraph office.	2,12,500
8.	Sewer line from Merta Gate to Paota Circle,	67,000
9.	Sewer line from Mahamandir to K.N. Via Paota Cr.	4,46,300
10.	Sewer line from 0'da Bazar to stadium via tripolia.	3,87,200
11.	Sewer line from Nagauri Gate upto Hathi Ram Ka Oda.	1,76,000
12.	Sewer line from Nagauri gate via ship house.	82,200

1.	2.	3.
13.	Sewer line from Sancheti Gate to Boarding House.	2,31,800
14.	Sewer line from Pungal Pura to Sojati Gate.	1,53,600
15.	Sewer line from Ummaid Chowk to Kandei Bazar	1,25,700
16.	Sewer line from Teeja Mata Temple to Sojati Gate.	90,600
17.	Sewer line from ship House to Mahamandir Road.	1,31,200
18.	Sewer line along Sardarpura.	1,70,000
19.	Treatment Plant.	30,00,000
20.	Laboratory.	1,00,000
21.	Office & Staff Expenses.	2,50,000
22.	Land Aquisition.	20,00,000
23.	Work Charge & Contingency:	4,94.100
24.	Prorata Charges.	18,35,900
	Total :	1,32,95,500
	Say :	1,33,00,000

167

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नगरपालिका लाडनूं की ओर से पुलिस थाने में दर्ज मामले

82 श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में नगरपालिका लाडनूं की ओर से पुलिस थाना लाडनूं में कई मामले दर्ज कराये थे ? यदि हां, तो कौन कौन से मामले कब कब दर्ज कराये गये तथा उनमें क्या क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों में कौन कौन मुलजिम किस-किस मामले में गिरफ्तार हुये तथा चालान कब कब पेश हुआ ?

(3) अब इस सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही अर्थात् सब मामलों में चालान कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) एक मामले में चालान दिनांक 17-11-78 को पेश कर दिया गया है। एक मामले में एफ. आर. अदम वकू दिनांक 28-9-78 को दी गई है। शेष चार मामलों में तफतीश-जारी है। पूर्ण होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

क. सं.	मुकदमा संख्या/धारा व थाना	दर्ज करवाने की तारीख	नाम मुस्तगीस	एफ.आई.आर. में दर्ज मुल. के नाम	गबन की अनुमानित राशि	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही	निर्णय
1–	67/ 76 धारा 409 आई.पी.सी. थाना लाडनूं	4-8-1976	अधिशाषी अधीक्षक, नगरपालिका, लाडनूं	श्री बेगाराम, कं.	1808–80	अभियोग का अन्वेषण कर मुल. वेगाराम व सागरमल के विरुद्ध धारा 409/471/467/114 /120 बी- आई.पी.सी. के अन्तर्गत धारा 299 ता. हि. में चार्जशीट पेश की गई। मुल द्वारा न्यायालय से जमानत करवाने पर 17-11-78 को तिलम्बा चार्ज शीट पेश की गई।	चालान 17-11-78
2–	47/78 धारा 379 आई.पी.सी. थाना लाडनूं	22-7-78	प्रशासक, नगरपालिका लाडनूं	—	350 फुट पाइप कीमत 700/–रुपये	तफतीश से पाइप चोरी जाना नही पाया गया बल्कि अन्य स्थानों में काम में लाये जाने का संदेह है।	एफ.आर. अदम वकू 23-9-78
3–	2/79 धारा 409 ता. हि. थाना लाडनूं	7-1-79	,,	श्री मन्त कुमार व्यास शिवप्रकाश एवं नानूसिंह	9994-53	अनुसंधान जारी है।	अनुसंधान जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
4–	3/79 धारा 409 ता. हि. थाना लाडनू	7-1-79	प्रशासक, नगरपालिका लाडनू	श्रीमन्त कुमार व्यास शिवप्रकाश, नानू सिह एवं श्री वेगा राम	4962-00	अनुसंधान जारी है	अनुसंधान जारी है
5–	4/79 ,,	,,	,,	श्री नानूसिह क0 लि0	196-50		,,
6–	5/79 ,,	12-1-79	,,	श्री सागरमल, हरिजन	10-00		,,

170

ग्राम पंचायत ब्यावर कलां के सरपंच के साथ विद्यार्थियों द्वारा अभद्र व्यवहार

8 . श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सैकन्डरी स्कूल, ब्यावर कलां, तहसील सांगोद जिला कोटा के हैड मास्टर श्री नारायणसिंह झाला ने अपनी शाला के छात्रों को भड़का कर दिनाक 20-1-79 को ग्राम पंचायत ब्यावर कलां के सरपंच श्री किशन गुप्ता का पंचायत में घेराव कराया और पत्थर वाजी शुरू कराई ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) दिनांक 29-1-79 को दोनों पक्षों द्वारा वाके की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वैसे विभाग ने अपनी ओर से उप निदेशक रेन्ज को जांच कर विस्तृरित रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिये हैं।

(2) जांच के पश्चात् ही नियमानुसार उचित कार्यवाही संभव होगी।

राज्य को विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

84. श्रीमती **नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार के समक्ष क्या योजनायें हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही जयपुर, उदयपुर, आबू आदि में जनता होटल के निर्माण करने का विचार रखती है ताकि देशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके ?

(3) राज्य में वर्ष 1977—78 में कितने विदेशी पर्यटक आये और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। आवास व्यवस्था हेतु जनता होटल केम्पिग साइट्स मिडवे रेस्ट हाउस एवं पर्यटक आवास गृह बनाये जा रहे हैं। पर्यटक स्थलों को देखने के लिये तथा पेकेज टूर्स के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को राज्य के जन जीवन की झांकी निकट से देखने के लिए मेले एवं त्यौहार के आयोजन किये जा रहे हैं।

(2) जी हां।

(3) राज्य में वर्ष 1977 में 1.25 लाख एवं सन् 1978 में 1.60 लाख विदेशी पर्यटक आये तथा उनसे क्रमशः 6.25 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

गंगानगर जिले की पंचायत समितियों में शिक्षा कर की जमा राशि

85. श्री **श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यहबता

(श्री श्योपतसिंह मकासर) की कृपा करेंगे:—

गंगानगर जिले की पंचायत समितियों में शिक्षा कर का कितना रुपया 1 जनवरी, 1979 तक जमा था ? पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर—

दिनांक 1 जनवरी 1979 को गंगानगर जिले की पंचायत समितियों में शिक्षा उप कर का कुल 15,34,245 रु जमा था। उसकी पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखी जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या 85 (12 मं.) से सूचना

सूची

दिनांक, 1 जनवरी 1979 को जिला गंगानगर की पंचायत समितियों के पास शिक्षा उपकर की निम्न राशि जमा थी:—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	राशि (रुपये)
1–	भादरा	71,336
2–	करणपुर	3,517
[illegible]	[illegible] शहर	2,40,740
4–	सूरतगढ़	1,70,373
5–	पदमपुर	1,68,553
6–	रायसिंहनगर	3,35,703
7–	नोहर	1,02,719
8–	हनुमानगढ़	2,17,131
9–	मिर्जेवाला (मु. श्री गंगानगर)	2,31,207

———

172

मैसर्स मिनरल पैकिंग फर्म द्वारा थैलों की बिक्री

86. श्री गुलाब चन्द कटारिया : (उदयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स मिनरल पैकिंग के नाम से चलने वाली फर्म श्री सोलंकी जो आर. एस. एम एम. लि. में सैल्स आफिसर हैं की पत्नी एवं उसके रिश्तेदार चलाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री सोलंकी अपने पद का दुरुपयोग कर व्यापारियों को उक्त फर्म के थैले खरीदने के लिए बाध्य करते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बोरों की लोकल रेट 1.05 (एक रुपया पांच पैसे) होते हुए भी श्री सोलंकी अपनी पत्नी की फर्म से वही बोरे 1.40 (एक रुपया चालीस पैसे) में खरीदने के लिए बाध्य करते हैं ? यदि हां तो ऐसे अधिकारी, जो अपने पद का दुरुपयोग करता है, के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) मैसर्स मिनरल पैकिंग के नाम से कोई फर्म नहीं है किन्तु विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक फर्म मैसर्स मिनरल पैकिंग सीण्डिकेट से कायम है जो पुरानी बोरियों का व्यापार करती है। श्री एन. के. सोलंकी, प्रबन्ध (वाणिज्य) आर. एस. एम. एम. लि. की धर्म पत्नी फर्म की भागीदार नहीं है किन्तु उनकी माता जी श्रीमती गार्गी सोलंकी उपरोक्त फर्म की भागीदार रही थी।

(2) श्री सोलंकी के बारे में इस सम्बन्ध में धन के दुरुपयोग करने की कोई सूचना अथवा आधार इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुये हैं।

(3) प्रायः पुरानी बोरियां तीन स्तर की होती हैं जिनका अनुमानित आजकल भाव निम्न प्रकार है :—

1-- प्रथम स्तर रु. 1·45 से 1·50
2—द्वितीय स्तर रु. 1·25 से 1·35
3—तृतीय स्तर रु. 1·00 से 1·15

प्रायः प्रथम व द्वितीय स्तर की बोरियाँ ही राक फोस्फेट के पाउडर के पैकिंग करने के काम में लायी जाती हैं क्योंकि राक फोस्फेट पाउडर को ढोने को पर्याप्त मजबूत थैले चाहिये तथा बोरों को कई बार उठाना और ढोना पड़ता है। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कम्पनी ने अभी तक स्वयं फोस्फेट पाउडर की बिक्री नहीं की है। जहां तक किसी प्रकार का प्रभाव डालने अथवा बाध्य करने का प्रश्न है ऐसी कोई जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि श्रीमती गार्गी सोलंकी की माताजी श्री सोलंकी अब उपरोक्त फर्म की भागीदार मार्च, 1978 के पश्चात नहीं हैं। किसी प्रकार का प्रभाव डालने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि पद के दुरुपयोग करने बाबत कोई शिकायत नहीं है, उनके विरुद्ध किसी प्रकार

(खनिज मन्त्री)
की कार्यवाही करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

प्रदेश में कांग्रेस (आई) के सदस्यों की गिरफ्तारी

87. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाडमेर): क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिसम्बर, 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की गिरफ्तारी के विरुद्ध शान्तिमय तरीके से विरोध करते हुये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस(आई)के विभिन्न जिलों के विधान सभा के सदस्यगण और कार्यकर्त्ता जेलों में गये उन्हें किन किन जिलों में राजनैतिक बंदी मानकर उसके अनुरूप सुविधायें दी गई और किन किन जिलों में उन्हें राजनैतिक बन्दी न मानकर उन्हें ये सुविधायें प्रदान नहीं की गई?

(2) जिन जिन जिलों में उन्हें सुविधायें प्रदान नहीं की गई उसके लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) माह दिसम्बर, 1978 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस (आई) के विभिन्न जिलों के जो विधान सभा सदस्य तथा अन्य कार्यकर्त्ता जेलों में गये उन्हें विशेष श्रेणी बन्दियों की सुविधा दिए जाने के निर्देश सभी जिलों के कारागृहों को दिए गए थे।

(2) राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि किसी जिले में इन आन्दोलनकारी बंदियों को विशेष श्रेणी बंदियों की सुविधा नहीं दी गयी हो।

जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों में गुटबन्दी के मामले

89. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के लड़कों के दो ग्रुपों में हाल ही में कई बार झगड़ा-टंटा हुआ था? अगर हां, तो कब-कब एवं किन ग्रुपों में कितनी बार झगड़े-टंटे किस कारण हुए थे? इन झगड़ों में कुल कितने लड़कों के किस-किस किस्म की चोटें आई? लड़कों के नाम की सूची किस्म चोटों के विवरण के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त झगड़ों-टंटों की रिपोर्ट पुलिस को की गई थी? अगर हां, तो इस विषय में कुल कितने मुकदमे किन दण्ड संहिता की धाराओं में कहां कहां दर्ज किए गए? दर्ज किए गए मुकदमात के चालान अदालत में पेश किए गए या नहीं? अगर पेश किए गए तो किन-किन के विरुद्ध कितने चालान पेश किए गए हैं? बाकी कितने मुकदमात के चालान करने शेष हैं एवं उनके चालान कब तक पेश कर दिए जावेंगे?

(3) जोधपुर विश्वविद्यालय में लड़कों के दो विशेष ग्रुपों में बार-बार झगड़े-टंटे होने के विशेष क्या क्या कारण हैं? झगड़े

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

होने के मूल कारणों को दूर करने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयत्न किए गए हैं एवं भविष्य में कब तक क्या क्या प्रयत्न किए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन अभियोगों में तफतीश जारी है उनमें तफतीश समाप्त होने पर ही चालान के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

(3) झगड़ों का कारण गुट बन्दी प्रतीत होता है। प्रशासन द्वारा समय-समय पर समझौते कराने के प्रयत्न किये गये हैं तथा दोनों ही गुटों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी की गई है भविष्य में भी परिस्थितियों के अनुसार प्रयत्न जारी रहेंगे।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य की शालाओं में अध्यापकों की कमी

90. श्री कुन्जी लाल (वामनवास)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की अत्यन्त कमी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इस कमी को दूर करने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों में उर्दू अध्यापक की व्यवस्था

92 श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि किसी भी स्कूल में उर्दू विषय लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 10 होने पर अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी ?

(2) यदि हां, तो किन किन स्कूल तथा ग्रामों से ऐसे प्रस्ताव आये और उनमें से किन किन में व्यवस्था कर दी गयी ? सूची मय स्कूल तथा गांव के नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि कई स्कूलों में उर्दू विषय के अध्यापक की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को अपना विषय बदलना पड़ा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपलब्ध सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(175)

उपलब्ध सूचना के आधार पर उन स्थानों/स्कूलों की सूची जहां से उर्दू के प्रस्ताव प्राप्त हुए-

क. सं.	प्रस्ताव जो प्राप्त हुए	कार्यवाही जो की गई।
(1)	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर—	
1.	राजकीय सार्दूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर	उर्दू विषय (तृतीय भाषा) की स्वीकृति दी गई।
2.	राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर	,, ,,
3.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डेरी (नागौर)	,, ,,
4.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाजपुर (भीलवाड़ा)	,, ,,
5.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीममण्डी (कोटा)	,, ,,
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वजीरपुर (स. मा.)	,, ,,
7.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसवाड़ा	,, ,,
8.	राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।	उर्दू (एच्छिक विषय) की स्वीकृति दी गयी।
(2)	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर—	
	कोटा जिला —	
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांसवाली	स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीममण्डी	,, ,,
3.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिविल लाइन	,, ,,
4.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महावीर नगर।	,, ,,
	नागौर जिला—	
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं.—2, नागौर	स्वीकृत प्रदान की गई।
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नं.-5, नागौर	,, ,,
3.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागौर	,, ,,
	बीकानेर जिला—	
1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नं-1, बीकानेर	स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुलिस लाइन, बीकानेर	,, ,,
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रेलवे वर्कशाप, बीकानेर।	,, ,,

(176)

विकास अधिकारी पंचायत समिति विराट नगर के विरुद्ध शिकायतें

93. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़)- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति विराटनगर के विकास अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच जिलाधीश, जयपुर द्वारा की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस जांच रिपोर्ट में जिलाधीश ने राज्य सरकार को उसके स्थानान्तरण के बारे में लिखा है ? यदि हां, तो उसका स्थानांतरण निरस्त किस प्रकार किया गया ?

(3) क्या उक्त विकास अधिकारी की ए. सी. आर. में किसी प्रकार की टिप्पणी या ग्रेड वृद्धि आदि रोकी हुई है ? यदि हां, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) प्रश्न अस्पष्ट है क्यों कि इससे यह पता नहीं चलता है कि यह प्रश्न कौनसी अवधि के किस विकास अधिकारी से सम्बन्धित है।

(2) प्रश्न (1) के अन्तर्गत अंकित स्थिति के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न एक के अन्तर्गत अंकित स्थिति के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

थाना गिड़ा, जिला बाड़मेर में डकैती

94. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या दिनांक 29-12-78 की रात्रि में ग्राम हीरा की ढाणी, थाना गिड़ा (जिला अजमेर) में डकैती हुई ? यदि हां तो उसमें डकैत कौन और कितने थे ?

(2) क्या उक्त डकैती में कोई वाहन का उपयोग भी किया गया ? यदि हां, तो वह वाहन किसका था ? क्या उस वाहन के मालिक का किसी पुलिस कर्मचारी से सम्बन्ध है ?

(3) उक्त डकैती में क्या क्या और कितने मूल्य का माल डकैत ले गये ? क्या कोई बरामदगी की जा सकी है ?

(4) क्या इस डकैती से सम्बन्धित कुछ को पुलिस ने पकड़ा है ? वे कौन हैं और कहां के निवासी हैं ?

(5) क्या ग्रामवासियों ने इस डकैती में इस क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोगों की सलाह साजिश होने की सूचना विभिन्न स्तर पर पत्रों के माध्यम से दी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की ओर से उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक की तफतीश से नारायण, कुशलसिंह, हीरिया एवं किशन दान मुख्य मुल्जिम पाये गये हैं। मुकदमा अभी अनुसंधानाधीन है।

(गृह मन्त्री)

(2) जी हां। प्रयोग में लिया गया ट्रक श्री उगमदान चारण निवासी बारेट का गांव का होना मालूम हुआ है। उगमदान का एक भाई पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर सर्विस में है।

(3) बस वारदात में सोना चांदी के जेवरात, एक घड़ी व नकद रुपया कुल माल कीमती 9,000/- रुपये मुल्जिमान द्वारा ले जाना मालूम हुआ, जिसमें से दो जोड़ी सोने की लोंग, 263 तोला चांदी के जेवर व गली हुई चांदी बरामद की जा चुकी है जिसकी कीमत 4645/- रु. है।

(4) जी हां। श्री नारायणसिंह पुत्र श्री दीपसिंह, कुशलसिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत निवासी पार की ढाणी थाना कलसूंड हीरिया पुत्र भगवाना जाट निवासी पिथोडाई थाना जैसलमेर एवं किशनदान चारण पुत्र शक्तिदान चारण निवासी बूथ थाना चौहटन रेवतदान पुत्र वंशीदान निवासी कलाऊ थाना बंचू, रमजान पुत्र अम्बावीन मुसलमान निवासी बढ़ली थाना पोकरण जिला जैसलमेर तथा नक्सूदान पुत्र मूगदान चारण निवासी उजलटा थाना पोकरण को बन्दी बनाया गया है।

(5) जी हां। गुमनाम परिपत्र प्राप्त हुए थे, जिन पर अन्वेषण के दौरान जांच की जा रही है।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्नसंख्या 74 की सूची)

सूची ग्र

31-3-78 तक व्यय का स्टेटमेन्ट

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	स्कीम का नाम	ग्रवाप्ति	सड़क, नालियां, पानी की लाइन व बिजली की लाइन पर विकास	योग
1.	प्रोजेक्ट संख्या 1	1. स्कीम नं. 1 एन. ई. बी.	—	3.05	3.05
		2. स्कीम नं. 2 एन. ई. बी.	—	6.15	6.15
		3. स्कीम नं. 1 सी. ई. बी.	—	0.80	0.80
		4. स्कीम नं, 2 सी. ई. बी.	0.37	5.69	6.06
		5. स्कीम नं. 9	—	3.20	3.20
		6. स्कीम नं. 6	1.44	0.60	2.04
		7. लालगेट स्कीम	1.74	2.48	4.22
		8. लालगेट एक्सपे.	1.09	1.08	2.17
		रामलीला ग्राउन्ड	1.40	1.39	2.79
		ग्रोल्ड बस स्टेण्ड	2.48	0.55	3.03
		गन्दा नाला	—	—	—

1	2	3	4	5	6
2.	प्रोजेक्ट संख्या 1	1. स्कीम नं. 3	—	—	—
		2. स्कीम नं. 4	3.81	1.23	5.04
		3. स्कीम नं. 10	1.33	2.94	4.27
		4. स्कीम नं. 13	1.34	1.65	2.99
3.	,, ,, 3	1. स्कीम नं. 8.	9.43	1.16	10.59
		2. स्कीम साउथ वैस्ट ब्लाक	25.41	4.90	30.31
4.	,, ,, 4	1. नार्थ ई. एक्स.	38.02	0.08	38.10
5.	,, ,, 5	साउथ ईस्ट ब्लोक	—	—	—
			87.80	37.01	124.81

(180)

सूची ब

1978-79 नि. नेशनल केपिटल रीजन के अधीन किए जा रहे कार्यों का विवरण

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	योजना का नाम	कार्यों का विवरण	कार्य की अनुमानित राशि	1978-79 में खर्चा
1.	प्रोजेक्ट संख्या 1	योजना संख्या 1 एन. ई. बी.	1. कम्पाउन्ड वाल एवं रेलिंग के निर्माण	1,00,000/-	75576-79
			2. सड़कों को ऊँची बनाना	8,500/-	2204-00
		योजना संख्या 2 एन. ई. बी.	1. कम्पाउन्ड वाल एवं रेलिंग के निर्माण	1,00,000/-	69670-00
			2. सड़कों एवं नालियों का निर्माण	42,000/-	47852-00
		योजना सं. 1 सी. ई. बी.	1. दिवालों एवं रेलिंग का निर्माण	50000/-	—
			2. सड़कें एवं कुए की मरम्मत	12000/-	—
		योजना सं. 2 सी. ई. बी.	1. नालियों एवं पुल का निर्माण	203500/-	140634-00
			2. सड़क का निर्माण	74400/-	

1	2	3	4	5	6
			3. नाले का ढकना	50000/-	
			4. मुआवजा		9013-00
		स्कीम नं. 9	1. कम्पाउन्ड वाल का निर्माण	50000/-	43800-00
		योजना सं. 6	1. सड़क का निर्माण	126000/-	
			2. पुल का निर्माण	30000/-	1372-66
		लालगेट योजना	भवन निर्माण	600000/-	117979-00
		लालगेट वृद्धि योजना	—	—	
		रामलीला ग्राउन्ड	—	—	
		पुराना बस स्टेण्ड	—	—	
		गन्दा नाला	—	—	
2.	प्रोजेक्ट संख्या 2	योजना सं. 3	—	—	—
		योजना सं. 4	1. सड़क का निर्माण	335100/-	69176-00
			2. पुल का निर्माण	51900/-	—
		योजना सं. 13	1. सड़क का निर्माण	169600/-	72804-00
			2. पुल का निर्माण	40000/-	28346-00
			3. पुल का निर्माण		2204-00
			4. पानी की लाइन लगाना	100000/-	100000-00

(181)

1	2	3	4	5	6
			5. डामर खरीद	110000/-	110000
3.	प्रोजेक्ट सं. 3	योजना सं. 8	—	—	
4.	प्रोजेक्ट सं. 4	उत्तर पूर्व ऐकसटेन्शन	दक्षिणी पश्चिमी ब्लाक	—	
			1. सड़क का निर्माण	434463/-	34532-00
			2. पुल का निर्माण	74000/-	
5.	प्रोजेक्ट सं. 5	दक्षिणी पूर्व एसेटेन्शन	—	—	
				2761463/-	925223-55

183

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

नियमन की पेन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं 1

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	3/77	श्री धन्नाराम मगनलाल जी कुम्हार
2	13/77	,, मोहम्मद सदीक खां
3	14/77	,, मोहम्मद साकिर खां
4	15/77	,, मोहम्म साबिर खां
5	48/77	,, रामकरण नथूजी
6	39/77	,, पहलाद राम बाबूलाल
7	41/77	,, ईश्वरलाल रतनेश्वरजी
8	47/77	,, दुर्गाशंकर रामकरण
9	49/77	,, रामकरण नथूजी
10	50/77	,, मती किशनादेवी पति रामकरण
11	52/77	,, हुकमाराम बालाराम जी
12	53/77	,, सुमेरमल कन्हैयालाल जी
13	54/77	,, सांवल चन्द प्रतापजी
14	55/77	,, भंवरलाल सांवल चन्द
15	56/77	,, हीमताराम तुलसा जी
16	60/77	,, पृथ्वीराज चोपड़ा
17	61/77	,, अब्दुल कादर
18	62/77	,, जमीला इब्राहिम खां
19	66/77	,, टीपू प्रताप जी
20	75/77	,, अलादीन रमजूखां जी
21	76/77	,, अनवरखां अलादीन
22	77/77	,, कालुखां अलादीन
23	78/77	,, रूपाराम चताजी
24	79/77	,, पृथ्वीराज रुपाजी धोबी

184

1	2	3
25	82/77	श्रीमती उदी पत्नी गोदाजी
26	83/77	श्री नथमल गोदाजी
27	84/77	,, जेठमल गोदाजी
28	86/77	,, मिसरीमल शिवदान जी
29	87/77	,, पुखराज फूलचन्द जी
30	88/77	,, मूलचन्द शिवदानमल जी
31	89/77	,, मती लीलाबाई तेजराम जी
32	90/77	,, हीरालाल पारसमल
33	91/77	,, जबरदीन वली श्री नूरखां
34	92/77	,, सफी खां नूरखां जी
35	93/77	,, सरदार खां खोखर
36	97/77	;, तेजसिंह बाघसिंह राजपूत
37	98/77	,, मती कुसुम प्रेमसिंह जी
38	99/77	,, रुकसाना हुसैन खां
39	102/77	,, राणमल अम्बालालजी
40	103/77	,, उगमराज सलैराज जी
41	104/77	,, चम्पालाल नरपतराज सेवग
42	105/77	,, दीनमोहम्मद दाउतखां जी
43	106/77	,, बाबूखां दीन मोहम्मद
44	107/77	,, अयूब खां दीन मोहम्मद
45	108/77	,, अब्दुल रहीम दीन मोहम्मद
46	121/77	,, भंवरलाल प्रताप जी
47	123/77	,, हसन खां करीम खां
48	125/77	,, मोहनलाल पटेल
49	132/77	,, सगाराम भूराजी माली
50	133/77	,, जवाराम भूराराम माली
51	134/77	,, भूराराम पन्नालाल जी माली
52	141/77	,,हरकचन्द सरेमल जी सेवग

1	2	3
53	142/77	श्री पवर्तसिंह नारायणसिंह जी
54	143/77	,, रामसिंह गहलोत
55	144/77	,, थानसिंह अम्बालाल जी
56	145/77	,, किशन सिंह गहलोत
57	146/77	,, मती जुबैदा जोजे मोहम्मद हुसैन
58	147/77	,, मोहम्मद सलान मोहम्मद हुसैन
59	148/77	,, कान्ती लाल लच्छाराम जी
60	149/77	,, प्रभूराम अम्बाराम जी श्री माली
61	150/77	,, भूपतराज प्रभूराम जी
62	152/77	,, प्रताप तुलछाजी लुहार
63	153/77	,, मिश्राराम भूराराम जी
64	154/77	,, रतनलाल प्रताप जी
65	157/77	,, लीला तेजराम सेवग
66	159/77	,, हनीफ खां अजीन खां जी
67	160/77	,, अबुखां हनीफ खां
68	161/77	,, रामूलाल शर्मा
69	164/77	,, ताहीर हुसैन कासमखां जी मुसलमान
70	165/77-78	,, किशनाराम रामदीन जी विश्नोई
71	166/77-78	,, भीखाराम जी रामदीन जी विश्नोई
72	169/77-78	,, वंशीलाल गुप्ता बालकिशन जी
73	170/77-78	,, भंवरलाल, लेखराज पि. सोहनराज जी शर्मा
74	171/77-78	,, भगवानाराम, जीवाराम पि. रामा माली
75	176/77-78	,, धरमचन्द सादुल जी जैन
76	177/77-78	,, श्रीमती सुबटी देवी पत्नी किशोरमल सेवग
77	181/77-78	,, मूलचन्द मेहता
78	182/77-78	,, श्रीमती रामूबाई पत्नी माणकचन्द जी ओसवाल
79	184/77-78	,, वंशीधर पुत्र गंगाराम जी जैन

विट

1	2	3
80	185/77-78	,, परसमल बगताजी लुहार
81	186/77-78	,, पन्नालाल वगताजी लुहार
82	187/77-78	,, चम्पालाल बगताजी लुहार
83	188/77-78	,, अमृतलाल वगताजी लुहार
84	189/77-78	,, रघुनाथ चिमना जी खण्डेलवाल
85	190/77-78	,, पारसमल सिरेमल सेवग
86	191/77-78	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी कुन्दनमल जी
87	192/77-78	श्री हनुमान अम्बालाल सेवग
88	193/77-78	,, राणमल अम्बालाल सेवग
89	196/77-78	,, मुकेशमल प्रभुलाल जी
90	198/77-78	,, बाबूलाल छोगालाल जी दर्जी
91	199/87-78	,, गोपीकिशन रामकरण

नियमन की पेन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नम्बर-2

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	12/77	श्री अब्दुल लतीफ अंसारी
2	31/77	,, उगमराम चम्पालाल ओड
3	33/77	,, चम्पालाल भैराजी ओड
4	35/77	,, बस्ताराम तेजाराम वेलदार
5	36/77	,, तेजाराम भैराजी वेलदार
6	137/77	,, ब्रह्मानन्द प्रताप जी
7	197/78	,, शंकरलाल गोरधन जी माहेश्वरी
8	199/78	,, अनवर खां छोटूखां जी मुसलमान
9	200/78	,, सुरेशचन्द्र भागीरथमल गुप्ता

एस. डी. अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, भीनमाल

नियमन की पैन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं.—3

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	16/77	श्री रूपा, हीरा, पदमा, खेता, छोगालाल पि. समरथा जी माली
2	38/77	श्री रूपाराम कैसा जी नानक
3	44/77	श्री मगनाराम भापुजी भाट
4	58/77	श्री सूराराम घुकाजी दर्जी
5	59/77	श्री पन्नालाल पुनमा जी कुम्हार
6	68/77	श्रीमती चुन्नी पत्नी अलेर जी
7	69/77	श्री अलेर खां मोती जी कोटवाल
8	95/77	श्री बाबूलाल सोनी
9	115/77	श्री रसीद अदर्स
10	151/77	श्री पन्नालाल-पुनमा जी कुम्हार
11	183/77	श्री ऊका, जवारा पि. मोती जी
12	81/77	श्री सुलेमान नवाजी कोटवाल

एस. डी.
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, भीनमाल

नियमन की पैन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नम्बर-4

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	40/77	श्री तेजराज शिवराज जी मेहता
2	70/77	,, जगदीश शंकर लाल सोनी
3	100/77	,, खीमाराम धरमाजी लुहार
4	118/77	,, रमेश कुमार बाबूलाल जी

1	2	3
5	119/77	श्री पुखराज कपूरचन्द जी ओसवाल
6	201/78	श्रीमती सुखी देबी पत्नी बस्तीमल
7	202/78	श्री बस्ती मल उखचन्द जी
8	179/78	,, दीपाराम चन्ना जी प्रजापत
9	77/77	,, भंवरलाल शिवराज मेहता

नियमन की पेन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नम्बर—7

क्रमांक	पत्रावली सख्या	नाम व्यक्ति
1	67/77	श्री रामलाल उकाजी लुहार
2	158/77	श्री माली पंच समाज
3	101/77	श्री डामरमल पुखराज ओसवाल
4	111/77	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी कपूरचन्द

नियमन की पेन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं.—9

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	4/77	श्री लालाराम कैसा जी भाट
2	5/77	श्री शंकरलाल कैसा जी भाट

वार्ड नं.—11

1	163/77	श्री फूलचन्द चतरा जी सोनी

नियमन की पेन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं. 12

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	37/77	श्री दीपचन्द खीमचन्द माहेश्वरी
2	94/77	,, सोवतमलें सोहनराज जी
3	122/77	,, किस्तूरा राम पुनमाजी घांची
4	136/77	,, हीराचन्द बदारा
5	194/77	,, मांगीलाल टीकुचन्द जी ओसवाल
6	162/77	,, रेखाचन्द जैराजी ओसवाल
7	195/77	,, कालूचन्द छगनलाल ओसवाल

नियमन की पेन्डिग पत्रावलियों की सूची वार्ड नं. 13

क्रमांक	पत्रावली संख्या	नाम व्यक्ति
1	139/77	श्री जीवाराम पुरोहित
2	140/77	,, भूरा राम पुरोहित
3	155/77	,, सोभागी बाई पत्नी सांवल चन्द
4	167/77	,, ममुता सांवला पुत्र सोनाजी
5	168/77	,, रामरतन सांवलाराम
6	27/77	,, हमीर खां उम्मेद खां जी मुसलमान
7	28/77	,, उम्मेद खां हासम खां जी
8	29/77	,, जलाल खां उम्मेद खां जी
9	30/77	,, भूरे खां उम्मेद खां जी
10	34/77	,, गौरीशंकर चिमनीराम जी श्रीमाली
11	45/77	,, भंवरलाल मूलचन्द जी ओसवाल
12	178/77	श्रीमती अंकी बाई पत्नी घमंडीराम जी गोवानी।
13	180/77	श्री टीकूचन्द दरगाजी ओसवाल